



# तहसील हरिद्वार, उप निबन्धक कार्यालय (प्रथम) जनपद हरिद्वार

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद हरिद्वार के कार्यालय उप निबन्धक (प्रथम) तहसील हरिद्वार के लिए द्विवार्षिक न्यूनतम औसत बाजारी दरों का निर्धारण सलग्न विवरण पत्र के अनुसार किया जा रहा है। द्विवार्षिक मूल्यांकन सूची जो कि 01 नवम्बर 2011 से प्रभावी होनी थी, शासनादेश संख्या 682/2011/XXVII(9)/स्टाम्प-80/2009 दिनांक 01.11.2011 के क्रम में 31 मार्च 2012 तक स्थगित किये जाने के फलस्वरूप यह दरें दिनांक 01 अप्रैल 2012 से 31 अक्टूबर 2013 तक प्रभावी होंगी।


  
(सूर्य मोहन नाटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।


  
(डी० सैथिल पांडियन)  
आई०ए०एस०  
कलेक्टर, हरिद्वार।

## कार्यालय कलेक्टर, हरिद्वार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, परिपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


- 1-प्रमुख सचिव (वित्त) उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2-महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3-अपर महानिरीक्षक निबंधन मुख्यालय महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4-जिला निबंधक, हरिद्वार।
- 5-जिला स्टाम्प अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार।
- 6-सहायक महानिरीक्षक, निबंधन, हरिद्वार।
- 7-सब रजिस्ट्रार हरिद्वार।
- 8-उप जिलाधिकारी हरिद्वार।
- 9-तहसीलदार हरिद्वार।

  
(सूर्य मोहन नाटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

  
(डी० सैथिल पांडियन)  
आई०ए०एस०  
कलेक्टर, हरिद्वार।

**तहसील हरिद्वार, उप निबन्धक कार्यालय (प्रथम)**  
**जनपद हरिद्वार**  
**हरिद्वार नगर के प्रमुख मार्गों पर स्थित क्षेत्रों की दरें**

| क्र. सं. | क्षेत्र  | सड़क से 50 मीटर तक दर (रु० प्रति वर्ग मीटर) | सड़क से 51 मीटर दूरी से 200 मीटर तक आवासीय दर (रु० प्रति वर्ग मीटर) | व्यवसायिक दर (रु० प्रति वर्ग मीटर) | दुकान/ रेस्टोरेंट कार्यालय की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर किराये की दर) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर कराये की दर) |  |  |
|----------|--|---|---|------------------------------------|---|---|--|--|
|          |  |   |   |                                    |   | गोदाम   | होटल/ गेस्ट हाउस/ बारातघर/ सिनेमाहाल/ पेट्रोल पम्प | अस्पताल/ धर्मशाला/ मनोरंजन स्थल / अन्य जो कि उ.प्र. वाणि. अधि. के अन्तर्गत है। |
| 1        | 2  | 3   | 4   | 5                                  | 6   | 7   | 8  | 9  |
| 1        | हरिद्वार ऋषिकेश रोड (जनपद हरिद्वार सीमा प्रारम्भ से दूधाधारी चौक तक) | 16250                                       | 11270   | 16250                              | 125   | 105   | 90   | 77   |
| 2        | दूधाधारी चौक से भीमगोड़ा पोस्ट तक (खड़खड़ी रोड़)                     | 27480                                       | 17160   | 27480                              | 125   | 105   | 90   | 77   |
| 3        | भारत माता मंदिर रोड़ (ऋषिकेश रोड़ से सप्तऋषि आश्रम तक)               | 24240                                       | 15875   | 24240                              | 122   | 93  | 86   | 71   |
| 4        | शान्तिकुज मार्ग (पुलिस चौकी पोस्ट से गंगामाता आई हास्पिटल तक)        | 15210                                       | 8820  | 15210                              | 105   | 82  | 78   | 62   |
| 5        | पावन धाम रोड़ (ऋषिकेश रोड़ से बागरो नदी के पुल तक)                   | 16380                                       | 9750  | 16380                              | 108   | 84  | 80   | 63   |
| 6        | खड़खड़ी शमशान रोड़ पर मोड़ से आगे                                    | 12960                                       | 8000  | 12960                              | 108   | 84  | 80   | 63   |
| 7        | भीमगोड़ा चौक पोस्ट से हर की पैड़ी तक                                 | 30475                                       | 21120   | 30475                              | 105   | 83  | 78   | 62   |


  
 (सूर्य मोहन नौटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

|    |   |       |       |       |     |     |    |    |
|----|---|-------|-------|-------|-----|-----|----|----|
| 8  | अपर रोड (हर की पैड़ी से शिव मूर्ति चौक तक)            | 49680 | 35880 | 49680 | 181 | 93  | 85 | 63 |
| 9  | दुसाधारी चौक से पंतद्वीप पार्क गंगा पुल तक            | 15840 | 10140 | 15840 | 112 | 89  | 83 | 62 |
| 10 | पंतद्वीप पार्क गंगा पुल के आगे से शंकराचार्य चौक तक   | 15750 | 9555  | 15750 | 98  | 73  | 70 | 58 |
| 11 | बिरला रोड   | 35535 | 24000 | 35535 | 158 | 88  | 80 | 62 |
| 12 | मल्ला रोड   | 37800 | 24360 | 37800 | 160 | 89  | 81 | 63 |
| 13 | सिंहद्वार चौक से कनखल बाजार तक                        | 19440 | 12870 | 19440 | 102 | 81  | 79 | 64 |
| 14 | महात्मा गांधी मार्ग (शंकराचार्य चौक से कनखल बाजार तक) | 17145 | 10400 | 17145 | 100 | 80  | 72 | 60 |
| 15 | दक्ष रोड (चौक बाजार कनखल से आनन्दमयी आश्रम तक)        | 15500 | 9555  | 15500 | 97  | 86  | 78 | 58 |
| 16 | दक्ष रोड (आनन्दमयी आश्रम से केशर फैक्ट्री तक)         | 13250 | 8200  | 13250 | 97  | 86  | 78 | 58 |
| 17 | रामकिशन मिशन रोड (पुलिस थाने से बंगाली हास्पिटल तक)   | 16250 | 10400 | 16250 | 119 | 100 | 93 | 71 |

(सूर्य मोहन नाटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

## हरिद्वार नगर पालिका तथा अर्द्धनगरीय क्षेत्र में स्थित मौहल्लों/कालोनी की दरें

| प्रमुख क्षेत्र | क्षेत्र  | सड़क से 50 मीटर तक आवासीय दर (रु० प्रति वर्ग मीटर) | सड़क से 50 मीटर आगे आवासीय दर (रु० प्रति वर्ग मीटर) | व्यवसायिक दर (रु० प्रति वर्ग मीटर) | दुकान / रेस्टोरेंट / कार्या. की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर किराये की दर) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर किराये की दर) |   |  |
|----------------|--|--|---|------------------------------------|---|--|---|--|
|                |  |  |   |                                    |   | गोदाम  | होटल/गेस्ट हाउस/बाघतघर/सिनेमाहाल/पेट्रोल पम्प | अस्पताल/घर्मशाला/मनोरंजन स्थल जो कि उ.प्र. वाणि. अधि. के अन्तर्गत हैं। |
|                |  | निर्धारित दर                                       | निर्धारित दर  | निर्धारित दर                       | निर्धारित दर  | निर्धारित दर   | निर्धारित दर                                  | निर्धारित दर   |
| 1              | 2  | 3  | 4   | 5                                  | 6   | 7  | 8   | 9  |
| 1              | हरिपुर खुर्द   | 8800   | 7000  | 11875                              | 101   | 83   | 73  | 58   |
| 2              | भोपतवाला कला   | 9500   | 7800  | 12875                              | 116   | 93   | 85  | 63   |
| 3              | भोपतवाला कला के खसरा नम्बरान 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7/2/1, 1/7/1, 1/8, 1/9, 1/10, 4/5, 4/6, 4/9, 4/10, 4/22, 4/23, 5, 6, 7, 9 से 17,19,20, 23 से 28रु०, 48/22, 48/26, 48/28, 50/1, 50/2, 50/3, 50/6, 50/7, 50/8, 51, 52, 56, 57, 58,59, 60, 61, 62/1,62/2, 62/3, 62/4,62/8 62/9, 62/10, 62/11, 62/13, 62/16/2/2, 62/18/1, 62/१८, 62/20, 62/23, 103,104, 104/2, 105, 106/1, 108/1, 109/2 | 12000  | 9100  | 16250                              | 126   | 109  | 90  | 72   |
| 4              | भोपतवाला खुर्द   | 9500   | 7800  | 12750                              | 114   | 89   | 79  | 62   |
| 5              | सत्यम विहार  | 9200   | 7200  | 12400                              | 110   | 87   | 76  | 60   |
| 6              | अद्वापुरम  | 8800   | 6900  | 11800                              | 97  | 82   | 75  | 57   |
| 7              | रानी गली   | 9200   | 7200  | 12375                              | 102   | 87   | 78  | 59   |


  
 (सूर्य मोहन नौटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

|    |   |       |       |       |     |    |    |    |
|----|---|-------|-------|-------|-----|----|----|----|
| 8  | घक भूपतवाला   | 9200  | 7200  | 12375 | 102 | 87 | 78 | 59 |
| 9  | दूधिया बन्द   | 8505  | 6930  | 12285 | 96  | 82 | 78 | 62 |
| 10 | आदर्शनगर, (अन्तर्गत भूपतवाला क्षेत्र)   | 7490  | 5800  | 10400 | 99  | 78 | 75 | 58 |
| 11 | दुर्गानगर   | 7350  | 5460  | 10270 | 96  | 77 | 73 | 57 |
| 12 | जगदीशनगर (अन्तर्गत भूपतवाला क्षेत्र)  | 7350  | 5460  | 10270 | 96  | 77 | 73 | 57 |
| 13 | मुखिया गली  | 7350  | 5460  | 10270 | 96  | 77 | 73 | 57 |
| 14 | गंगा विहार  | 7490  | 5800  | 10400 | 99  | 78 | 75 | 58 |
| 15 | फॅडस कॉलोनी (अन्तर्गत भूपतवाला क्षेत्र)   | 7350  | 5460  | 10270 | 96  | 77 | 73 | 57 |
| 16 | भगीरथ नगर,  | 8820  | 6720  | 12285 | 96  | 77 | 73 | 57 |
| 17 | इन्द्र इन्क्लेव   | 8820  | 6720  | 12285 | 96  | 77 | 73 | 57 |
| 18 | संगमपुरी उर्फ संघ कालोनी  | 9520  | 7580  | 13650 | 96  | 77 | 73 | 57 |
| 19 | उत्तम बस्ती   | 5880  | 4480  | 8190  | 99  | 78 | 72 | 59 |
| 20 | पंतद्वीप  | 7350  | 5460  | 11060 | 96  | 77 | 73 | 57 |
| 21 | नाई बस्ती (अन्तर्गत खडखडी क्षेत्र)  | 7000  | 5180  | 10780 | 104 | 82 | 77 | 61 |
| 22 | खडखडी   | 11550 | 8680  | 15125 | 101 | 90 | 79 | 60 |
| 23 | गंगाधर महादेव नगर   | 7700  | 5740  | 10725 | 101 | 90 | 79 | 60 |
| 24 | बांगरो नदी  | 11550 | 8680  | 16250 | 101 | 90 | 79 | 60 |
| 25 | मीमगोड़ा  | 11060 | 8400  | 15600 | 96  | 77 | 73 | 57 |
| 26 | हर की पैड़ी   | 51150 | 41760 | 91455 | 164 | 88 | 80 | 62 |
| 27 | बड़ा बाजार,   | 39000 | 27720 | 63000 | 168 | 69 | 82 | 65 |
| 28 | जोगिया मण्डी (सुलभ शौचालय से लोकप्रियता की जाने वाली सीढियों एक नीचे की ओर हर की पैड़ी के सामने का क्षेत्र) | 18340 | 12040 | 27930 | 106 | 83 | 80 | 62 |
| 29 | जोगिया मण्डी (पहाड़ पर)   | 5740  | 4060  | 8680  | 106 | 83 | 80 | 62 |
| 30 | नाई सोता  | 28920 | 23766 | 45125 | 164 | 88 | 80 | 62 |

(सूर्य मोहं नौटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

|    |   |       |       |       |     |    |    |    |
|----|---|-------|-------|-------|-----|----|----|----|
| 31 | लालजी वाला  | 8190  | 6500  | 12287 | 106 | 83 | 80 | 62 |
| 32 | काशीपुरा  | 4200  | 3360  | 7150  | 97  | 77 | 73 | 58 |
| 33 | ब्रह्मपुरी  | 6375  | 5265  | 10270 | 107 | 84 | 80 | 63 |
| 34 | अपर रोड जोगिया मण्डी                                | 36750 | 27300 | 50715 | 164 | 86 | 79 | 58 |
| 35 | विष्णु घाट  | 28380 | 25740 | 42900 | 168 | 89 | 80 | 66 |
| 36 | रामघाट  | 28336 | 25220 | 42784 | 168 | 86 | 80 | 65 |
| 37 | गऊघाट   | 28336 | 25220 | 42785 | 168 | 86 | 80 | 65 |
| 38 | हनुमान घाट  | 28336 | 25220 | 42785 | 168 | 86 | 80 | 65 |
| 39 | श्रवण घाट   | 28336 | 25220 | 42785 | 168 | 86 | 80 | 65 |
| 40 | रामभसाद गली   | 28336 | 25740 | 42900 | 168 | 86 | 80 | 65 |
| 41 | रामलीला ग्राउण्ड                                    | 28336 | 25800 | 42785 | 168 | 86 | 80 | 65 |
| 42 | कुशाघाट   | 29680 | 27000 | 46000 | 172 | 92 | 82 | 67 |
| 43 | गोती बाजार  | 28336 | 25740 | 42900 | 168 | 89 | 80 | 66 |
| 44 | श्रवणनाथ मठ   | 30188 | 26480 | 42283 | 168 | 89 | 84 | 66 |
| 45 | श्रवणनाथ नगर  | 30592 | 28980 | 43680 | 175 | 89 | 83 | 69 |
| 46 | रोडी बेलवाला  | 27773 | 24570 | 44100 | 168 | 69 | 65 | 66 |
| 47 | निर्मला छावनी                                       | 9360  | 8260  | 14430 | 99  | 84 | 70 | 65 |
| 48 | रेलवे कॉलोनी  | 3960  | 3720  | 7130  | 97  | 76 | 71 | 58 |
| 49 | निर्मला छावनी क्षेत्र में इन्डस्ट्रियल एरिया कालोनी | 8625  | 7360  | 13750 | 101 | 80 | 77 | 67 |
| 50 | बाल्मीकि बस्ती कनखल हरिद्वार                        | 4280  | 4030  | 7750  | 97  | 76 | 71 | 58 |
| 51 | भैरव अखाड़ा   | 23520 | 22000 | 37800 | 164 | 86 | 79 | 64 |
| 52 | जोधामल रोड  | 23520 | 22000 | 37800 | 164 | 86 | 79 | 64 |
| 53 | ललतारो रोड (अपर रोड से गंगा पुल तक)                 | 22400 | 20160 | 36000 | 164 | 86 | 79 | 64 |
| 54 | घण्डीघाट रोड (बेलवाला का भाग)                       | 6960  | 5875  | 10080 | 97  | 76 | 71 | 58 |
| 55 | हिमगिरी कॉलोनी                                      | 5760  | 4680  | 9620  | 99  | 84 | 77 | 66 |

|    |                              |       |      |       |     |     |    |    |
|----|------------------------------|-------|------|-------|-----|-----|----|----|
| 56 | संन्यास रोड                  | 6600  | 5590 | 10725 | 101 | 87  | 78 | 67 |
| 57 | रविदास बस्ती                 | 5160  | 4030 | 8320  | 101 | 87  | 78 | 67 |
| 58 | पहाड़ी बाजार,                | 8190  | 6720 | 12758 | 96  | 83  | 76 | 64 |
| 59 | आचार्यन                      | 5460  | 4060 | 7830  | 92  | 76  | 71 | 61 |
| 60 | शिवपुरी                      | 5740  | 4495 | 8370  | 105 | 85  | 80 | 68 |
| 61 | कुम्हारगढ़                   | 5000  | 3920 | 7770  | 105 | 65  | 80 | 68 |
| 62 | पल्लेदारान                   | 5265  | 4060 | 6120  | 97  | 80  | 76 | 63 |
| 63 | चीक बाजार                    | 10290 | 8540 | 15540 | 101 | 83  | 76 | 64 |
| 64 | सब्जी मण्डी नयी ज्वालापुर    | 9800  | 8190 | 14175 | 101 | 83  | 76 | 64 |
| 65 | सब्जी मण्डी पुरानी ज्वालापुर | 10290 | 8820 | 14987 | 102 | 68  | 81 | 68 |
| 66 | राजघाट                       | 5880  | 4200 | 8505  | 100 | 84  | 77 | 65 |
| 67 | सतीघाट                       | 6720  | 5040 | 9855  | 99  | 84  | 77 | 65 |
| 68 | दरभंगा रोड                   | 6580  | 4900 | 9720  | 97  | 83  | 76 | 64 |
| 69 | म्याना                       | 5740  | 4060 | 8235  | 97  | 83  | 76 | 64 |
| 70 | होली                         | 5670  | 4200 | 8190  | 99  | 84  | 77 | 65 |
| 71 | इगली                         | 5265  | 3920 | 7600  | 99  | 84  | 77 | 65 |
| 72 | चीपटा                        | 5265  | 3920 | 7600  | 99  | 84  | 77 | 65 |
| 73 | कृष्णानगर कालोनी             | 6720  | 5040 | 9855  | 99  | 84  | 77 | 65 |
| 74 | न्यू कृष्णानगर               | 6580  | 4900 | 9720  | 97  | 83  | 76 | 64 |
| 75 | लाटोवाली                     | 6160  | 4340 | 8910  | 105 | 88  | 80 | 66 |
| 76 | हनुमानगढ़ी                   | 6720  | 4760 | 9720  | 113 | 100 | 91 | 73 |
| 77 | पुरबिया बस्ती                | 5670  | 4200 | 9135  | 99  | 87  | 80 | 63 |
| 78 | दादूबाग                      | 5460  | 4170 | 7898  | 104 | 87  | 80 | 63 |
| 79 | भैरव मन्दिर रोड              | 6160  | 4340 | 8910  | 109 | 91  | 63 | 66 |

  
 (सूर्य मोहन नौटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।


|    |                                    |       |       |       |     |    |    |    |
|----|------------------------------------|-------|-------|-------|-----|----|----|----|
| 80 | निर्मल बाग                         | 5740  | 4130  | 8235  | 101 | 86 | 78 | 62 |
| 81 | अभिषेक नगर                         | 5460  | 3920  | 7898  | 104 | 87 | 78 | 62 |
| 82 | ब्रह्म विहार                       | 6480  | 5040  | 10585 | 104 | 87 | 80 | 63 |
| 83 | विष्णु गार्डन                      | 7490  | 5880  | 10530 | 99  | 84 | 77 | 61 |
| 84 | न्यू विष्णु गार्डन                 | 7490  | 6020  | 10530 | 99  | 84 | 77 | 61 |
| 85 | अरिहन्त विहार                      | 6880  | 6020  | 9750  | 99  | 87 | 76 | 61 |
| 86 | भगवन्तपुरम                         | 7350  | 5740  | 10270 | 97  | 83 | 76 | 62 |
| 87 | सतीकुम्ह                           | 5480  | 4200  | 8190  | 99  | 84 | 77 | 62 |
| 88 | ऋषिकुल                             | 16380 | 13580 | 24570 | 101 | 83 | 76 | 62 |
| 89 | विद्यापीठ                          | 15600 | 12880 | 23400 | 101 | 83 | 76 | 62 |
| 90 | नई बस्ती (अन्तर्गत ऋषिकुल क्षेत्र) | 16770 | 13880 | 25100 | 104 | 84 | 77 | 63 |
| 91 | शरद विहार कालोनी                   | 6825  | 5460  | 10300 | 101 | 83 | 76 | 62 |
| 92 | कड़ुछ मौहल्ला                      | 6370  | 5070  | 9400  | 107 | 81 | 77 | 64 |

(सूर्य मोहन भौटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।



## अर्द्ध नगरीय क्षेत्र / विशिष्ट ग्राम हेतु निर्धारित दर


| क्र. सं. | क्षेत्र/राजस्व ग्रामों के नाम   | सिंचित दर प्रति हेक्टेयर (लाख रु. में) | असिंचित दर प्रति हेक्टेयर (लाख रु. में) | 1000 वर्ग मीटर तक की भूमि के अन्तर्ण के लिए निर्धारित दरें (रु० प्रति वर्ग मीटर) |      |      |      | व्यवसायिक दर रु० प्रति वर्ग मीटर | दुकान/ रेस्टोरेट/ कार्यालय की रु० प्रति वर्ग मीटर दर किराये की दर | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर किराये की दर) |    |    |
|----------|---|--|---|--|------|------|------|----------------------------------|---|--|----|----|
|          |   |  |   | 5  | 6    | 7    | 8    |                                  |   | 9  | 10 | 11 |
| 1        | 2   | 3                                      | 4                                       | 5  | 6    | 7    | 8    | 9                                | 10  | 11   | 12 | 13 |
| 1        | जगजीतपुर (नगरपालिका सीमा के बाहर )  | 55.28                                  | 55.28                                   | 6300   | 5700 | 5900 | 5400 | 8775                             | 99  | 80   | 72 | 51 |
| 2        | जगजीतपुर (नगरपालिका सीमा के बाहर), के खसरा नम्बरान 39,63, 64,68,77,83,88,91,93,108,123, 124,125,126,131,133,138,139, 140,181,186,187,206,384,385, 387,390,391,394,399,400,409, 410,415,435,444,449,453,455, 457,462,463,465,466,467,470, 471,472,485,486,487,488,489, 490,491,492,497,498,499,500, 501,502,503,504,505,506,508, 509,510,511,512,516,517,518 | 61.07                                  | 61.07                                   | 6670   | 5945 | 6380 | 5800 | 9380                             | 103   | 100  | 86 | 61 |
| 3        | देवपुर मुस्ताहकम  | 40.69                                  | 40.69                                   | 4760   | 4400 | 4480 | 4100 | 7000                             | 63  | 63   | 55 | 41 |

  
 (सूर्य मोहन नौटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

|    |  |       |       |      |      |      |      |       |    |    |    |    |
|----|--|-------|-------|------|------|------|------|-------|----|----|----|----|
| 4  | देवपुर मुस्ताहकम के खसरा नम्बर<br>10,22,24,26,27,34,35,37,<br>38,40,42,43,44,45,46,47,48,52,<br>53,84,55,56,57,58,81,124,125,<br>126,127,129,132,133,134,136,<br>138,139,140,142अ,142ब,144,<br>145,158,157,158,189,161,162,<br>163,164,165,186,169,171,172,<br>175,180,182,185,186,187,188,<br>190,191,192,193,317अ,317ब, 318अ | 52.58 | 52.58 | 5740 | 5300 | 5600 | 5100 | 6625  | 77 | 76 | 66 | 49 |
| 5  | जमालपुर कला  | 32.50 | 30.03 | 5800 | 5100 | 5300 | 4800 | 8410  | 76 | 71 | 64 | 49 |
| 6  | जमालपुर कला के खसरा<br>नम्बर-415,420,421,422,424,<br>425,426,427,428,430,431,432,433,<br>435,437,438,439,441,442,443,444,<br>445,446,447,448,452,453   | 40.50 | 37.42 | 7000 | 6100 | 6600 | 5800 | 10150 | 91 | 85 | 77 | 59 |
| 7  | मिस्सरपुर मुस्ताहकम  | 8.90  | 7.72  | 2400 | 2100 | 2200 | 1900 | 3770  | 67 | 59 | 55 | 42 |
| 8  | मिस्सरपुर मुस्ताहकम के खसरा नम्बर<br>1,4,5,7,8,10,15,17,18,20,22,24,<br>25,26,27,28,29,30,32,33,35,37,<br>39,40,69,70,71,72  | 12.51 | 10.93 | 3100 | 2500 | 2700 | 2300 | 4400  | 73 | 71 | 66 | 49 |
| 9  | नूरपुर पंजनहेड़ी   | 8.90  | 7.72  | 2400 | 2100 | 2200 | 1900 | 3770  | 66 | 66 | 61 | 48 |
| 10 | नूरपुर पंजनहेड़ी के खसरा<br>नम्बर-23,29,30,31,33,34,35,36,38,<br>40,42,44,45,46,47,52,60,61,62,63,<br>68,72,73,76,77,83,84,89,227,233,84   | 12.51 | 10.93 | 3100 | 2500 | 2700 | 2300 | 4400  | 79 | 71 | 66 | 49 |
| 11 | गाडोवाली   | 9.66  | 8.40  | 2400 | 2000 | 2200 | 1900 | 3250  | 66 | 61 | 55 | 41 |
| 12 | किशनपुर  | 9.60  | 8.32  | 2400 | 2100 | 2200 | 1900 | 3250  | 66 | 61 | 55 | 41 |
| 13 | किशनपुर के खसरा नम्बर<br>18,93,124,125,126,129,133,134,136,<br>137,138,139,  | 12.51 | 10.93 | 3100 | 2500 | 2700 | 2300 | 3965  | 76 | 74 | 66 | 47 |
|    |  |       |       |      |      |      |      |       |    |    |    |    |

(सूर्य मोहन नीटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

|    |  |       |       |      |      |      |      |      |    |    |    |    |
|----|--|-------|-------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|
| 14 | अजीतपुर मुस्तहकम   | 8.90  | 7.72  | 2400 | 2100 | 2200 | 1900 | 3250 | 66 | 61 | 55 | 41 |
| 15 | अजीतपुर मुस्तहकम के खसरा नम्बर 3,4,5,7,8,9,11,13,15,18, 18, 19,22,23,24, 33,34,45,48, 47,48, 59,51,52  | 12.51 | 10.93 | 2940 | 2500 | 2590 | 2300 | 3965 | 78 | 74 | 66 | 47 |
| 16 | जियापोता   | 11.20 | 9.72  | 2800 | 2500 | 2800 | 2200 | 3900 | 76 | 73 | 64 | 47 |
| 17 | जियापोता के खसरा नम्बर 4,5,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,55,76, 79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89, 90,91,92,93,94,95,96,97,98 | 14.61 | 12.78 | 3430 | 2900 | 3080 | 2700 | 4680 | 90 | 86 | 78 | 55 |
| 18 | कांगडी   | 20.35 | 18.99 | 3100 | 2700 | 2800 | 2500 | 4600 | 76 | 71 | 64 | 47 |
| 19 | कांगडी के खसरा नम्बर 136,137,142,143,144,145, 159,162,164,165,166,183, 184,185,186,189,190,191, 192,213,214,216,219,220, 222, 248,252,265,266                  | 27.90 | 26.16 | 5530 | 4410 | 4760 | 3920 | 7670 | 86 | 81 | 79 | 69 |
| 20 | गाजीवाली   | 19.55 | 18.22 | 3000 | 2600 | 2700 | 2400 | 4500 | 74 | 69 | 61 | 46 |
| 21 | गाजीवाली के खसरा नं० 163,164,166,175,178,177,178,179, 180,181,182,183,184,185,186,187,   | 26.78 | 25.13 | 5320 | 4200 | 4550 | 3760 | 7350 | 83 | 78 | 77 | 66 |
| 22 | श्यामपुर नौआबाद  | 17.91 | 16.71 | 2700 | 2350 | 2550 | 2200 | 5500 | 67 | 63 | 58 | 42 |
| 23 | श्यामपुर नौआबाद के खसरा नम्बर-236,237, 238,239,241,242,243,244,245,246, 247,249,250,252,253,314,315, 316   | 24.54 | 23.04 | 4900 | 3850 | 4200 | 3500 | 6760 | 76 | 71 | 70 | 61 |
| 24 | सजनपुर पीली  | 17.42 | 16.25 | 2700 | 2200 | 2400 | 2100 | 3900 | 66 | 61 | 56 | 41 |


  
 (सूर्य मोहन भट्टियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

|    |  |       |       |      |      |      |      |      |    |    |    |    |
|----|--|-------|-------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|
| 25 | सजनपुर पीली के खसरा नम्बर<br>214,215,216,217,218,<br>219,226,256,260,262,263,<br>264,265,266 | 23.88 | 22.40 | 4760 | 3780 | 4060 | 3380 | 6500 | 74 | 70 | 68 | 59 |
| 26 | राजपुर   | 29.03 | 27.16 | 1400 | 1190 | 1120 | 980  | 1950 | 43 | 39 | 34 | 27 |
| 27 | बांसवाली   | 29.03 | 27.16 | 1400 | 1190 | 1120 | 980  | 1950 | 43 | 39 | 34 | 28 |
| 28 | अहमदपुर ग्रन्ट   | 10.46 | 8.62  | 2125 | 1812 | 1937 | 1625 | 3380 | 66 | 61 | 55 | 41 |
| 29 | अलीपुर इब्राहिमपुर   | 10.46 | 8.62  | 2125 | 1812 | 1937 | 1625 | 3380 | 66 | 61 | 55 | 41 |
| 30 | खिन्जरपुर कलंजरा   | 9.81  | 8.62  | 2125 | 1812 | 1937 | 1625 | 3380 | 66 | 61 | 55 | 41 |
| 31 | रोहालकी किशनपुर  | 9.81  | 8.62  | 2125 | 1812 | 1937 | 1625 | 3380 | 66 | 61 | 55 | 41 |
| 32 | बहादपुर जट   | 8.97  | 7.80  | 2210 | 1885 | 2015 | 1690 | 3380 | 66 | 61 | 55 | 41 |
| 33 | मिर्जापुर  | 8.97  | 7.80  | 2210 | 1885 | 2015 | 1690 | 3380 | 66 | 61 | 55 | 41 |
| 34 | अजीतपुर अहतमाल   | 8.90  | 7.72  | 2210 | 1885 | 2015 | 1690 | 3380 | 66 | 61 | 55 | 41 |
| 35 | मिस्सरपुर अहतमाल   | 8.73  | 7.58  | 2210 | 1820 | 2015 | 1690 | 3250 | 65 | 60 | 53 | 39 |
| 36 | देवपुर अहतमाल  | 8.73  | 7.58  | 2405 | 1950 | 2210 | 1820 | 3640 | 65 | 60 | 53 | 39 |
| 37 | हादीपुर  | 8.73  | 7.58  | 2210 | 1820 | 1950 | 1690 | 3250 | 65 | 60 | 53 | 39 |
| 38 | सिरसली   | 8.73  | 7.58  | 2210 | 1820 | 1950 | 1690 | 3250 | 65 | 60 | 53 | 39 |
| 39 | पुरणपुर साल्हापुर  | 7.95  | 7.35  | 2125 | 1812 | 1937 | 1625 | 3380 | 66 | 61 | 55 | 41 |
| 40 | मोहम्मदपुर अलीपुर  | 7.95  | 7.35  | 2125 | 1812 | 1937 | 1625 | 3380 | 66 | 61 | 55 | 41 |

(सूर्य मोहन मोटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।


## विशिष्ट क्षेत्रों हेतु निर्धारित दरें

| क्र. सं. | क्षेत्र/ राजस्व ग्रामों के नाम                           | सिंचित दर प्रति हेक्टेयर (लाख रु. में) | असिंचित दर प्रति हेक्टेयर (लाख रु. में) | 1000 वर्ग मीटर तक की भूमि के अन्तर्ण के लिए निर्धारित दरें (रु०प्रति वर्ग मीटर) |              |   |   | व्यवसायिक दर रु० प्रति वर्ग मीटर | दुकान/ रेस्टोरेट/ कार्यालय की रु० प्रति वर्ग मीटर दर किराये की दर | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दर (रु०प्रति वर्ग मीटर किराये की दर)   |   |              |              |              |
|----------|--|--|---|---|--------------|---|---|----------------------------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|
|          |  |  |   | निर्धारित दर  | निर्धारित दर | 500 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर | 500 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मी. दूर निर्धारित दर |                                  |   | 501 वर्ग मीटर से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर | 501 वर्ग मीटर से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मी. दूर निर्धारित दर | निर्धारित दर | निर्धारित दर | निर्धारित दर |
| 1        | 2  | 3                                      | 4                                       | 5   | 6            | 7   | 8   | 9                                | 10  | 11  | 12  | 13           |              |              |
| 01.      | टिहरी विस्थापित क्षेत्र शिवालिक नगर                      | 77.00                                  | 77.00                                   | 8320  | 5740         | 7560  | 4930  | 11625                            | 95  | 81  | 76  | 62           |              |              |
| 02       | टिहरी विस्थापित क्षेत्र रानीपुर                          | 77.00                                  | 77.00                                   | 8320  | 5740         | 7560  | 4930  | 11625                            | 95  | 81  | 76  | 62           |              |              |
| 03       | टिहरी विस्थापित क्षेत्र सलेमपुर                          | 31.50                                  | 31.50                                   | 4875  | 4500         | 4500  | 3700  | 7000                             | 77  | 73  | 63  | 46           |              |              |
| 04       | टिहरी विस्थापित क्षेत्र भगतनपुर आबिदपुर उर्फ इब्राहीमपुर | 20.25                                  | 20.25                                   | 3575  | 2970         | 3040  | 2310  | 5200                             | 68  | 62  | 54  | 39           |              |              |


  
 (सूर्य मोहन (ओडियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

## नगर पंचायत भेल एवं विशिष्ट क्षेत्र की दरें

| प्रमुख क्षेत्र | क्षेत्र  |  |   |                                      |   | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दर<br>(रु प्रति वर्ग मीटर किराये की दर) |   |   |
|----------------|--|--|---|--------------------------------------|---|--|---|---|
|                |  | सड़क से 50 मीटर तक आवासीय दर<br>(रु प्रति वर्ग मीटर) | सड़क से 50 मीटर आगे आवासीय दर<br>(रु प्रति वर्ग मीटर) | व्यवसायिक दर<br>(रु प्रति वर्ग मीटर) | दुकान/ रेस्टोरेंट/<br>कार्यालय की दर<br>(रु प्रति वर्ग मीटर किराये की दर) | गोदाम  | होटल/ गेस्ट हाउस/<br>बारातघर/<br>सिनेमाहाल/<br>पेट्रोल पम्प | अस्पताल/<br>घर्मशाला/<br>मनोरंजन स्थल जो कि उ.प्र. वाणि. अधि. के अन्तर्गत है। |
|                |  | निर्धारित दर   | निर्धारित दर  | निर्धारित दर                         | निर्धारित दर  | निर्धारित दर   | निर्धारित दर  | निर्धारित दर  |
| 1              | 2  | 3  | 4   | 5                                    | 6   | 7  | 8   | 9   |
| 01             | शिवालिक नगर फेज-1  | 7770   | 6310  | 11690                                | 100   | 89   | 80  | 66  |
| 02             | शिवालिक नगर फेज-2  | 7490   | 6090  | 11200                                | 95  | 87   | 77  | 63  |
| 03             | शिवालिक नगर फेज-3  | 7450   | 5945  | 11060                                | 93  | 86   | 63  | 59  |
| 04             | शिवालिक नगर फेज-4  | 7350   | 5800  | 10780                                | 95  | 87   | 77  | 63  |
| 05             | नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत भेल   | 5535   | 4205  | 8540                                 | 91  | 85   | 75  | 62  |
| 06             | हरिलोक कालोनी  | 6860   | 5480  | 9940                                 | 92  | 86   | 63  | 59  |
| 07             | सन्देश विहार   | 5850   | 5040  | 9100                                 | 82  | 78   | 57  | 53  |
| 08             | जे० वी० जी० एन्क्लेव   | 4420   | 3770  | 7020                                 | 74  | 83   | 79  | 64  |
| 09             | सीतापुर  | 5687   | 5070  | 9300                                 | 97  | 86   | 79  | 67  |
| 10             | सुभाषनगर (नगर सीमा के अन्तर्गत एवं नगर सीमा के बाहर)   | 5850   | 5200  | 9660                                 | 99  | 91   | 82  | 71  |
| 11             | ज्वालपुर (नगर पालिका सीमा के अन्दर स्थित वह क्षेत्र जो कि नगरपालिका क्षेत्रों में वर्णित मोहल्लों / कालानियों में उल्लिखित नहीं है ) | 7020   | 6860  | 11165                                | 105   | 88   | 80  | 69  |

  
 (सूर्य मोहन नौटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

|    |  |       |       |       |     |     |     |    |
|----|--|-------|-------|-------|-----|-----|-----|----|
| 12 | रानीपुर ग्राम (नगर पालिका सीमा के अन्दर स्थित वह क्षेत्र जो कि नगरपालिका क्षेत्रों में वर्णित मौहल्लों / कालानियों में उल्लिखित नहीं है )  | 5600  | 5200  | 7980  | 91  | 80  | 78  | 66 |
| 13 | जगजीतपुर (नगर पालिका सीमा के अन्दर स्थित वह क्षेत्र जो कि नगरपालिका क्षेत्रों में वर्णित मौहल्लों / कालानियों में उल्लिखित नहीं है )   | 8700  | 7400  | 13300 | 115 | 95  | 73  | 69 |
| 14 | जगजीतपुर (नगर पालिका सीमा के अन्दर स्थित वह क्षेत्र जो कि नगर पालिका क्षेत्रों में वर्णित मौहल्लों / कालानियों में उल्लिखित नहीं है ) के खसरा नम्बर<br>28,30,32,34,36,40,41,48,47,48,50,<br>51,62,65,69,70,101,102,103,105,<br>106,109,110,113,115,117,118,120,1<br>21,122,127,128,130,132,134,135,17<br>1,174,176,180,276,327,396,388,389<br>,393,396,397,398,445,446,447,448,<br>451, 452,454, 456 | 8805  | 8470  | 13300 | 116 | 96  | 74  | 70 |
| 15 | रोखुपुरा कनखल (नगरपालिका सीमा के अन्दर स्थित वह क्षेत्र जो कि नगर पालिका क्षेत्रों में वर्णित मौहल्लों कालानियों में उल्लिखित नहीं है )  | 8800  | 7700  | 13180 | 100 | 85  | 77  | 61 |
| 16 | रोखुपुरा कनखल (नगरपालिका सीमा के अन्दर स्थित वह क्षेत्र जो कि नगर पालिका क्षेत्रों में वर्णित मौहल्लों कालानियों में उल्लिखित नहीं है ) के खसरा नम्बर 91, 92, 93/1,<br>93/2,94/1,94/2,95/1,95/2,10<br>3,187,188,199,200,202, 245/7/1   | 10125 | 8960  | 14820 | 170 | 90  | 80  | 68 |
| 17 | इन्द्र लोक आवासीय कालोनी (एच0डी0ए0)  | 11300 | 10000 | 16080 | 128 | 116 | 101 | 85 |

  
 (सूर्य मोहन भट्टियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

ग्रामीण क्षेत्र

| क्र. सं.                                    | क्षेत्र/ राजस्व ग्रामों के नाम  | सिंचित दर प्रति हैक्टेयर (लाख रु. में) | असिंचित दर प्रति हैक्टेयर (लाख रु. में) | 1000 वर्ग मीटर तक की भूमि के अन्तरण के लिए निर्धारित दरें (रु०प्रति वर्ग मीटर) |   |   |   | व्यवसायिक दर रु०प्रति वर्ग मीटर | दुकान/ रेस्टोरेट/कार्या की रु० प्रति वर्ग मीटर दर किराये की दर | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दर (रु०प्रति वर्ग मीटर किराये की दर) |  |   |
|---|---|--|---|--|---|---|---|---------------------------------|--|---|--|---|
|   |   |  |   | 800 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर                              | 800 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मी. दूर निर्धारित दर | 801 वर्ग मीटर से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर | 801 वर्ग मीटर से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मी. दूर निर्धारित दर |                                 |  | गोदाम   | होटल/ गेस्ट हाउस/ बा रातघर/ सिनेमा हाल/ पेट्रोल पम्प | अस्पताल/ धर्मशाला/ मनोरंजन स्थल जो कि उ.प्र. वाणि. अधि. के अन्तर्गत है। |
| 1   | 2   | 3                                      | 4                                       | 5  | 6   | 7   | 8   | 9                               | 10   | 11  | 12   | 13  |
| परगना ज्वालापुर मे स्थित ग्रामों की दरें :- |   |  |   |  |   |   |   |                                 |  |   |  |   |
| 1   | सुनाष गढ  | 10.08                                  | 8.82                                    | 1365   | 1235  | 1105  | 975   | 2160                            | 48   | 45  | 40   | 34  |
| 2   | फेरुपुर कटिया   | 8.82                                   | 7.56                                    | 1365   | 1235  | 1105  | 975   | 2160                            | 48   | 45  | 40   | 34  |
| 3   | घांदपुर   | 8.8                                    | 7.7                                     | 1365   | 1040  | 1170  | 910   | 2100                            | 45   | 40  | 35   | 29  |
| 4   | कटारपुर अलीपुर  | 10.00                                  | 8.75                                    | 1560   | 1235  | 1300  | 1040  | 2365                            | 51   | 46  | 39   | 33  |
| 5   | कटारपुर अलीपुर के खसरा नम्बर 1, 2, 41,42, 44,65,66,67,74,76,77,79,81,91,92, 113,114,115,116 | 13.00                                  | 12.19                                   | 1820   | 1495  | 1560  | 1300  | 2835                            | 44   | 38  | 31   | 25  |
| 6   | फेरुपुर रामखेड़ा  | 10.00                                  | 8.75                                    | 1560   | 1235  | 1300  | 1040  | 2365                            | 51   | 46  | 39   | 33  |



|    |   |       |       |      |      |      |      |      |    |    |    |    |
|----|---|-------|-------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|
| 7  | फेरपुर रामखेड़ा के खसरा नम्बर<br>3,5,51,52,53,54,55,77,78,84,88,89,90,113, 114,<br>116, 125,126,127, 208, 216, 218, 219, 220, 232,<br>234, 239,240, 250, 251,253, 269, 270,293,294,<br>313, 315, 316, 318, 321, 323,<br>327,328,331,332,333,334   | 13.00 | 12.19 | 1820 | 1495 | 1560 | 1300 | 2835 | 62 | 53 | 46 | 40 |
| 8  | पदार्थो चर्फ धनपुरा   | 11.20 | 9.80  | 1700 | 1400 | 1400 | 1200 | 2450 | 51 | 46 | 39 | 33 |
| 9  | पदार्थो चर्फ धनपुरा के खसरा नम्बर 286,<br>288, 289, 290,291, 293, 296, 297,<br>298, 303, 304, 305, 307, 312, 314,<br>315, 332, 335, 336, 348, 350, 351,<br>380, 381, 384 से 388, 393, 395,<br>397, 399, 401, 403, 404,<br>432से441,442,203,292,298,303, 308,<br>309,312,316,317,332,333, 337,338 ,347<br>,351 ,352,353 ,355, 396, 398, 399, 403<br>,404, 405, 408, 409, | 13.00 | 12.19 | 1820 | 1495 | 1560 | 1300 | 2900 | 62 | 53 | 46 | 40 |
| 10 | मुस्ताफाबाद   | 9.62  | 8.13  | 1687 | 1312 | 1375 | 1125 | 2565 | 56 | 50 | 44 | 36 |
| 11 | मुस्ताफाबाद के खसरा नम्बर 140, 141,<br>142, 144, 145, 148, 154, 155, 156, 251,<br>252,232, 262, 267, 269, 270,274,275,276.  | 11.83 | 10.15 | 2015 | 1690 | 1755 | 1495 | 3240 | 69 | 59 | 53 | 46 |
| 12 | मवानीपुर जमालपुर  | 7.35  | 6.21  | 1250 | 1000 | 1062 | 875  | 2025 | 43 | 36 | 34 | 27 |
| 13 | मवानीपुर जमालपुर के खसरा नम्बर<br>11,12,13,15,16,18,28,30,31,32,33,34,42,<br>43,44,46,50,51,52,54,55,56,70,71,72,73,<br>74,75,77,78,81  | 9.16  | 7.73  | 1560 | 1235 | 1300 | 1105 | 2430 | 51 | 46 | 40 | 32 |
| 14 | शाहपुर शीतला खेड़ा  | 7.90  | 6.87  | 1375 | 1062 | 1125 | 937  | 2160 | 46 | 41 | 36 | 30 |
| 15 | शाहपुर शीतला खेड़ा के खसरा नम्बर 4, 6,<br>7, 8, 11, 12, 14, 34,36,43  | 9.73  | 8.34  | 1690 | 1365 | 1430 | 1170 | 2700 | 46 | 42 | 41 | 30 |
| 16 | घमीली चर्फ खेरवाला  | 7.56  | 6.38  | 1312 | 1000 | 1062 | 875  | 2100 | 45 | 40 | 35 | 29 |

|    |   |       |      |      |      |      |      |      |    |    |    |    |
|----|---|-------|------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|
| 17 | घमौली उर्फ खेरवाला के खसरा नम्बर<br>11,13,14,16,18,20,21,22,25,26,27,30,31,3<br>4,39,40,41,48,49,50, 51,52  | 9.44  | 7.97 | 1625 | 1235 | 1300 | 1105 | 2295 | 55 | 52 | 43 | 30 |
| 18 | बाण गंगा नम्बर 2  | 6.56  | 5.25 | 1312 | 1187 | 1062 | 937  | 2160 | 48 | 38 | 33 | 27 |
| 19 | बाण गंगा नम्बर 2 के खसरा नम्बर 95, 96,<br>103, 104, 105, 106, 108,109, 110, 123,<br>127, 128, 131,132, 142,143, 144, 147,<br>165, 166,168,172,174   | 8.19  | 6.82 | 1820 | 1625 | 1690 | 1235 | 2700 | 43 | 36 | 33 | 27 |
| 20 | बादशाहपुर शेरपुर भट्टीपुर   | 7.26  | 6.13 | 1312 | 1000 | 1062 | 875  | 2100 | 45 | 40 | 35 | 29 |
| 21 | बादशाहपुर शेरपुर भट्टीपुर के खसरा नम्बर<br>10,11,12,13, 14,15, 19,20,37, 38, 39,<br>40,49,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,<br>71, 72, 74, , 76, 77,79, 97, 98, 99, 100,<br>107, 109, 110, 112, 113, 116, 134, 140,<br>141, 146, 178, 179,181, 182, 198,199,200,<br>201,202  | 9.29  | 8.00 | 1560 | 1300 | 1365 | 1170 | 2470 | 54 | 47 | 41 | 36 |
| 22 | जसोधरपुर  | 7.26  | 6.13 | 1312 | 1000 | 1062 | 875  | 2100 | 45 | 40 | 35 | 29 |
| 23 | जसोधरपुर के खसरा नम्बर<br>13,35,36,37,39,40,41,45,46,47,54,55,56,6<br>1,63,65,68,76,77,89,90,91,92,94,95,96,<br>105,106,107,111,112,113,114,115,  | 10.52 | 8.88 | 1812 | 1378 | 1450 | 1233 | 2295 | 55 | 52 | 43 | 30 |
| 24 | मोहम्मदपुर कुन्हारी   | 7.93  | 7.48 | 1522 | 1233 | 1305 | 1015 | 2100 | 55 | 47 | 41 | 36 |
| 25 | मोहम्मदपुर कुन्हारी के खसरा नम्बर 93, 95,<br>96, 97, 98, 99, 101, 102, 105, 107, 108,<br>129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 140,<br>141, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 150,<br>151, 152, 153, 154, 155, 158, 159, 160,<br>161, 162, 163, 164, 165, 166,167,169,<br>172, 173, 174, 175, 181, 182, 211, 212,<br>214, 220, 222, 223, 224, 226, 227, 228,<br>229, 231, 232, 251, 270, 271, 272, 273,<br>274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281,<br>282, 283, 284, 285, 286, 287, 289, 290,<br>291, 292, 293, 296, 297, 299, 301, 302,<br>303, 304, 305, | 10.45 | 9.02 | 1740 | 1450 | 1522 | 1305 | 2565 | 55 | 47 | 41 | 36 |

|    |   |       |       |      |      |      |      |      |    |    |    |    |
|----|---|-------|-------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|
| 26 | टिकमपुर   | 7.56  | 6.38  | 1312 | 1000 | 1062 | 875  | 2100 | 45 | 40 | 35 | 29 |
| 27 | टिकमपुर के खसरा नम्बर 5, 9,10,12, 13, 15 16, 17, 18, 22, 24, 25,26,27,28, 29,31,32, 33, 34, 36, 37, 40, 41,45, 47, 49, 50, 51, 106, 107, 108, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 122,  | 9.29  | 8.00  | 1560 | 1300 | 1365 | 1170 | 2565 | 54 | 47 | 41 | 36 |
| 28 | दीनारपुर  | 8.55  | 7.35  | 1250 | 1000 | 1062 | 875  | 2025 | 43 | 38 | 34 | 27 |
| 29 | दीनारपुर के खसरा नम्बर<br>21,23,25,28,31,32,44,46,50,52,54,55,276,27<br>9,281,49,350,351,355,363,365,366,377,380,<br>381,391,392,393,394,395,396,397,402,403,<br>404,546,547,548,550,551,637,641,642,649,<br>652,654,663,692,694,701,702,703, | 10.66 | 9.16  | 1560 | 1235 | 1300 | 1105 | 2430 | 51 | 46 | 40 | 30 |
| 30 | धुवापुर घमरावल  | 6.76  | 5.71  | 1200 | 960  | 1020 | 840  | 2025 | 43 | 38 | 34 | 27 |
| 31 | मीरपुर  | 7.05  | 5.96  | 1250 | 1000 | 1062 | 875  | 2025 | 43 | 36 | 34 | 27 |
| 32 | नसीरपुर कलां  | 9.24  | 7.81  | 1687 | 1312 | 1375 | 1125 | 2632 | 56 | 50 | 44 | 36 |
| 33 | नसीरपुर खुर्द   | 7.52  | 6.36  | 1320 | 1020 | 1080 | 900  | 2160 | 46 | 41 | 39 | 30 |
| 34 | हरदेवपुर सहदेवपुर चर्फ रानी माजरा   | 7.09  | 6.67  | 1375 | 1062 | 1125 | 937  | 2160 | 46 | 42 | 36 | 30 |
| 35 | शिव नगर   | 7.56  | 6.30  | 1312 | 1187 | 1062 | 937  | 2025 | 43 | 38 | 33 | 27 |
| 36 | टिकौला जदीद   | 7.56  | 6.30  | 1312 | 1187 | 1062 | 937  | 2025 | 43 | 38 | 33 | 27 |
| 37 | सहदेवपुर सहवाजपुर   | 8.80  | 7.56  | 1312 | 1000 | 1262 | 875  | 2025 | 45 | 40 | 35 | 29 |
| 38 | वाडी टीप  | 6.60  | 5.48  | 1380 | 1080 | 1140 | 960  | 2295 | 48 | 43 | 36 | 31 |
| 39 | भोगपुर  | 7.70  | 6.39  | 1620 | 1260 | 1320 | 1080 | 2632 | 56 | 50 | 44 | 36 |
| 40 | बिरानपुर झरड़ा मुस्तहकम   | 6.30  | 5.23  | 1312 | 1000 | 1062 | 875  | 2100 | 45 | 40 | 35 | 29 |
| 41 | बिरानपुर झरड़ा अहतमाल।  | 5.89  | 4.88  | 1250 | 1000 | 1062 | 875  | 2025 | 43 | 38 | 34 | 27 |
| 42 | गैडीखाता  | 8.58  | 7.56  | 1312 | 1000 | 1062 | 875  | 2100 | 45 | 40 | 35 | 29 |
| 43 | गैडीखाता के खसरा नम्बर (लालबांग मार्ग)<br>314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321,<br>322, 323, 324, 326, 327, 328, 329,330,<br>331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 339,<br>340, 341, 342, 343, 344, 359,360                                    | 12.22 | 10.85 | 2015 | 1625 | 1690 | 1430 | 3100 | 66 | 62 | 58 | 43 |

|    |   |       |       |      |      |      |      |      |    |    |    |    |
|----|---|-------|-------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|
| 44 | गैडीखाता के खसरा नम्बर (नजीबाबाद मार्ग)<br>45,59,60,60/364,304,308  | 12.72 | 11.52 | 1885 | 1595 | 1668 | 1378 | 2633 | 55 | 53 | 49 | 34 |
| 45 | समसपुर कटावड  | 8.90  | 7.83  | 1375 | 1062 | 1125 | 937  | 2160 | 48 | 41 | 36 | 30 |
| 46 | समसपुर कटावड के खसरा नम्बर<br>10,31,32,34,35,36,37,38,39,40,58,70,72,<br>74,75,76,77,80,81,84,85,87,89,91,92,95,96<br>99,101,102,103,104,105,108,108,109,110,<br>111,112,113,120,121,122,127,135,136,137,<br>136,139,140,142,144,145,146,147,149,152,<br>154,159/362,159/363  | 10.63 | 9.37  | 1625 | 1300 | 1365 | 1105 | 2498 | 53 | 47 | 41 | 31 |
| 47 | अहमदपुर चिड़िया   | 7.56  | 6.38  | 1312 | 1000 | 1062 | 875  | 2100 | 45 | 40 | 35 | 29 |
| 48 | अहमदपुर चिड़िया के खसरा नम्बर 12,<br>14,16,17,18,19,20,21, 22, 23,24 से 26 तक<br>38,39,40,57,58,62,63,64, 73,75,78,79,84,   | 10.33 | 9.17  | 1690 | 1430 | 1495 | 1170 | 2633 | 55 | 53 | 49 | 36 |
| 49 | लाल बांग  | 10.37 | 8.76  | 1812 | 1450 | 1522 | 1233 | 2430 | 53 | 47 | 41 | 34 |
| 50 | लालबांग के खसरा नम्बर (गैडीखाता<br>लालबांग मार्ग) 86, 88, 90, 91, 95, 96, 110,<br>111, 113, 114, 115, 116,121, 128, 131,<br>132, 133, 137, 150, 151, 152, 154, 155,<br>163, 165, 167, 170 से 175 तक 213, 328,<br>331, 332, 339, 340, 345, 346, 347, 348,<br>349, 350, 351, 352, 353, 360, 365, 366,<br>368, 369, 370, 371, 398, 399, 400, 512,<br>513, 514, 515, 516, 517, 518, 519,<br>520,521,523, 524, 527, 636, 639, 640,<br>641, 645, 647, 656, 657, 659, 660,<br>661,664,665, | 13.63 | 12.10 | 2250 | 1813 | 1885 | 1595 | 3100 | 66 | 62 | 58 | 43 |
| 51 | जसपुर चमरिया  | 8.20  | 7.21  | 1200 | 1000 | 1062 | 875  | 1960 | 43 | 37 | 33 | 27 |
| 52 | रसूलपुर मिट्टी बेहड़ी   | 8.11  | 6.91  | 1375 | 1125 | 1187 | 937  | 2230 | 47 | 42 | 36 | 31 |
| 53 | नलोवाला   | 7.05  | 5.96  | 1200 | 960  | 1020 | 840  | 2025 | 43 | 36 | 34 | 27 |
| 54 | दूधलादयालवाला   | 7.26  | 6.13  | 1260 | 950  | 1020 | 840  | 2100 | 45 | 40 | 35 | 29 |
| 55 | लाहरपुर   | 7.05  | 5.96  | 1200 | 960  | 1020 | 840  | 2025 | 43 | 36 | 34 | 27 |
| 56 | पामरोवाली   | 6.92  | 5.85  | 1200 | 960  | 960  | 840  | 1960 | 43 | 37 | 33 | 27 |

|    |                          |      |      |      |      |      |      |      |    |    |    |    |
|----|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|
| 57 | तपड़वाली                 | 6.92 | 5.85 | 1200 | 960  | 960  | 840  | 1960 | 43 | 37 | 33 | 27 |
| 58 | मुडडीवाला                | 6.92 | 5.85 | 1200 | 960  | 960  | 840  | 1960 | 43 | 37 | 33 | 27 |
| 59 | नौरंगाबाद                | 7.05 | 5.96 | 1200 | 960  | 1020 | 840  | 2025 | 43 | 38 | 34 | 27 |
| 60 | बुलकगंज                  | 6.92 | 5.85 | 1200 | 960  | 1020 | 840  | 1960 | 43 | 37 | 33 | 27 |
| 61 | बसोचन्दपुर               | 7.56 | 6.38 | 1312 | 960  | 1062 | 875  | 2100 | 43 | 40 | 35 | 29 |
| 62 | बोक्सोवाली               | 6.92 | 5.85 | 1200 | 960  | 1020 | 840  | 1960 | 43 | 37 | 33 | 27 |
| 63 | हरदासपुर, ऊर्फ नर्योगांव | 6.92 | 5.85 | 1200 | 960  | 1020 | 840  | 1960 | 43 | 37 | 33 | 27 |
| 64 | वनदेव ऊर्फ खुशहालपुर     | 6.92 | 5.85 | 1200 | 960  | 1020 | 840  | 1960 | 43 | 37 | 33 | 27 |
| 65 | प्रेमनगर                 | 6.92 | 5.85 | 1200 | 960  | 1020 | 840  | 1960 | 43 | 37 | 33 | 27 |
| 66 | श्यामपुर गैराबाद         | 7.56 | 6.30 | 1260 | 1140 | 960  | 900  | 2160 | 43 | 37 | 33 | 27 |
| 67 | पीली पड़ाव               | 9.40 | 8.00 | 1600 | 1300 | 1350 | 1200 | 2300 | 49 | 44 | 39 | 31 |

**औद्योगिक क्षेत्रों की दरें**

| क्रमांक | क्षेत्र का नाम  | निर्धारित दर          |
|---------|---|-----------------------|
| 1       | बहादुराबाद इन्ड्रस्टियल एरिया   | 6875/-प्रति वर्ग मीटर |
| 2       | हरिद्वार इन्ड्रस्टियल एरिया   | 7875/-प्रति वर्ग मीटर |
| 3.      | तहसील हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों के नवीन औद्योगिक आस्थान   | 3062/-प्रति वर्ग मीटर |
| 4.      | हरिद्वार विकास प्राधिकरण महायोजना में प्रदर्शित इन्ड्रस्टियल एरिया जिसकी दरें इस सूची में नहीं दी गयी हैं | 5250/-प्रति वर्ग मीटर |

**भवनों की श्रेणीवार दर सूची—(रु० प्रति वर्गमीटर में)**

| क्रमांक | भवनों की श्रेणी              | निर्धारित दर            |
|---------|------------------------------|-------------------------|
| 1.      | फ्लैट्स                      | 8450 /--प्रति वर्ग मीटर |
| 2.      | श्रेणी - प्रथम (आर०सी०सी०)   | 8450 /--प्रति वर्ग मीटर |
| 3       | श्रेणी - द्वितीय (आर०बी०सी०) | 7800 /--प्रति वर्ग मीटर |
| 4.      | श्रेणी - तृतीय (टीनपोश)      | 7150 /--प्रति वर्ग मीटर |

## सामान्य अनुदेशिका

यह मूल्यांकन सूची का भाग है।

गैर वाणिज्यिक भवनों के निर्माण मूल्य नियत करने के लिए ध्यान में रखे जाने वाले तथ्य:-

(क) भूमि की स्थिति में-

- 1- भूमि का वर्गीकरण
- 2- सिंचाई की सुविधा की पर्याप्तता
- 3- सड़क, बाजार, बस स्टेशन, कारखानों, शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों और सरकारी कार्यालयों से दूरी
- 4- इसके नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति के सम्बन्ध में अवस्थिति

(ख) गैर वाणिज्यिक भवनों की स्थिति में-

- 1- भवन के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री तथा उसकी लागत
- 2- मजदूरी प्रभार
- 3- निर्माण के प्रकार, भवन की आयु और मूल्य ह्रास

(ग) वाणिज्यिक भवनों की स्थिति में-

- 1- परिक्षेत्र में विद्यमान किराया
- 2- परिक्षेत्र में आर्थिक क्रिया-कलाप

क्षेत्रों की स्थिति-

1. नगरीय 2. अर्द्ध नगरीय 3. ग्रामीण 4. वाणिज्यिक 5. औद्योगिक

वाणिज्यिक भवनों के प्रकार-

- 1- दुकान 2. रेस्टोरेंट 3. कार्यालय 4. गोदाम 5. होटल 6. गेस्ट हाउस 7. बारात घर 8. सिनेमा हॉल 9. पेट्रोल पम्प 10. अस्पताल
11. धर्मशाला 12. मनोरंजन स्थल तथा अन्य वे सभी स्थल जो कि उत्तर प्रदेश वाणिज्य अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित हों।

भवनों की मूल्यांकन सूची तथा उनमें वर्णित होने वाले आवश्यक तथ्य-

आवासीय/औद्योगिक/गैर वाणिज्यिक भवनों का मूल्यांकन किये जाने हेतु निम्नलिखित तथ्य अनिवार्य रूप से अंकित करने होंगे।

भवनों के सम्बन्ध में निम्न तथ्यों/अभिलेखों का वर्णन/संलग्न आवश्यक होगा।

- I स्वीकृत मानचित्र/मान्यता प्राप्त मानचित्रकार द्वारा निर्मित मानचित्र।
- III निर्माण का प्रकार एवं वर्ष।

- II भूखण्ड का क्षेत्रफल।
- IV निर्मित क्षेत्रफल।

गैर वाणिज्यिक भवनों का मूल्यांकन निम्न सूची के अनुसार देय होगा:-

क्षरण निम्नानुसार देय होगा, जिसका फार्मूला निम्नलिखित है:- नोट-क्षरण की निम्न सारणी भवन की अनुमानित आयु 100 वर्ष मान कर किया गया है।  
निर्माण मूल्य में हास लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचारित सूत्र :-  $D = P (1 - RD/100)^N$  RD = भवन की औसत आयु

D = हास मूल्य (Depreciated Value) P = वर्तमान मूल्य N = कितने वर्ष पुराना (Actual Age of Building)

|        |       |    |       |    |       |     |       |
|--------|-------|----|-------|----|-------|-----|-------|
| 1 वर्ष | 0.990 | 26 | 0.770 | 51 | 0.598 | 76  | 0.465 |
| 2      | 0.980 | 27 | 0.762 | 52 | 0.592 | 77  | 0.461 |
| 3      | 0.970 | 28 | 0.754 | 53 | 0.587 | 78  | 0.456 |
| 4      | 0.960 | 29 | 0.747 | 54 | 0.581 | 79  | 0.452 |
| 5      | 0.950 | 30 | 0.739 | 55 | 0.575 | 80  | 0.447 |
| 6      | 0.941 | 31 | 0.731 | 56 | 0.569 | 81  | 0.443 |
| 7      | 0.932 | 32 | 0.724 | 57 | 0.563 | 82  | 0.438 |
| 8      | 0.927 | 33 | 0.717 | 58 | 0.558 | 83  | 0.434 |
| 9      | 0.913 | 34 | 0.710 | 59 | 0.552 | 84  | 0.429 |
| 10     | 0.904 | 35 | 0.703 | 60 | 0.547 | 85  | 0.425 |
| 11     | 0.890 | 36 | 0.696 | 61 | 0.541 | 86  | 0.421 |
| 12     | 0.880 | 37 | 0.689 | 62 | 0.536 | 87  | 0.417 |
| 13     | 0.870 | 38 | 0.682 | 63 | 0.530 | 88  | 0.412 |
| 14     | 0.868 | 39 | 0.675 | 64 | 0.525 | 89  | 0.408 |
| 15     | 0.860 | 40 | 0.668 | 65 | 0.518 | 90  | 0.404 |
| 16     | 0.851 | 41 | 0.662 | 66 | 0.515 | 91  | 0.400 |
| 17     | 0.842 | 42 | 0.655 | 67 | 0.509 | 92  | 0.396 |
| 18     | 0.834 | 43 | 0.649 | 68 | 0.504 | 93  | 0.392 |
| 19     | 0.826 | 44 | 0.642 | 69 | 0.499 | 94  | 0.388 |
| 20     | 0.817 | 45 | 0.636 | 70 | 0.494 | 95  | 0.384 |
| 21     | 0.809 | 46 | 0.629 | 71 | 0.489 | 96  | 0.381 |
| 22     | 0.801 | 47 | 0.623 | 72 | 0.484 | 97  | 0.377 |
| 23     | 0.793 | 48 | 0.617 | 73 | 0.480 | 98  | 0.373 |
| 24     | 0.785 | 49 | 0.611 | 74 | 0.475 | 99  | 0.369 |
| 25     | 0.777 | 50 | 0.605 | 75 | 0.470 | 100 | 0.366 |




| क्रमांक | टिप्पणी  |
|---------|--|
| 1-      | उ०प्र० वित्त निगम, उ०प्र० आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक प्राधिकरणों/निगमों एवं राजकीय संस्थाओं द्वारा अन्तरित परिसम्पत्तियों हेतु उक्त संस्थाओं द्वारा निष्पादित विलेखों के अन्तर्गत निहित सम्पत्ति का बाजार मूल्य संस्थाओं के द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य के बराबर होगा।   |
| 2-      | मूल्यांकन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा, जो कि विभिन्न कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा किराये पर लिये गये उन भवनों से है, जहां से उन कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा अपने व्यावसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है तथा जो भवन उत्तर प्रदेश स्टाम्प सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली 1997 में यथा परिभाषित है।  |
| 3-      | विलेख में सम्पत्ति/भूमि का नगरपालिका खाता संख्या/बंदोबस्त संख्या/खसरा संख्या/खेवट संख्या/राजस्व ग्राम तथा प्रमुख मार्ग से दूरी अंकित की जानी तथा सम्पत्ति के चिन्हीकरण हेतु वांछित तथ्य अंकित किये जाने अनिवार्य होंगे। विलेख के द्वारा अन्तरित सम्पत्ति/भूमि की चौहद्दी भी अंकित की जानी अनिवार्य होगी।   |
| 4-      | सम्पत्ति की सीमा में उल्लेखित सड़क की चौड़ाई तथा सूची में वर्णित क्षेत्र के प्रमुख मार्गों से दूरी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। सूची में वर्णित प्रमुख मार्गों इतर अन्य मुख्य सड़क का तात्पर्य लोक निर्माण विभाग/राष्ट्रीय राजमार्ग/अन्य कार्यदायी विभाग द्वारा निर्मित मुख्य मार्ग के मानक से होगा, परन्तु यह नियम पुराने मोहल्लों पर लागू नहीं होगा।   |
| 5-      | मुख्य मार्ग का तात्पर्य नौ मीटर चौड़े मार्ग से होगा।   |
| 6-      | भवनों के सम्बन्ध में भवनों के निर्माण स्तर के सम्बन्ध में विलेख में श्रेणी प्रथम-आर०सी०सी०, श्रेणी द्वितीय-आर०बी०सी०, श्रेणी तृतीय-टीनपोश का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा। निर्मित क्षेत्रफल का मूल्यांकन किये जाते समय पोर्च के क्षेत्रफल को भी निर्मित क्षेत्रफल में जोड़ा जायेगा। भवनों की आयु निर्धारण के सम्बन्ध में लिखित प्रमाणिक साक्ष्य/शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। उक्त के अभाव में कोई क्षरण देय नहीं होगा। विलेख में निर्माण का वर्ष अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। |
| 7-      | टीनपोश भवन में क्षरण अधिकतम 25 वर्षों का देय होगा।   |
| 8-      | बहुखण्डीय आवासीय भवनों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तल, तथा उससे उपरोक्त के समस्त तलों पर स्थित भवनों में भूखण्ड के मूल्यांकन पर कमशः 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत की छूट होगी।  |
| 9-      | बहुखण्डीय आवासीय भवनों में, जो कि उत्तर प्रदेश फ्लैट्स ओनरशिप ऑफ फ्लैट्स एक्ट 1975 के अन्तर्गत आच्छादित होते हैं, उनके अन्तर्गत सुपर एरिया पर आनुपातिक मूल्य पर भी स्टाम्प शुल्क देय होगा, फ्लैटों के विलेखों में निर्माण दर पर कोई ह्रास देय नहीं होगा।   |
| 10-     | औद्योगिक/वाणिज्यिक/अनावासीय भवनों के मूल्यांकन में कोई ह्रास मूल्य देय नहीं होगा।  |
| 11-     | बहुखण्डीय व्यापारिक प्रतिष्ठानों में सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय तल, तथा उससे उपरोक्त के समस्त तलों पर कमशः 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत कम दरें लागू होंगी।  |
| 12-     | बहुखण्डीय व्यापारिक प्रतिष्ठानों में सम्पूर्ण अन्तरित सम्पत्ति के आगणित मूल्यांकन पर बेसमेंट में 20 प्रतिशत कम दरें लागू होंगी तथा लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान निर्धारित दरें लागू होंगी।  |


|                       |   |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
|-----------------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 13-                   | व्यावसायिक/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/दुकान की प्रति वर्ग मीटर किराया निर्मित क्षेत्रफल के आधार पर किया जायेगा जिसके लिये मूल्यांकन प्रति वर्ग मीटर मासिक किराया जो कि प्रत्येक क्षेत्र के आगे अंकित है X निर्मित क्षेत्रफल X 300 + भूखण्ड का सर्किल दर से मूल्यांकित मूल्य का योग होगा।  |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 14-                   | मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख मार्गों पर पड़ने वाले समस्त नगरीय क्षेत्रों, अर्द्धनगरीय क्षेत्रों, जो कि नगर सीमा के अन्तर्गत स्थित हैं, की सम्पत्तियों के अन्तरण विलेखों द्वारा अन्तरित सम्पत्ति के प्रमुख मार्ग के 200 मीटर के अन्तर्गत होने पर प्रमुख मार्गों की निर्धारित दरें ही लागू होंगी। प्रमुख मार्ग/क्षेत्र विशेष में स्थित सम्पत्ति के मूल्यांकन किये जाने में उक्त दोनों क्षेत्रों में निर्धारित उच्चतम दरों के अनुरूप मूल्यांकन किया जायेगा।  |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 15-                   | तहसील के ग्रामीण क्षेत्र तथा अर्द्धनगरीय क्षेत्रों (जो कि नगर सीमा से बाहर स्थित हैं) में बाग विक्रय होने संबंधी प्रलेख पर सिंचित भूमि की दर की डेढ़ गुनी दर प्रभावी होगी। नगरीय क्षेत्र एवं अर्द्धनगरीय क्षेत्रों (जो कि नगर सीमा के अन्तर्गत स्थित हैं) में बाग विक्रय होने संबंधी प्रलेख पर क्षेत्र विशेष की वर्गमीटर में निर्धारित न्यूनतम दरों की डेढ़ गुनी दरें लागू होंगी। यदि जनपद में किसी भी प्रकार की सम्पत्ति/कृषि भूमि पर यदि वृक्ष स्थित हों एवं वह बाग के रूप में प्रख्यापित न हो तो उन प्रकरणों में वृक्षों का मूल्यांकन अलग से आंकलित किया जायेगा।   |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 16-                   | तहसील में स्थित किसी भी प्रकार की सम्पत्ति के अन्तरण विलेख के द्वारा अन्तरित सम्पत्ति के एक दिशा में सड़क/रास्ता होने की स्थिति में मूल्यांकन सूची में क्षेत्र विशेष हेतु प्रदत्त दर देय होंगी, दो दिशाओं में सड़क/रास्ता होने की स्थिति में मूल्यांकन सूची में क्षेत्र विशेष हेतु प्रदत्त दरों से 10 प्रतिशत दरें अधिक देय होंगी, तीन दिशाओं में सड़क/रास्ता होने की स्थिति में मूल्यांकन सूची में क्षेत्र विशेष हेतु प्रदत्त दरों से 20 प्रतिशत दरें अधिक देय होंगी एवं चार दिशाओं में सड़क/रास्ता होने की स्थिति में मूल्यांकन सूची में क्षेत्र विशेष हेतु प्रदत्त दरों से 30 प्रतिशत दरें अधिक देय होंगी। |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 17-                   | किसी भी औद्योगिक ईकाई का अन्तरण होने की दशा में उक्त में स्थापित मशीनरी का मूल्यांकन गवर्नमेन्ट एप्रूव्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट के अनुसार किया जायेगा।   |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 18-                   | बाउण्ड्री वॉल के स्थित होने पर रु0 600/- प्रति वर्ग मीटर की दर से मूल्यांकन किया जायेगा।  |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 19-                   | भूमि में बोरिंग के स्थित होने पर क्षेत्रवार निम्न मूल्यांकन होगा:-<br><table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>विकास खण्ड बहादुराबाद</td> <td>विकास खण्ड रुड़की</td> <td>विकास खण्ड भगवानपुर</td> <td>विकास खण्ड नारसन</td> <td>विकास खण्ड लक्सर</td> <td>विकास खण्ड खानपुर</td> </tr> <tr> <td>रुपये 10,000/-</td> <td>रुपये 10,000/-</td> <td>रुपये 14,000/-</td> <td>रुपये 12,000/-</td> <td>रुपये 8,000/-</td> <td>रुपये 7,000/-</td> </tr> </table>  | विकास खण्ड बहादुराबाद | विकास खण्ड रुड़की | विकास खण्ड भगवानपुर | विकास खण्ड नारसन  | विकास खण्ड लक्सर | विकास खण्ड खानपुर | रुपये 10,000/- | रुपये 10,000/- | रुपये 14,000/- | रुपये 12,000/- | रुपये 8,000/- | रुपये 7,000/- |
| विकास खण्ड बहादुराबाद | विकास खण्ड रुड़की   | विकास खण्ड भगवानपुर   | विकास खण्ड नारसन  | विकास खण्ड लक्सर    | विकास खण्ड खानपुर |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| रुपये 10,000/-        | रुपये 10,000/-  | रुपये 14,000/-        | रुपये 12,000/-    | रुपये 8,000/-       | रुपये 7,000/-     |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 20-                   | मूल्यांकन सूची में वर्णित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे क्षेत्र जिनमें कतिपय ग्रामों के सड़कों पर स्थित खसरा नम्बरान की दरें अलग से प्राविधानित हैं, उन क्षेत्रों में सड़क के दोनों ओर स्थित वह खसरा नम्बर जो कि सड़क के दोनों ओर की 200 मीटर दूरी के अन्तर्गत स्थित हैं, परन्तु सूची में वर्णित नहीं है, उन खसरा नम्बर की भूमि के अन्तरण विलेख पर उक्त क्षेत्र में सड़कों पर स्थित खसरा नम्बरान हेतु निर्धारित दरें ही प्रभावी होंगी।   |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 21-                   | जनपद की समस्त तहसीलों के ग्रामीण क्षेत्र पर स्थित 1000 वर्गमीटर से कम कृषि भूमि का क्रेता यदि अन्तरित कृषि भूमि का सहखातेदार हो या अन्तरित कृषि भूमि के साथ क्रेता की कृषि भूमि का मेड़ मिलान होता हो तो ऐसे विलेख पर क्षेत्र विशेष की कृषि भूमि की उच्चतम निर्धारित दर प्रभावी होगी। इस लाभ हेतु क्रेता द्वारा राजस्व अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की दशा में क्षेत्र विशेष की वर्गमीटर में निर्धारित दर प्रभावी होगी।  |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 22-                   | तहसील के किसी भी क्षेत्र में विलेख के माध्यम से यदि 50 वर्गमीटर तक "सड़क मार्ग/रास्ता" पर स्थित (नगरीय/अर्द्धनगरीय क्षेत्र हेतु सड़क मार्ग/रास्ता का तात्पर्य 3 मीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु सड़क मार्ग/रास्ता का तात्पर्य मुख्य मार्ग/9 मीटर से होगा) की भूमि/सम्पत्ति का अन्तरण होता है, तो ऐसे विलेख पर प्रवृत्त क्षेत्र विशेष की व्यावसायिक दर प्रभावी होगी तथा निर्माण का मूल्यांकन निर्मित क्षेत्रफल की प्रकृति के अनुसार किया जायेगा। यह प्राविधान फ्लैटों के विलेखों में लागू नहीं होगा।   |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |

|     |   |
|-----|---|
| 23- | तहसील के किसी भी क्षेत्र में विलेख के माध्यम से यदि 50 वर्गमीटर से अधिक "सड़क मार्ग/रास्ता" पर स्थित (नगरीय/अर्द्धनगरीय क्षेत्र हेतु सड़क मार्ग/रास्ता का तात्पर्य 3 मीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु सड़क मार्ग/रास्ता का तात्पर्य मुख्य मार्ग/9 मीटर से होगा) भूमि/सम्पत्ति संयुक्त क्रेतागण द्वारा क्रय की जाती है, एवं प्रत्येक क्रेता के भाग में 50 वर्गमीटर से कम भूमि आती हो तथा क्रेतागण के मध्य पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, भाई, बहन तथा नाती-पोतों के सम्बन्ध न हो, तो ऐसे विलेख पर प्रवृत्त बिन्दु संख्या 22 के अन्तर्गत क्षेत्र विशेष की व्यावसायिक दर ही प्रभावी होगी।   |
| 24- | तहसील के किसी भी क्षेत्र में विलेख के माध्यम से यदि 1000 वर्गमीटर से अधिक भूमि संयुक्त क्रेतागण द्वारा क्रय की जाती है, एवं उनके भागानुसार प्रत्येक क्रेता के भाग में 1000 वर्गमीटर से कम भूमि आती हो तथा क्रेतागण के मध्य पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, भाई, बहन तथा नाती-पोतों के सम्बन्ध न हो, तो ऐसे विलेख पर प्रवृत्त क्षेत्र विशेष हेतु निर्धारित वर्गमीटर की दर ही प्रभावी होगी।  |
| 25- | मूल्यांकन सूची में वर्णित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे क्षेत्र जिनमें कतिपय खसरा नम्बरान की दरें अलग से प्राविधानित हैं, केवल उन क्षेत्रों में 1000 वर्गमीटर से अधिक एवं 2500 वर्गमीटर तक की भूमि के अन्तरण विलेख पर उक्त क्षेत्र की सूची के (हरिद्वार एवं लक्सर की मूल्यांकन सूची के कॉलम संख्या 8 तथा रुड़की प्रथम एवं रुड़की द्वितीय की मूल्यांकन सूची के कॉलम 6) में निर्धारित दर की 90 प्रतिशत दर तथा 2500 वर्गमीटर से अधिक एवं 4040 वर्गमीटर तक की भूमि के अन्तरण विलेख पर उक्त क्षेत्र की सूची के (हरिद्वार एवं लक्सर की मूल्यांकन सूची के कॉलम संख्या 8 तथा रुड़की प्रथम एवं रुड़की द्वितीय की मूल्यांकन सूची के कॉलम 6) में निर्धारित दरों की 80 प्रतिशत दर प्रभावी होगी। यह प्राविधान फर्म, संस्था, सोसायटी, न्यास, कम्पनी के क्रेता होने की स्थिति में लागू नहीं होगा। |
| 26- | मूल्यांकन सूची में वर्णित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे क्षेत्र जिनमें कतिपय खसरा नम्बरान की दरें अलग से प्राविधानित हैं, उन क्षेत्रों में विलेख के माध्यम से यदि 1000 वर्गमीटर से अधिक अथवा 2500 वर्गमीटर से अधिक अथवा 4040 वर्गमीटर से अधिक भूमि संयुक्त क्रेतागण द्वारा क्रय की जाती है और प्रत्येक क्रेता के भाग में 1000 वर्गमीटर/2500 वर्गमीटर/4040 वर्गमीटर से कम भूमि होती है और यदि क्रेतागण के मध्य पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, भाई, बहन तथा नाती-पोतों के सम्बन्ध नहीं हैं तो ऐसे विलेख पर बिन्दु संख्या 24, 25 में वर्णित शर्तों के अन्तर्गत रहते हुये क्षेत्र विशेष हेतु प्रवृत्त दरें प्रभावी होंगी।  |
| 27- | मूल्यांकन सूची में वर्णित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे क्षेत्र जिनमें कतिपय खसरा नम्बरान की दरें अलग से प्राविधानित हैं, केवल उन क्षेत्रों में क्रेता फर्म, संस्था, सोसायटी, न्यास, कम्पनी द्वारा 1000 वर्गमीटर से अधिक एवं एक हेक्टेयर से कम भूमि के क्रय विलेख पर उक्त क्षेत्र विशेष की सूची के (हरिद्वार एवं लक्सर की मूल्यांकन सूची के कॉलम संख्या 8 तथा रुड़की प्रथम एवं रुड़की द्वितीय की मूल्यांकन सूची के कॉलम 6) में निर्धारित दर की 85 प्रतिशत दर तथा एक हेक्टेयर से अधिक एवं दो हेक्टेयर तक की भूमि के क्रय विलेख पर उक्त क्षेत्र की सूची के (हरिद्वार एवं लक्सर की मूल्यांकन सूची के कॉलम संख्या 8 तथा रुड़की प्रथम एवं रुड़की द्वितीय की मूल्यांकन सूची के कॉलम 6) में निर्धारित दरों की 75 प्रतिशत दर प्रभावी होंगी।  |
| 28- | जनपद में जिन मुख्य मार्गों के दोनों ओर के खसरा नम्बर सूची में वर्णित नहीं किये गये हैं, उन क्षेत्रों में सड़क मार्ग के दोनों ओर 100 मीटर की दूरी तक बिन्दु संख्या 24, 25, 26, 27 में वर्णित शर्तों के अन्तर्गत रहते हुये क्षेत्र विशेष की प्रवृत्त दरें प्रभावी होंगी।  |
| 29- | एक हजार वर्गमीटर से अधिक भूमि के अन्तरण विलेखों के द्वारा यदि बंजर भूमि का अन्तरण किया जाता है तो उक्त विलेखों पर कृषि दरें प्रभावी नहीं होंगी। बंजर भूमि की दशा में एक हजार वर्गमीटर से अधिक एवं एक हे० क्षेत्रफल तक की भूमि के अन्तरण विलेखों पर तालिका के कॉलम आठ में वर्गमीटर में निर्धारित दरों की 85 प्रतिशत दरें तथा एक हे० से अधिक एवं दो हे० तक की भूमि के अन्तरण विलेखों पर तालिका के कॉलम आठ में वर्गमीटर में निर्धारित दरों की 75 प्रतिशत दरें प्रभावी होंगी।   |
| 30- | मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख या मुख्य मार्ग/क्षेत्र वार निर्धारित दरों में यदि किसी स्थल की दरें दो स्थान पर निर्धारित हैं तो उच्चतम निर्धारित दर प्रभावी होगी।   |
| 31- | मूल्यांकन सूची में यदि किसी क्षेत्र की दरें निर्धारित होने से छूट गयी हैं तो समीपस्थ स्थल हेतु निर्धारित उच्चतम दर से सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जायेगा।  |
| 32- | निर्गत की जा रही मूल्यांकन सूची में यदि कोई लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो उक्त त्रुटि को शुद्ध करने हेतु तत्संबंधी निर्देश अलग से निर्गत किये जायेंगे।   |

# तहसील हरिद्वार, उप निबन्धक कार्यालय (द्वितीय) जनपद हरिद्वार

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद हरिद्वार के कार्यालय उप निबन्धक (द्वितीय) तहसील हरिद्वार के लिए द्विवार्षिक न्यूनतम औसत बाजारी दरों का निर्धारण सलग्न विवरण पत्र के अनुसार किया जा रहा है। द्विवार्षिक मूल्यांकन सूची जो कि 01 नवम्बर 2011 से प्रभावी होनी थी, शासनादेश संख्या 682/2011/XXVII(9)/स्टाम्प-80/2009 दिनांक 01.11.2011 के क्रम में 31 मार्च 2012 तक स्थगित किये जाने के फलस्वरूप यह दरें दिनांक 01 अप्रैल 2012 से 31 अक्टूबर 2013 तक प्रभावी होंगी।


  
(सूर्य मोहन नाटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।


  
(डी० सैथिल पांडियन)  
आई०ए०एस०  
कलेक्टर, हरिद्वार।

## कार्यालय कलेक्टर, हरिद्वार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, परिपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-प्रमुख सचिव (वित्त) उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2-महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3-अपर महानिरीक्षक निबंधन मुख्यालय महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4-जिला निबंधक, हरिद्वार।
- 5-जिला स्टाम्प अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार।
- 6-सहायक महानिरीक्षक, निबंधन, हरिद्वार।
- 7-सब रजिस्ट्रार हरिद्वार।
- 8-उप जिलाधिकारी हरिद्वार।
- 9-तहसीलदार हरिद्वार।

  
(सूर्य मोहन नाटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।


  
(डी० सैथिल पांडियन)  
आई०ए०एस०  
कलेक्टर, हरिद्वार।

**तहसील हरिद्वार, उप निबन्धक कार्यालय (द्वितीय)**  
**जनपद हरिद्वार**  
**हरिद्वार नगर के प्रमुख मार्गों पर स्थित क्षेत्रों की दरें**

| क्र.स. | क्षेत्र  | सड़क से 50 मीटर तक<br>(रु० प्रति वर्ग मीटर) | सड़क से 51 मीटर<br>दूरी से 200 मीटर<br>तक आवासीय दर<br>(रु० प्रति वर्ग मीटर) | व्यवसायिक दर<br>(रु० प्रति वर्ग<br>मीटर) | दुकान/ रेस्टोरेंट<br>कार्यालय की दर (रु०<br>प्रति वर्ग मीटर किराये<br>की दर) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दर (रु० प्रति वर्ग<br>मीटर किराये की दर) |   |  |
|--------|--|---|--|--|--|---|---|--|
|        |  |   |  |  |  | गोदाम   | होटल/गेस्ट<br>हाउस/<br>बारातघर/<br>सिनेमाहाल/<br>पेट्रोल पम्प | अस्पताल/<br>धर्मशाला/<br>मनोरंजन<br>स्थल / अन्य<br>जो कि उ.प्र.<br>वाणि. अधि. के<br>अन्तर्गत है। |
|        |  | निर्धारित दर                                | निर्धारित दर   | निर्धारित दर                             | निर्धारित दर   | निर्धारित दर  | निर्धारित दर  | निर्धारित दर   |
| 1      | 2  | 4   | 5  | 6  | 7  | 8   | 9   | 10   |
| 1      | रेलवे रोड़(शिवमूर्ति से देवपुरा चौक तक)  | 35800                                       | 24850  | 35800                                    | 160  | 78  | 71  | 60   |
| 2      | देवपुरा चौक से शंकर आश्रम तक   | 36200                                       | 25250  | 36200                                    | 116  | 90  | 79  | 65   |
| 3      | शंकर आश्रम से आर्यनगर चौक तक   | 23800                                       | 15100  | 23800                                    | 110  | 82  | 72  | 62   |
| 4      | आर्य नगर चौक से पुल जटवाड़ा तक   | 18800                                       | 12350  | 18800                                    | 110  | 81  | 72  | 62   |
| 5      | शकराचार्य चौक से सिंह द्वार चौक तक (बाई पास रोड़)                                    | 20200                                       | 13250  | 20200                                    | 119  | 86  | 80  | 65   |
| 6      | सिंह द्वार चौक से पुल जटवाड़ा तक (बाई पास रोड़)                                      | 17550                                       | 11500  | 17550                                    | 108  | 78  | 71  | 58   |
| 7      | जस्सा राम रोड़   | 40200                                       | 26000  | 40200                                    | 157  | 88  | 76  | 61   |
| 8      | ललतारी पुल रेलवे पुल भेल का सेक्टर-2 बैरियर तक<br>(बिल्केश्वर ज्वालापुर बाईपास रोड़) | 10800                                       | 6950   | 10800                                    | 108  | 84  | 70  | 60   |
| 9      | रेलवे रोड़ ज्वालापुर (पुलिस चौकी ज्वालापुर से सेक्टर-2<br>बैरियर तक)                 | 21200                                       | 14000  | 21200                                    | 116  | 83  | 76  | 62   |


(सूर्य मोहन नौटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

|    |  |       |       |       |     |    |    |    |
|----|--|-------|-------|-------|-----|----|----|----|
| 10 | रेलवे रोड (पुलिस चौकी से पंजाबी धर्मशाला तक)           | 19600 | 12900 | 19600 | 108 | 84 | 77 | 60 |
| 11 | आर्यनगर चौक से रेलवे फाटक ज्वालापुर तक                 | 19600 | 12900 | 19600 | 108 | 84 | 77 | 60 |
| 12 | आर्यनगर चौक से सिंहद्वार तक (कनखल रोड)                 | 19600 | 12450 | 20400 | 108 | 84 | 77 | 60 |
| 13 | गुरुद्वारा रोड मेन बाजार (डाट मण्डी) कटहरा बाजार       | 26300 | 16600 | 26300 | 108 | 84 | 77 | 60 |
| 14 | शंकर आश्रम से सिंहद्वार चौक तक (अवधूत मण्डल आश्रम रोड) | 19000 | 12750 | 19000 | 110 | 83 | 76 | 60 |
| 15 | रानीपुर मोड़ से टिबड़ी ग्राम तक (टिबड़ी रोड)           | 14200 | 9750  | 14200 | 112 | 84 | 77 | 60 |
| 16 | रानीपुर मोड़ से विनायक होटल से आगे रेवले पुल तक        | 27400 | 17800 | 27400 | 115 | 87 | 79 | 66 |
| 17 | दिल्ली रोड (रानीपुर मोड़ से नया हरिद्वार पुल तक)       | 26600 | 17250 | 26600 | 117 | 84 | 79 | 66 |
| 18 | ईदगाह रोड  | 9750  | 6350  | 10100 | 97  | 85 | 76 | 67 |


  
 (सूर्य मोहन नौटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

## हरिद्वार नगर पालिका तथा अर्द्धनगरीय क्षेत्र में स्थित मौहल्लों / कालोनी की दरें

| प्रमुख क्षेत्र | क्षेत्र                                     | सड़क से 50 मीटर तक आवासीय दर (₹ प्रति वर्ग मीटर) | सड़क से 50 मीटर आगे आवासीय दर (₹ प्रति वर्ग मीटर) | व्यवसायिक दर (₹ प्रति वर्ग मीटर) | दुकान / रेस्टोरेंट / कार्या. की दर (₹ प्रति वर्ग मीटर किराये की दर) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दर (₹ प्रति वर्ग मीटर किराये की दर) |   |   |
|----------------|---|--|---|----------------------------------|---|--|---|---|
|                |   |  |   |                                  |   | गोदाम  | होटल/गेस्ट हाउस/ बारातघर/ सिनेमाहाल/ पेट्रोल पम्प | अस्पताल/ धर्मशाला/ मनोरंजन स्थल जो कि उ.प्र. वाणि. अधि. के अन्तर्गत है। |
|                |   | निर्धारित दर                                     | निर्धारित दर                                      | निर्धारित दर                     | निर्धारित दर  | निर्धारित दर   | निर्धारित दर                                      | निर्धारित दर  |
| 1              | 2   | 4  | 5   | 6                                | 7   | 8  | 9   | 10  |
| 1              | विल्केश्वर कॉलोनी                           | 6400   | 7150  | 13000                            | 100   | 78   | 68  | 58  |
| 2              | मायापुर                                     | 24600  | 20500   | 35400                            | 110   | 77   | 64  | 59  |
| 3              | निरंजनी अखाडा                               | 24600  | 20500   | 35400                            | 110   | 77   | 64  | 59  |
| 4              | देवपुरा                                     | 23600  | 20200   | 35100                            | 110   | 77   | 64  | 59  |
| 5              | हरिद्वार कनखल रोड (शिवमूर्ति से नहर पुल तक) | 23600  | 20200   | 35100                            | 110   | 77   | 64  | 59  |
| 6              | कैनाल क्वार्टस                              | 8800   | 8150  | 14400                            | 110   | 79   | 81  | 63  |
| 7              | जमना पैलेस कालोनी एवं इसके पीछे का क्षेत्र  | 15100  | 12100   | 23600                            | 110   | 77   | 73  | 59  |
| 8              | विकास कालोनी                                | 12700  | 10100   | 19450                            | 111   | 87   | 80  | 65  |
| 9              | लोधामण्डी हरिद्वार                          | 8300   | 6600  | 13400                            | 108   | 82   | 75  | 62  |
| 10             | गेविन्दपुरी                                 | 16400  | 12650   | 26800                            | 121   | 75   | 73  | 60  |
| 11             | आवास विकास कालोनी                           | 17400  | 13600   | 28100                            | 122   | 96   | 87  | 71  |

  
 (सूर्य मोहन नौटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

|    |   |       |       |       |     |    |    |    |
|----|---|-------|-------|-------|-----|----|----|----|
| 12 | नया हरिद्वार                              | 13850 | 11000 | 23500 | 106 | 80 | 73 | 62 |
| 13 | खन्नानगर                                  | 11500 | 8400  | 18400 | 114 | 85 | 78 | 66 |
| 14 | नन्द विहार                                | 10600 | 7800  | 17100 | 106 | 80 | 73 | 62 |
| 15 | आर्यनगर चौक                               | 13200 | 10650 | 17100 | 106 | 80 | 73 | 62 |
| 16 | आर्यनगर कालोनी                            | 9100  | 7550  | 16600 | 119 | 93 | 64 | 70 |
| 17 | शारदानगर                                  | 9800  | 7250  | 15700 | 120 | 94 | 86 | 70 |
| 18 | शांति विहार                               | 6850  | 5350  | 10500 | 110 | 86 | 78 | 64 |
| 19 | मयूर विहार                                | 7450  | 5600  | 10400 | 108 | 84 | 75 | 61 |
| 20 | आर०के० एन्कलेव                            | 7750  | 5800  | 10400 | 108 | 84 | 75 | 61 |
| 21 | इस्लामनगर                                 | 7050  | 5050  | 11050 | 110 | 82 | 75 | 60 |
| 22 | फेडस कालोनी (अन्तर्गत आर्य नगर क्षेत्र )  | 6500  | 5150  | 10500 | 110 | 82 | 75 | 60 |
| 23 | दयानन्द नगरी                              | 6950  | 6000  | 10400 | 108 | 84 | 75 | 61 |
| 24 | श्यामनगर                                  | 6800  | 5450  | 11050 | 110 | 82 | 75 | 60 |
| 25 | आदर्शनगर (अन्तर्गत अहमदपुर कडच्छ क्षेत्र) | 10200 | 8250  | 16200 | 110 | 82 | 75 | 60 |
| 26 | राजलोक                                    | 10700 | 8650  | 17500 | 110 | 86 | 78 | 64 |
| 27 | सुभाषनगर मौहल्ला (निकट शंकर आश्रम )       | 10400 | 8400  | 17050 | 108 | 84 | 75 | 63 |
| 28 | योगी विहार                                | 10700 | 8650  | 17500 | 110 | 86 | 78 | 64 |
| 29 | नन्दपुरी                                  | 8800  | 6500  | 13300 | 108 | 84 | 75 | 63 |
| 30 | नन्दनगरी                                  | 8500  | 6350  | 13000 | 110 | 83 | 74 | 62 |
| 31 | रामनगर                                    | 7450  | 5800  | 11200 | 108 | 84 | 75 | 63 |
| 32 | न्यू रामनगर                               | 7350  | 5650  | 11050 | 110 | 84 | 75 | 61 |

  
 (सूर्य मोहन नौटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।



|    |                                     |       |       |       |     |    |    |    |
|----|-------------------------------------|-------|-------|-------|-----|----|----|----|
| 33 | टिबड़ी                              | 6300  | 5500  | 9200  | 118 | 79 | 74 | 66 |
| 34 | शिवलोक                              | 7150  | 5700  | 10700 | 113 | 75 | 73 | 60 |
| 35 | जगदीश नगर (अन्तर्गत टिबड़ी क्षेत्र) | 7450  | 5880  | 10400 | 100 | 75 | 74 | 60 |
| 36 | वाटर वर्क्स कालोनी                  | 5550  | 4350  | 8950  | 101 | 77 | 70 | 57 |
| 37 | हजारी बाग                           | 6550  | 5050  | 10000 | 110 | 83 | 70 | 55 |
| 38 | अम्बेडकर नगर                        | 6450  | 5000  | 10200 | 108 | 84 | 71 | 56 |
| 39 | शास्त्रीनगर                         | 6200  | 4900  | 9550  | 108 | 84 | 71 | 58 |
| 40 | गोल गुरुद्वारा                      | 8700  | 7350  | 14250 | 110 | 82 | 70 | 61 |
| 41 | श्रीरामनगर                          | 9100  | 7700  | 14900 | 110 | 83 | 73 | 62 |
| 42 | राजनगर                              | 8850  | 7400  | 14550 | 112 | 81 | 72 | 60 |
| 43 | गुरुनानक कालोनी                     | 5850  | 4200  | 8800  | 112 | 81 | 72 | 63 |
| 44 | नाथ नगर                             | 8800  | 6300  | 13150 | 108 | 81 | 72 | 63 |
| 45 | श्रीनाथ नगर                         | 8550  | 6150  | 12850 | 110 | 80 | 70 | 60 |
| 46 | बसन्त विहार                         | 7350  | 5450  | 11050 | 105 | 80 | 75 | 63 |
| 47 | अहबाब नगर                           | 6200  | 4750  | 10050 | 113 | 86 | 81 | 67 |
| 48 | तेलियान                             | 4850  | 3500  | 7550  | 106 | 77 | 73 | 60 |
| 49 | कन्जरान                             | 4550  | 3350  | 7150  | 101 | 73 | 70 | 57 |
| 50 | शरीफनगर                             | 4650  | 3500  | 7250  | 99  | 75 | 71 | 58 |
| 51 | कोटरावान                            | 4800  | 4350  | 7550  | 105 | 77 | 72 | 60 |
| 52 | कटहरा बाजार                         | 21700 | 16800 | 28900 | 108 | 75 | 72 | 59 |
| 53 | कैतवाड़ा                            | 5050  | 4450  | 7800  | 106 | 77 | 71 | 58 |

(सूर्य मोहं नौटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

|    |                          |       |       |       |     |    |    |    |
|----|--------------------------|-------|-------|-------|-----|----|----|----|
| 54 | हज्जावान                 | 4650  | 4200  | 7250  | 99  | 75 | 71 | 55 |
| 55 | मैदानियान                | 4800  | 4350  | 7550  | 101 | 77 | 70 | 58 |
| 56 | मालियान                  | 4850  | 4200  | 7250  | 99  | 78 | 75 | 61 |
| 57 | घोसियान                  | 4800  | 4350  | 7550  | 101 | 81 | 76 | 62 |
| 58 | धीरवाली                  | 4800  | 4350  | 7550  | 101 | 81 | 76 | 62 |
| 59 | मोचियान                  | 4550  | 4050  | 7100  | 96  | 77 | 73 | 59 |
| 60 | मीटमार्केट (नया-पुराना)  | 5550  | 4600  | 8950  | 106 | 81 | 76 | 62 |
| 61 | चाकलान                   | 4900  | 4350  | 7700  | 104 | 88 | 77 | 63 |
| 62 | नीलखुदाना                | 4800  | 4350  | 7550  | 101 | 81 | 67 | 62 |
| 63 | पांवघोई                  | 5850  | 5300  | 9250  | 118 | 95 | 86 | 68 |
| 64 | गोपीचन्द कालोनी          | 4550  | 4050  | 7150  | 97  | 74 | 68 | 59 |
| 65 | देवतान                   | 4650  | 4200  | 7280  | 99  | 75 | 72 | 61 |
| 66 | पाण्डेवाला               | 4850  | 4050  | 8250  | 124 | 86 | 78 | 65 |
| 67 | वाल्मीकि बस्ती ज्वालापुर | 4150  | 3350  | 7550  | 115 | 77 | 70 | 58 |
| 68 | राम रहीम कालोनी          | 4450  | 4350  | 7550  | 101 | 68 | 61 | 53 |
| 69 | लक्कड़हारान              | 4650  | 4200  | 7250  | 99  | 66 | 60 | 52 |
| 70 | मौहल्ला डाट मण्डी        | 4650  | 4200  | 7250  | 99  | 66 | 60 | 52 |
| 71 | दलालान                   | 4350  | 3900  | 6700  | 99  | 66 | 60 | 52 |
| 72 | गुरुद्वारा रोड           | 19250 | 16250 | 26300 | 124 | 84 | 76 | 66 |
| 73 | मेन बाजार                | 18900 | 17100 | 25500 | 106 | 74 | 59 | 55 |


(सूर्य मोहन जैटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

|    |                      |       |       |       |     |    |    |    |
|----|----------------------|-------|-------|-------|-----|----|----|----|
| 74 | लोघामण्डी ज्वालापुर  | 6800  | 7700  | 12850 | 108 | 72 | 63 | 54 |
| 75 | कुत्तीमारान          | 5850  | 4800  | 8400  | 124 | 82 | 75 | 65 |
| 76 | रामचन्द्रकांत        | 5450  | 4450  | 7550  | 116 | 77 | 70 | 60 |
| 77 | पीपलान               | 5450  | 4450  | 7550  | 101 | 68 | 64 | 55 |
| 78 | पाठकवाड़ा            | 5400  | 4400  | 7300  | 99  | 66 | 63 | 54 |
| 79 | झाड़ान               | 5500  | 4600  | 7650  | 99  | 66 | 63 | 54 |
| 80 | फिराहेडियान          | 5450  | 4450  | 7550  | 99  | 66 | 63 | 54 |
| 81 | चौक बाजार, ज्वालापुर | 17300 | 15750 | 24750 | 110 | 80 | 67 | 55 |
| 82 | झण्डा चौक            | 16500 | 15000 | 23650 | 110 | 80 | 67 | 55 |
| 83 | पीठ बाजार            | 13650 | 11450 | 17300 | 110 | 80 | 67 | 55 |
| 84 | मेहतान               | 4650  | 4200  | 7100  | 99  | 69 | 63 | 56 |
| 85 | अन्सारियान           | 4000  | 2900  | 6300  | 103 | 75 | 69 | 56 |
| 88 | कस्सावान मौहल्ला     | 6250  | 5300  | 10750 | 104 | 79 | 71 | 59 |
| 87 | जग्गूघाट             | 7350  | 5850  | 11900 | 104 | 79 | 73 | 59 |
| 88 | चौहानान              | 7150  | 6000  | 11550 | 101 | 81 | 68 | 58 |
| 89 | घासमण्डी             | 6800  | 5750  | 11050 | 106 | 74 | 67 | 53 |
| 90 | ज्ञान लोक कालोनी     | 6800  | 5850  | 11050 | 107 | 79 | 70 | 58 |
| 91 | लाल मन्दिर कालोनी    | 6950  | 6000  | 10400 | 104 | 81 | 72 | 60 |

(सूर्य मोहट्टी चौटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

**अर्द्ध नगरीय क्षेत्र/विशिष्ट ग्राम हेतु निर्धारित दर**


| क्र. सं. | क्षेत्र/राजस्व ग्रामों के नाम  | सिंचित दर प्रति हैक्टेयर (लाख रु. में) | असिंचित दर प्रति हैक्टेयर (लाख रु. में) | 1000 वर्ग मीटर तक की भूमि के अन्तरण के लिए निर्धारित दरें (रु० प्रति वर्ग मीटर) |              |   |   | व्यवसायिक दर रु० प्रति वर्ग मीटर | दुकान/ रेस्टोरेट/ कार्यालय की रु० प्रति वर्ग मीटर दर किराये की दर | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर किराये की दर)  |   |       |
|----------|--|--|---|---|--------------|---|---|----------------------------------|---|---|---|-------|
|          |  |  |   | निर्धारित दर  | निर्धारित दर | 500 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर | 500 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मी. दूर निर्धारित दर |                                  |   | 501 वर्ग मीटर से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मी. दूर निर्धारित दर | 501 वर्ग मीटर से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मी. दूर निर्धारित दर | गोदाम |
| 1        |  | 3                                      | 4                                       | 5   | 6            | 7   | 8   | 9                                | 10  | 11  | 12  | 13    |
| 1        | ज्वालापुर (नगरपालिका सीमा के बाहर)   | 55.28                                  | 55.26                                   | 5650  | 5300         | 5250  | 4900  | 8500                             | 103   | 81  | 72  | 56    |
| 2        | ज्वालापुर (नगरपालिका सीमा के बाहर) (ज्वालापुर मण्डी समिति से बसेडी) के खसरा नम्बर —<br>138,458,465,466,467,505,506,521,533,534,<br>535,536,537,538,539,540,541,566,1110,1119,<br>1121,1123,1138,1139,1148,1153,1158,1159,<br>1160,1162,1163,1164,1165,1166,1167,1255,<br>1264,1265,1266,1267,1268,1270,1272,1275,<br>1276,1277,1279,1280,1289,1290,1327,1330,<br>1331,1332,1338,1340,1341,1343,1354,1355,<br>1356,1358,1359,1360,1362,1363,1365, | 65.84                                  | 65.84                                   | 7000  | 6400         | 7400  | 6050  | 10150                            | 114   | 93  | 83  | 64    |

  
 (सूर्य मोहन मोटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

|   |  |       |       |      |      |      |      |       |     |     |    |    |
|---|--|-------|-------|------|------|------|------|-------|-----|-----|----|----|
| 3 | ज्वालापुर (नगरपालिका सीमा के बाहर) के खसरा नम्बर<br>101,177,179,180,181,182,183,185,186,187,189,<br>190,196,198,199,201,203,205,209,210,211,212,<br>218,218,219,221,224,225,226,228,230,236,238,<br>239,245,249,250,252,262,263,264,272,278,280,<br>283,296,374,383,385,386,387,388,398,397,398,<br>399,403,412,423,424,425,430,431,432,438,445,<br>446,447,449,452,454,540,543,544,545,547,549,<br>554,567,569,571,573,574,575,579,581,979,982,<br>985,988,990,993,994,996,997,1001,1004,1006,<br>1007,1011,1014,1060,1087,1088,1089,1091,1092,<br>1094,1097,1101,1258,1259,1260,1261 | 70.97 | 70.97 | 7300 | 6550 | 6650 | 6400 | 10500 | 123 | 103 | 93 | 64 |
| 4 | रानीपुर  | 34.56 | 32.34 | 5200 | 4900 | 4850 | 4750 | 8100  | 85  | 79  | 69 | 49 |
| 5 | रानीपुर -के खसरा नम्बर<br>629,630,631,633,634,636,637,638,639,640,<br>641,643,648,648,649,650,651,652,654,655,<br>657,658,663,664 665,668,669,670,671,672,<br>673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,<br>683,685,686,687,694,695,696,697,698,699,<br>704,705,706,707,708,710,718,774,775,776,<br>777,778,779,780,784,785,786,787,788,789,<br>791,792,793,794,797,801,803,805,809,814,<br>815,816,820,821,823,824,825  | 44.74 | 40.43 | 6650 | 6000 | 5900 | 5300 | 10000 | 94  | 88  | 86 | 68 |

(सूर्य मोहन चौटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।


|   |  |       |       |      |      |      |      |       |    |    |    |    |
|---|--|-------|-------|------|------|------|------|-------|----|----|----|----|
| 8 | बहादुराबाद   | 30.60 | 28.44 | 5750 | 5400 | 5250 | 4650 | 8850  | 81 | 65 | 61 | 40 |
| 7 | बहादुराबाद के खसरा नम्बर<br>1,2,3,4,5,8,9,11,13,14,15,16,17,19,20,21,22,26<br>27,28,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48<br>49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,81,82,83,84,85<br>92,93,94,95,96,97, 248,293,294,296,315   | 39.87 | 36.84 | 7700 | 6650 | 7150 | 6050 | 11750 | 98 | 84 | 79 | 49 |
| 8 | अतमलपुर बोंगला   | 28.60 | 27.30 | 2450 | 2250 | 2250 | 2100 | 4050  | 73 | 65 | 61 | 40 |
| 9 | अतमलपुर बोंगला<br>के खसरा नम्बर<br>696,699,700,701,702,705,706,708,709,710,<br>711,713,714,715,716,717,721,722,723,724,<br>725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,<br>735,748,748,749,750,829,830,833,834,835<br>836,837,843,850,851,852,853,854,855,856,<br>857,858 / 2,858 / 3,864,866,867,868,869,870,<br>871,872,873,877,878,879,880,881,883,884,<br>885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,<br>895,896,897,906,910,911,912,913,914,915,<br>916,917,918,919,920,927,928,929,949,950,<br>952,953,954,955,958,957,958,959,960,962,<br>1089,1090,1091,1094,1096,1097,1098,1099,<br>1100,1101,1102,1103,1104,1105,1106,1107,<br>1108,1109,1110,1111,1112,1113,1114,1115,<br>1130,1132, | 39.67 | 36.84 | 4900 | 4550 | 4600 | 3250 | 7250  | 80 | 75 | 73 | 61 |

  
 (सूर्य मोहन जौटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

|    |   |       |       |      |      |      |      |       |     |    |    |    |
|----|---|-------|-------|------|------|------|------|-------|-----|----|----|----|
| 10 | मनोहरपुर  | 27.40 | 25.70 | 2350 | 2150 | 2100 | 1650 | 3600  | 68  | 63 | 57 | 40 |
| 11 | मनोहरपुर के खसरा नम्बर<br>181,182,163,184,185,186,187,188,189,191,<br>192,193,194,197,198,199,200,201,202,203,<br>204,205,206,207,209,210,211,213,216,217,<br>218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,<br>241,242,244,245,246,248,249,250,251,252,<br>253,255,256,257,258,259,260,261,262,263,<br>264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,<br>274,275,276,277,279,281,282,283,284,285,<br>286,287,288,290,292,293,294,295,296,297,<br>300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,<br>310,311,312,313,315,316,317,318,319,320,<br>321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,<br>331,332,333,334,335,336,341,342,344,345,<br>346,347,348 | 35.66 | 33.30 | 3000 | 2600 | 2550 | 2200 | 4450  | 60  | 76 | 71 | 59 |
| 12 | सुल्तानपुर मजरी   | 37.23 | 35.20 | 5450 | 4900 | 4875 | 4300 | 8450  | 63  | 75 | 69 | 49 |
| 13 | सुल्तानपुर मजरी<br>के खसरा नम्बर (बहादुराबाद से धनौरी)<br>157,159,161, 182,163,165,169  | 44.68 | 42.25 | 6550 | 6150 | 6350 | 5400 | 10200 | 100 | 90 | 83 | 58 |
| 14 | सुल्तानपुर मजरी के खसरा नम्बर (सिडकुल<br>बाईपास मागी) 1,3,4,5,6,7,10,11,12,13,24,28,<br>28,30,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,<br>47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,72,73,74,75,76,<br>77,154,155,156,157,162,163  | 46.54 | 44.00 | 6800 | 6450 | 6350 | 5550 | 10600 | 104 | 98 | 86 | 60 |
| 15 | खेडली   | 9.71  | 8.52  | 2380 | 2100 | 2000 | 1620 | 3600  | 68  | 64 | 58 | 40 |
| 16 | खेडली के खसरा नम्बर<br>20,21,22,23,24,26,27,28,29,39,41,42,44,45,149  | 11.65 | 10.22 | 2800 | 2500 | 2450 | 2050 | 4300  | 95  | 71 | 65 | 48 |

(सूर्य मोहन चौटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

|    |   |       |       |      |      |      |      |      |     |    |    |    |
|----|---|-------|-------|------|------|------|------|------|-----|----|----|----|
| 17 | दादूपुर गोविन्दपुर  | 20.59 | 17.35 | 4050 | 3480 | 3350 | 2750 | 6400 | 79  | 70 | 64 | 47 |
| 18 | दादूपुर गोविन्दपुर<br>के खसरा नम्बर<br>286,287,288,300,301,302,303,304,305,306,30<br>7,308,309,310,311,312,313,314,315,316,333,<br>335,338,337,338,339,342,343,344,345,347,<br>349,351,362,366,367,369,370,371,372,373,<br>374,376,377, 378,379,381,382,383,384,<br>385,386,388,389,390,391, 393,394  | 24.70 | 20.82 | 4900 | 4200 | 4100 | 3450 | 7750 | 95  | 87 | 77 | 55 |
| 19 | बेगमपुर   | 10.98 | 9.65  | 2850 | 2500 | 2450 | 2150 | 4550 | 88  | 80 | 70 | 51 |
| 20 | बेगमपुर के खसरा नम्बर 38,39,40,42,48,44,45,46,<br>47,48,48,50,51,52,53,54, 55,56,57,58,59,60,61,62,<br>63,64,65,66,67,68,69,70, 71,72,73,74,75,76,77,78,<br>79,80,81,82,83,84,  | 14.19 | 12.48 | 3700 | 3050 | 3350 | 2800 | 5400 | 103 | 96 | 86 | 58 |
| 21 | जमालपुर खुर्द   | 31.46 | 29.46 | 4900 | 4450 | 4300 | 3750 | 7150 | 89  | 65 | 53 | 42 |
| 22 | जमालपुर खुर्द के खसरा नम्बर-<br>98,99,103,104,105,106,108,109   | 39.06 | 38.57 | 5850 | 5350 | 5200 | 4300 | 8500 | 84  | 79 | 70 | 50 |
| 23 | सलेमपुर महदूद   | 28.23 | 25.44 | 5450 | 4650 | 5000 | 4200 | 8250 | 88  | 83 | 74 | 52 |
| 24 | सलेमपुर महदूद -1 के खसरा नम्बर (जिला<br>मुख्यालय से घनौरी मार्ग)<br>506,507,508,509,511,512,513,514,515,518,518,<br>519,520,521,522,527,528,529,530,531,532,533,<br>534,535,536,539,540,547,549,550,551,559,560,<br>563,564,565,566,569,571,572,573,574,575,576,<br>577,578,579,581,582,583,584,585,586,587,588,<br>589,590,591,592,594,595,596,594,595,596,597,598 | 33.60 | 30.27 | 6300 | 5350 | 5700 | 4900 | 9500 | 102 | 96 | 85 | 66 |

  
 (सूर्य मोहन नौटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।



|    |   |       |       |      |      |      |      |       |     |    |    |    |
|----|---|-------|-------|------|------|------|------|-------|-----|----|----|----|
| 25 | सलेमपुर महदूद- II<br>के खसरा नम्बर (सिद्धकुल बाईपास मार्ग)<br>1444,1445,1453,1454,1455,1456,1457,1528,1527,1528,<br>1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,<br>1544,1543,1545,1546,1547,1548,1549,1550,1551,1552,<br>1553,1554,1555,1556,1557,1570,1572,1573,1574,1575,<br>1580,1581,1582,1583,1584,1586,1587,1588,1589,1590,<br>1592,1593,1594,1598,1599,1600,1601,1602,1603,1605,<br>1607,1608,1610,1618,1657,1658,1660,1681,1683,1684,<br>1685,1688,1687,1688,1680,1691,1692,1693,1694,1695,<br>1696,1699,1700,1702,1703,1704,1705,1708,1712,1713,<br>1714,1715,1716,1717,1718,1720,1721,1722,1724,1725,<br>1727,1728,1731,1732,1733,1734,1742,1743,2417,2419,<br>2420,2421,2422,2423,2424,2425,2426,2427,2428,2429,<br>2441,2442,2443,2449 | 36.51 | 32.91 | 6850 | 5800 | 6300 | 5250 | 10200 | 110 | 96 | 86 | 58 |
| 26 | रावली महदूद   | 38.71 | 36.21 | 6300 | 5000 | 5850 | 4750 | 9100  | 88  | 77 | 68 | 50 |
| 27 | रावली महदूद के खसरा<br>नम्बर-379,390,391,392,393,397,398,404,405,406,<br>407,408,409,410,411,412,413,414,416,436,437,43<br>8,439,440,441,442,443,444,445,446,447,463,464,4<br>66,785,   | 51.84 | 48.51 | 7900 | 6525 | 7350 | 5950 | 11300 | 110 | 96 | 86 | 56 |
| 28 | सराय  | 18.83 | 18.27 | 2800 | 2525 | 2375 | 2000 | 4150  | 80  | 68 | 58 | 42 |
| 29 | सराय के खसरा नम्बर-<br>77,95,96,97,98,99,100,101,103,104,107,108,110,<br>111,115,118,118,119,121,122,123,124,127,129,<br>130,131,133,141,142,143,144,145,148,147,148,<br>148,151,152, 156,157,158   | 24.21 | 22.68 | 3500 | 3150 | 3100 | 2650 | 5350  | 88  | 76 | 64 | 47 |
| 30 | भगतनपुर आबिदपुर उर्फ इब्राहिमपुर  | 10.77 | 09.50 | 2350 | 1950 | 2050 | 1800 | 3750  | 72  | 62 | 52 | 38 |
| 31 | भगतनपुर आबिदपुर उर्फ ईक्कड  | 11.19 | 9.90  | 2350 | 1950 | 2050 | 1800 | 3750  | 72  | 62 | 52 | 38 |

(सूर्य मोहन शर्मा)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

|    |   |       |       |      |      |      |      |      |    |    |    |    |
|----|---|-------|-------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|
| 32 | मगतनपुर आबिदपुर चर्फ इक्कड के खसरा नम्बर<br>51,52,55,56,57,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,<br>81,82,83,84,85,86,87,89,89,90,171,172,173,174,180,<br>181,182,183,184,1255,1256,1308,1327,1328,1329,<br>1330,1333,1334,1335,1336,1338,1339,1340,1341,1342,<br>1343,1344,1346,1351,1352,1353,1370,1371,1372,1373,<br>1374,1375,1376,1377,1379,1380,1381,1382,1384,1385,<br>1388,1387,1388,1389,1391,1402,1405,1408,1407,1408,<br>1409,1410,1411,1412,1413,1414,1415,1416,1417,1418,<br>1419,1421,1428,1427,1428,1429,1430,1431,1432,1433,<br>1436,1438,1439,1440,1441,1443,1444,1445,1446,1447,<br>1448,1471,1571,1572,1573,1574,1575,1576,1577,1578,<br>1605,1606,1607,1608,1609,1810,1811,1612,1813,1616,<br>1617  | 13.93 | 12.26 | 3050 | 2500 | 2650 | 2350 | 4450 | 86 | 74 | 63 | 45 |
| 33 | आन्नेकी हेत्तमपुर   | 22.20 | 20.47 | 4050 | 3650 | 3500 | 3000 | 6150 | 82 | 72 | 61 | 43 |
| 34 | आन्नेकी हेत्तमपुर के खसरा नम्बर (जिला<br>मुख्यालय से घनौरी मार्ग)<br>120,121,123,124,125,126,127,128,136,137,176,<br>177,180,181,182,183,184,185,187,189,210,211,<br>212,213,214,215,217,218,219,220,221,222,223,<br>224,225,228,229,230,231,232,233,234,236,237,<br>238,242,243,244,245,246,277,278,279,280,281,<br>282,392,394,395,397, 398,399,400,401,402,418,<br>417,416,422,423,424,425,426,605,606,607,608,<br>609,610,616,617,618,619,620,622,625,626,627,<br>630,635,636,638,638,640,641,643,654,656,656,<br>657,658,659,691,694,698,907,1132,1134,1135,<br>1136,1137,1138,1139,1140,1141,1142,1143,<br>1144,1150,1151,1153,1155,1174,1175,1176,<br>1177,1178,1179, 1180,1181,1182,1183,1184,<br>1187,1189,1189,1191,1192,1193,1194,1195,1196,<br>1197,1196,1202,1203,1517,1529,1530,1531,1532,<br>1533,1537,1538,1538,1599,1600,1601,1609,1610,<br>1611,1612,1613,1617,1619,1620,1621,1622,<br>1623,1624,1627,1628,1629,1630,1631,1632,1633,<br>1634, 1651,1652,1674,1675,1676,1692 | 25.53 | 23.55 | 4800 | 4200 | 4150 | 3700 | 7700 | 90 | 82 | 67 | 45 |


(सूर्य मोहं नौटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

### ग्रामीण क्षेत्र


| क्र. सं.                                     | क्षेत्र/ राजस्व ग्रामों के नाम | सिंचित दर प्रति हैक्टेयर (लाख रु. में) | असिंचित दर प्रति हैक्टेयर (लाख रु. में) | 1000 वर्ग मीटर तक की भूमि के अन्तरण के लिए निर्धारित दरें (रु०प्रति वर्ग मीटर) |              |   |   | व्यवसायिक दर रु०प्रति वर्ग मीटर | दुकान/ रेस्टोरेंट/कार्या की रु० प्रति वर्ग मीटर दर किराये की दर | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दर (रु०प्रति वर्ग मीटर किराये की दर)   |   |              |
|--|--------------------------------|--|---|--|--------------|---|---|---------------------------------|---|---|---|--------------|
|  |                                |  |   | निर्धारित दर   | निर्धारित दर | 500 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर | 500 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मी. दूर निर्धारित दर |                                 |   | 501 वर्ग मीटर से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर | 501 वर्ग मीटर से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मी. दूर निर्धारित दर | निर्धारित दर |
| 1  | 2                              | 3                                      | 4                                       | 5  | 6            | 7   | 8   | 9                               | 10  | 11  | 12  | 13           |
| परगना ज्वालापुर में स्थित ग्रामों की दरें :- |                                |  |   |  |              |   |   |                                 |   |   |   |              |
| 1  | आदर्श टिहरी नगर                | 12.88                                  | 11.27                                   | 3000   | 2700         | 2600  | 2200  | 4450                            | 72  | 66  | 52  | 40           |
| 2  | कलंजरा जदीद                    | 8.82                                   | 7.56                                    | 1250   | 1150         | 1000  | 950   | 2050                            | 48  | 42  | 37  | 32           |

(सूर्य मोहं नौटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

| परगना रुड़की मे स्थित ग्रामो की दरें :- |  |       |      |      |      |      |      |      |    |    |    |    |
|---|--|-------|------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|
| 3                                       | सोहलपुर सिकरोड़ा   | 8.38  | 7.08 | 1300 | 1150 | 1100 | 1000 | 2080 | 44 | 39 | 32 | 26 |
| 4                                       | सोहलपुर सिकरोड़ा<br>के खसरा नम्बर 127,138,<br>139,141,142,144,146,152,<br>158,192,193,195,196,198,<br>199,202,204,206,207,208,<br>210,211,212,213,222,223,<br>224,225,226,253,254,255,<br>257,327,328,329,330  | 10.00 | 8.82 | 1550 | 1400 | 1350 | 1150 | 2450 | 52 | 45 | 39 | 32 |
| 5                                       | हादीपुर ग्रन्ट   | 7.26  | 6.13 | 1300 | 1000 | 1050 | 850  | 2000 | 44 | 36 | 33 | 28 |
| 6                                       | हादीपुर ग्रन्ट<br>के खसरा नम्बर<br>1,2,4,5,7,10,12,15,19,104,108,110,111,<br>118,119,121,122,135,137,138,139,182,<br>180,117,112,113,114,115, 224,235,236,<br>240,241,245,247,252,253,254,255,263,<br>267,268,272,273,274,275,278,279,280,<br>283,284,285,286,323,327,516 / 611,<br>566,570,578,577,578,579,580,581,584,<br>588,589,590,591,92,593 | 9.73  | 8.21 | 1550 | 1250 | 1200 | 1050 | 2300 | 51 | 43 | 38 | 32 |

  
 (सूर्य मोहन जौटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।


|    |  |       |      |      |      |      |      |      |    |    |    |    |
|----|--|-------|------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|
| 7  | मोहम्मदपुर उर्फ टकामरी   | 7.86  | 6.64 | 1300 | 1000 | 1050 | 850  | 2000 | 45 | 39 | 33 | 28 |
| 8  | मोहम्मदपुर उर्फ टकामरी<br>के खसरा नम्बर<br>68,92,93,94,95,97,99,100,<br>101,102,103,104,106,107, 108,112   | 9.73  | 8.21 | 1620 | 1300 | 1200 | 1000 | 2300 | 51 | 45 | 38 | 32 |
| 9  | मानूवास ग्रन्ट   | 7.28  | 6.13 | 1300 | 1000 | 1050 | 850  | 2000 | 45 | 36 | 31 | 26 |
| 10 | मानूवास ग्रन्ट<br>के खसरा नम्बर 1,3,5,6,7,<br>8,10,11,13,16,21,22,27,28,<br>30,77,79,80,81,113   | 9.73  | 8.21 | 1560 | 1300 | 1200 | 1000 | 2300 | 51 | 45 | 38 | 32 |
| 11 | दादूबास  | 7.86  | 6.64 | 1300 | 1080 | 1050 | 875  | 2000 | 45 | 36 | 31 | 26 |
| 12 | दादूबास<br>के खसरा नम्बर 234,235,<br>240,241,242,243,266,267,<br>269,270,271,273,274,281,<br>282,285,296,297,298,299,<br>300,301,302,305,306,308,<br>309,310,311,312,314,316,<br>317,318,319,322,325,326,<br>327,328,329,330,331 | 10.07 | 8.51 | 1550 | 1300 | 1235 | 900  | 2340 | 50 | 44 | 37 | 29 |
| 13 | औरंगाबाद   | 9.50  | 8.00 | 1625 | 1300 | 1350 | 1100 | 2400 | 52 | 46 | 38 | 31 |

  
 (सूर्य मोहन नैटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

|    |   |       |       |      |      |      |      |      |    |    |    |    |
|----|---|-------|-------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|
| 14 | औरंगाबाद<br>के खसरा नम्बर 1448,1538,1546,1547,<br>1546,1550,1551,1552,1578,1585,1586,<br>1587,1590,1591,1592,1593,1594,1595,<br>1615,1618,1636,1637,1638,1639,1640,<br>1668,1669,1670,1671,1673,1674,1675,<br>1676,1677,1679. | 11.76 | 9.94  | 1885 | 1550 | 1560 | 1300 | 2730 | 60 | 53 | 44 | 36 |
| 15 | सुमन नगर  | 22.30 | 20.60 | 3630 | 3350 | 3080 | 2915 | 6890 | 77 | 69 | 56 | 42 |
| 16 | आसफनगर  | 8.35  | 7.00  | 1375 | 1125 | 1200 | 1000 | 2145 | 45 | 40 | 33 | 26 |
| 17 | बादशाहपुर   | 7.35  | 6.20  | 1250 | 1000 | 1050 | 1000 | 1950 | 41 | 37 | 31 | 24 |
| 18 | डालूवाला मजबता  | 9.32  | 7.40  | 1500 | 1200 | 1250 | 1050 | 2340 | 50 | 44 | 38 | 29 |
| 19 | डालूवाला कलां   | 7.97  | 6.73  | 1350 | 1150 | 1100 | 950  | 2080 | 45 | 40 | 33 | 26 |
| 20 | डालूवाला खुर्द  | 6.92  | 5.85  | 1250 | 1000 | 1100 | 850  | 1950 | 41 | 36 | 30 | 24 |
| 21 | गढ  | 7.26  | 6.13  | 1250 | 1000 | 1050 | 850  | 2015 | 43 | 38 | 32 | 25 |
| 22 | हजाराग्रान्त  | 8.25  | 7.00  | 1450 | 1200 | 1200 | 1050 | 2210 | 48 | 41 | 35 | 28 |
| 23 | रिठौरा ग्रन्ट   | 7.00  | 6.00  | 1250 | 1000 | 1050 | 950  | 1950 | 43 | 37 | 31 | 24 |
| 24 | टान्डा बंजारा   | 7.26  | 6.13  | 1300 | 1050 | 1050 | 950  | 2015 | 45 | 38 | 32 | 25 |
| 25 | कुतुबपुर  | 7.00  | 6.00  | 1250 | 1050 | 1050 | 850  | 1950 | 43 | 36 | 30 | 24 |
| 26 | राजपुर  | 6.92  | 5.85  | 1250 | 1000 | 1050 | 850  | 1950 | 43 | 36 | 30 | 24 |
| 27 | रसूलपुर   | 7.26  | 6.13  | 1300 | 1000 | 1050 | 850  | 2015 | 45 | 38 | 32 | 25 |
| 28 | तालिबाबाद   | 6.92  | 5.85  | 1250 | 1000 | 1100 | 850  | 1950 | 43 | 36 | 30 | 24 |
| 29 | मीरपुर मुवाजरपुर  | 7.56  | 6.38  | 1300 | 1000 | 1050 | 850  | 2015 | 45 | 38 | 32 | 25 |
| 30 | झबरपुर  | 7.00  | 6.00  | 1250 | 1000 | 1050 | 850  | 1950 | 43 | 37 | 31 | 24 |
| 31 | खालाटीरा  | 7.32  | 6.20  | 1250 | 1050 | 1100 | 850  | 2015 | 45 | 38 | 32 | 25 |
| 32 | कालूबास ग्रंट   | 7.26  | 6.92  | 1300 | 1000 | 1050 | 900  | 2015 | 45 | 38 | 32 | 25 |
| 33 | जसवावाला  | 7.00  | 5.96  | 1250 | 1000 | 1050 | 850  | 1950 | 43 | 37 | 31 | 24 |

(सूर्य मोहन नौटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

|    |                           |      |      |      |      |      |      |      |    |    |    |    |
|----|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|
| 34 | कोटा मुराद नगर,           | 8.11 | 6.85 | 1350 | 1200 | 1100 | 900  | 2145 | 47 | 40 | 35 | 28 |
| 35 | शेखवाला ग्रन्ट            | 6.92 | 6.00 | 1250 | 1050 | 1050 | 850  | 1950 | 43 | 36 | 30 | 24 |
| 36 | शिवदासपुर उर्फ तेलीवाला   | 9.24 | 8.13 | 1600 | 1400 | 1350 | 1200 | 2535 | 56 | 48 | 40 | 32 |
| 37 | रावणबास ग्रंट             | 7.21 | 6.00 | 1200 | 950  | 1000 | 850  | 1950 | 43 | 36 | 30 | 24 |
| 38 | काश्वास                   | 7.21 | 6.00 | 1200 | 950  | 1000 | 850  | 1950 | 43 | 36 | 30 | 24 |
| 39 | अलावलपुर                  | 9.23 | 8.44 | 1250 | 950  | 1000 | 850  | 2015 | 45 | 38 | 32 | 25 |
| 40 | बोड़ाहेड़ी मोहिउद्दीनपुर  | 9.23 | 8.44 | 1250 | 950  | 1000 | 850  | 2015 | 45 | 38 | 32 | 25 |
| 41 | मौहम्मदपुर उर्फ झीवरहेड़ी | 8.80 | 8.00 | 1200 | 950  | 1000 | 850  | 1950 | 43 | 36 | 30 | 24 |
| 42 | मुकरपुर                   | 8.80 | 8.00 | 1200 | 950  | 1000 | 850  | 1950 | 43 | 36 | 30 | 24 |
| 43 | नसीरपुर उर्फ नस्तरपुर     | 8.80 | 8.00 | 1200 | 950  | 1000 | 850  | 1950 | 43 | 36 | 30 | 24 |
| 44 | पीतपुर,                   | 9.00 | 8.20 | 1200 | 950  | 1000 | 850  | 1950 | 43 | 37 | 31 | 24 |
| 45 | कासमपुर                   | 9.00 | 8.20 | 1200 | 950  | 1000 | 650  | 1950 | 43 | 37 | 31 | 24 |
| 46 | रायपुर दरेड़ा,            | 9.23 | 8.44 | 1250 | 950  | 1000 | 850  | 2015 | 45 | 38 | 32 | 25 |
| 47 | रानीपुर                   | 9.00 | 6.20 | 1200 | 950  | 1000 | 650  | 1950 | 43 | 37 | 31 | 24 |
| 48 | रणसुरा                    | 9.00 | 8.20 | 1200 | 950  | 1000 | 850  | 1950 | 43 | 37 | 31 | 24 |
| 49 | संघीपुर                   | 9.00 | 8.20 | 1200 | 950  | 1000 | 850  | 1950 | 43 | 37 | 31 | 24 |
| 50 | मोमिनपुर,                 | 9.23 | 8.44 | 1250 | 950  | 1000 | 850  | 2015 | 45 | 38 | 32 | 25 |
| 51 | नगला खुर्द                | 9.23 | 8.44 | 1250 | 950  | 1000 | 875  | 2015 | 45 | 38 | 32 | 25 |
| 52 | बहादरपुर खुर्द,           | 9.00 | 8.20 | 1200 | 950  | 1000 | 850  | 1950 | 43 | 37 | 31 | 24 |
| 53 | मुकन्दपुर                 | 9.00 | 8.20 | 1200 | 950  | 1000 | 850  | 1950 | 43 | 37 | 31 | 24 |


  
 (सूर्य मोहन मोटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

## औद्योगिक क्षेत्रों की दरें

| क्रमांक | क्षेत्र का नाम  | निर्धारित दर                 |
|---------|---|------------------------------|
| 1       | सिडकुल  |                              |
| 2       | तहसील हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों के नवीन औद्योगिक आस्थान   | 5000.00 ₹/- प्रति वर्ग मीटर  |
| 3       | हरिद्वार विकास प्राधिकरण महायोजना में प्रदर्शित इन्ड्रस्टियल एरिया जिसकी दरें इस सूची में नहीं दी गयी है। | 3050.00 ₹/- प्रति वर्ग मीटर  |
|         |   | 5250.00 ₹ /- प्रति वर्ग मीटर |

## भवनों की श्रेणीवार दर सूची-(₹0 प्रति वर्गमीटर में)

| क्रमांक | भवनों की श्रेणी            | निर्धारित दर                 |
|---------|----------------------------|------------------------------|
| 1       | फ्लैट्स                    |                              |
| 2       | श्रेणी-प्रथम (आर0सी0सी0)   | 8450.00 ₹/- प्रति वर्ग मीटर  |
| 3       | श्रेणी-द्वितीय (आर0बी0सी0) | 8450.00 ₹ /- प्रति वर्ग मीटर |
| 4       | श्रेणी-तृतीय (टीनपोश)      | 7800.00 ₹ /- प्रति वर्ग मीटर |
|         |                            | 7150.00 ₹/- प्रति वर्ग मीटर  |

  
 (सूर्य मोहन नौटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।



गैर वाणिज्यिक भवनों का मूल्यांकन निम्न सूची के अनुसार देय होगा:-

क्षरण निम्नानुसार देय होगा, जिसका फार्मूला निम्नलिखित है:- नोट-क्षरण की निम्न सारणी भवन की अनुमानित आयु 100 वर्ष मान कर किया गया है।

निर्माण मूल्य में हास लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचारित सूत्र :-  $D = P (1 - \frac{RD}{100})^N$  RD = भवन की औसत आयु  
100

D = हास मूल्य (Depreciated Value) P = वर्तमान मूल्य N = कितने वर्ष पुराना (Actual Age of Building)

|        |       |    |       |    |       |     |       |
|--------|-------|----|-------|----|-------|-----|-------|
| 1 वर्ष | 0.990 | 26 | 0.770 | 51 | 0.598 | 76  | 0.465 |
| 2      | 0.980 | 27 | 0.762 | 52 | 0.592 | 77  | 0.461 |
| 3      | 0.970 | 28 | 0.754 | 53 | 0.587 | 78  | 0.456 |
| 4      | 0.960 | 29 | 0.747 | 54 | 0.581 | 79  | 0.452 |
| 5      | 0.950 | 30 | 0.739 | 55 | 0.575 | 80  | 0.447 |
| 6      | 0.941 | 31 | 0.731 | 56 | 0.569 | 81  | 0.443 |
| 7      | 0.932 | 32 | 0.724 | 57 | 0.563 | 82  | 0.438 |
| 8      | 0.927 | 33 | 0.717 | 58 | 0.558 | 83  | 0.434 |
| 9      | 0.913 | 34 | 0.710 | 59 | 0.552 | 84  | 0.429 |
| 10     | 0.904 | 35 | 0.703 | 60 | 0.547 | 85  | 0.425 |
| 11     | 0.890 | 36 | 0.696 | 61 | 0.541 | 86  | 0.421 |
| 12     | 0.880 | 37 | 0.689 | 62 | 0.536 | 87  | 0.417 |
| 13     | 0.870 | 38 | 0.682 | 63 | 0.530 | 88  | 0.412 |
| 14     | 0.868 | 39 | 0.675 | 64 | 0.525 | 89  | 0.408 |
| 15     | 0.860 | 40 | 0.668 | 65 | 0.518 | 90  | 0.404 |
| 16     | 0.851 | 41 | 0.662 | 66 | 0.515 | 91  | 0.400 |
| 17     | 0.842 | 42 | 0.655 | 67 | 0.509 | 92  | 0.396 |
| 18     | 0.834 | 43 | 0.649 | 68 | 0.504 | 93  | 0.392 |
| 19     | 0.826 | 44 | 0.642 | 69 | 0.499 | 94  | 0.388 |
| 20     | 0.817 | 45 | 0.636 | 70 | 0.494 | 95  | 0.384 |
| 21     | 0.809 | 46 | 0.629 | 71 | 0.489 | 96  | 0.381 |
| 22     | 0.801 | 47 | 0.623 | 72 | 0.484 | 97  | 0.377 |
| 23     | 0.793 | 48 | 0.617 | 73 | 0.480 | 98  | 0.373 |
| 24     | 0.785 | 49 | 0.611 | 74 | 0.475 | 99  | 0.369 |
| 25     | 0.777 | 50 | 0.605 | 75 | 0.470 | 100 | 0.366 |

(सूर्य मोहन चौटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

| क्रमांक | टिप्पणी  |
|---------|--|
| 1-      | उ०प्र० वित्त निगम, उ०प्र० आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक प्राधिकरणों/निगमों एवं राजकीय संस्थाओं द्वारा अन्तरित परिसम्पत्तियों हेतु उक्त संस्थाओं द्वारा निष्पादित विलेखों के अन्तर्गत निहित सम्पत्ति का बाजार मूल्य संस्थाओं के द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य के बराबर होगा।   |
| 2-      | मूल्यांकन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा, जो कि विभिन्न कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा किराये पर लिये गये उन भवनों से है, जहां से उन कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा अपने व्यावसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है तथा जो भवन उत्तर प्रदेश स्टाम्प सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली 1997 में यथा परिभाषित है।  |
| 3-      | विलेख में सम्पत्ति/भूमि का नगरपालिका खाता संख्या/बंदोबस्त संख्या/खसरा संख्या/खेवट संख्या/राजस्व ग्राम तथा प्रमुख मार्ग से दूरी अंकित की जानी तथा सम्पत्ति के चिन्हीकरण हेतु वांछित तथ्य अंकित किये जाने अनिवार्य होंगे। विलेख के द्वारा अन्तरित सम्पत्ति/भूमि की चौहद्दी भी अंकित की जानी अनिवार्य होगी।   |
| 4-      | सम्पत्ति की सीमा में उल्लेखित सड़क की चौड़ाई तथा सूची में वर्णित क्षेत्र के प्रमुख मार्गों से दूरी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। सूची में वर्णित प्रमुख मार्गों इतर अन्य मुख्य सड़क का तात्पर्य लोक निर्माण विभाग/राष्ट्रीय राजमार्ग/अन्य कार्यदायी विभाग द्वारा निर्मित मुख्य मार्ग के मानक से होगा, परन्तु यह नियम पुराने मोहल्लों पर लागू नहीं होगा।   |
| 5-      | मुख्य मार्ग का तात्पर्य नौ मीटर चौड़े मार्ग से होगा।   |
| 6-      | भवनों के सम्बन्ध में भवनों के निर्माण स्तर के सम्बन्ध में विलेख में श्रेणी प्रथम-आर०सी०सी०, श्रेणी द्वितीय-आर०बी०सी०, श्रेणी तृतीय-टीनपोश का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा। निर्मित क्षेत्रफल का मूल्यांकन किये जाते समय पोर्च के क्षेत्रफल को भी निर्मित क्षेत्रफल में जोड़ा जायेगा। भवनों की आयु निर्धारण के सम्बन्ध में लिखित प्रमाणिक साक्ष्य/शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। उक्त के अभाव में कोई क्षरण देय नहीं होगा। विलेख में निर्माण का वर्ष अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। |
| 7-      | टीनपोश भवन में क्षरण अधिकतम 25 वर्षों का देय होगा।   |
| 8-      | बहुखण्डीय आवासीय भवनों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तल, तथा उससे उपरोक्त के समस्त तलों पर स्थित भवनों में भूखण्ड के मूल्यांकन पर क्रमशः 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत की छूट होगी।  |
| 9-      | बहुखण्डीय आवासीय भवनों में, जो कि उत्तर प्रदेश फ्लैट्स ओनरशिप ऑफ फ्लैट्स एक्ट 1975 के अन्तर्गत आच्छादित होते हैं, उनके अन्तर्गत सुपर एरिया पर आनुपातिक मूल्य पर भी स्टाम्प शुल्क देय होगा, फ्लैटों के विलेखों में निर्माण दर पर कोई ह्रास देय नहीं होगा।   |
| 10-     | औद्योगिक/वाणिज्यिक/अनावासीय भवनों के मूल्यांकन में कोई ह्रास मूल्य देय नहीं होगा।  |
| 11-     | बहुखण्डीय व्यापारिक प्रतिष्ठानों में सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय तल, तथा उससे उपरोक्त के समस्त तलों पर क्रमशः 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत कम दरें लागू होंगी।  |
| 12-     | बहुखण्डीय व्यापारिक प्रतिष्ठानों में सम्पूर्ण अन्तरित सम्पत्ति के आगणित मूल्यांकन पर बेसमेंट में 20 प्रतिशत कम दरें लागू होंगी तथा लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान निर्धारित दरें लागू होंगी।  |

(सूर्य मोहन नौटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

|                       |   |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
|-----------------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 13-                   | व्यावसायिक/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/दुकान की प्रति वर्ग मीटर किराया निर्मित क्षेत्रफल के आधार पर किया जायेगा जिसके लिये मूल्यांकन प्रति वर्ग मीटर मासिक किराया जो कि प्रत्येक क्षेत्र के आगे अंकित है X निर्मित क्षेत्रफल X 300 + भूखण्ड का सर्किल दर से मूल्यांकित मूल्य का योग होगा।  |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 14-                   | मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख मार्गों पर पड़ने वाले समस्त नगरीय क्षेत्रों, अर्द्धनगरीय क्षेत्रों, जो कि नगर सीमा के अन्तर्गत स्थित हैं, की सम्पत्तियों के अन्तरण विलेखों द्वारा अन्तरित सम्पत्ति के प्रमुख मार्ग के 200 मीटर के अन्तर्गत होने पर प्रमुख मार्गों की निर्धारित दरें ही लागू होंगी। प्रमुख मार्ग/क्षेत्र विशेष में स्थित सम्पत्ति के मूल्यांकन किये जाने में उक्त दोनों क्षेत्रों में निर्धारित उच्चतम दरों के अनुरूप मूल्यांकन किया जायेगा।  |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 15-                   | तहसील के ग्रामीण क्षेत्र तथा अर्द्धनगरीय क्षेत्रों (जो कि नगर सीमा से बाहर स्थित हैं) में बाग विक्रय होने संबंधी प्रलेख पर सिंचित भूमि की दर की डेढ़ गुनी दर प्रभावी होगी। नगरीय क्षेत्र एवं अर्द्धनगरीय क्षेत्रों (जो कि नगर सीमा के अन्तर्गत स्थित हैं) में बाग विक्रय होने संबंधी प्रलेख पर क्षेत्र विशेष की वर्गमीटर में निर्धारित न्यूनतम दरों की डेढ़ गुनी दरें लागू होंगी। यदि जनपद में किसी भी प्रकार की सम्पत्ति/कृषि भूमि पर यदि वृक्ष स्थित हों एवं वह बाग के रूप में प्रख्यापित न हो तो उन प्रकरणों में वृक्षों का मूल्यांकन अलग से आंकलित किया जायेगा।   |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 16-                   | तहसील में स्थित किसी भी प्रकार की सम्पत्ति के अन्तरण विलेख के द्वारा अन्तरित सम्पत्ति के एक दिशा में सड़क/रास्ता होने की स्थिति में मूल्यांकन सूची में क्षेत्र विशेष हेतु प्रदत्त दर देय होंगी, दो दिशाओं में सड़क/रास्ता होने की स्थिति में मूल्यांकन सूची में क्षेत्र विशेष हेतु प्रदत्त दरों से 10 प्रतिशत दरें अधिक देय होंगी, तीन दिशाओं में सड़क/रास्ता होने की स्थिति में मूल्यांकन सूची में क्षेत्र विशेष हेतु प्रदत्त दरों से 20 प्रतिशत दरें अधिक देय होंगी एवं चार दिशाओं में सड़क/रास्ता होने की स्थिति में मूल्यांकन सूची में क्षेत्र विशेष हेतु प्रदत्त दरों से 30 प्रतिशत दरें अधिक देय होंगी। |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 17-                   | किसी भी औद्योगिक इकाई का अन्तरण होने की दशा में उक्त में स्थापित मशीनरी का मूल्यांकन गवर्नमेंट एप्रूव्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट के अनुसार किया जायेगा।  |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 18-                   | बाउण्ड्री वॉल के स्थित होने पर रु 600/- प्रति वर्ग मीटर की दर से मूल्यांकन किया जायेगा।   |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 19-                   | भूमि में बोरिंग के स्थित होने पर क्षेत्रवार निम्न मूल्यांकन होगा:-<br><table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>विकास खण्ड बहादुराबाद</td> <td>विकास खण्ड रुड़की</td> <td>विकास खण्ड भगवानपुर</td> <td>विकास खण्ड नारसन</td> <td>विकास खण्ड लक्सर</td> <td>विकास खण्ड खानपुर</td> </tr> <tr> <td>रुपये 10,000/-</td> <td>रुपये 10,000/-</td> <td>रुपये 14,000/-</td> <td>रुपये 12,000/-</td> <td>रुपये 8,000/-</td> <td>रुपये 7,000/-</td> </tr> </table>  | विकास खण्ड बहादुराबाद | विकास खण्ड रुड़की | विकास खण्ड भगवानपुर | विकास खण्ड नारसन  | विकास खण्ड लक्सर | विकास खण्ड खानपुर | रुपये 10,000/- | रुपये 10,000/- | रुपये 14,000/- | रुपये 12,000/- | रुपये 8,000/- | रुपये 7,000/- |
| विकास खण्ड बहादुराबाद | विकास खण्ड रुड़की   | विकास खण्ड भगवानपुर   | विकास खण्ड नारसन  | विकास खण्ड लक्सर    | विकास खण्ड खानपुर |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| रुपये 10,000/-        | रुपये 10,000/-  | रुपये 14,000/-        | रुपये 12,000/-    | रुपये 8,000/-       | रुपये 7,000/-     |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 20-                   | मूल्यांकन सूची में वर्णित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे क्षेत्र जिनमें कतिपय ग्रामों के सड़कों पर स्थित खसरा नम्बरान की दरें अलग से प्राविधानित हैं, उन क्षेत्रों में सड़क के दोनों ओर स्थित वह खसरा नम्बर जो कि सड़क के दोनों ओर की 200 मीटर दूरी के अन्तर्गत स्थित हैं, परन्तु सूची में वर्णित नहीं हैं, उन खसरा नम्बर की भूमि के अन्तरण विलेख पर उक्त क्षेत्र में सड़कों पर स्थित खसरा नम्बरान हेतु निर्धारित दरें ही प्रभावी होंगी।  |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 21-                   | जनपद की समस्त तहसीलों के ग्रामीण क्षेत्र पर स्थित 1000 वर्गमीटर से कम कृषि भूमि का क्रेता यदि अन्तरित कृषि भूमि का सहखातेदार हो या अन्तरित कृषि भूमि के साथ क्रेता की कृषि भूमि का मेड़ मिलान होता हो तो ऐसे विलेख पर क्षेत्र विशेष की कृषि भूमि की उच्चतम निर्धारित दर प्रभावी होगी। इस लाभ हेतु क्रेता द्वारा राजस्व अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की दशा में क्षेत्र विशेष की वर्गमीटर में निर्धारित दर प्रभावी होगी।  |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 22-                   | तहसील के किसी भी क्षेत्र में विलेख के माध्यम से यदि 50 वर्गमीटर तक "सड़क मार्ग/रास्ता" पर स्थित (नगरीय/अर्द्धनगरीय क्षेत्र हेतु सड़क मार्ग/रास्ता का तात्पर्य 3 मीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु सड़क मार्ग/रास्ता का तात्पर्य मुख्य मार्ग/9 मीटर से होगा) की भूमि/सम्पत्ति का अन्तरण होता है, तो ऐसे विलेख पर प्रवृत्त क्षेत्र विशेष की व्यावसायिक दर प्रभावी होंगी तथा निर्माण का मूल्यांकन निर्मित क्षेत्रफल की प्रकृति के अनुसार किया जायेगा। यह प्राविधान फ्लैटों के विलेखों में लागू नहीं होगा।  |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |


(सूर्य मोहन चौटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।


|     |   |
|-----|---|
| 23- | तहसील के किसी भी क्षेत्र में विलेख के माध्यम से यदि 50 वर्गमीटर से अधिक "सड़क मार्ग/रास्ता" पर स्थित (नगरीय/अर्द्धनगरीय क्षेत्र हेतु सड़क मार्ग/रास्ता का तात्पर्य 3 मीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु सड़क मार्ग/रास्ता का तात्पर्य मुख्य मार्ग/9 मीटर से होगा) भूमि/सम्पत्ति संयुक्त क्रेतागण द्वारा क्रय की जाती है, एवं प्रत्येक क्रेता के भाग में 50 वर्गमीटर से कम भूमि आती हो तथा क्रेतागण के मध्य पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, भाई, बहन तथा नाती-पोतों के सम्बन्ध न हो, तो ऐसे विलेख पर प्रवृत्त बिन्दु संख्या 22 के अन्तर्गत क्षेत्र विशेष की व्यावसायिक दर ही प्रभावी होगी।   |
| 24- | तहसील के किसी भी क्षेत्र में विलेख के माध्यम से यदि 1000 वर्गमीटर से अधिक भूमि संयुक्त क्रेतागण द्वारा क्रय की जाती है, एवं उनके भागानुसार प्रत्येक क्रेता के भाग में 1000 वर्गमीटर से कम भूमि आती हो तथा क्रेतागण के मध्य पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, भाई, बहन तथा नाती-पोतों के सम्बन्ध न हो, तो ऐसे विलेख पर प्रवृत्त क्षेत्र विशेष हेतु निर्धारित वर्गमीटर की दर ही प्रभावी होगी।  |
| 25- | मूल्यांकन सूची में वर्णित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे क्षेत्र जिनमें कतिपय खसरा नम्बरान की दरें अलग से प्राविधानित हैं, केवल उन क्षेत्रों में 1000 वर्गमीटर से अधिक एवं 2500 वर्गमीटर तक की भूमि के अन्तरण विलेख पर उक्त क्षेत्र की सूची के (हरिद्वार एवं लक्सर की मूल्यांकन सूची के कॉलम संख्या 8 तथा रुड़की प्रथम एवं रुड़की द्वितीय की मूल्यांकन सूची के कॉलम 6) में निर्धारित दर की 90 प्रतिशत दर तथा 2500 वर्गमीटर से अधिक एवं 4040 वर्गमीटर तक की भूमि के अन्तरण विलेख पर उक्त क्षेत्र की सूची के (हरिद्वार एवं लक्सर की मूल्यांकन सूची के कॉलम संख्या 8 तथा रुड़की प्रथम एवं रुड़की द्वितीय की मूल्यांकन सूची के कॉलम 6) में निर्धारित दरों की 80 प्रतिशत दर प्रभावी होगी। यह प्राविधान फर्म, संस्था, सोसायटी, न्यास, कम्पनी के क्रेता होने की स्थिति में लागू नहीं होगा। |
| 26- | मूल्यांकन सूची में वर्णित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे क्षेत्र जिनमें कतिपय खसरा नम्बरान की दरें अलग से प्राविधानित हैं, उन क्षेत्रों में विलेख के माध्यम से यदि 1000 वर्गमीटर से अधिक अथवा 2500 वर्गमीटर से अधिक अथवा 4040 वर्गमीटर से अधिक भूमि संयुक्त क्रेतागण द्वारा क्रय की जाती है और प्रत्येक क्रेता के भाग में 1000 वर्गमीटर/2500 वर्गमीटर/4040 वर्गमीटर से कम भूमि होती है और यदि क्रेतागण के मध्य पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, भाई, बहन तथा नाती-पोतों के सम्बन्ध नहीं हैं तो ऐसे विलेख पर बिन्दु संख्या 24, 25 में वर्णित शर्तों के अन्तर्गत रहते हुये क्षेत्र विशेष हेतु प्रवृत्त दरें प्रभावी होगी।   |
| 27- | मूल्यांकन सूची में वर्णित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे क्षेत्र जिनमें कतिपय खसरा नम्बरान की दरें अलग से प्राविधानित हैं, केवल उन क्षेत्रों में क्रेता फर्म, संस्था, सोसायटी, न्यास, कम्पनी द्वारा 1000 वर्गमीटर से अधिक एवं एक हेक्टेयर से कम भूमि के क्रय विलेख पर उक्त क्षेत्र विशेष की सूची के (हरिद्वार एवं लक्सर की मूल्यांकन सूची के कॉलम संख्या 8 तथा रुड़की प्रथम एवं रुड़की द्वितीय की मूल्यांकन सूची के कॉलम 6) में निर्धारित दर की 85 प्रतिशत दर तथा एक हेक्टेयर से अधिक एवं दो हेक्टेयर तक की भूमि के क्रय विलेख पर उक्त क्षेत्र की सूची के (हरिद्वार एवं लक्सर की मूल्यांकन सूची के कॉलम संख्या 8 तथा रुड़की प्रथम एवं रुड़की द्वितीय की मूल्यांकन सूची के कॉलम 6) में निर्धारित दरों की 75 प्रतिशत दर प्रभावी होगी।   |
| 28- | जनपद में जिन मुख्य मार्गों के दोनों ओर के खसरा नम्बर सूची में वर्णित नहीं किये गये हैं, उन क्षेत्रों में सड़क मार्ग के दोनों ओर 100 मीटर की दूरी तक बिन्दु संख्या 24, 25, 26, 27 में वर्णित शर्तों के अन्तर्गत रहते हुये क्षेत्र विशेष की प्रवृत्त दरें प्रभावी होगी।   |
| 29- | एक हजार वर्गमीटर से अधिक भूमि के अन्तरण विलेखों के द्वारा यदि बंजर भूमि का अन्तरण किया जाता है तो उक्त विलेखों पर कृषि दरें प्रभावी नहीं होगी। बंजर भूमि की दशा में एक हजार वर्गमीटर से अधिक एवं एक हे० क्षेत्रफल तक की भूमि के अन्तरण विलेखों पर तालिका के कॉलम आठ में वर्गमीटर में निर्धारित दरों की 85 प्रतिशत दरें तथा एक हे० से अधिक एवं दो हे० तक की भूमि के अन्तरण विलेखों पर तालिका के कॉलम आठ में वर्गमीटर में निर्धारित दरों की 75 प्रतिशत दरें प्रभावी होगी।   |
| 30- | मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख या मुख्य मार्ग/क्षेत्र वार निर्धारित दरों में यदि किसी स्थल की दरें दो स्थान पर निर्धारित हैं तो उच्चतम निर्धारित दर प्रभावी होगी।   |
| 31- | मूल्यांकन सूची में यदि किसी क्षेत्र की दरें निर्धारित होने से छूट गयी हैं तो समीपस्थ स्थल हेतु निर्धारित उच्चतम दर से सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जायेगा।  |
| 32- | निर्गत की जा रही मूल्यांकन सूची में यदि कोई लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो उक्त त्रुटि को शुद्ध करने हेतु तत्संबंधी निर्देश अलग से निर्गत किये जायेंगे।   |

(सूर्य मोहन नौटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

# तहसील लक्सर, उप निबन्धक कार्यालय जनपद हरिद्वार

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद हरिद्वार के कार्यालय उप निबन्धक तहसील लक्सर के लिए द्विवार्षिक न्यूनतम औसत बाजारी दरों का निर्धारण सलंगन विवरण पत्र के अनुसार किया जा रहा है। द्विवार्षिक मूल्यांकन सूची जो कि 01 नवम्बर 2011 से प्रभावी होनी थी, शासनादेश संख्या 682/2011/XXVII(9)/स्टाम्प-80/2009 दिनांक 01.11.2011 के क्रम में 31 मार्च 2012 तक स्थगित किये जाने के फलस्वरूप यह दरें दिनांक 01 अप्रैल 2012 से 31 अक्टूबर 2013 तक प्रभावी होंगी।


  
(सूर्य मोहन नौटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।


  
(डी० सैंथिल पांडियन)  
आई०ए०एस०  
कलेक्टर, हरिद्वार।

## कार्यालय कलेक्टर, हरिद्वार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, परिपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-प्रमुख सचिव (वित्त) उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2-महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3-अपर महानिरीक्षक निबंधन मुख्यालय महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4-जिला निबंधक, हरिद्वार।
- 5-जिला स्टाम्प अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार।
- 6-सहायक महानिरीक्षक, निबंधन, हरिद्वार।
- 7-सब रजिस्ट्रार लक्सर।
- 8-उप जिलाधिकारी लक्सर।
- 9-तहसीलदार लक्सर।

  
(सूर्य मोहन नौटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

  
(डी० सैंथिल पांडियन)  
आई०ए०एस०  
कलेक्टर, हरिद्वार।

**तहसील लकसर के प्रमुख मार्गों हेतु प्रपत्र-1**  
**जनपद/नगर के प्रमुख मार्गों पर स्थित (नगरीय) क्षेत्रों की दरें (रूपये प्रति वर्ग मीटर)**


| क्र<br>0<br>सं० | मोटर मार्ग   | सड़क से<br>दूरी 50<br>मीटर तक<br>(प्रति वर्ग<br>मीटर) | सड़क से 51<br>मी० से 200<br>मी० दूरी तक<br>(आवासीय<br>दर)<br>(प्रति वर्ग<br>मीटर) | व्यवसा<br>यिक<br>भूमि की<br>दर<br>प्रति वर्ग<br>मी० | दुकान/रेस्टोरेंट/<br>कार्यालय<br>(मासिक किराया<br>प्रति वर्ग० मी०) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें<br>(मासिक किराया प्रति वर्ग० मी०) |   |                                       |
|-----------------|--|---|---|---|--|---|---|---------------------------------------|
|                 |  |   |   |   |  | गोदाम   | होटल/गेस्ट<br>हाउस/<br>बारात<br>घर/पेट्रोल<br>पम्प/सिनेमा<br>घर | अस्पताल/<br>धर्मशाला/<br>मनोरंजन स्थल |
| 1               | 2  | 4   | 5   | 6   | 7  | 8   | 9   | 10                                    |
| 1               | हरिद्वार रूडकी तिराहे से बालावाली तिराहे तक 300 मीटर आगे तक।   | 6200  | 3350  | 6200  | 80   | 70  | 60  | 50                                    |
| 2               | रेलवे फाटक लकसर से सब्जी मण्डी मुख्य बाजार होते हुये मैटाडोर बस स्टैण्ड तक व मुख्य बाजार बसेडी रोड व पप्पू नर्सिंग होम तक। | 7000  | 3700  | 7000  | 80   | 70  | 60  | 50                                    |
| 3               | पप्पू नर्सिंग होम से लकसरी पुलिया तक।  | 4650  | 2500  | 4650  | 70   | 60  | 50  | 50                                    |
| 4               | गोरधनपुर तिराहे से 300 मीटर बाद होली क्रॉस से गंगनोली तक।  | 4850  | 2550  | 4850  | 70   | 60  | 50  | 45                                    |
| 5               | गोरधनपुर तिराहे से बालावाली रोड पर तहसील मोड तक।   | 5000  | 2700  | 5000  | 70   | 60  | 50  | 45                                    |
| 6               | रेलवे फाटक से सोसायटी रोड तक व रेल मार्ग के सटे खडजां मार्ग पर 300 मीटर आगे तक।  | 4700  | 2450  | 4700  | 70   | 60  | 50  | 45                                    |
| 7               | ग्राम बसेडी खादर में ग्राम की प्रारम्भिक सीमा से ग्राम की अन्तिम सीमा तक रूडकी रोड पर व सेठपुर रोड पर सेठपुर ग्राम तक।     | 3150  | 1800  | 3150  | 65   | 55  | 45  | 40                                    |

( सूर्य मोहन मोटियाल )  
अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

| क्र<br>0<br>सं० | मोटर मार्ग  | सड़क से<br>दूरी 50<br>मीटर तक<br>(आवासीय<br>दर )<br>(प्रति वर्ग<br>मीटर) | सड़क से 51<br>मी० से 200<br>मी० दूरी तक<br>(आवासीय<br>दर)<br>(प्रति वर्ग<br>मीटर) | व्यवसा<br>यिक<br>भूमि की<br>दर<br>प्रति वर्ग<br>मी० | दुकान/रेस्टोरेंट/<br>कार्यालय<br>(मासिक किराया<br>प्रति वर्ग० मी०) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें<br>(मासिक किराया प्रति वर्ग० मी०) |   |                                       |
|-----------------|---|--|---|---|--|---|---|---------------------------------------|
|                 |   |  |   |   |  | गोदाम   | होटल/गेस्ट<br>हाउस/<br>बारात<br>घर/पेट्रोल<br>पम्प/सिनेमा<br>घर | अस्पताल/<br>धर्मशाला/<br>मनोरंजन स्थल |
| 1               | 2   | 4  | 5   | 8   | 7  | 8   | 9   | 10                                    |
| 8               | मेटाडोर अड्डे से बसेडी अड्डे तक व थाना मोड से लकसर ग्राम तक।  | 3500   | 2500  | 4000  | 65   | 55  | 45  | 40                                    |
| 9               | ग्राम बहादरपुर खादर में ग्राम की प्रारम्भिक सीमा से ग्राम की अन्तिम सीमा तक रुडकी रोड व बसेडी सीधडू रोड पर 200 मीटर तक। | 3150   | 1800  | 3150  | 65   | 55  | 45  | 40                                    |
| 10.             | हरिद्वार रोड से सुलतानपुर स्थित हनुमान चौक (रामनगर चौक) से मुल्की सैनी की दुकान तक।                                     | 4750   | 2700  | 4750  | 65   | 55  | 45  | 40                                    |
| 11              | लक्सरी पुलिया से बहादरपुर होते हुए रुडकी रोड तक।  | 2150   | 1750  | 3100  | 65   | 55  | 45  | 40                                    |
| 12              | तहसील मोड से ग्राम अकौडा मन्दिर तक।   | 3500   | 2400  | 4000  | 50   | 40  | 30  | 25                                    |
| 13              | सोसायटी रोड मोड से सैट थॉमस स्कूल से पूर्व दिशा में जूनियर/हाईस्कूल तहसील होकर रायसी मोड तक।                            | 2250   | 1750  | 3050  | 65   | 55  | 45  | 40                                    |
| 14              | तहसील के दक्षिण घूम से सोसायटी होते हुए इण्टर कालेज तक व पश्चिम दिशा में बालावाली तिराहे तक जाने वाली सड़क।             | 2700   | 2050  | 3850  | 65   | 55  | 45  | 40                                    |

( सूर्य मोहन शर्मा )  
अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

|    |   |      |      |      |    |    |    |    |
|----|---|------|------|------|----|----|----|----|
| 15 | रेलवे फाटक से पश्चिम को जाने वाली सड़क जो शिवपुरी कालोनी से होते हुए वार्ड नं०-2 सतपाल की दुकान तक। | 2900 | 2350 | 4100 | 65 | 55 | 45 | 40 |
| 16 | वार्ड नं०-2 नरोजपुर जाने वाली माल गोदाम रोड व फाटक से 100 मीटर आगे तक।                              | 1800 | 1400 | 2600 | 65 | 55 | 45 | 40 |
| 17 | मेन बाजार से निकलने वाली बसेडी रोड ग्राम बसेडी तक।  | 2200 | 2050 | 3350 | 65 | 55 | 45 | 40 |
| 18 | रायसी व हबीबपुर कुडी में लक्सर बालायाली रोड से रेलवे स्टेशन तक।                                     | 2700 | 2200 | 4000 | 70 | 55 | 45 | 40 |
| 19 | रायसी व हबीबपुर कुडी में लक्सर रोड पर।  | 1800 | 1500 | 2600 | 65 | 55 | 45 | 40 |
| 20 | गोरधनपुर/प्रहलादपुर में पुरकाजी मार्ग व अन्य व्यवसायिक क्षेत्र।                                     | 2400 | 2000 | 3600 | 65 | 55 | 45 | 40 |
| 21 | खानपुर ग्राम में पुरकाजी मार्ग व अन्य व्यवसायिक क्षेत्र।  | 2500 | 2000 | 3600 | 65 | 55 | 45 | 40 |
| 22 | हरिद्वार रोड पर मेटाडोर अड्डे से ग्राम टिकमपुर की सीमा तक।  | 3500 | 2800 | 5100 | 65 | 55 | 45 | 40 |
| 23 | हरिद्वार लक्सर मार्ग से नेहन्दपुर सुठारी मार्ग पर टेलीफोन एक्सचेंज तक।                              | 2400 | 2050 | 3600 | 65 | 55 | 45 | 40 |
| 24 | टेलीफोन एक्सचेंज से जामा मस्जिद।  | 2400 | 2050 | 3600 | 65 | 55 | 45 | 40 |
| 25 | जामा मस्जिद से छोटी मस्जिद तक।  | 1100 | 900  | 1500 | 65 | 55 | 45 | 40 |

  
 ( सूर्य मोहन नौटियाल )  
 अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।




**नगरीय क्षेत्र हेतु प्रपत्र-2**  
**जनपद/नगर/मौहल्ले पर स्थित क्षेत्रों की दरें (रूपये प्रति वर्ग मीटर)**

| क्र० सं० | क्षेत्र                        | सडक से दूरी 50 मीटर तक आवासीय दर (प्रति वर्ग मीटर) | सडक से 50 मी० से अधिक दूरी तक (आवासीय दर) (प्रति वर्ग मीटर) | व्यवसायिक भूमि की दर प्रति वर्ग मी० | दुकान/रेस्टोरेंट/कार्यालय (मासिक किराया प्रति वर्ग० मी०) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें (मासिक किराया प्रति वर्ग० मी०) |  |                               |
|----------|--------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------|
|          |                                |  |   |                                     |  | गोदाम  | होटल/गेस्टहाउस/बारात घर/पेट्रोल पम्प/सिनेमा घर | अस्पताल/धर्मशाला/मनोरंजन स्थल |
| 1        | 2                              | 3  | 4   | 5                                   | 6  | 7  | 8  | 9                             |
| 1        | अम्बेडकर नगर ( वार्ड नं० 01 )  | 1950   | 1700  | 3000                                | 70   | 60   | 50   | 45                            |
| 2        | सीमली ( वार्ड नं० 02 )         | 3150   | 3000  | 4850                                | 70   | 60   | 50   | 45                            |
| 3        | शिवपुरी ( वार्ड नं० 03 )       | 2600   | 2050  | 4000                                | 70   | 60   | 50   | 45                            |
| 4        | लक्सरी ( वार्ड नं० 04 )        | 2650   | 2300  | 3750                                | 70   | 60   | 50   | 45                            |
| 5        | टादर्श कालोनी ( वार्ड नं० 05 ) | 2650   | 2300  | 4100                                | 70   | 60   | 50   | 45                            |
| 6        | मेन बाजार ( वार्ड नं० 06 )     | 3400   | 2500  | 4900                                | 70   | 60   | 50   | 45                            |
| 7        | लक्सर पूर्वी ( वार्ड नं० 07 )  | 2050   | 1800  | 3100                                | 70   | 60   | 50   | 45                            |
| 8        | आजाद नगर ( वार्ड नं० 08 )      | 3150   | 2650  | 4500                                | 75   | 65   | 55   | 50                            |
| 9        | केशव नगर ( वार्ड नं० 09 )      | 2350   | 2100  | 3450                                | 70   | 60   | 50   | 45                            |

( सूर्य मोहब् नोटियाल )  
अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

**अर्द्धनगरीय क्षेत्र हेतु प्रपत्र-3**  
**अ-नगरीय क्षेत्र के अन्दर दरें (रूपये प्रति वर्ग मीटर)**


| क्र<br>0<br>सं<br>0 | क्षेत्र  | सिंचित दर<br>प्रति है० | असिंचित दर<br>प्रति है० | 1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तरण के<br>लिए निर्धारित दरें (रू० प्रति वर्ग मी०) |                              |                               |                               | व्यवसायिक<br>भूमि की<br>दर<br>प्रति वर्ग<br>मी० | दुकान/<br>रेस्टोरेंट<br>/<br>कार्यालय<br>(मासिक<br>किराया<br>प्रति वर्ग०<br>मी०) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें<br>(मासिक किराया प्रति वर्ग० मी०) |   |   |
|---------------------|--|------------------------|-------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|--|---|---|---|
|                     |  | निर्धारित दर           | निर्धारित दर            | 500 वर्ग<br>मी० तक   | 500 वर्ग<br>मी० तक           | 501 से<br>1000 वर्ग<br>मी० तक | 501 से<br>1000 वर्ग<br>मी० तक |   |  | गोदाम   | होटल/<br>गेस्ट<br>हाउस/<br>बारात<br>घर/<br>पेट्रोल<br>पम्प/<br>सिनेमा<br>घर | अस्पता<br>ल/<br>धर्मशाला<br>/<br>मनोरंज<br>न स्थल |
|                     |  |                        |                         | सड़क से<br>100 मी०<br>तक   | सड़क से<br>100 मी०<br>से आगे | सड़क से<br>100 मी०<br>तक      | सड़क से<br>100 मी०<br>से आगे  |   |  |   |   |   |
| 1                   | 2  | 3                      | 4                       | 5  | 6                            | 7                             | 8                             | 9   | 10   | 11  | 12  | 13  |
| 1                   | लकसर   | 996000                 | 996000                  | 1700   | 1550                         | 1600                          | 1500                          | 2400  | 50   | 40  | 40  | 35  |
| 2                   | लकसर के खसरा नम्बर 9 से 17, 33 से 36, 39, 40, 72, 73, 74, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 65, 66, 92, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 33, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 41, 33, 28, 25, 27, 28, 76, 78, 70, 71, 73, 67 91, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 117, 8, 10, 16, | 1430000                | 1430000                 | 2300   | 2150                         | 2200                          | 2100                          | 2850  | 75   | 55  | 50  | 45  |
| 3                   | लकसरी  | 996000                 | 996000                  | 1050   | 950                          | 1000                          | 900                           | 1400  | 55   | 45  | 40  | 35  |

( सूर्य मोहन  भौटियाल )  
अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

|    |  |         |         |      |      |      |      |      |    |    |    |    |
|----|--|---------|---------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|
| 4  | लक्सरी के खसरा नम्बर<br>8,9,25,28से 33,37,40से<br>57,61,62,64,69,73,74,75,76,77,78,से<br>90,96,100 , 115से120,131से 137,<br>4,5,6,7,18,20,21,23,24,26,27,91,92,93,<br>94,95,97,98,99,101.  | 1320000 | 1320000 | 2000 | 1850 | 1900 | 1800 | 2400 | 75 | 65 | 60 | 55 |
| 5  | अकोढा औरंगजेबपुर   | 950000  | 950000  | 1250 | 1150 | 1200 | 1100 | 2300 | 65 | 55 | 50 | 45 |
| 6  | अकोढा औरंगजेबपुर के खसरा नम्बर<br>105, 107, 110, 86, 67, 68, 69, 71, 72, 73,<br>74, 82, 83, 84, 85, 86, 105, 106, 110,115,<br>116, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 128,<br>129, 146, 153 154, 155, 158, 165, 186,<br>168, 169, 160, 181, 162, 163, 184, 165,<br>186, 168, 169, 180, 181, 184, 165, 186,<br>213, 214, 92,93,94,113,114. | 1365000 | 1365000 | 2250 | 2150 | 2200 | 2100 | 2700 | 65 | 55 | 50 | 45 |
| 7  | नरुरुल्लापुर   | 950000  | 950000  | 1500 | 1400 | 1450 | 1350 | 2000 | 60 | 50 | 45 | 40 |
| 8  | शेखपुरी  | 1080000 | 1080000 | 1800 | 1700 | 1750 | 1650 | 2600 | 75 | 55 | 50 | 45 |
| 9  | शेखपुरी के खसरा नम्बर 34, 42, 43, 44,<br>47, 48, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 68,<br>69, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 82,<br>83, 85, 86, 45, 54, 57, 59, 68, 69, 70,<br>58,,70,73.   | 1350000 | 1350000 | 2500 | 2400 | 2450 | 2300 | 3400 | 75 | 55 | 50 | 40 |
| 10 | बहादुरपुर खादर   | 1050000 | 1050000 | 1100 | 1000 | 1050 | 950  | 1500 | 60 | 50 | 45 | 40 |

( सूर्य मोहन नौटियाल )  
अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

|    |  |         |         |      |      |      |      |      |    |    |    |    |
|----|--|---------|---------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|
| 11 | बहादुरपुर खादर के खसरा नम्बर 30, 31, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 48, 50, 128, 129, 131, 132, 172, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 205, 206, 207, 212, 213, 242, 243, 244, 247, 248, 249, 34, 35, 56, 130, 149, 201, 208, 241  | 1030000 | 1030000 | 1600 | 1500 | 1550 | 1450 | 2200 | 60 | 50 | 45 | 40 |
| 12 | बसेडी खादर   | 1020000 | 1020000 | 1050 | 950  | 1000 | 900  | 1400 | 60 | 50 | 45 | 40 |
| 13 | बसेडी खादर के खसरा नम्बर 30, 31, 38, 41, 42, 43, 53/1, 55, 56, 57, से 61, 62, 63, 68, 71, 72, 74, 77, 76, 81, 82, 83, 85, 91, 93, 94, 98, 99 से 103 तक, 104 से 109 तक, 152, 196 से 203 तक, 133, 137, 138, 139, 126, 219, 220 से 226 तक 244, 246, 247, 131  | 1235000 | 1235000 | 1500 | 1400 | 1450 | 1350 | 2150 | 60 | 50 | 45 | 40 |
| 14 | पुन्डेरपुर उर्फ पीपली  | 950000  | 950000  | 900  | 800  | 850  | 750  | 1450 | 55 | 45 | 40 | 30 |
| 15 | पुन्डेरपुर उर्फ पीपली के खसरा नम्बर 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 25, 34, 36, 37, 38, 51, 54, 55, 29, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 55, 57, 59, 60, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 100, 106, 108, 153, 154, 366  | 1180000 | 1180000 | 1500 | 1400 | 1450 | 1350 | 1500 | 60 | 50 | 45 | 40 |
| 16 | केहडा  | 1180000 | 1180000 | 1300 | 1100 | 1200 | 1050 | 1850 | 55 | 45 | 40 | 35 |
| 17 | केहडा के खसरा नम्बर 3, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 21, 1, 2, 3, 6, 8, 18, 21, 22, 80, 81, 83 से 88, 90, 97, 98, 99, 103, 104, 215, 214, 192, 190, 193, 209, 210, 211, 219, 222, 239, 225, 228, 227, 230, 231, 232, 234, 237, 239, 76, 77, 78, 79, 98, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 89, 105, 106, 186, 187, 188, 189, 191, 194. | 1360000 | 1360000 | 2250 | 2150 | 2200 | 2100 | 2700 | 65 | 55 | 50 | 45 |
| 18 | नगला खिताब   | 950000  | 950000  | 750  | 650  | 700  | 600  | 900  | 55 | 45 | 40 | 35 |

  
 ( सूर्य मोहन बट्टियाल )  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

|    |   |         |         |      |      |      |      |      |    |    |    |    |
|----|---|---------|---------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|
| 19 | रायपुर  | 950000  | 950000  | 750  | 650  | 700  | 600  | 900  | 55 | 45 | 40 | 35 |
| 20 | सेठपुर  | 950000  | 950000  | 950  | 800  | 850  | 750  | 1100 | 55 | 45 | 40 | 35 |
| 21 | सीमली   | 1290000 | 1290000 | 1200 | 1100 | 1150 | 1050 | 1400 | 45 | 35 | 30 | 25 |
| 22 | सीमली के खसरा नं०<br>28 से 32, 42, 45, 48, 49, 132, 259, 258,<br>83 से 102, 120 से 129, 131 से 212, 248,<br>249, 251, 252, 253, 254, 258, 380/228 से<br>32, 42, 45, 48, 49, 132, 259, 258, 83 से<br>102, 120 से 129, 131 से 212, 248, 249,<br>251, 252, 253, 254, 258, 380/2, 120 से<br>123 तक 129, 178 | 1500000 | 1500000 | 1750 | 1650 | 1700 | 1600 | 2550 | 65 | 55 | 50 | 45 |
| 23 | नरोजपुर   | 950000  | 950000  | 750  | 650  | 700  | 600  | 900  | 55 | 45 | 40 | 35 |
| 24 | मुटकाबाद  | 950000  | 950000  | 750  | 650  | 700  | 600  | 900  | 55 | 45 | 40 | 35 |
| 25 | मुटकाबाद के खसरा नम्बर 3, 4, 6, 63,<br>65   | 1180000 | 1180000 | 1000 | 900  | 950  | 850  | 1200 | 55 | 45 | 40 | 35 |
| 26 | सलेमपुर बक्काल  | 1200000 | 1200000 | 1450 | 1350 | 1400 | 1300 | 2100 | 50 | 40 | 35 | 30 |
| 27 | सलेमपुर बक्काल<br>1 से 21 तक, 24, 26, 27, 40 से 43 तक, 47<br>से 53<br>तक, 68, 69, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 8<br>4, 85, 86, 87, 90, 91,<br>98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106<br>, 111, 112, 116, 117  | 1550000 | 1550000 | 1950 | 1850 | 1900 | 1800 | 2700 | 55 | 45 | 40 | 35 |

( सूर्य मोहन चौटियाल )  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

**नगरीय क्षेत्र हेतु प्रपत्र-4**  
**ग्रामीण क्षेत्रों की दरें (रूपये प्रति वर्ग मीटर)**


| क्र० सं०     | क्षेत्र   | सिंघित दर प्रति हे० | असिंघित दर प्रति हे०   | 1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तर्ण के लिए निर्धारित दरें (रु० प्रति वर्ग मी०) |                        |                         |                         | व्यवसायिक भूमि की दर (प्रति वर्ग मी० में) | दुकान/ रेस्टोरेंट / कार्यालय (मासिक किराया प्रति वर्ग० मी०) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें (मासिक किराया प्रति वर्ग० मी०) |   |                                   |
|--------------|---|---------------------|------------------------|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---|--|---|-----------------------------------|
|              |   |                     |                        | 500 वर्ग मी० तक  | 500 वर्ग मी० तक        | 501 से 1000 वर्ग मी० तक | 501 से 1000 वर्ग मी० तक |   |   | गोदाम  | होटल/ गेस्ट हाउस/ बारात घर/पेट्टो ल पम्प/ सिनेमा घर | अस्पताल / धर्मशाला / मनोरंजन स्थल |
| निर्धारित दर | निर्धारित दर  | सड़क से 100 मी० तक  | सड़क से 100 मी० से आगे | सड़क से 100 मी० तक   | सड़क से 100 मी० से आगे | सड़क से 100 मी० तक      | सड़क से 100 मी० से आगे  |   |   |  |   |                                   |
| 1            | 2   | 3                   | 4                      | 5  | 6                      | 7                       | 8                       | 9   | 10  | 11   | 12  | 13                                |
| 1            | सुल्तानपुर आदमपुर   | 690000              | 6900000                | 1400   | 1300                   | 1350                    | 1250                    | 2000                                      | 55  | 45   | 40  | 35                                |
| 2            | सुल्तानपुर आदमपुर मार्ग के खसरा नम्बर 124, 125, 122, 121, 119, 118, 117, 116, 115, 112, 111, 108, 107, 105, 103, 61, 66, 98, 97, 96, 93, 128, 159   | 860000              | 860000                 | 1950   | 1850                   | 1900                    | 1800                    | 2700                                      | 55  | 45   | 40  | 35                                |
| 3            | रायसी   | 595000              | 595000                 | 1050   | 950                    | 1000                    | 900                     | 1450                                      | 55  | 45   | 40  | 35                                |
| 4            | रायसी के खसरा नम्बर 960, 963, 991, 992, 994, 960/1094, 961, 958, 957, 935, 934, 933, 933/1093, 927, 925/1092, 718, 721, 736, 737, 738, 752, 753, 800, 804 से 806, 799, 808, 827, 831, 833, 834, 820, 819, 818, 817, 819, 820, 807, 743, 910, 913, 915, 922, 924, 926, 927/1092, 744, 746, 747, 1014, 1015, 1016, 996, 995, 993, 992 | 750000              | 750000                 | 1500   | 1400                   | 1450                    | 1350                    | 1900                                      | 55  | 45   | 40  | 35                                |
| 5            | हबीबपुर कुडी  | 595000              | 595000                 | 1050   | 950                    | 1000                    | 900                     | 1450                                      | 55  | 45   | 40  | 35                                |

( सूर्य मोहन नोटियाल )  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

|    |   |        |        |      |      |      |      |      |    |    |    |    |
|----|---|--------|--------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|
| 8  | हबीबपुर कुडी के खसरा नम्बर<br>18,20,32,34,35,38,41,42,43,46,92,93,94,95,96,1<br>01,106,107,108,115,156,157,154,145,146,196,1<br>97,196,199,200,290,292,296,298,222,223,224,4<br>15,416,417,416,419,420,513,514,515,516,517,5<br>18,519,154,520,602,603,608,610,615,618,672,8<br>05,679,680,688,694,695,759,761,779,783,789,8<br>00,848,847,848,851,852,853,854,855,856,857,8<br>87,888,890,891,892,893,902,903,904,921,922,9<br>23,935,953,955,956, 958 | 775000 | 775000 | 1550 | 1450 | 1500 | 1400 | 2000 | 60 | 50 | 45 | 40 |
| 7  | गोरघनपुर  | 540000 | 540000 | 1150 | 1050 | 1100 | 1000 | 1650 | 65 | 55 | 50 | 45 |
| 8  | गोरघनपुर के खसरा नम्बर<br>13,17,18,100,96,99 / 1,95,94,96,90½,<br>92,88,87,76,77,78,79,80,102,103,104,106,107,1<br>08,127,128,129,130,132,134 / 1,134 / 2,139,1<br>41,19,16,99 / 2  | 775000 | 775000 | 1550 | 1450 | 1500 | 1400 | 2000 | 60 | 50 | 45 | 40 |
| 9  | खानपुर/प0 गोरघनपुर  | 540000 | 540000 | 1100 | 1000 | 1050 | 950  | 1600 | 65 | 55 | 50 | 45 |
| 10 | खानपुर/प0 गोरघनपुर के खसरा नम्बर<br>3,4,5, 13, 14, 15, 16,17,86, 315,316,<br>318,302, , 304, 305, 306, 308,<br>273,265, 266 से 272, 228 से<br>232,218,219, 220 से 224,226, 502,<br>504,505,506, 528, 210, 211,<br>206,191, 193,188, 187, 184, 319 से<br>337 तक 388, 392, 409 से 411 तक<br>432,433,434,435, 437,438, 439,440,<br>441, 443 से 451, 469, 470, 479,<br>480,488, 300,303,264,263,234   | 680000 | 680000 | 1550 | 1450 | 1500 | 1400 | 2050 | 65 | 55 | 50 | 45 |


( सूर्य मोहन नौटियाल )  
अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

|    |   |        |        |      |      |      |      |      |    |    |    |    |
|----|---|--------|--------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|
| 11 | भिककमपुर जीतपुर   | 545000 | 545000 | 1000 | 900  | 950  | 850  | 1350 | 55 | 45 | 40 | 35 |
| 12 | निरंजनपुर   | 595000 | 595000 | 1050 | 950  | 1000 | 900  | 1450 | 55 | 45 | 40 | 35 |
| 13 | खडन्जा कुतुबपुर   | 660000 | 660000 | 1000 | 950  | 980  | 920  | 1400 | 55 | 45 | 40 | 35 |
| 14 | खडन्जा कुतुबपुर<br>के खसरा नम्बर<br>374, 376, 377, 385,386, 343, 344,<br>336, 329, 328, 324, 323, 316,<br>314,315, 308,307, 306, 305, 304,<br>301, 300, 388, 394, 395, 396, 397,<br>418, 426, 427,429, 422, 334,<br>725,726, 727,728, 729, 732, 87, 88,<br>93, 94, 96, 90, 99, 100, 102, 103, 8,<br>25, 85, 84, 80, 128, 129, 255, 257,<br>278, 38, 40 से लेकर 45, 62 से 66 तक,<br>68, 158, 177, 172, 173, 170, 178,<br>194 से 197 तक, 200 से 203 तक, 220 | 810000 | 810000 | 1550 | 1450 | 1500 | 1400 | 2200 | 65 | 55 | 50 | 45 |
| 15 | मुण्डाखेडा खुर्द  | 690000 | 690000 | 1050 | 980  | 1020 | 950  | 1450 | 55 | 45 | 40 | 35 |
| 16 | मुण्डाखेडा खुर्द के खसरा नम्बर<br>46,48,50, 51, 52, 53, 58, 59, 63,65,<br>80 से 84, 86, 87, 108,109, 14, 17, 20,<br>22, 23, 24, 25,57, 61, 70, 71, 110,<br>111, 113, 114, 143, 142,141, 140,<br>116, 117, 119, 120, 122, 123,137,<br>134, 138,139,168   | 850000 | 850000 | 1550 | 1450 | 1500 | 1400 | 2200 | 65 | 55 | 50 | 45 |

( सूर्य मोहन टियाल )  
अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।




|    |  |        |        |      |      |      |      |      |    |    |    |    |
|----|--|--------|--------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|
| 17 | बुक्कनपुर  | 660000 | 660000 | 900  | 800  | 850  | 750  | 1200 | 45 | 35 | 30 | 25 |
| 18 | ऐथल बुजुर्ग  | 660000 | 660000 | 900  | 800  | 850  | 750  | 1200 | 45 | 35 | 30 | 25 |
| 19 | गंगनौली  | 690000 | 690000 | 900  | 800  | 850  | 750  | 1250 | 45 | 35 | 30 | 25 |
| 20 | गंगनौली के खसरा नम्बर<br>140, 141, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 37,<br>38, 41, 47, 48,49,50, 52, 59, 54,55,<br>61, 62,63,64,65,111, 115, 116, 117,<br>143,145, 146, 148, 149,150, 151,<br>221   | 850000 | 850000 | 1200 | 1100 | 1150 | 1050 | 1800 | 55 | 45 | 40 | 35 |
| 21 | प्रहलादपुर   | 410000 | 410000 | 900  | 800  | 850  | 750  | 1250 | 45 | 35 | 30 | 25 |
| 22 | प्रहलादपुर के खसरा नम्बर<br>348, 355,356, 357,359, 362,363,<br>364, 365, 367, 368, 369,370,<br>371,372, 388, 389, 390, 391, 392,<br>394,396, 397, 399, 400, 401, 404,<br>405,406,407, 408,417,418,419,420,<br>421, 422,423, 424, 425, 426, 484,<br>485, 505, 508, 507, 561, 565, 567,<br>574,575, 576,577, 584, 598,<br>562,563, 568,620, 621, 622, 624,<br>647, 659, 658, 657, 663, 664, 666,<br>667, 669, 670, 683,686, 687, 688,<br>689, 690, 691, 692, 694, 695, 699,<br>662, 701, 705, 712, 713,714,<br>716,717, 719, 720, 724, 726 | 520000 | 520000 | 1200 | 1100 | 1150 | 1050 | 1800 | 45 | 35 | 30 | 25 |
| 23 | मौठपुर बुजुर्ग मुस्तकम   | 660000 | 660000 | 900  | 800  | 850  | 750  | 1200 | 45 | 35 | 30 | 25 |

  
 ( सूर्य मोहन )  
 अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।


|    |   |        |        |      |      |      |     |      |    |    |    |    |
|----|---|--------|--------|------|------|------|-----|------|----|----|----|----|
| 24 | मोठपुर बुजुर्ग अहतमल  | 660000 | 660000 | 850  | 780  | 800  | 750 | 1100 | 40 | 30 | 25 | 20 |
| 25 | मोठपुर बुजुर्ग मुस्तकम के खसरा नम्बर<br>101,102,104,106,107,108,111,156, 166,<br>168, 169,170, 186, 188, 189, 190, 191,<br>192,193, 196, 198, 199, 200, 201, 202,203,<br>204,205,             | 780000 | 780000 | 1100 | 1000 | 1050 | 950 | 1500 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 26 | डौसनी   | 660000 | 660000 | 900  | 800  | 850  | 750 | 1200 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 27 | डौसनी के खसरा नम्बर<br>3,4,13,14,15,21, 27, 28,29, 30, 62,<br>63, 67,68, 69   | 780000 | 780000 | 1100 | 1000 | 1050 | 950 | 1500 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 28 | हुसैनपुर  | 660000 | 660000 | 850  | 780  | 820  | 750 | 1200 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 29 | हुसैनपुर के खसरा नम्बर<br>10, 11, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45,<br>94, 95, 96, 97, 98,100, 102,103, 163,<br>164, 166, 174, 175, 176, 177, 178   | 780000 | 780000 | 1100 | 1000 | 1050 | 950 | 1500 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 30 | दयालपुर   | 540000 | 540000 | 800  | 760  | 780  | 740 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 31 | दयालपुर के खसरा नम्बर<br>67, 69, 70, 73,74,102,103, 104,<br>118,119,129,130,131, 132, 133,<br>134,135,136,138, 141 से 151, तक ,173,177,<br>178,179,180,181,127,128,125,123,124,154,1<br>55,68 | 680000 | 680000 | 1100 | 1000 | 1050 | 950 | 1500 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 32 | तुगलपुर   | 570000 | 570000 | 800  | 760  | 780  | 740 | 1200 | 45 | 35 | 30 | 30 |

( सूर्य मोहचं प्रौटियाल )  
अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

|    |  |        |        |      |      |      |      |      |    |    |    |    |
|----|--|--------|--------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|
| 33 | तुगलपुर के खसरा नम्बर 8,9, 32,36, 37,38, 44,45,46, 48, 49, 50, 51,52,55, 57,58, 59,62,63,64,65,66, 67,76,77,78,79,81,68,69,70,74,80,82,83 , 84,86, 87, 88, 89,90, 91, 92, 93,94,95,96, 99,100,119, 120, 121,146, 147, 164, 165, 166,167,169,170 से 173 तक 178,179, 180, 181,110,122,47 | 715000 | 715000 | 1200 | 1100 | 1150 | 1050 | 1550 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 34 | राजपुर   | 560000 | 560000 | 850  | 800  | 820  | 770  | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 35 | राजपुर के खसरा नम्बर 10, 15, 17, 19, 70, 88, 89, 93, 94, 100/1012, 102, 105, 107, 108, 109, 110 से 118/1120, 121, 128 से 132,138, 139, 141, 168, 170, 171, 176, 177, 191   | 710000 | 710000 | 1200 | 1100 | 1150 | 1050 | 1550 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 36 | महाराजपुर कर्ली  | 570000 | 570000 | 850  | 780  | 800  | 750  | 1200 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 37 | रसूलपुर उर्फ कंकरखाता  | 540000 | 540000 | 850  | 780  | 800  | 750  | 1200 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 38 | खानपुर/प० ज्वालापुर  | 540000 | 540000 | 950  | 880  | 900  | 850  | 1350 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 39 | बाकरपुर  | 560000 | 560000 | 850  | 780  | 800  | 750  | 1200 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 40 | महतौली   | 540000 | 540000 | 850  | 780  | 800  | 750  | 1200 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 41 | सुठारी   | 540000 | 540000 | 1000 | 900  | 950  | 850  | 1300 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 42 | अलावलपुर   | 630000 | 630000 | 1000 | 900  | 950  | 850  | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |

  
 ( सूर्य मोहन नौटियाल )  
 अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

| परगना ज्वालापुर, के ग्राम |                  |        |        |     |     |     |     |      |    |    |    |    |
|---------------------------|------------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|------|----|----|----|----|
| 43                        | अकोढा मुकर्मतपुर | 660000 | 660000 | 900 | 800 | 850 | 750 | 1200 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 44                        | बिजोपुरा         | 660000 | 660000 | 900 | 800 | 850 | 750 | 1200 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 45                        | जैतपुर           | 660000 | 660000 | 900 | 800 | 850 | 750 | 1200 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 46                        | जलाल माजरा       | 660000 | 660000 | 900 | 800 | 850 | 750 | 1200 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 47                        | कुडी             | 660000 | 660000 | 900 | 800 | 850 | 750 | 1200 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 48                        | खेडी खुर्द       | 660000 | 660000 | 900 | 800 | 850 | 750 | 1200 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 49                        | मुण्डाखेडा कलाँ  | 660000 | 660000 | 900 | 800 | 850 | 750 | 1200 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 50                        | सुखी चक          | 660000 | 660000 | 900 | 800 | 850 | 750 | 1200 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 51                        | हिरनाखेडी        | 660000 | 660000 | 900 | 800 | 850 | 750 | 1200 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 52                        | बुढाखेडा मीमला   | 715000 | 715000 | 900 | 800 | 850 | 750 | 1200 | 45 | 35 | 30 | 30 |

  
 ( सूर्य मोहन नौटियाल )  
 अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

|    |   |        |        |      |      |      |      |      |    |    |    |    |
|----|---|--------|--------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|
| 53 | तिगरी   | 660000 | 660000 | 900  | 800  | 850  | 750  | 1200 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 54 | फतेहपुर जुनार   | 660000 | 660000 | 900  | 800  | 850  | 750  | 1200 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 55 | फतेहपुर चमार  | 660000 | 660000 | 900  | 800  | 850  | 750  | 1200 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 56 | ईस्माइलपुर  | 660000 | 660000 | 900  | 800  | 850  | 750  | 1200 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 57 | मुबारिकपुर अलीपुर   | 660000 | 660000 | 900  | 800  | 850  | 750  | 1200 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 58 | अकबरपुर ऊद  | 715000 | 715000 | 900  | 800  | 850  | 750  | 1200 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 59 | अकबरपुर ऊद के खसरा नम्बर<br>57, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 69,<br>103, 104, 897/104,105,106,107,<br>114, 115, 116, 142, 145,898/214,<br>146, 149, 173, 174, 175, 176,<br>177, 178, 179, 180, 200, 201,<br>209, 210, 211, 213,215,217,<br>218,220,250,267, 234,235, 232,<br>228, 222, 221,<br>219,475,482,486,488, 487,<br>490,491,500, 501, 224,<br>225,524,525 58,58,<br>59,208,263,216,528 | 890000 | 890000 | 1150 | 1050 | 1100 | 1000 | 1700 | 45 | 35 | 30 | 30 |

( सूर्य मोहनी नौटियाल )  
अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।


|    |                        |        |        |     |     |     |     |      |    |    |    |    |
|----|------------------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|------|----|----|----|----|
| 60 | मुजफरपुर गुजरा         | 540000 | 540000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 61 | बरमपुर                 | 540000 | 540000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 62 | मुसाहिबपुर             | 540000 | 540000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 68 | भगतनपुर मजरा निरंजनपुर | 540000 | 540000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 64 | दरगाहपुर               | 540000 | 540000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 65 | डुंगरपुर               | 540000 | 540000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 68 | ओसपुर                  | 540000 | 540000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 67 | प्रतापपुर              | 540000 | 540000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 68 | पुरवाला बिरसगपुर       | 540000 | 540000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 69 | बहालपुरी               | 540000 | 540000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |

( सूर्य मोह्य नौटियाल )  
अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

|    |                         |        |        |     |     |     |     |      |    |    |    |    |
|----|-------------------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|------|----|----|----|----|
| 70 | बिचपडी                  | 540000 | 540000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 71 | ज्वाहरखान उर्फ झीवरहेडी | 540000 | 540000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 72 | केशोवाला उर्फ लडौला     | 540000 | 540000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 73 | मौहम्मदपुर जमापुर       | 540000 | 540000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 74 | नेहन्दपुर               | 540000 | 540000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 75 | पंचेवली                 | 540000 | 540000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 76 | प्रेमपुर उर्फ लडौली     | 540000 | 540000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 77 | फिदाईपुर                | 540000 | 540000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |


( सूर्य मोहन नौटियाल )  
अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

|    |  |        |        |      |      |      |      |      |    |    |    |    |
|----|--|--------|--------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|
| 78 | नैतवाला सैदाबाद  | 540000 | 540000 | 850  | 780  | 800  | 750  | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 79 | नैतवाला सैदाबाद के खसरा नम्बर<br>54, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65,<br>66,77, 80, 88, 89, 90, 96,97, 99,<br>100, 101,102, 103, 104,379, 367,<br>370, 373, 375, 377, 358,<br>354,356,365, 113, 112, 107,106,<br>219, 266,267, 229,231,<br>235,396,359,360, 362,319,<br>321,338, 339, 340, 343, 306,<br>307,310, 314,315,<br>317,367,480,483, 484, 485, 487 | 710000 | 710000 | 1150 | 1050 | 1100 | 1000 | 1550 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 80 | मुजफ्फरपुर गुजरा जदीद  | 380000 | 380000 | 850  | 780  | 800  | 750  | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 81 | फतवा मुस्तकम   | 400000 | 400000 | 850  | 780  | 800  | 750  | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 82 | फतवा अहतमाल  | 380000 | 380000 | 850  | 780  | 800  | 750  | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 83 | गंगदासपुर मुस्तकम  | 380000 | 380000 | 850  | 780  | 800  | 750  | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 84 | गंगदासपुर अहतमाल   | 380000 | 380000 | 850  | 780  | 800  | 750  | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |


  
 ( सूर्य मोहन नौटियाल )  
 अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।




|    |                       |        |        |     |     |     |     |      |    |    |    |    |
|----|-----------------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|------|----|----|----|----|
| 85 | जसपुर रणजीतपुर        | 415000 | 415000 | 900 | 800 | 850 | 750 | 1300 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 86 | महाराजपुर खुर्द       | 415000 | 415000 | 900 | 800 | 850 | 750 | 1300 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 87 | रामपुर रायघटी अहतमाल  | 415000 | 415000 | 900 | 800 | 850 | 750 | 1300 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 88 | रामपुर रायघटी मुस्तकम | 400000 | 400000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1300 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 89 | शिवपुरी मुस्तकम       | 415000 | 415000 | 900 | 800 | 850 | 750 | 1300 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 90 | शिवपुरी अहतमाल        | 415000 | 415000 | 900 | 800 | 850 | 750 | 1300 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 91 | जसपुर रणजीतपुर        | 415000 | 415000 | 900 | 800 | 850 | 750 | 1300 | 45 | 35 | 30 | 30 |

  
 ( सूर्य मोहं नौटियाल )  
 अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।


| परगना गोरधनपुर, के ग्राम |                        |        |        |     |     |     |     |      |    |    |    |    |
|--------------------------|------------------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|------|----|----|----|----|
| 92                       | कानेवाली रायसिंह       | 540000 | 540000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 93                       | माजरी                  | 540000 | 540000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 94                       | मोहम्मदपुर             | 540000 | 540000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 95                       | महेशवरा                | 540000 | 540000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 96                       | लालचन्दवाला            | 590000 | 590000 | 900 | 800 | 820 | 850 | 1250 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 97                       | मिजापुर सादात          | 540000 | 540000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 98                       | मिजापुर उर्फ मोहनावाला | 620000 | 620000 | 900 | 800 | 820 | 850 | 1250 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 99                       | न्यामतपुर              | 540000 | 540000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |

  
 ( सूर्य मोहन नैटियाल )  
 अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।


|     |                |        |        |     |     |     |     |      |    |    |    |    |
|-----|----------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|------|----|----|----|----|
| 100 | हस्तमौली       | 540000 | 540000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 101 | भोवावाली       | 570000 | 570000 | 900 | 800 | 820 | 850 | 1250 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 102 | सिकन्दपुर      | 540000 | 540000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 103 | चन्दपुरी       | 540000 | 540000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 104 | अब्दुल रहीमपुर | 540000 | 540000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 105 | भारुवाला       | 540000 | 540000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 106 | बहादुरपुर      | 540000 | 540000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 107 | अब्दीपुर       | 540000 | 540000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |

  
 ( सूर्य मोहन नौटियाल )  
 अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।


|     |   |        |        |      |      |      |      |      |    |    |    |    |
|-----|---|--------|--------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|
| 108 | असगरपुर   | 540000 | 540000 | 850  | 780  | 800  | 750  | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 109 | बालचन्दवाला   | 540000 | 540000 | 850  | 780  | 800  | 750  | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 110 | घर्मपुर   | 540000 | 540000 | 850  | 780  | 800  | 750  | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 111 | टाण्डा जलालपुर  | 540000 | 540000 | 850  | 780  | 800  | 750  | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 112 | टाण्डा जलालपुर के खसरा नम्बर 164, 165, 170, 171,172, 178, 180, 189, 195, 196,198, 200 | 630000 | 630000 | 1150 | 1050 | 1100 | 1000 | 1400 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 113 | सहीपुर  | 378000 | 378000 | 850  | 780  | 800  | 750  | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 114 | मथाना   | 378000 | 378000 | 850  | 780  | 800  | 750  | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 115 | मदारपुर   | 378000 | 378000 | 850  | 780  | 800  | 750  | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 116 | आलमपुर  | 378000 | 378000 | 850  | 780  | 800  | 750  | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |

  
 ( सूर्य मोहन मोटियाल )  
 अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।


|     |  |        |        |      |      |      |     |      |    |    |    |    |
|-----|--|--------|--------|------|------|------|-----|------|----|----|----|----|
| 117 | याहियापुर                              | 378000 | 378000 | 850  | 780  | 800  | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 118 | शाहपुर                                 | 378000 | 378000 | 850  | 780  | 800  | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 119 | शाहपुर के खसरा नं 0<br>180,181,182,183 | 540000 | 540000 | 1100 | 1000 | 1050 | 950 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 120 | पीडोवाली                               | 378000 | 378000 | 850  | 780  | 800  | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 121 | रुहालकी                                | 378000 | 378000 | 850  | 780  | 800  | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 122 | इब्राहीमपुर                            | 378000 | 378000 | 850  | 780  | 800  | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 123 | करनपुर                                 | 378000 | 378000 | 850  | 780  | 800  | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 124 | इदरीशपुर                               | 320000 | 320000 | 850  | 780  | 800  | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |

  
 ( सूर्य मोहम नौटियाल )  
 अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।


|     |                         |        |        |     |     |     |     |      |    |    |    |    |
|-----|-------------------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|------|----|----|----|----|
| 125 | बादशाहपुर               | 320000 | 320000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 126 | चखेरी                   | 320000 | 320000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 127 | कलसिया                  | 320000 | 320000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 128 | माडावेला                | 320000 | 320000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 129 | रघुनाथपुर उर्फ बालावाली | 360000 | 360000 | 950 | 850 | 900 | 800 | 1300 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 130 | चन्द्रपुरी खादर         | 320000 | 320000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 131 | मंसूरपुर उर्फ कपूरों    | 360000 | 360000 | 950 | 850 | 900 | 800 | 1300 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 132 | शेरपुर बेला             | 320000 | 320000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |

  
 ( सूर्य मोहन चौधरी )  
 अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

|     |                               |        |        |      |     |     |     |      |    |    |    |    |
|-----|-------------------------------|--------|--------|------|-----|-----|-----|------|----|----|----|----|
| 133 | शेरपुर बेला महाजी हिरदेरामपुर | 320000 | 320000 | 850  | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 134 | गिद्धावाली                    | 340000 | 340000 | 900  | 800 | 850 | 750 | 1200 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 135 | दूधला                         | 320000 | 320000 | 850  | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 136 | कवलपुर                        | 320000 | 320000 | 850  | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 137 | जोगावाला                      | 380000 | 380000 | 1000 | 900 | 950 | 850 | 1400 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 138 | छल्लावाला                     | 320000 | 320000 | 850  | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 139 | झीवरहेडी                      | 320000 | 320000 | 850  | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 140 | बनूवाला                       | 320000 | 320000 | 850  | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |


  
 ( सूर्य मोहन मोटियाल )  
 अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

| परगना मंगलौर, के ग्राम |                       |        |        |     |     |     |     |      |    |    |    |    |
|------------------------|-----------------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|------|----|----|----|----|
| 141                    | भुरनी खतीरपुर         | 660000 | 660000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 142                    | दाबकी कलौं            | 660000 | 660000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 143                    | ढाढेकी ढाणा मजाहिदपुर | 660000 | 660000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 144                    | कासमपुर नवादा मुस्तकम | 660000 | 660000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 145                    | कुओखेडा मुस्तहकम      | 660000 | 660000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 146                    | लादपुर कलौं मुस्तकम   | 660000 | 660000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 147                    | महेशवरी               | 660000 | 660000 | 850 | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |

  
 ( सूर्य मोहन नौटियाल )  
 अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।




|     |                   |        |        |      |     |     |     |      |    |    |    |    |
|-----|-------------------|--------|--------|------|-----|-----|-----|------|----|----|----|----|
| 148 | मखियाली खुर्द     | 660000 | 660000 | 850  | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 149 | मुबारिकपुर अलीपुर | 660000 | 660000 | 850  | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 150 | रजबपुर            | 660000 | 660000 | 850  | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 151 | बदकाल मुस्तकम     | 660000 | 660000 | 850  | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 152 | मखियाली कलौ       | 660000 | 660000 | 850  | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 153 | नसीराबाद          | 660000 | 660000 | 850  | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 154 | सीघडू             | 660000 | 660000 | 850  | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 155 | भुरना             | 660000 | 660000 | 850  | 780 | 800 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 156 | बसेडा खादर        | 750000 | 750000 | 1000 | 900 | 950 | 850 | 1350 | 45 | 35 | 30 | 30 |

  
 ( सूर्य मोहच नोटियाल )  
 अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

|     |   |        |        |      |      |      |      |      |    |    |    |    |
|-----|---|--------|--------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|
| 157 | दाबकी खुर्द   | 660000 | 660000 | 850  | 780  | 800  | 750  | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 158 | दाबकी खुर्द के खसरा नम्बर<br>1 से 8, 36, 37, 40, 45, 82, 84, 86,<br>87, 92, 93, 94, 122, 124, 125, 151,<br>152, 157, 158, 147, 148, 150,<br>153, 174, 149, 160, 165, 166, 167,<br>172, 175, 176, 136, 137, 177, 178       | 750000 | 750000 | 1150 | 1050 | 1100 | 1000 | 1350 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 159 | खेडी मुबारिकपुर   | 670000 | 670000 | 1000 | 900  | 950  | 850  | 1350 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 160 | खेडी मुबारिकपुर के खसरा नम्बर<br>3, 4, 10, 9, 13, 24, 26, 28, 30, 33,<br>35   | 760000 | 760000 | 1200 | 1100 | 1150 | 1050 | 2100 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 161 | जैनपुर खुर्द मुस्तकम  | 480000 | 480000 | 900  | 800  | 850  | 750  | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 162 | अकबरपुर माजरी   | 480000 | 480000 | 900  | 800  | 850  | 750  | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 163 | अकबरपुर माजरी के खसरा नं 0<br>67,68,69,75,78,80,81,82,83,84,86,119,1<br>26,128,,129,130,131,132,170,171,174,2<br>31,232,234,235,236,238,246,247,248,2<br>49,250,251,252,253,253 / 300,256,258<br>277,278,279,280,291,292, | 750000 | 750000 | 1150 | 1050 | 1100 | 1000 | 1350 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 164 | चिडियापुर   | 480000 | 480000 | 900  | 800  | 850  | 750  | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 165 | खडौली   | 480000 | 480000 | 900  | 800  | 850  | 750  | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |

( सूर्य मोहन चौटियाल )  
अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

|     |                              |        |        |     |     |     |     |      |    |    |    |    |
|-----|------------------------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|------|----|----|----|----|
| 166 | मलकपुर                       | 480000 | 480000 | 900 | 800 | 850 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 167 | ढाढेकी ढाणा मजाहिदपुर अहतमाल | 480000 | 480000 | 900 | 800 | 850 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 168 | कुओखेडा अहतमाल               | 480000 | 480000 | 900 | 800 | 850 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 169 | लादपुर कलौ अहतमाल            | 480000 | 480000 | 900 | 800 | 850 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 170 | रसूलपुर बक्काल मुस्तहकम      | 480000 | 480000 | 900 | 800 | 850 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 171 | रसूलपुर बक्काल अहतमाल        | 480000 | 480000 | 900 | 800 | 850 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |

  
 ( सूर्य मोहच नौटियाल )  
 अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

|     |                      |        |        |     |     |     |     |      |    |    |    |    |
|-----|----------------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|------|----|----|----|----|
| 172 | जैनपुर खुर्द अहतमाल  | 480000 | 480000 | 900 | 800 | 850 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| 173 | कासमपुर नवादा अहतमाल | 480000 | 480000 | 900 | 800 | 850 | 750 | 1150 | 45 | 35 | 30 | 30 |

( सूर्य मोहन नौटियाल )  
अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

## ओद्योगिक क्षेत्रों की दरें

| क्रमांक | क्षेत्र का नाम   | निर्धारित दर          |
|---------|--|-----------------------|
| 1       | ब्लाक खानपुर के अन्तर्गत स्थित ग्रामों की भूमि के कय करने पर | 1300/-प्रति वर्ग मीटर |
| 2       | ब्लाक लकसर के अन्तर्गत स्थित ग्रामों की भूमि के कय करने पर   | 1950/-प्रति वर्ग मीटर |

भवनों की श्रेणीवार दर सूची—(रु० प्रति वर्गमीटर में)

| क्रमांक | भवनों की श्रेणी              | निर्धारित दर          |
|---------|------------------------------|-----------------------|
| 1.      | प्लैटस                       | 8500/-प्रति वर्ग मीटर |
| 2.      | श्रेणी - प्रथम (आर०सी०सी०)   | 8400/-प्रति वर्ग मीटर |
| 3       | श्रेणी - द्वितीय (आर०बी०सी०) | 7800/-प्रति वर्ग मीटर |
| 4.      | श्रेणी - तृतीय (टीनपोश)      | 7150/-प्रति वर्ग मीटर |

( सूर्य मोहन नौटियाल )  
अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

## सामान्य अनुदेशिका

यह मूल्यांकन सूची का भाग है।

गैर वाणिज्यिक भवनों के निर्माण मूल्य नियत करने के लिए ध्यान में रखे जाने वाले तथ्य:-

(क) भूमि की स्थिति में-

- 1- भूमि का वर्गीकरण
- 2- सिंचाई की सुविधा की पर्याप्तता
- 3- सड़क, बाजार, बस स्टेशन, कारखानों, शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों और सरकारी कार्यालयों से दूरी
- 4- इसके नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति के सम्बन्ध में अवस्थिति

(ख) गैर वाणिज्यिक भवनों की स्थिति में-

- 1- भवन के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री तथा उसकी लागत
- 2- मजदूरी प्रभार
- 3- निर्माण के प्रकार, भवन की आयु और मूल्य ह्रास

(ग) वाणिज्यिक भवनों की स्थिति में-

- 1- परिक्षेत्र में विद्यमान किराया
- 2- परिक्षेत्र में आर्थिक क्रिया-कलाप

क्षेत्रों की स्थिति-

1. नगरीय 2. अर्द्ध नगरीय 3. ग्रामीण 4. वाणिज्यिक 5. औद्योगिक

वाणिज्यिक भवनों के प्रकार-

- 1- दुकान 2. रेस्टोरेंट 3. कार्यालय 4. गोदाम 5. होटल 6. गेस्ट हाउस 7. बारात घर 8. सिनेमा हॉल 9. पेट्रोल पम्प 10. अस्पताल
11. धर्मशाला 12. मनोरंजन स्थल तथा अन्य वे सभी स्थल जो कि उत्तर प्रदेश वाणिज्य अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित हों।

भवनों की मूल्यांकन सूची तथा उनमें वर्णित होने वाले आवश्यक तथ्य-

आवासीय/औद्योगिक/गैर वाणिज्यिक भवनों का मूल्यांकन किये जाने हेतु निम्नलिखित तथ्य अनिवार्य रूप से अंकित करने होंगे।

भवनों के सम्बन्ध में निम्न तथ्यों/अभिलेखों का वर्णन/संलग्न आवश्यक होगा।

I स्वीकृत मानचित्र/ मान्यता प्राप्त मानचित्रकार द्वारा निर्मित मानचित्र।

II भूखण्ड का क्षेत्रफल।

III निर्माण का प्रकार एवं वर्ष।

IV निर्मित क्षेत्रफल।

(सूर्य मोहन शर्मा)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

गैर वाणिज्यिक भवनों का मूल्यांकन निम्न सूची के अनुसार देय होगा:-

क्षरण निम्नानुसार देय होगा, जिसका फार्मूला निम्नलिखित है:- नोट- क्षरण की निम्न सारणी भवन की अनुमानित आयु 100 वर्ष मान कर किया गया है।  
निर्माण मूल्य में हास लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचारित सूत्र :-  $D = P (1 - \frac{RD}{100})^N$  RD = भवन की औसत आयु


100

D = हास मूल्य (Depreciated Value) P = वर्तमान मूल्य N = कितने वर्ष पुराना (Actual Age of Building)

|        |       |    |       |    |       |     |       |
|--------|-------|----|-------|----|-------|-----|-------|
| 1 वर्ष | 0.990 | 26 | 0.770 | 51 | 0.598 | 76  | 0.465 |
| 2      | 0.980 | 27 | 0.762 | 52 | 0.592 | 77  | 0.461 |
| 3      | 0.970 | 28 | 0.754 | 53 | 0.587 | 78  | 0.456 |
| 4      | 0.960 | 29 | 0.747 | 54 | 0.581 | 79  | 0.452 |
| 5      | 0.950 | 30 | 0.739 | 55 | 0.575 | 80  | 0.447 |
| 6      | 0.941 | 31 | 0.731 | 56 | 0.569 | 81  | 0.443 |
| 7      | 0.932 | 32 | 0.724 | 57 | 0.563 | 82  | 0.438 |
| 8      | 0.927 | 33 | 0.717 | 58 | 0.558 | 83  | 0.434 |
| 9      | 0.913 | 34 | 0.710 | 59 | 0.552 | 84  | 0.429 |
| 10     | 0.904 | 35 | 0.703 | 60 | 0.547 | 85  | 0.425 |
| 11     | 0.890 | 36 | 0.696 | 61 | 0.541 | 86  | 0.421 |
| 12     | 0.880 | 37 | 0.689 | 62 | 0.536 | 87  | 0.417 |
| 13     | 0.870 | 38 | 0.682 | 63 | 0.530 | 88  | 0.412 |
| 14     | 0.868 | 39 | 0.675 | 64 | 0.525 | 89  | 0.408 |
| 15     | 0.860 | 40 | 0.668 | 65 | 0.518 | 90  | 0.404 |
| 16     | 0.851 | 41 | 0.662 | 66 | 0.515 | 91  | 0.400 |
| 17     | 0.842 | 42 | 0.655 | 67 | 0.509 | 92  | 0.396 |
| 18     | 0.834 | 43 | 0.649 | 68 | 0.504 | 93  | 0.392 |
| 19     | 0.826 | 44 | 0.642 | 69 | 0.499 | 94  | 0.388 |
| 20     | 0.817 | 45 | 0.636 | 70 | 0.494 | 95  | 0.384 |
| 21     | 0.809 | 46 | 0.629 | 71 | 0.489 | 96  | 0.381 |
| 22     | 0.801 | 47 | 0.623 | 72 | 0.484 | 97  | 0.377 |
| 23     | 0.793 | 48 | 0.617 | 73 | 0.480 | 98  | 0.373 |
| 24     | 0.785 | 49 | 0.611 | 74 | 0.475 | 99  | 0.369 |
| 25     | 0.777 | 50 | 0.605 | 75 | 0.470 | 100 | 0.366 |

(सूर्य मोहन चौटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

| क्रमांक | टिप्पणी  |
|---------|--|
| 1-      | उ०प्र० वित्त निगम, उ०प्र० आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक प्राधिकरणों/निगमों एवं राजकीय संस्थाओं द्वारा अन्तरित परिसम्पत्तियों हेतु उक्त संस्थाओं द्वारा निष्पादित विलेखों के अन्तर्गत निहित सम्पत्ति का बाजार मूल्य संस्थाओं के द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य के बराबर होगा।   |
| 2-      | मूल्यांकन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा, जो कि विभिन्न कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा किराये पर लिये गये उन भवनों से है, जहां से उन कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा अपने व्यावसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है तथा जो भवन उत्तर प्रदेश स्टाम्प सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली 1997 में यथा परिभाषित है।  |
| 3-      | विलेख में सम्पत्ति/भूमि का नगरपालिका खाता संख्या/बंदोबस्त संख्या/खसरा संख्या/खेवट संख्या/राजस्व ग्राम तथा प्रमुख मार्ग से दूरी अंकित की जानी तथा सम्पत्ति के चिन्हीकरण हेतु वांछित तथ्य अंकित किये जाने अनिवार्य होंगे। विलेख के द्वारा अन्तरित सम्पत्ति/भूमि की चौहद्दी भी अंकित की जानी अनिवार्य होगी।   |
| 4-      | सम्पत्ति की सीमा में उल्लेखित सड़क की चौड़ाई तथा सूची में वर्णित क्षेत्र के प्रमुख मार्गों से दूरी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। सूची में वर्णित प्रमुख मार्गों इतर अन्य मुख्य सड़क का तात्पर्य लोक निर्माण विभाग/राष्ट्रीय राजमार्ग/अन्य कार्यदायी विभाग द्वारा निर्मित मुख्य मार्ग के मानक से होगा, परन्तु यह नियम पुराने मोहल्लों पर लागू नहीं होगा।   |
| 5-      | मुख्य मार्ग का तात्पर्य नौ मीटर चौड़े मार्ग से होगा।   |
| 6-      | भवनों के सम्बन्ध में भवनों के निर्माण स्तर के सम्बन्ध में विलेख में श्रेणी प्रथम-आर०सी०सी०, श्रेणी द्वितीय-आर०बी०सी०, श्रेणी तृतीय-टीनपोश का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा। निर्मित क्षेत्रफल का मूल्यांकन किये जाते समय पोर्च के क्षेत्रफल को भी निर्मित क्षेत्रफल में जोड़ा जायेगा। भवनों की आयु निर्धारण के सम्बन्ध में लिखित प्रमाणिक साक्ष्य/शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। उक्त के अभाव में कोई क्षरण देय नहीं होगा। विलेख में निर्माण का वर्ष अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। |
| 7-      | टीनपोश भवन में क्षरण अधिकतम 25 वर्षों का देय होगा।   |
| 8-      | बहुखण्डीय आवासीय भवनों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तल, तथा उससे उपरोक्त के समस्त तलों पर स्थित भवनों में भूखण्ड के मूल्यांकन पर क्रमशः 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत की छूट होगी।  |
| 9-      | बहुखण्डीय आवासीय भवनों में, जो कि उत्तर प्रदेश फ्लैट्स ओनरशिप ऑफ फ्लैट्स एक्ट 1975 के अन्तर्गत आच्छादित होते हैं, उनके अन्तर्गत सुपर एरिया पर आनुपातिक मूल्य पर भी स्टाम्प शुल्क देय होगा, फ्लैटों के विलेखों में निर्माण दर पर कोई ह्रास देय नहीं होगा।   |
| 10-     | औद्योगिक/वाणिज्यिक/अनावासीय भवनों के मूल्यांकन में कोई ह्रास मूल्य देय नहीं होगा।  |
| 11-     | बहुखण्डीय व्यापारिक प्रतिष्ठानों में सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय तल, तथा उससे उपरोक्त के समस्त तलों पर क्रमशः 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत कम दरें लागू होंगी।  |
| 12-     | बहुखण्डीय व्यापारिक प्रतिष्ठानों में सम्पूर्ण अन्तरित सम्पत्ति के आगणित मूल्यांकन पर बेसमेंट में 20 प्रतिशत कम दरें लागू होंगी तथा लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान निर्धारित दरें लागू होंगी।  |


  
 (सूर्य मोहन नैटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।



|                       |   |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
|-----------------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 13-                   | व्यावसायिक/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/दुकान की प्रति वर्ग मीटर किराया निर्मित क्षेत्रफल के आधार पर किया जायेगा जिसके लिये मूल्यांकन प्रति वर्ग मीटर मासिक किराया जो कि प्रत्येक क्षेत्र के आगे अंकित है X निर्मित क्षेत्रफल X 300 + भूखण्ड का सर्किल दर से मूल्यांकित मूल्य का योग होगा।  |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 14-                   | मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख मार्गों पर पड़ने वाले समस्त नगरीय क्षेत्रों, अर्द्धनगरीय क्षेत्रों, जो कि नगर सीमा के अन्तर्गत स्थित हैं, की सम्पत्तियों के अन्तरण विलेखों द्वारा अन्तरित सम्पत्ति के प्रमुख मार्ग के 200 मीटर के अन्तर्गत होने पर प्रमुख मार्गों की निर्धारित दरें ही लागू होंगी। प्रमुख मार्ग/क्षेत्र विशेष में स्थित सम्पत्ति के मूल्यांकन किये जाने में उक्त दोनों क्षेत्रों में निर्धारित उच्चतम दरों के अनुरूप मूल्यांकन किया जायेगा।  |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 15-                   | तहसील के ग्रामीण क्षेत्र तथा अर्द्धनगरीय क्षेत्रों (जो कि नगर सीमा से बाहर स्थित हैं) में बाग विक्रय होने संबंधी प्रलेख पर सिंचित भूमि की दर की डेढ़ गुनी दर प्रभावी होगी। नगरीय क्षेत्र एवं अर्द्धनगरीय क्षेत्रों (जो कि नगर सीमा के अन्तर्गत स्थित हैं) में बाग विक्रय होने संबंधी प्रलेख पर क्षेत्र विशेष की वर्गमीटर में निर्धारित न्यूनतम दरों की डेढ़ गुनी दरें लागू होंगी। यदि जनपद में किसी भी प्रकार की सम्पत्ति/कृषि भूमि पर यदि वृक्ष स्थित हों एवं वह बाग के रूप में प्रख्यापित न हो तो उन प्रकरणों में वृक्षों का मूल्यांकन अलग से आंकलित किया जायेगा।   |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 16-                   | तहसील में स्थित किसी भी प्रकार की सम्पत्ति के अन्तरण विलेख के द्वारा अन्तरित सम्पत्ति के एक दिशा में सड़क/रास्ता होने की स्थिति में मूल्यांकन सूची में क्षेत्र विशेष हेतु प्रदत्त दर देय होंगी, दो दिशाओं में सड़क/रास्ता होने की स्थिति में मूल्यांकन सूची में क्षेत्र विशेष हेतु प्रदत्त दरों से 10 प्रतिशत दरें अधिक देय होंगी, तीन दिशाओं में सड़क/रास्ता होने की स्थिति में मूल्यांकन सूची में क्षेत्र विशेष हेतु प्रदत्त दरों से 20 प्रतिशत दरें अधिक देय होंगी एवं चार दिशाओं में सड़क/रास्ता होने की स्थिति में मूल्यांकन सूची में क्षेत्र विशेष हेतु प्रदत्त दरों से 30 प्रतिशत दरें अधिक देय होंगी। |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 17-                   | किसी भी औद्योगिक इकाई का अन्तरण होने की दशा में उक्त में स्थापित मशीनरी का मूल्यांकन गवर्नमेन्ट एप्रूव्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट के अनुसार किया जायेगा।   |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 18-                   | बाउण्ड्री वॉल के स्थित होने पर रु० 600/- प्रति वर्ग मीटर की दर से मूल्यांकन किया जायेगा।  |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 19-                   | भूमि में बोरिंग के स्थित होने पर क्षेत्रवार निम्न मूल्यांकन होगा:-<br><table border="0" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>विकास खण्ड बहादुराबाद</td> <td>विकास खण्ड रुड़की</td> <td>विकास खण्ड भगवानपुर</td> <td>विकास खण्ड नारसन</td> <td>विकास खण्ड लक्सर</td> <td>विकास खण्ड खानपुर</td> </tr> <tr> <td>रुपये 10,000/-</td> <td>रुपये 10,000/-</td> <td>रुपये 14,000/-</td> <td>रुपये 12,000/-</td> <td>रुपये 8,000/-</td> <td>रुपये 7,000/-</td> </tr> </table>  | विकास खण्ड बहादुराबाद | विकास खण्ड रुड़की | विकास खण्ड भगवानपुर | विकास खण्ड नारसन  | विकास खण्ड लक्सर | विकास खण्ड खानपुर | रुपये 10,000/- | रुपये 10,000/- | रुपये 14,000/- | रुपये 12,000/- | रुपये 8,000/- | रुपये 7,000/- |
| विकास खण्ड बहादुराबाद | विकास खण्ड रुड़की   | विकास खण्ड भगवानपुर   | विकास खण्ड नारसन  | विकास खण्ड लक्सर    | विकास खण्ड खानपुर |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| रुपये 10,000/-        | रुपये 10,000/-  | रुपये 14,000/-        | रुपये 12,000/-    | रुपये 8,000/-       | रुपये 7,000/-     |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 20-                   | मूल्यांकन सूची में वर्णित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे क्षेत्र जिनमें कतिपय ग्रामों के सड़कों पर स्थित खसरा नम्बरान की दरें अलग से प्राविधानित हैं, उन क्षेत्रों में सड़क के दोनों ओर स्थित वह खसरा नम्बर जो कि सड़क के दोनों ओर की 200 मीटर दूरी के अन्तर्गत स्थित हैं, परन्तु सूची में वर्णित नहीं हैं, उन खसरा नम्बर की भूमि के अन्तरण विलेख पर उक्त क्षेत्र में सड़कों पर स्थित खसरा नम्बरान हेतु निर्धारित दरें ही प्रभावी होंगी।  |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 21-                   | जनपद की समस्त तहसीलों के ग्रामीण क्षेत्र पर स्थित 1000 वर्गमीटर से कम कृषि भूमि का क्रेता यदि अन्तरित कृषि भूमि का सहखातेदार हो या अन्तरित कृषि भूमि के साथ क्रेता की कृषि भूमि का मेड़ मिलान होता हो तो ऐसे विलेख पर क्षेत्र विशेष की कृषि भूमि की उच्चतम निर्धारित दर प्रभावी होंगी। इस लाभ हेतु क्रेता द्वारा राजस्व अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की दशा में क्षेत्र विशेष की वर्गमीटर में निर्धारित दर प्रभावी होंगी।  |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 22-                   | तहसील के किसी भी क्षेत्र में विलेख के माध्यम से यदि 50 वर्गमीटर तक "सड़क मार्ग/रास्ता" पर स्थित (नगरीय/अर्द्धनगरीय क्षेत्र हेतु सड़क मार्ग/रास्ता का तात्पर्य 3 मीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु सड़क मार्ग/रास्ता का तात्पर्य मुख्य मार्ग/9 मीटर से होगा) की भूमि/सम्पत्ति का अन्तरण होता है, तो ऐसे विलेख पर प्रवृत्त क्षेत्र विशेष की व्यावसायिक दर प्रभावी होंगी तथा निर्माण का मूल्यांकन निर्मित क्षेत्रफल की प्रकृति के अनुसार किया जायेगा। यह प्राविधान फ्लैटों के विलेखों में लागू नहीं होगा।  |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |


(सूर्य मोहन नौटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।


|     |   |
|-----|---|
| 23- | तहसील के किसी भी क्षेत्र में विलेख के माध्यम से यदि 50 वर्गमीटर से अधिक "सड़क मार्ग/रास्ता" पर स्थित (नगरीय/अर्द्धनगरीय क्षेत्र हेतु सड़क मार्ग/रास्ता का तात्पर्य 3 मीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु सड़क मार्ग/रास्ता का तात्पर्य मुख्य मार्ग/9 मीटर से होगा) भूमि/सम्पत्ति संयुक्त क्रेतागण द्वारा क्रय की जाती है, एवं प्रत्येक क्रेता के भाग में 50 वर्गमीटर से कम भूमि आती हो तथा क्रेतागण के मध्य पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, भाई, बहन तथा नाती-पोतों के सम्बन्ध न हो, तो ऐसे विलेख पर प्रवृत्त बिन्दु संख्या 22 के अन्तर्गत क्षेत्र विशेष की व्यावसायिक दर ही प्रभावी होगी।   |
| 24- | तहसील के किसी भी क्षेत्र में विलेख के माध्यम से यदि 1000 वर्गमीटर से अधिक भूमि संयुक्त क्रेतागण द्वारा क्रय की जाती है, एवं उनके भागानुसार प्रत्येक क्रेता के भाग में 1000 वर्गमीटर से कम भूमि आती हो तथा क्रेतागण के मध्य पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, भाई, बहन तथा नाती-पोतों के सम्बन्ध न हो, तो ऐसे विलेख पर प्रवृत्त क्षेत्र विशेष हेतु निर्धारित वर्गमीटर की दर ही प्रभावी होगी।  |
| 25- | मूल्यांकन सूची में वर्णित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे क्षेत्र जिनमें कतिपय खसरा नम्बरान की दरें अलग से प्राविधानित हैं, केवल उन क्षेत्रों में 1000 वर्गमीटर से अधिक एवं 2500 वर्गमीटर तक की भूमि के अन्तरण विलेख पर उक्त क्षेत्र की सूची के (हरिद्वार एवं लक्सर की मूल्यांकन सूची के कॉलम संख्या 8 तथा रुड़की प्रथम एवं रुड़की द्वितीय की मूल्यांकन सूची के कॉलम 6) में निर्धारित दर की 90 प्रतिशत दर तथा 2500 वर्गमीटर से अधिक एवं 4040 वर्गमीटर तक की भूमि के अन्तरण विलेख पर उक्त क्षेत्र की सूची के (हरिद्वार एवं लक्सर की मूल्यांकन सूची के कॉलम संख्या 8 तथा रुड़की प्रथम एवं रुड़की द्वितीय की मूल्यांकन सूची के कॉलम 6) में निर्धारित दरों की 80 प्रतिशत दर प्रभावी होगी। यह प्राविधान फर्म, संस्था, सोसायटी, न्यास, कम्पनी के क्रेता होने की स्थिति में लागू नहीं होगा। |
| 26- | मूल्यांकन सूची में वर्णित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे क्षेत्र जिनमें कतिपय खसरा नम्बरान की दरें अलग से प्राविधानित हैं, उन क्षेत्रों में विलेख के माध्यम से यदि 1000 वर्गमीटर से अधिक अथवा 2500 वर्गमीटर से अधिक अथवा 4040 वर्गमीटर से अधिक भूमि संयुक्त क्रेतागण द्वारा क्रय की जाती है और प्रत्येक क्रेता के भाग में 1000 वर्गमीटर/2500 वर्गमीटर/4040 वर्गमीटर से कम भूमि होती है और यदि क्रेतागण के मध्य पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, भाई, बहन तथा नाती-पोतों के सम्बन्ध नहीं हैं तो ऐसे विलेख पर बिन्दु संख्या 24, 25 में वर्णित शर्तों के अन्तर्गत रहते हुये क्षेत्र विशेष हेतु प्रवृत्त दरें प्रभावी होगी।   |
| 27- | मूल्यांकन सूची में वर्णित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे क्षेत्र जिनमें कतिपय खसरा नम्बरान की दरें अलग से प्राविधानित हैं, केवल उन क्षेत्रों में क्रेता फर्म, संस्था, सोसायटी, न्यास, कम्पनी द्वारा 1000 वर्गमीटर से अधिक एवं एक हेक्टेयर से कम भूमि के क्रय विलेख पर उक्त क्षेत्र विशेष की सूची के (हरिद्वार एवं लक्सर की मूल्यांकन सूची के कॉलम संख्या 8 तथा रुड़की प्रथम एवं रुड़की द्वितीय की मूल्यांकन सूची के कॉलम 6) में निर्धारित दर की 85 प्रतिशत दर तथा एक हेक्टेयर से अधिक एवं दो हेक्टेयर तक की भूमि के क्रय विलेख पर उक्त क्षेत्र की सूची के (हरिद्वार एवं लक्सर की मूल्यांकन सूची के कॉलम संख्या 8 तथा रुड़की प्रथम एवं रुड़की द्वितीय की मूल्यांकन सूची के कॉलम 6) में निर्धारित दरों की 75 प्रतिशत दर प्रभावी होगी।   |
| 28- | जनपद में जिन मुख्य मार्गों के दोनों ओर के खसरा नम्बर सूची में वर्णित नहीं किये गये हैं, उन क्षेत्रों में सड़क मार्ग के दोनों ओर 100 मीटर की दूरी तक बिन्दु संख्या 24, 25, 26, 27 में वर्णित शर्तों के अन्तर्गत रहते हुये क्षेत्र विशेष की प्रवृत्त दरें प्रभावी होगी।   |
| 29- | एक हजार वर्गमीटर से अधिक भूमि के अन्तरण विलेखों के द्वारा यदि बंजर भूमि का अन्तरण किया जाता है तो उक्त विलेखों पर कृषि दरें प्रभावी नहीं होगी। बंजर भूमि की दशा में एक हजार वर्गमीटर से अधिक एवं एक हे० क्षेत्रफल तक की भूमि के अन्तरण विलेखों पर तालिका के कॉलम आठ में वर्गमीटर में निर्धारित दरों की 85 प्रतिशत दरें तथा एक हे० से अधिक एवं दो हे० तक की भूमि के अन्तरण विलेखों पर तालिका के कॉलम आठ में वर्गमीटर में निर्धारित दरों की 75 प्रतिशत दरें प्रभावी होगी।   |
| 30- | मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख या मुख्य मार्ग/क्षेत्र वार निर्धारित दरों में यदि किसी स्थल की दरें दो स्थान पर निर्धारित हैं तो उच्चतम निर्धारित दर प्रभावी होगी।   |
| 31- | मूल्यांकन सूची में यदि किसी क्षेत्र की दरें निर्धारित होने से छूट गयी हैं तो समीपस्थ स्थल हेतु निर्धारित उच्चतम दर से सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जायेगा।  |
| 32- | निर्गत की जा रही मूल्यांकन सूची में यदि कोई लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो उक्त त्रुटि को शुद्ध करने हेतु तत्संबंधी निर्देश अलग से निर्गत किये जायेंगे।   |

  
 (सूर्य मोहन नौटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

# तहसील रुड़की, उप निबन्धक कार्यालय (प्रथम) जनपद हरिद्वार

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद हरिद्वार के कार्यालय उप निबन्धक (प्रथम) तहसील रुड़की के लिए द्विवार्षिक न्यूनतम औसत बाजारी दरों का निर्धारण सलंगन विवरण पत्र के अनुसार किया जा रहा है। द्विवार्षिक मूल्यांकन सूची जो कि 01 नवम्बर 2011 से प्रभावी होनी थी, शासनादेश संख्या 682/2011/XXVII(9)/स्टाम्प-80/2009 दिनांक 01.11.2011 के क्रम में 31 मार्च 2012 तक स्थगित किये जाने के फलस्वरूप यह दरें दिनांक 01 अप्रैल 2012 से 31 अक्टूबर 2013 तक प्रभावी होंगी।


  
(सूर्य मोहन नैटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।


  
(डी० सैथिल पांडियन)  
आई०ए०एस०  
कलेक्टर, हरिद्वार।

## कार्यालय कलेक्टर, हरिद्वार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, परिपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-प्रमुख सचिव (वित्त) उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2-महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3-अपर महानिरीक्षक निबंधन मुख्यालय महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4-जिला निबंधक, हरिद्वार।
- 5-जिला स्टाम्प अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार।
- 6-सहायक महानिरीक्षक, निबंधन, हरिद्वार।
- 7-सब रजिस्ट्रार रुड़की प्रथम।
- 8-उप जिलाधिकारी रुड़की।
- 9-तहसीलदार रुड़की।


  
(सूर्य मोहन नैटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

  
(डी० सैथिल पांडियन)  
आई०ए०एस०  
कलेक्टर, हरिद्वार।


# कार्यालय उपनिबन्धक रुड़की, प्रथम जनपद हरिद्वार

## रुड़की नगर के प्रमुख मार्गों पर स्थित क्षेत्रों की दरें

| क्षेत्र  | सड़क से 50 मी० तक निर्धारित दर रु० प्रति वर्ग मीटर | (सड़क से 51 से 200 मी० तक )<br>आवासीय दर रु० प्रति वर्ग मीटर | व्यवसायिक भूमि की दर रु० प्रति वर्ग मीटर | दुकान/ रेस्टोरेंट/ कार्यालय<br>(मासिक किराया प्रति रु० वर्गमी०) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें<br>(मासिक किराया रु० प्रति वर्ग मी०) |   |                                   |
|--|--|--|--|---|--|---|-----------------------------------|
|  |  |  |  |   | गोदाम  | होटल/ गेस्ट हाउस/ बारातघर/ पेट्रोलपम्प / सिनेमाघर | अस्पताल / धर्मशाला / मनोरंजन स्थल |
| क्रम सं०   | 1  | 2  | 3  | 4   | 5  | 6   | 7                                 |
| 1. गंगनहर पुल से मालवीय चौक (सड़क का बायां भाग)            | 18000  | 10500  | 18000                                    | 175   | 110  | 125   | 100                               |
| 2. मालवीय चौक से बी० एस० एम० तिराहे तक (सड़क का बायां भाग) | 17000  | 11000  | 17000                                    | 185   | 115  | 125   | 110                               |
| 3. बी० एस० एम० तिराहे आजाद नगर चौक तक (सड़क का बायां भाग)  | 16000  | 10200  | 16000                                    | 175   | 110  | 125   | 100                               |
| 4. आजाद नगर चौक से जेल तक (सड़क का बायां भाग)              | 14000  | 9000   | 14000                                    | 175   | 110  | 125   | 100                               |
| 5. जेल से रामनगर चौराह तक (सड़क का बायां भाग)              | 16000  | 10200  | 16000                                    | 175   | 110  | 125   | 100                               |


  
 (सूर्य मोहन नौटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

| क्रम सं०  | 1     | 2     | 3     | 4   | 5   | 6   | 7   |
|---|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 6. रामनगर चौराह से वैशाली मंडपम के सामने अशोक मार्ग तिराहे तक (सड़क का बायां भाग) | 17000 | 11000 | 17000 | 190 | 115 | 135 | 105 |
| 7. वैशाली मंडपम के सामने अशोक मार्ग तिराहे से रामपुर चुंगी तक (सड़क का बायां भाग) | 13000 | 9000  | 13000 | 175 | 110 | 125 | 100 |
| 8. गंगनहर पुल से मालवीय चौक (सड़क का दायां भाग)                                   | 14000 | 7800  | 14000 | 175 | 110 | 125 | 100 |
| 9. मालवीय चौक से बी० एस० एम० तिराहे तक (सड़क का दायां भाग)                        | 14000 | 8100  | 14000 | 175 | 110 | 125 | 100 |
| 10. बी० एस० एम० तिराहे से यूनियन बैंक तक (सड़क का दायां भाग)                      | 17000 | 10500 | 17000 | 175 | 110 | 125 | 100 |
| 11. यूनियन बैंक से राम नगर चौराह तक (सड़क का दायां भाग)                           | 17500 | 10300 | 17500 | 175 | 110 | 125 | 100 |
| 12. रामनगर चौराह से भारत संचार दूरभाष केन्द्र तक (सड़क का दायां भाग)              | 17500 | 10200 | 17500 | 175 | 110 | 125 | 100 |
| 13. भारत संचार दूरभाष केन्द्र से वैशाली मंडपम तक (सड़क का दायां भाग)              | 14000 | 8000  | 14000 | 175 | 110 | 125 | 100 |
| 14. वैशाली मंडपम से जगदीश नारायण सिन्हा सरकारी अस्पताल तक(सड़क का दायां भाग)      | 17500 | 10300 | 17500 | 175 | 115 | 125 | 100 |
| 15. जगदीश नारायण सिन्हा सरकारी अस्पताल से रामपुर चुंगी तक(सड़क का दायां भाग)      | 14000 | 8200  | 14000 | 175 | 115 | 125 | 100 |
| 16. रामनगर चौराह से रामपर रोड ब्लॉक कार्यालय तक                                   | 17000 | 11000 | 17000 | 190 | 115 | 135 | 105 |


  
 (सूर्य मोहन नीटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

## नगरीय क्षेत्र रुडकी की कृषि एवं आवासीय दरें

| क्षेत्र/राजस्व ग्रामों के नाम          | (सड़क से 50 मी० तक)<br>आवासीय दर रु० प्रति वर्ग मीटर | (सड़क से 50 मी० से आगे)<br>आवासीय दर रु० प्रति वर्ग मीटर | व्यवसायिक भूमि की दर रु० प्रति वर्ग मीटर | दुकान/रेस्टोरेंट/कार्यालय<br>(मासिक किराया रु० प्रति वर्ग मी०) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें (मासिक किराया रु० प्रति वर्ग मी०) |  |                               |
|--|--|--|--|--|---|--|-------------------------------|
|  |  |  |  |  | गोदाम   | होटल/गेस्ट हाउस/बारातघर/पेट्रोलपम्प / सिनेमाघर | अस्पताल/धर्मशाला/मनोरंजन स्थल |
| क्रम सं०                               | 1  | 2  | 3  | 4  | 5   | 6  | 7                             |
| 1. चौक बाजार                           | 19000  | 14000  | 26500                                    | 150  | 102   | 75   | 70                            |
| 2. मैन बाजार(नहर पुल से मछली बाजार तक) | 20000  | 14500  | 27500                                    | 160  | 95  | 80   | 70                            |
| 3. मछली बाजार से महन्त पेट्रोल पम्प तक | 8700   | 7000   | 13200                                    | 130  | 70  | 105  | 70                            |
| 4. पुरानी तहसील                        | 9200   | 7200   | 13500                                    | 170  | 85  | 130  | 85                            |
| 5. माहिगिरान                           | 7700   | 4750   | 11500                                    | 170  | 95  | 140  | 90                            |
| 6. भारत नगर                            | 5800   | 3400   | 8200                                     | 130  | 75  | 105  | 70                            |
| 7. कानूनगोयान                          | 11500  | 8000   | 15500                                    | 140  | 75  | 115  | 65                            |
| 6. राजपुताना                           | 11500  | 8500   | 16000                                    | 150  | 80  | 125  | 75                            |

  
 (सूर्य मोहन नौडियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

| कम सं०                  | 1     | 2     | 3     | 4   | 5  | 6   | 7  |
|-------------------------|-------|-------|-------|-----|----|-----|----|
| 9. सोत पूर्वी           | 11500 | 8500  | 16000 | 150 | 85 | 120 | 70 |
| 10. सोत पश्चिमी         | 11500 | 8500  | 16000 | 150 | 85 | 120 | 70 |
| 11. अनाज मंडी           | 14500 | 10500 | 20500 | 140 | 80 | 118 | 70 |
| 12. बी०टी० गंज          | 15000 | 10500 | 20500 | 140 | 80 | 118 | 70 |
| 13. सुमाष गंज           | 14820 | 10560 | 20520 | 147 | 80 | 120 | 70 |
| 14. पूर्वी अम्बर तालाब  | 8200  | 8500  | 11500 | 150 | 85 | 110 | 75 |
| 15. साकेत कालोनी        | 8200  | 8500  | 10500 | 145 | 80 | 105 | 70 |
| 16. स्टेट बैंक कालोनी   | 7800  | 6050  | 10920 | 147 | 80 | 105 | 70 |
| 17. पूर्वी दीन दयाल     | 8000  | 6200  | 11500 | 150 | 85 | 110 | 75 |
| 18. पश्चिमी अम्बर तालाब | 11000 | 8500  | 15000 | 145 | 90 | 115 | 80 |

  
 (सूर्य मोहन नीटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।


| क्रम सं०/ग्राम          | 1     | 2    | 3     | 4   | 5  | 6   | 7  |
|-------------------------|-------|------|-------|-----|----|-----|----|
| 19. मथुरा विहार कालोनी, | 7500  | 6240 | 11570 | 145 | 85 | 115 | 75 |
| 20. गंगा एनक्लेव        | 6000  | 6500 | 11150 | 145 | 80 | 110 | 75 |
| 21. आवास विकास कालोनी   | 8500  | 6750 | 11200 | 145 | 85 | 110 | 75 |
| 22. चन्द्रपुरी          | 8700  | 6800 | 12000 | 118 | 70 | 70  | 70 |
| 23. चावमंडी             | 8500  | 6100 | 11500 | 144 | 85 | 95  | 70 |
| 24. सैनिक कालोनी        | 8000  | 5700 | 11000 | 130 | 80 | 95  | 70 |
| 25. हनुमान कालोनी       | 6000  | 5700 | 11000 | 130 | 80 | 95  | 70 |
| 26. मकतूलपुरी,          | 8000  | 6000 | 11000 | 130 | 80 | 95  | 70 |
| 27. संजय कालोनी         | 8000  | 8000 | 11000 | 130 | 80 | 95  | 70 |
| 28. सुखदेव नगर,         | 9500  | 7400 | 13000 | 110 | 70 | 80  | 70 |
| 29. नेहरू नगर,          | 9500  | 7500 | 13500 | 110 | 70 | 80  | 75 |
| 30. रामनगर,             | 11800 | 9500 | 16500 | 140 | 85 | 102 | 85 |
| 31. यादवपुरी            | 9500  | 7200 | 13000 | 110 | 70 | 80  | 70 |

  
 (सूर्य मोहन नाटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।



| क्रम सं०/ग्राम  | 1     | 2    | 3     | 4   | 5  | 6   | 7   |
|---|-------|------|-------|-----|----|-----|-----|
| 32. गणेशपुर ( नहर पुल से रेलवे स्टेशन तक)   | 10650 | 7800 | 14000 | 130 | 80 | 95  | 70  |
| 33. गणेशपुर (नहर पुल से मालवीय चौक से रेलवे स्टेशन तक)                                    | 11450 | 8200 | 15000 | 140 | 85 | 105 | 75  |
| 34. भागीरथी कुंज ( गणेशपुर )  | 11450 | 8200 | 15000 | 140 | 85 | 105 | 75  |
| 35. पूर्वावली ( गणेशपुर )   | 11000 | 7500 | 15000 | 140 | 85 | 102 | 75  |
| 38. गीतांजली विहार ( गणेशपुर )  | 11000 | 7500 | 15000 | 140 | 85 | 102 | 75  |
| 37. रामबाग कालोनी ( गणेशपुर )   | 10200 | 7200 | 14000 | 140 | 80 | 100 | 70  |
| 38. दयाल बाग कालोनी ( गणेशपुर )   | 8500  | 6500 | 14000 | 120 | 70 | 90  | 65  |
| 39. प्रीति विहार ( गणेशपुर )  | 8500  | 6100 | 12000 | 85  | 60 | 65  | 75  |
| 40. रुड़की अन्दर हदूद   | 6000  | 6000 | 11000 | 80  | 55 | 65  | 70  |
| 41. गणेशपुर नगर पालिका क्षेत्र के भीतर  | 10100 | 7850 | 15300 | 115 | 75 | 90  | 100 |
| 42. गणेशपुर नगर पालिका क्षेत्र के बाहर<br>(बाहर हदूद के लिए पक्षकार को साक्ष्य देना होगा) | 3900  | 3200 | 5950  | 110 | 65 | 65  | 50  |


- नोट:- (1) रुड़की अन्दर हदूद एवं गणेशपुर नगर पालिका के भीतर की कृषि दर रु० 71.40 लाख प्रति हैक्टेयर होगी।  
(2) गणेशपुर नगर पालिका क्षेत्र के बाहर की कृषि दर रु० 61.36 लाख प्रति हैक्टेयर होगी।

  
 (सूर्य मोहन नौटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।


| कम सं०/ग्राम                     | 1     | 2    | 3     | 4   | 5  | 6   | 7  |
|----------------------------------|-------|------|-------|-----|----|-----|----|
| 43. इन्दिरा विहार                | 3200  | 2500 | 4500  | 100 | 60 | 70  | 45 |
| 44. काशीपुरी                     | 7200  | 4000 | 10000 | 110 | 85 | 80  | 45 |
| 45. श्यामनगर                     | 7500  | 4200 | 10500 | 120 | 85 | 85  | 50 |
| 46. गुलाबनगर                     | 7500  | 4200 | 10500 | 120 | 85 | 85  | 50 |
| 47. शेखपुरी भीतर नगर पालिका सीमा | 10000 | 7500 | 14500 | 155 | 85 | 120 | 58 |
| 48. गांधीनगर कालोनी              | 8500  | 5000 | 11000 | 115 | 70 | 90  | 40 |
| 49. शेखपुरी बाहर नगर पालिका      | 2850  | 2450 | 4350  | 115 | 85 | 90  | 55 |

नोट- (1) शेखपुरी अंदर हदूद (भीतर नगर पालिका सीमा, गांधीनगर कालोनी) की कृषि दर रु० 68.00 लाख प्रति हैक्टेयर होंगी।

(2) शेखपुरी बाहर नगर पालिका की कृषि दर रु० 37.37 लाख प्रति हैक्टेयर होंगी।

  
 (सूर्य मोहन नाटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

| क्रम सं०/ग्राम  | 1     | 2    | 3     | 4   | 5  | 6   | 7  |
|---|-------|------|-------|-----|----|-----|----|
| 50. सुभाष नगर   | 3400  | 2500 | 4500  | 105 | 75 | 90  | 50 |
| 51. आजाद नगर चौराहे से पनियाला रोड पर संतोषी माता मन्दिर तक   | 6500  | 5000 | 8500  | 120 | 80 | 90  | 50 |
| 52. संतोषी माता मंदिर से रेलवे फाटक तक पनियाला रोड पर         | 4300  | 3400 | 5700  | 120 | 80 | 90  | 50 |
| 53. आजाद नगर  | 8500  | 6500 | 12000 | 110 | 75 | 90  | 50 |
| 54. सती   | 6250  | 4550 | 9500  | 170 | 90 | 135 | 90 |
| 55. गंगा एनक्लेव (शेखपुरी)                                    | 11100 | 8300 | 15000 | 120 | 80 | 95  | 70 |
| 56. रामदयाल चौराहे से पुरानी रेलवे रोड पर बी.एस.एम. तिराहे तक | 10200 | 7500 | 15000 | 140 | 80 | 110 | 70 |
| 57. सब्जी मण्डी चौक से नई रेलवे रोड पर बी.एस.एम. तिराहे तक    | 10200 | 7500 | 15000 | 140 | 80 | 110 | 70 |
| 58. महावीर एनक्लेव (गणेशपुर)                                  | 11450 | 8200 | 15000 | 140 | 85 | 105 | 75 |
| 59. पुष्पांजली विहार (गणेशपुर)                                | 11450 | 8200 | 15000 | 140 | 85 | 105 | 75 |
| 60. बैंक कालोनी (गणेशपुर)                                     | 11450 | 8200 | 15000 | 140 | 85 | 105 | 75 |
| 61. शिवम विहार (गणेशपुर)                                      | 8500  | 6500 | 14000 | 120 | 70 | 90  | 65 |
| 62. सलमान कालोनी (पुरानी तहसील)                               | 9200  | 7200 | 13500 | 170 | 85 | 130 | 85 |

  
 (सूर्य मोहन मोहियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

**अर्द्धनगरीय क्षेत्र रुडकी की कृषि एवं आवासीय न्यूनतम दरें**


| क्षेत्र/राजस्व ग्रामों के नाम  | कृषि दर प्रति हेक्टेयर (रु० लाख में) |         | 1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तरण के लिये निर्धारित दरें (रु० प्रति वर्ग मीटर) |   |   |   | व्यवसायिक भूमि की दर रु० प्रति वर्ग मीटर | दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय (मासिक किराया रु० प्रति वर्गमी०) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें (मासिक किराया रु० प्रति वर्गमी०) |  |                                   |
|--|--------------------------------------|---------|---|---|---|---|--|--|--|--|-----------------------------------|
|  | सिंचित                               | असिंचित | 500 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर                               | 500 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर |  |  | गोदा म   | होटल / गेस्ट हाउस / बारातघर / पेट्रोलपम्प / सिनेमाघर | अस्पताल / धर्मशाला / मनोरंजन स्थल |
| क्रम सं०   | 1                                    | 2       | 3   | 4   | 5   | 6   | 7  | 8  | 9  | 10   | 11                                |
| 1. रामपुर मुस्तहकम   | 35.00                                | 35.00   | 10700   | 5700  | 8200  | 5100  | 16000                                    | 145  | 75   | 120  | 50                                |
| 2. रामपुर मुस्तहकम ख०न०:-<br>11 से 37, 59 से 89, 92 से 96,<br>101 से 111, 142 से 150, 152<br>से 157, 159, 160, 162, 187 से<br>205, 325 से 332, 334 से 343,<br>265 से 268, 290, 291, 293,<br>294, 345 से 433, 439 से 442,<br>445, 449 से 451, 504 से 517,<br>523 से 527, 529, 542 से 545,<br>556 से 562 | 45.00                                | 45.00   | 13300   | 7000  | 10200   | 6500  | 20000                                    | 180  | 95   | 155  | 60                                |

(सूर्य मोहंनोटीयाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।


| क्रम सं०           | 1     | 2     | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8   | 9  | 10 | 11 |
|--------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|-----|----|----|----|
| 3. सुनहरा          | 31.00 | 31.00 | 2700 | 2150 | 1900 | 1600 | 4500 | 110 | 80 | 90 | 55 |
| 4. अम्बेडकर कालोनी | 24.00 | 22.00 | 2150 | 1700 | 1550 | 1200 | 3350 | 90  | 65 | 75 | 45 |
| 5. सरस्वती विहार   | 25.00 | 25.00 | 2200 | 1900 | 1500 | 1500 | 3500 | 90  | 65 | 75 | 45 |
| 6. मंगल विहार      | 23.00 | 23.00 | 2100 | 1800 | 1500 | 1300 | 3400 | 90  | 60 | 70 | 45 |
| 7. नई बस्ती        | 23.00 | 23.00 | 2100 | 1800 | 1500 | 1300 | 3400 | 90  | 60 | 70 | 45 |
| 8. गोमती विहार     | 21.00 | 21.00 | 2000 | 1500 | 1400 | 1100 | 3000 | 80  | 58 | 65 | 40 |
| 9. मतलबपुर         | 25.00 | 25.00 | 2300 | 2000 | 1600 | 1500 | 3500 | 95  | 65 | 70 | 45 |

  
 (सूर्य मोहन मिश्रा)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

| क्रम सं०                 | 1     | 2     | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8   | 9  | 10  | 11 |
|--------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|-----|----|-----|----|
| 10. सलेमपुर राजपुतान     | 32.00 | 32.00 | 3400 | 3100 | 3000 | 2400 | 5100 | 140 | 85 | 120 | 55 |
| 11. प्रेमनगर             | 20.00 | 20.00 | 2300 | 1800 | 2000 | 1500 | 3400 | 90  | 55 | 75  | 40 |
| 12. विनीत नगर            | 20.00 | 20.00 | 2300 | 1800 | 2000 | 1500 | 3400 | 90  | 55 | 75  | 40 |
| 13. हाइडिल कालोनी        | 24.02 | 24.02 | 2730 | 2200 | 2340 | 1800 | 4030 | 105 | 70 | 90  | 45 |
| 14. कृष्णानगर            | 26.00 | 26.00 | 3000 | 2600 | 2700 | 2100 | 4500 | 120 | 70 | 105 | 50 |
| 15. शास्त्रीनगर(रहीमपुर) | 27.00 | 27.00 | 3000 | 2800 | 2600 | 2200 | 4500 | 120 | 70 | 105 | 50 |
| 16. राजेन्द्र नगर        | 56.00 | 56.00 | 2600 | 2150 | 2200 | 1700 | 3900 | 110 | 70 | 85  | 50 |
| 17. शफीपुर               | 63.00 | 63.00 | 3100 | 2500 | 2600 | 2000 | 4500 | 125 | 80 | 90  | 50 |
| 18. पनियाला चन्दापुर     | 18.00 | 18.00 | 1300 | 1100 | 900  | 850  | 1800 | 120 | 75 | 85  | 50 |
| 19. रहीमपुर ग्राम        | 24.00 | 24.00 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 2500 | 105 | 72 | 80  | 45 |
| 20. पाडली गुर्जर         | 23.50 | 23.50 | 2700 | 2600 | 2300 | 1800 | 3900 | 115 | 80 | 90  | 50 |

  
 (सूर्य मोहम्मद नौटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (विस्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

| कम सं०  | 1     | 2     | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8   | 9  | 10  | 11 |
|---|-------|-------|------|------|------|------|------|-----|----|-----|----|
| 21. शास्त्रीपुरम  | 20.00 | 20.00 | 3300 | 2700 | 2700 | 2300 | 5000 | 100 | 60 | 75  | 40 |
| 22. रामपुरम (आसफनगर)  | 20.00 | 20.00 | 3200 | 2640 | 2640 | 2200 | 4840 | 90  | 60 | 75  | 40 |
| 23. आसफनगर ग्राम  | 26.00 | 26.00 | 4000 | 3500 | 3300 | 3000 | 6000 | 120 | 75 | 90  | 50 |
| 24. आसफनगर ख०नं० :-<br>पूर्व :-263, 274, 275, 281,<br>282, 283, 294 से 299 तक<br>पश्चिम :-232, 233, 236 से<br>245तक | 30.00 | 30.00 | 4800 | 4000 | 4000 | 3400 | 7000 | 130 | 85 | 110 | 60 |


  
 (सूर्य मोहन नौटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

| क्रम सं०   | 1     | 2     | 3    | 4    | 5    | 8    | 7     | 8   | 9   | 10  | 11 |
|--|-------|-------|------|------|------|------|-------|-----|-----|-----|----|
| 25. मोहनपुरा मोहम्मदपुर  | 40.00 | 40.00 | 6200 | 5000 | 5300 | 3650 | 9300  | 130 | 80  | 100 | 55 |
| 26. मोहनपुरा मोहम्मदपुर<br>ख० नं० :-<br>91, 92, 95, 97, 99, 105, 107,<br>111, 113, 114, 165, 172, 173,<br>174, 175, 176, 177, 178, 179,<br>180, 183, 188, 190, 191, 192,<br>162, 194, 197, 198, 199, 109,<br>200, 202, 203, 204, 205, 208,<br>209, 266, 267, 268, 269, 271,<br>273, 274, 275, 276, 278, 280,<br>281, 283, 284, 285, 286, 288,<br>289, 290, 320, 328, 332, 337,<br>338, 388, 389, 395, 396, 397,<br>398, 399, 400, 402 से, 409, 412<br>से 416, 418, 419, 420, 421,<br>431, 440 से 453, 455, 456, 458,<br>459, 461, 462, 464, 468, 469,<br>487, 470, 473, 474, 479, 480,<br>486, 487, 488, 489, 490, 491,<br>492, 493, 494, 495, 496, 497,<br>498, 499, 540, 556, 520, 541,<br>543, 542, 559, 558, 557, 556,<br>548, 549, 550, 544, 516, 517,<br>518, 519, 522, 523, 524, 525,<br>526, 527, 501, 503, 504, 506<br>से 513, 515, 708, 710 से 718,<br>720 से 729, 733, 739, 741, 743,<br>747 से 754, 760 से 766, 769,<br>770, 771, 772, 775 से 783, 785,<br>786 | 50.00 | 50.00 | 7850 | 6200 | 6500 | 4600 | 11700 | 165 | 100 | 130 | 70 |


(सूर्य मोहन मोटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।




|  |       |       |      |      |      |      |       |     |    |     |    |
|--|-------|-------|------|------|------|------|-------|-----|----|-----|----|
| 27. मन्दाकिनी विहार  | 32.00 | 32.00 | 5700 | 3900 | 4700 | 3000 | 8600  | 110 | 70 | 80  | 45 |
| 28. कर्नल एनक्लेव  | 32.00 | 32.00 | 5700 | 3900 | 4700 | 3000 | 8600  | 110 | 70 | 80  | 45 |
| 29. सात्तथ सिविल लाइन  | 34.25 | 34.25 | 5850 | 4250 | 4950 | 3100 | 8850  | 110 | 70 | 85  | 50 |
| 30. हसन अलीपुर   | 35.00 | 35.00 | 6000 | 4300 | 5000 | 3250 | 9200  | 115 | 70 | 85  | 50 |
| 31. हसन अलीपुर खण्ड :-<br>1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13,<br>14, 17 | 43.00 | 43.00 | 7600 | 5350 | 6200 | 4050 | 11500 | 145 | 90 | 105 | 60 |

  
 (सूर्य मोहन नौटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

| कम सं०  | 1     | 2     | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8   | 9  | 10 | 11 |
|---|-------|-------|------|------|------|------|------|-----|----|----|----|
| 32. नागेन्द्र विहार   | —     | —     | 4550 | 3250 | 3850 | 2550 | 6850 | 100 | 70 | 60 | 45 |
| 33. प्रदीप विहार  | —     | —     | 4200 | 3000 | 3550 | 2400 | 6300 | 90  | 65 | 75 | 45 |
| 34. आर्य विहार  | —     | —     | 4200 | 3000 | 3550 | 2400 | 6300 | 90  | 65 | 75 | 45 |
| 35. रतन का पूर्वा डबल फाटक  | —     | —     | 4200 | 3300 | 3800 | 2200 | 6200 | 95  | 60 | 70 | 40 |
| 36. गोल भट्टा   | —     | —     | 4200 | 3200 | 3800 | 2200 | 6200 | 95  | 60 | 70 | 40 |
| 37. तलहेडी  | 29.30 | 29.30 | 3400 | 2800 | 2600 | 2200 | 5100 | 65  | 75 | 60 | 50 |
| 38. तलहेडी खसरा नं० :-<br>57 से 68, 139, 141, 143, 147,<br>152, 153, 154, 155, 156, 157,<br>158, 159, 160, 160/243, 161,<br>162, 163, 167 | 36.60 | 36.60 | 4250 | 3500 | 3250 | 2800 | 6250 | 100 | 45 | 75 | 65 |
| 39. आकाशदीप एनक्लेव<br>(ख० नं० 16)  | —     | —     | 4100 | 3100 | 3400 | 2550 | 6100 | 90  | 70 | 75 | 50 |


  
 (सूर्य मोहन नोटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

| क्रम सं०  | 1     | 2     | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8   | 9   | 10  | 11 |
|---|-------|-------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|
| 40. भगवानपुर  | 20.00 | 20.00 | 5000 | 3500 | 4000 | 2800 | 7500 | 130 | 60  | 105 | 50 |
| 41. भगवानपुर<br>61 से 67, 77 से 97, 99 से 105 108 से 127,<br>55 से 59, 133, 134, 135, 138 से 141, 143 से<br>146, 148 से 151, 157 से 177, 266 से 268,<br>270 से 273, 275 से 283, 285 से 293, 296,<br>299, 300, 305 से 308, 351, 352, 358, 359 से<br>362, 441 से 449, 453, 454, 470, 472 से 474,<br>476, 505 से 515, 517, 518, 520, 522 से 524<br>363 से 370, 435, 436, 437, 450, 451, 452,<br>456 से 467, 469, 483 से 487, 23, 24, 31 से<br>39, 52, 130 से 133, 138, 137, 152, 154, 155,<br>156, 181 से 188, 190 से 206 तक<br>206, 207, 213, 214, 217 से 227, 235, 236,<br>239 से 250, 252 से 256, 258 से 262, 265,<br>287 से 278, 284, 287 से 290, 295, 381, 363<br>से 371, 388 से 390, 393 से 395, 397 से 415,<br>418, 420, 423 से 438, 440, 443 से 453, 456<br>से 459, 461, 465, 499 से 501, 503 से 505 से<br>508 से 513, 516, 518 से 522 | 25.00 | 25.00 | 6400 | 4500 | 5000 | 3400 | 9500 | 160 | 100 | 135 | 60 |
| 42. शाहपुर  | 20.00 | 20.00 | 4800 | 3400 | 3600 | 2600 | 7000 | 125 | 75  | 100 | 50 |
| 43. शाहपुर<br>खण्ड :- 59, 61 से 64, 69 से 71, 75 से<br>85, 85/259, 88 से 101, 112, 116, 124 से<br>127, 129 से 132, 134 से 151, 160, 197 से<br>222, 212/258, 234, 236, 237<br>154, 157 से 159, 161 से 165, 167, 169, 171,<br>174 से 188, 191 से 195  | 24.00 | 24.00 | 6000 | 4050 | 4500 | 3200 | 8800 | 155 | 95  | 130 | 60 |
| 44. अशोका विहार   | 29.30 | 29.30 | 3400 | 2800 | 2600 | 2200 | 5100 | 85  | 75  | 60  | 50 |
| 45. दर्पण कालोनी  | 29.30 | 29.30 | 3400 | 2800 | 2600 | 2200 | 5100 | 85  | 75  | 60  | 50 |

(सूर्य मोहट्टी मीटिंग)   
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

## झबरेडा नगर पंचायत की आवासीय न्यूनतम दरें

| क्षेत्र/राजस्व ग्रामों के नाम | 1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तर्ण के लिये निर्धारित दरें (रु० प्रति वर्ग मीटर) |   |   |   | व्यवसायिक भूमि की दर रु० प्रति वर्ग मीटर | दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय (मासिक किराया रु० प्रति वर्गमी०) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें (मासिक किराया रु० प्रति वर्गमी०) |  |                                   |
|-------------------------------|--|---|---|---|--|--|--|--|-----------------------------------|
|                               | 500 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर                                | 500 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर |  |  | गो दा म  | होटल / गेस्ट हाउस / बारातघर / पेट्रोलपम्प / सिनेमाघर | अस्पताल / धर्मशाला / मनोरंजन स्थल |
| क्रम सं०                      | 1  | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                                 |
| 1. गंज व कुम्हारान            | 3200   | 2400  | 2800  | 1800  | 4800                                     | 110  | 75   | 90   | 50                                |
| 2. नई मण्डी                   | 3200   | 2400  | 2800  | 1800  | 4800                                     | 110  | 75   | 90   | 50                                |
| 3. चौधरीयान                   | 3000   | 2200  | 2700  | 1700  | 4500                                     | 100  | 70   | 80   | 45                                |
| 4. तेलयान                     | 3000   | 2200  | 2700  | 1700  | 4500                                     | 100  | 65   | 80   | 45                                |
| 5. छावनी                      | 2400   | 1800  | 2000  | 1200  | 3800                                     | 95   | 70   | 80   | 45                                |

  
 (सूर्य मोहन नेटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हस्तिनार।

| क्रम सं०  | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6   | 7  | 8  | 9  |
|---|------|------|------|------|------|-----|----|----|----|
| 6. घोबीयान  | 2400 | 1800 | 2000 | 1200 | 3800 | 95  | 70 | 80 | 45 |
| 7. हरिजनयान                                       | 2300 | 1800 | 2000 | 1200 | 3500 | 90  | 65 | 75 | 45 |
| 8. बंजारन   | 2300 | 1800 | 2000 | 1200 | 3500 | 90  | 65 | 75 | 45 |
| 9. गढी विहार                                      | 2300 | 1800 | 2000 | 1200 | 3500 | 90  | 65 | 75 | 45 |
| 10. लौहारान                                       | 2300 | 1800 | 2000 | 1200 | 3500 | 90  | 65 | 75 | 45 |
| 11. कुम्हारान व घर                                | 2300 | 1800 | 2000 | 1200 | 3500 | 90  | 65 | 75 | 45 |
| 12. खरास  | 2300 | 1800 | 2000 | 1200 | 3500 | 90  | 65 | 75 | 45 |
| 13. पुराना बाजार                                  | 2300 | 1800 | 2000 | 1200 | 3500 | 90  | 65 | 75 | 45 |
| 14. शिव विहार                                     | 2400 | 1800 | 2000 | 1200 | 3800 | 95  | 70 | 80 | 45 |
| 15. मुख्य सडक (नारसन वाली से<br>इकबालपुर वाली तक) | 3200 | 2400 | 2600 | 2000 | 4800 | 105 | 70 | 90 | 45 |
| 16. सहारनपुर रोड                                  | 3000 | 2300 | 2500 | 1800 | 4500 | 100 | 65 | 65 | 45 |
| 17. अम्बेडकर कालोनी (झबरेडा)                      | 3200 | 2400 | 2600 | 2000 | 4800 | 105 | 70 | 90 | 45 |


  
 (सूर्य मोहन नोटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

**ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि एवं आवासीय न्यूनतम दरें**


| क्षेत्र/राजस्व ग्रामों के नाम  | कृषि दर प्रति हेक्टेयर (रु० लाख में) |         | 1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तरण के लिये निर्धारित दरें (रु० प्रति वर्ग मीटर) |   |   |   | व्यवसायिक भूमि की दर रु० प्रति वर्ग मीटर | दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय (मासिक किराया रु० प्रति वर्गमी०) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें (मासिक किराया रु० प्रति वर्गमी०) |   |                                   |
|--|--------------------------------------|---------|---|---|---|---|--|--|--|---|-----------------------------------|
|  | सिंचित                               | असिंचित | 500 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर                               | 500 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर |  |  | गोदाम  | होटल / गेस्ट हाउस / बासतघर / पेट्रोलपम्प / सिनेमाघर | अस्पताल / धर्मशाला / मनोरंजन स्थल |
| क्रम सं०   | 1                                    | 2       | 3   | 4   | 5   | 6   | 7  | 8  | 9  | 10  | 11                                |
| 1. सिकन्दर पुर भैंसवाल   | 16.00                                | 18.00   | 1400  | 1230  | 1200  | 900   | 2100                                     | 90   | 70   | 55  | 50                                |
| 2. सिकन्दर पुर भैंसवाल<br>खण्ड : 1, 2, 3, 4, 10, 11, 14 से 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 39, 45 से 57, 59, 81, 63, 68, 69, 70, 72 से 76, 78, 80 से 83, 85, 87 से 91, 93, 94, 356, 363 से 378, 383, 385 से 390, 396 से 399, 401, 450, 530, 540 से 545, 547 से 564, 566, 573, 574, 575, 579 से 589, 608, 609, 614 से 618, 618 से 627, 632 से 644, 647 से 653, 686, 687, 693 से 699, 701 से 704, 706, 707, 711 से 735, 749, 753, 754, 755, 766, 767, 769 से 776, 780, 781, 801 से 805, 814, 815 | 24.00                                | 24.00   | 1700  | 1500  | 1400  | 1200  | 2800                                     | 115  | 90   | 70  | 65                                |
| 3. चुड़ियाला मोहनपुर   | 7.50                                 | 7.50    | 650   | 750   | 650   | 500   | 1200                                     | 70   | 60   | 45  | 45                                |
| 4. मेहवड़ कला  | 7.00                                 | 7.00    | 650   | 750   | 650   | 500   | 1200                                     | 70   | 60   | 45  | 45                                |

(सूर्य मोहम्मद नौटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

| कम सं०   | 1     | 2     | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8   | 9  | 10 | 11 |
|--|-------|-------|------|------|------|------|------|-----|----|----|----|
| 5. रायपुर  | 20.00 | 20.00 | 1550 | 1500 | 1400 | 1300 | 2400 | 95  | 75 | 55 | 50 |
| 6. रायपुर<br>खण्ड :- 1 से 9, 12 से 14,<br>19, 21, 22, 26, 40, 41, 43 से<br>48, 48 से 52, 56, 57, 59, 80,<br>64, 65, 71, 72, 74, 75, 77, 78,<br>80 से 84, 96 से 103, 105 से<br>108, 145, 148, 149, 156, 157,<br>158, 162, 163, 164, 168 से<br>176, 180 से 187 | 25.00 | 25.00 | 2100 | 1800 | 1700 | 1800 | 3000 | 120 | 90 | 70 | 65 |
| 7. तेजपुर  | 8.00  | 8.00  | 1200 | 1100 | 1000 | 800  | 2000 | 115 | 65 | 55 | 50 |
| 8. बेहडेकी सैदाबाद   | 13.00 | 13.00 | 1100 | 1000 | 900  | 900  | 1700 | 105 | 60 | 55 | 45 |
| 9. खाता खेड़ी  | 12.00 | 12.00 | 1100 | 1000 | 900  | 700  | 1700 | 105 | 60 | 55 | 45 |
| 10. धनौरी  | 8.00  | 6.00  | 1800 | 1800 | 1500 | 1200 | 2800 | 110 | 70 | 60 | 50 |
| 11. पिरान कलियर  | 15.00 | 15.00 | 1800 | 1800 | 1500 | 1200 | 2800 | 110 | 70 | 60 | 50 |


  
 (सूर्य मोहन नौटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

| क्रम सं०   | 1     | 2     | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8   | 9  | 10 | 11 |
|--|-------|-------|------|------|------|------|------|-----|----|----|----|
| <b>12. पिरान कलियर ख०न०</b><br>5म, 17म, 22म, 23म, 24, 25, 27म, 28, 29म, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 38 से 42, 44 से 46, 49म, 50म, 53म, 54म, 58म, 59म, 73, 74, 75, 77, 78, 80 से 85, 86म, 87म, 88म, 89म, 90म, 91म, 92म, 93, 95, 96, 97, 98, 100म, 101, 103,104म, 105म, 108म, 109, 110, 111, 112म, 113म, 114, 115, 117 से 128, 131 से 150, 152, 154, 155, 157 से 160, 161, 164, 165, 166, 168, 169, 173म, 174म, 176म, 210म, 211 से 214, 215म, 216म, 217, 218म, 222म, 223, 233म, 236म, 237म, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 266म, 267म, 268म, 269, 274म, 275, 276म, 277, 278, 279, 280, 282, 287म, 290म, 292, 293, 294, 295, 297म, 298, 305म, 306म, 307म, 308, 310, 313, 314म, 315म, 316म, 317म, 319म, 320म, 321 से 324, 327, 328, 331, 332म, 338म, 344म, 346 से 353, 356म, 357म, 380म, 377म, 381, 382म, 384, 387म, 389म, 390म, 399म, 400, 402म, 406म, 411, 460म, 463, 464 से 468, 471म, 472म, 475म, 476, 477, 491म, 501म, 502म, 503म, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 512, 514 से 517, 510म, 519 से 527, 528म, 530, 533 से 540, 542, 543, 544, 546 से 549, 552 से 562, 564 से 568, 569म, 570म, 571म, 572म, 582म, 587 से 594, 597, 598, 601, 602, 603, 604म, 605म, 607, 608, 610 से 613, 615, 616, 618, 619, 620, 621, 624, 625, 626, 627, 629 से 633, 634म, 635म, 636, 637म, 640, 640/815, 640/816, 640/818, 640/819, 640/820, 640/821, 640/822, 641, 643म, 649म, 650म, 651, 653, 654म, 659, 660म, 661म, 663म, 667म, 684म, 685म, 686म, 687म, 688, 689, 693, 694, 695, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 704म, 706म, 709म, 711म, 712म, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720म, 721म, 722म, 723, 767म, 788म, 789, 790, 791, 792, 793, 794म, 795म | 18.00 | 18.00 | 2300 | 2000 | 1800 | 1500 | 3400 | 135 | 85 | 80 | 60 |

  
 (सूर्य मेहन नोटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।




| क्रम सं०  | 1     | 2     | 3    | 4    | 5    | 6   | 7    | 8   | 9  | 10 | 11 |
|---|-------|-------|------|------|------|-----|------|-----|----|----|----|
| 13. मक्कनपुर महमूद<br>आलमपुर  | 10.00 | 8.50  | 1200 | 1100 | 1000 | 650 | 1800 | 85  | 65 | 55 | 50 |
| 14. मक्कनपुर महमूद<br>आलमपुर<br>ख० नं० :- 12, 14 से 17, 37<br>से 41, 44, 45, 60, 64 से 67,<br>71 से 73, 75 से 84, 86, 88,<br>89, 90, 92 से 94, 139 से 142,<br>145 से 147, 148, 150, 151,<br>153 से 155, 157, 160 से 163,<br>165, 166, 104 से 106, 108,<br>111 से 119, 120/240, 123,<br>124, 125, 130, 127, 184, 186,<br>187, 190 से 196, 198 से 212,<br>167, 169, 170, 214, 215, 217,<br>219, 218/241, 220 से 231 | 11.00 | 10.50 | 1500 | 1300 | 1300 | 800 | 2200 | 105 | 80 | 70 | 60 |
| 15. शाहपुर साल्हापुर  | 11.00 | 11.00 | 950  | 850  | 750  | 650 | 1400 | 75  | 55 | 50 | 45 |

  
 (सूर्य मोहन नौटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

**तहसील रुड़की के नगरीय, अर्द्धनगरीय व विशिष्ट ग्रामों की कृषि एवं आवासीय न्यूनतम दरें**


| क्षेत्र/राजस्व ग्रामों के नाम     | कृषि दर प्रति हेक्टेयर (रु० लाख में) |         | 1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तरण के लिये निर्धारित दरें (रु० प्रति वर्ग मीटर) |   |   |   | व्यवसायिक भूमि की दर रु० प्रति वर्ग मीटर | दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय (मासिक किराया रु० प्रति वर्गमी०) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें (मासिक किराया रु० प्रति वर्गमी०) |  |                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------|---|---|---|---|--|--|--|--|-----------------------------------|
|                                   | सिंचित                               | असिंचित | 500 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर                               | 500 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर |  |  | गोदा म   | होटल / गेस्ट हाउस / बारातघर / पेट्रोलपम्प / सिनेमाघर | अस्पताल / धर्मशाला / मनोरंजन स्थल |
| क्रम सं०                          | 1                                    | 2       | 3   | 4   | 5   | 6   | 7  | 8  | 9  | 10   | 11                                |
| 1. झबरेड़ा (अन्दर नगर पंचायत)     | 11.00                                | 11.00   | 2800  | 2000  | 2200  | 1400  | 4000                                     | 110  | 70   | 90   | 50                                |
| 2. झबरेड़ा (बाहर हद्द नगर पंचायत) | 11.00                                | 11.00   | 2500  | 1700  | 1900  | 1300  | 3500                                     | 100  | 70   | 70   | 45                                |
| 3. झबरेड़ी कला                    | 10.80                                | 10.80   | 2200  | 1600  | 1700  | 1200  | 3200                                     | 90   | 65   | 70   | 45                                |

  
 (सूर्य मोहन नाटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

| क्रम सं०   | 1     | 2     | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8   | 9  | 10 | 11 |
|--|-------|-------|------|------|------|------|------|-----|----|----|----|
| 4. इब्राहिमपुर देह   | 18.00 | 18.00 | 2000 | 1500 | 1400 | 800  | 3000 | 95  | 75 | 50 | 45 |
| 5. इब्राहिमपुर देह ख० नं०<br>347, 350, 352 से 363, 365 से 372,<br>381, 383 से 389, 390 से 394, 396,<br>398 से 402, 404 से 421, 423 से<br>427, 430 से 439, 444 से 448, 474<br>से 478, 484, 485, 487 से 494, 496<br>से 504 , 516 से 518, 520 से 529,<br>531, 532, 534, 535, 536, 538 से<br>576, 578 से 584 | 24.00 | 24.00 | 2500 | 2000 | 1700 | 1200 | 3800 | 125 | 95 | 65 | 60 |
| 6. करोन्दी मु०   | 20.00 | 20.00 | 2200 | 1500 | 1600 | 800  | 3200 | 105 | 75 | 55 | 50 |
| 7. करोन्दी मु० ख० नं० :-<br>304, 305, 312, 318, 319 से 321,<br>327, 328 ,333 से 335, 351, 376 से<br>379, 381 , 382, 410 से 412,<br>414, 429, 429, 431 से 434, 487,<br>488, 490, 498 से 500, 537 से 546,<br>549, 599, 602, 606, 607   | 22.00 | 22.00 | 2500 | 1800 | 1800 | 1200 | 3800 | 120 | 85 | 65 | 60 |

  
 (सूर्य मोहन नौटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

| क्रम सं०   | 1     | 2     | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8   | 9  | 10 | 11 |
|--|-------|-------|------|------|------|------|------|-----|----|----|----|
| 8. किशनपुर जमालपुर मु०   | 18.00 | 18.00 | 1800 | 1300 | 1400 | 800  | 2800 | 90  | 85 | 50 | 45 |
| 9. किशनपुर जमालपुर<br>ख०न० :-<br>437 से 483, 533 से 540, 541,<br>543 से 547, 553, 562 से 570,<br>572 से 575, 601 से 610, 613,<br>713 से 728, 733 से 736, 739,<br>741, 743, से 750, 752 से 768,<br>772, 856, 857, 858, 859, 860,<br>870 से 878, 880, 911 से 930   | 23.00 | 23.00 | 2400 | 1700 | 1700 | 1000 | 3500 | 115 | 85 | 60 | 55 |
| 10. सालियर साल्हापुर मु०,  | 18.00 | 18.00 | 1800 | 1200 | 1400 | 800  | 2700 | 90  | 65 | 50 | 45 |
| 11. सालियर साल्हापुर मु०<br>ख०न० :-<br>328 से 330, 332, 334 से 339,<br>362 से 366, 369 से 384, 387 से<br>393, 395 से 404, 410 से 412,<br>414 से 423, 438, 444, 446 से<br>459, 481, 467, 468, 474, 475,<br>477, 478, 481, 482, 484, 494,<br>496, 499, 500, 501, 505 से 516,<br>522, 523, 526 से 528, 538 से<br>550 से 556, 559 से 566 | 23.00 | 23.00 | 2400 | 1700 | 1700 | 1000 | 3500 | 115 | 85 | 60 | 55 |

  
 (सूर्य मोहन गौटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।


| क्रम सं०   | 1     | 2     | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8   | 9   | 10 | 11 |
|--|-------|-------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|----|
| 12. लकेसरी   | 19.00 | 19.00 | 2200 | 1600 | 1500 | 800  | 3300 | 100 | 80  | 55 | 50 |
| 13. लकेसरी<br>11, 13, 14, 15, 16, 17, 38, 39,<br>41, 42, 43, 45 से 51, 53, 54,<br>50/582   | 23.00 | 23.00 | 2500 | 1600 | 1800 | 1100 | 3800 | 125 | 100 | 65 | 60 |
| 14. खुबनपुर लतीफपुर मु०  | 18.00 | 18.00 | 1950 | 1400 | 1450 | 750  | 3000 | 100 | 70  | 55 | 50 |
| 15. खुबनपुर लतीफपुर<br>ख०न० :-<br>429, 429/708, 430, 431, 432,<br>433, 434, 435, 436, 437, 438,<br>439, 440, 441, 442, 513, 514,<br>509, 647, 646, 646, 649, 658,<br>650, 651, 652, 641, 642, 639,<br>655, 658, 657, 658, 659, 660,<br>661, 662, 663, 664, 665, 666,<br>667, 668, 669, 687, 688, 689,<br>690, 691, 693, 696, 697 | 22.00 | 22.00 | 2500 | 1700 | 1850 | 900  | 3800 | 125 | 90  | 65 | 60 |
| 16. पुहाना   | 20.00 | 20.00 | 2200 | 1600 | 1600 | 800  | 3200 | 110 | 80  | 55 | 50 |
| 17. पुहाना ख०न० :-<br>228 से 231, 234, 253 से 256,<br>259, 260, 284, 285   | 25.00 | 25.00 | 2800 | 2400 | 1900 | 1100 | 4000 | 135 | 100 | 70 | 65 |

  
 (सूर्य मोहन नौटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।


| क्रम सं०  | 1     | 2     | 3    | 4    | 5    | 8    | 7    | 8   | 9  | 10 | 11 |
|---|-------|-------|------|------|------|------|------|-----|----|----|----|
| 18. चौली शहाबुददीन पुर मु०  | 18.50 | 18.50 | 2000 | 1500 | 1500 | 800  | 3000 | 100 | 75 | 55 | 50 |
| 19. चौली शहाबुददीनपुर<br>ख०न० :-<br>44मि, 45 / 1, 45 / 2, 46, 46 / 2, 170 / 1,<br>180, 182 / 1, 182 / 2मि, 183, 193 / 1मि<br>193 / 2मि, 194मि, 199मि, 200, 201, 202 / 1,<br>203मि, 204, 205, 208, 207 / 1, 207 / 2, 208,<br>209, 210, 211, 212, 213 / 1, 213 / 2,<br>213 / 3, 213 / 4, 192, 189 / 1मि, 189 / 3मि,<br>189 / 2मि, 190 / 2मि, 190 / 3मि, 218मि,<br>296 / 1मि, 296मि, 219 / 1मि, 219 / 4मि,<br>221मि, 222मि, 224मि, 225 / 1मि, 225 / 2मि,<br>225 / 3मि, 226 / 1, 226 / 2, 226 / 3, 224 / 4,<br>226 / 5, 227 / 1, 227 / 2, 227 / 3, 227 / 4,<br>227 / 5, 227 / 6, 227 / 7, 227 / 8, 229, 230,<br>232 / 1, 232 / 2, 233 / 1, 234 / 1, 234 / 2 | 23.00 | 23.00 | 2500 | 1900 | 1900 | 1100 | 3800 | 125 | 95 | 65 | 60 |
| 20. बन्दा खेड़ी,  | 20.00 | 20.00 | 2200 | 1600 | 1500 | 800  | 3300 | 105 | 75 | 56 | 50 |
| 21. बन्दा खेड़ी ख०न० :-<br>3 से 10, 13 से 16, 19, 20, 22, 23  | 25.00 | 25.00 | 2700 | 2000 | 1900 | 1000 | 4000 | 130 | 95 | 60 | 60 |

(सूर्य मोहम्मद नोटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

| क्रम सं०   | 1     | 2     | 3    | 4    | 5    | 6   | 7    | 8   | 9  | 10 | 11 |
|--|-------|-------|------|------|------|-----|------|-----|----|----|----|
| 22. नल्लेडी देहविरान,  | 18.00 | 18.00 | 2000 | 1400 | 1400 | 750 | 3000 | 95  | 70 | 50 | 45 |
| 23. नल्लेडी देहविरान खण्ड :<br>175, 181, 182, 185 से 194, 204 से 209,<br>213 से 215, 223, 225, 226, 228 से 231,<br>234 से 239, 242 से 247, 251/300, 251 से<br>254, 257 से 273, 276, 277, 279 से 288,<br>290 से 295 | 22.00 | 22.00 | 2400 | 1700 | 1700 | 850 | 3500 | 120 | 85 | 65 | 58 |
| 24. माघोपुर हजरतपुर  | 17.00 | 17.00 | 1800 | 1250 | 1350 | 650 | 2800 | 85  | 65 | 50 | 45 |
| 25. नल्लेडा अनन्तपुर   | 16.00 | 16.00 | 1000 | 900  | 900  | 600 | 1600 | 80  | 70 | 50 | 50 |
| 26. खेलपुर नसरुल्लापुर   | 15.00 | 15.00 | 1000 | 900  | 600  | 600 | 1500 | 80  | 70 | 45 | 45 |

  
 (सूर्य मोहन मोटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

| क्रम सं०  | 1     | 2     | 3    | 4    | 5    | 6   | 7    | 8   | 9  | 10 | 11 |
|---|-------|-------|------|------|------|-----|------|-----|----|----|----|
| 27. मंडावर  | 16.92 | 16.92 | 960  | 840  | 840  | 600 | 1560 | 85  | 70 | 45 | 45 |
| 28. मंडावर ख०न० :-<br>3, 7 से 18, 20, 21, 22, 25, 35, 36 से 51,<br>86, 87, 94 से 99, 101 से 109, 111, 112,<br>113, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 125,<br>127, 128, 129, 128/567, 131, 135 से 137,<br>139, 140, 142 से 148, 148, 149, 151, 153,<br>155 से 164, 175, 176, 179 से 182, 189 से<br>191, 193, 194, 196, 201, 351, 352, 354,<br>355, 356, 358 से 360, 362, 365, 366 से<br>373, 375, 376, 378 से 380, 382, 385, 386,<br>387, 418 से 426, 429, 443, 448 से 455,<br>458 | 21.00 | 21.00 | 1320 | 1080 | 960  | 720 | 1920 | 105 | 90 | 55 | 55 |
| 29. छापर शेर अफगनपुर  | 16.00 | 16.00 | 1000 | 900  | 900  | 600 | 1600 | 80  | 70 | 45 | 45 |
| 30. छापर शेर अफगनपुर<br>ख०न०:-<br>245 से 248, 251 से 254, 274, 276, 278,<br>279, 284 से 287, 289, 293, 295, 312, 313,<br>315, 335, 336  | 20.00 | 20.00 | 1300 | 1100 | 1100 | 600 | 2000 | 100 | 85 | 60 | 60 |
| 31. सिसौना मु०  | 16.20 | 16.20 | 960  | 840  | 840  | 600 | 1560 | 75  | 70 | 45 | 45 |
| 32. लाव्वा मु०  | 16.92 | 16.92 | 960  | 840  | 840  | 600 | 1560 | 80  | 70 | 45 | 45 |

  
 (सूर्य मोहन प्रोटेस्टियल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।




| क्रम सं०  | 1     | 2     | 3    | 4    | 5   | 6   | 7    | 8   | 9  | 10 | 11 |
|---|-------|-------|------|------|-----|-----|------|-----|----|----|----|
| 33. औरंगजेबपुर  | 16.92 | 16.92 | 960  | 840  | 840 | 600 | 1560 | 80  | 70 | 45 | 45 |
| 34. औरंगजेबपुर ख० न० :-<br>31 से 34, 39, 40, 44, 47 से 50, 55, 56, 65, 66,<br>61, 62, 63, 102, 104, 110, 111, 114, 116, 117,<br>116, 119, 120, 121, 123, 124, 126, 127 से 130,<br>132, 162, 167, 163, 164, 181 से 188, 188म, 191<br>से 197, 200 से 207, 212, 214, 215, 216, 246,<br>248, 250, 252, 279 से 283, 285, 332, 336, 346,<br>337, 336, 344, 501, 502, 503, 573, 507, 506,<br>509, 564, 512, 511, 510, 516 से 516, 522 से<br>525, 528/589, 529, 530, 531, 538 | 21.00 | 21.00 | 1200 | 1080 | 960 | 720 | 1920 | 100 | 85 | 55 | 55 |
| 35. खानपुर  | 15.51 | 15.51 | 960  | 840  | 780 | 540 | 1440 | 75  | 65 | 45 | 45 |
| 36. खानपुर ख० न० :-<br>275, 276, 282 से 289, 291 से 298, 300 से 308   | 19.32 | 19.32 | 1200 | 960  | 900 | 660 | 1800 | 95  | 80 | 55 | 55 |
| 37. तांशीपुर  | 14.64 | 12.28 | 600  | 540  | 540 | 480 | 960  | 80  | 70 | 45 | 45 |
| 38. हथियाथल   | 14.64 | 12.28 | 600  | 540  | 540 | 480 | 960  | 80  | 70 | 45 | 45 |
| 39. रुड़की (बाहर हदूद)  | 50.44 | 50.44 | 780  | 650  | 650 | 520 | 1170 | 90  | 80 | 50 | 50 |

  
 (सूर्य मोहन नौटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

**परगना रुड़की के ग्रामों की कृषि एवं आवासीय न्यूनतम दरें**

| क्षेत्र/राजस्व ग्रामों के नाम | कृषि दर प्रति हेक्टेयर (रु० लाख में) |         | 1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तरण के लिये निर्धारित दरें (रु० प्रति वर्ग मीटर) |   |   |   | व्यवसायिक भूमि की दर रु० प्रति वर्ग मीटर | दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय (मासिक किराया रु० प्रति वर्ग मी०) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें (मासिक किराया रु० प्रति वर्ग मी०) |  |                                   |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------|---|---|---|---|--|---|---|--|-----------------------------------|
|                               | सिंचित                               | असिंचित | 500 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर                               | 500 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर |  |   | गोदा म  | होटल / गेस्ट हाउस / बारातघर / पेट्रोलपम्प / सिनेमाघर | अस्पताल / धर्मशाला / मनोरंजन स्थल |
| क्रम सं०                      | 1                                    | 2       | 3   | 4   | 5   | 6   | 7  | 8   | 9   | 10   | 11                                |
| 1. इमली खेड़ा धर्मपुर         | 8.00                                 | 7.00    | 900   | 850   | 600   | 750   | 1300                                     | 80  | 55  | 50   | 55                                |
| 2. गुम्मावाला                 | 6.90                                 | 6.00    | 840   | 720   | 660   | 600   | 1200                                     | 75  | 50  | 45   | 45                                |
| 3. गोपालपुर                   | 6.36                                 | 5.52    | 780   | 660   | 660   | 600   | 1080                                     | 75  | 50  | 45   | 45                                |
| 4. बाजूहेड़ी                  | 6.36                                 | 5.50    | 780   | 650   | 635   | 600   | 1100                                     | 75  | 50  | 45   | 45                                |
| 5. बेडपुर                     | 7.00                                 | 6.00    | 850   | 750   | 750   | 650   | 1200                                     | 75  | 55  | 50   | 50                                |

  
 (सुर्य मोहन नौटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

| कम सं०   | 1    | 2    | 3    | 4   | 5   | 8   | 7    | 8  | 9  | 10 | 11 |
|--|------|------|------|-----|-----|-----|------|----|----|----|----|
| 6. माजरी   | 8.36 | 5.50 | 780  | 850 | 635 | 600 | 1100 | 75 | 50 | 45 | 45 |
| 7. मुकरबपुर  | 7.00 | 8.00 | 875  | 765 | 700 | 690 | 1200 | 80 | 55 | 45 | 45 |
| 8. मुकरबपुर ख०न०<br>1म, 2म, 3, 6 से 10, 11म, 12, 13, 14म, 16म, 20<br>से 25, 27, 28म, 29म, 43, 48 से 55, 57 से 59,<br>60म, 70म, 71, 72, 85म, 126, 127, 128म, 134म,<br>145म, 146, 147, 148म, 150 से 153, 155 से 160,<br>163 से 168, 170 से 173, 177, 179, 181 182,<br>184, 185, 187, 189, 190, 191म, 192 से 196,<br>198 से 201, 202म, 203 से 206, 208 से 212, 214<br>से 224, 230 से 236, 238 से 244, 246 से 252,<br>254 से 260, 269म | 8.95 | 8.00 | 1100 | 950 | 900 | 850 | 1650 | 95 | 65 | 60 | 60 |
| 9. महमूदपुर  | 6.90 | 6.00 | 840  | 720 | 660 | 600 | 1200 | 75 | 55 | 45 | 45 |
| 10. मेहवड खुर्द चर्फ नागल  | 7.20 | 6.24 | 840  | 720 | 690 | 650 | 1200 | 75 | 55 | 45 | 45 |
| 11. राघड़वाला  | 6.36 | 5.52 | 780  | 660 | 636 | 600 | 1080 | 75 | 55 | 45 | 45 |
| 12. सैदपुरा  | 6.36 | 5.52 | 780  | 660 | 636 | 600 | 1080 | 75 | 55 | 45 | 45 |
| 13. सोहलपुर मजरा बेलडा   | 6.36 | 5.52 | 780  | 660 | 636 | 600 | 1080 | 75 | 55 | 45 | 45 |
| 14. अबुल हसनपुर  | 4.80 | 3.30 | 600  | 500 | 480 | 420 | 900  | 75 | 55 | 45 | 45 |


(सूर्य मोहच नोटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

| कम सं०  | 1    | 2    | 3   | 4   | 5   | 6   | 7    | 8  | 9  | 10 | 11 |
|---|------|------|-----|-----|-----|-----|------|----|----|----|----|
| 15. अलमासपुर  | 4.50 | 3.00 | 530 | 495 | 450 | 400 | 880  | 70 | 65 | 40 | 40 |
| 16. मोहम्मदपुर पान्ढा   | 5.40 | 3.75 | 600 | 550 | 520 | 460 | 960  | 75 | 70 | 45 | 45 |
| 17. मोहनपुरा मजरा सालियर  | 5.40 | 3.75 | 620 | 570 | 530 | 480 | 960  | 75 | 70 | 50 | 50 |
| 18. मोहनपुरा मजरा सालियर<br>ख०न०<br>548, 547, 537, 546, 544, 545, 547,<br>556, 555, 553, 554, 550, 551, 562,<br>563, 561, 560, 529, 558, 559, 578,<br>579, 574, 575, 576, 577, 572, 571,<br>581 से 588, 590 से 600, 611 से 615,<br>682 से 687 | 6.75 | 4.50 | 780 | 720 | 660 | 600 | 1200 | 95 | 85 | 60 | 60 |
| 19. मोहम्मदपुर अमीपुर उर्फ<br>मल्हू मजरा अह० व मु०  | 5.40 | 3.75 | 630 | 570 | 530 | 480 | 1000 | 60 | 70 | 45 | 45 |
| 20. रामपुर जदीद मु०   | 4.95 | 3.45 | 560 | 510 | 480 | 420 | 900  | 75 | 65 | 45 | 45 |

  
 (सूर्य मोहम्मद नौटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

**परगना भगवानपुर के ग्रामों की कृषि एवं आवासीय न्यूनतम दरें**

| क्षेत्र/राजस्व ग्रामों के नाम | कृषि दर प्रति हेक्टेयर (रु० लाख में) |         | 1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तरण के लिये निर्धारित दरें (रु० प्रति वर्ग मीटर) |   |   |   | व्यवसायिक भूमि की दर रु० प्रति वर्ग मीटर | दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय (मासिक किराया रु० प्रति वर्गमी०) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें (मासिक किराया रु० प्रति वर्गमी०) |  |                                 |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------|---|---|---|---|--|--|--|--|---------------------------------|
|                               | सिंचित                               | असिंचित | 500 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर                               | 500 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर |  |  | गोदा म   | होटल / गेस्ट हाउस / बारातघर / पेट्रोलपम्प / सिनेमाघर | अस्पताल/ धर्मशाला/ मनोरंजन स्थल |
| क्रम सं०                      | 1                                    | 2       | 3   | 4   | 5   | 6   | 7  | 8  | 9  | 10   | 11                              |
| 1. महेसरी                     | 8.83                                 | 7.32    | 600   | 540   | 480   | 420   | 960                                      | 75   | 65   | 45   | 45                              |
| 2. बिनारसी उर्फ बुलेड         | 8.83                                 | 7.32    | 600   | 540   | 480   | 420   | 960                                      | 75   | 65   | 45   | 45                              |
| 3. फक्करहेडी                  | 9.80                                 | 7.98    | 600   | 540   | 510   | 480   | 960                                      | 80   | 70   | 45   | 45                              |

  
 (सूर्य मोहन नीटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।


| क्रम सं०                | 1     | 2    | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10 | 11 |
|-------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 4. भलस्वागाज            | 10.00 | 8.30 | 600 | 580 | 540 | 480 | 960 | 75 | 70 | 50 | 50 |
| 5. बालूपुर              | 8.83  | 7.32 | 600 | 540 | 490 | 420 | 900 | 70 | 65 | 45 | 45 |
| 6. छछरोली,              | 8.83  | 7.32 | 600 | 540 | 490 | 420 | 900 | 70 | 65 | 45 | 45 |
| 7. बिन्दु खड़क          | 10.38 | 8.58 | 600 | 580 | 540 | 480 | 960 | 80 | 70 | 50 | 50 |
| 8. मानकपुर आदमपुर       | 10.38 | 8.58 | 600 | 580 | 540 | 480 | 960 | 80 | 70 | 50 | 50 |
| 9. खजूरी                | 10.38 | 8.58 | 600 | 580 | 540 | 480 | 960 | 80 | 70 | 50 | 50 |
| 10. होसंगपुर            | 9.24  | 7.68 | 600 | 540 | 500 | 480 | 960 | 75 | 70 | 45 | 45 |
| 11. सुल्तानपुर साबतवाली | 9.24  | 7.68 | 600 | 540 | 500 | 480 | 960 | 75 | 70 | 45 | 45 |

  
 (सूर्य भोहन नीटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

| क्रम सं०              | 1     | 2    | 3   | 4   | 5   | 6   | 7    | 8  | 9  | 10 | 11 |
|-----------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|------|----|----|----|----|
| 12. खड़खड़ी दयाला     | 9.24  | 7.68 | 600 | 540 | 500 | 480 | 960  | 75 | 70 | 45 | 45 |
| 13. समसपुर खुन्डेवाली | 10.00 | 8.32 | 650 | 580 | 540 | 480 | 1040 | 85 | 75 | 50 | 50 |
| 14. डेलना             | 11.24 | 8.64 | 650 | 620 | 580 | 520 | 1040 | 85 | 75 | 50 | 50 |
| 15. हीराहेडी          | 10.00 | 8.32 | 650 | 580 | 540 | 480 | 1040 | 85 | 75 | 50 | 50 |
| 16. अहमदपुर सरवारेकी  | 9.24  | 7.68 | 600 | 540 | 500 | 480 | 960  | 75 | 70 | 45 | 45 |
| 17. हरजोली झौझा       | 9.24  | 7.68 | 600 | 540 | 500 | 480 | 960  | 75 | 70 | 45 | 45 |
| 18. अकरपुर झौझा       | 9.24  | 7.68 | 600 | 540 | 500 | 480 | 960  | 75 | 70 | 45 | 45 |
| 19. बहिस्तीपुर        | 9.24  | 7.68 | 600 | 540 | 500 | 480 | 960  | 75 | 70 | 45 | 45 |
| 20. हरचन्दपुर माजरा   | 9.24  | 7.68 | 600 | 540 | 500 | 480 | 960  | 75 | 70 | 45 | 45 |


  
 (सूर्य मोहन नोटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

| क्रम सं०                        | 1     | 2    | 3   | 4   | 5   | 6   | 7    | 8  | 9  | 10 | 11 |
|---------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|------|----|----|----|----|
| 21. मोलना                       | 10.00 | 8.58 | 660 | 600 | 550 | 480 | 1020 | 80 | 70 | 45 | 45 |
| 22. बिरसंगपुर                   | 8.83  | 7.32 | 600 | 540 | 480 | 440 | 900  | 75 | 65 | 45 | 45 |
| 23. अमरपुर काजी                 | 8.83  | 7.32 | 600 | 540 | 480 | 440 | 900  | 75 | 65 | 45 | 45 |
| 24. बालेकी युसुफपुर             | 8.83  | 7.32 | 600 | 540 | 480 | 440 | 900  | 75 | 65 | 45 | 45 |
| 25. कुन्जा बहादरपुर             | 9.60  | 7.98 | 600 | 580 | 540 | 480 | 960  | 80 | 70 | 45 | 45 |
| 26. सुनहेटी आल्हापुर            | 9.24  | 7.62 | 600 | 540 | 500 | 440 | 900  | 75 | 60 | 45 | 45 |
| 27. झबरेडी खुर्द                | 9.24  | 7.62 | 600 | 540 | 500 | 440 | 900  | 75 | 60 | 45 | 45 |
| 28. कवादपुर लोदीवाला            | 9.24  | 7.62 | 600 | 540 | 500 | 440 | 900  | 75 | 60 | 45 | 45 |
| 29. बलेलपुर मजरा<br>हरजोली झौझा | 9.24  | 7.62 | 600 | 540 | 500 | 440 | 900  | 75 | 60 | 45 | 45 |
| 30. रसूलपुर                     | 9.24  | 7.62 | 600 | 540 | 500 | 440 | 900  | 75 | 60 | 45 | 45 |


  
 (सूर्य मोहन नाटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।




| कम सं०                      | 1    | 2    | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10 | 11 |
|-----------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 31 इकबालपुर कमेलपुर         | 9.24 | 7.62 | 600 | 540 | 500 | 440 | 900 | 75 | 60 | 45 | 45 |
| 32. पाडली गन्दा             | 9.24 | 7.62 | 600 | 540 | 500 | 440 | 900 | 75 | 60 | 45 | 45 |
| 33. सरकडी ताहरपुर           | 9.24 | 7.62 | 600 | 540 | 500 | 440 | 900 | 75 | 60 | 45 | 45 |
| 34. साल्हापुर               | 9.24 | 7.62 | 600 | 540 | 500 | 440 | 900 | 75 | 60 | 45 | 45 |
| 35 सरठेडी शाहजहाँपुर        | 9.24 | 7.62 | 600 | 540 | 500 | 440 | 900 | 75 | 60 | 45 | 45 |
| 36. कादरपुर                 | 9.24 | 7.62 | 600 | 540 | 500 | 440 | 900 | 75 | 60 | 45 | 45 |
| 37. शेरपुर                  | 9.24 | 7.62 | 600 | 540 | 500 | 440 | 900 | 75 | 60 | 45 | 45 |
| 38. बलेलपुर मजरा<br>पनियाला | 9.24 | 7.62 | 600 | 540 | 500 | 440 | 900 | 75 | 60 | 45 | 45 |

  
 (सूर्य मोहन नाटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।


| क्रम सं०                       | 1    | 2    | 3   | 4   | 5   | 6   | 7    | 8  | 9  | 10 | 11 |
|--------------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|----|----|----|----|
| 39. लाठरदेवा शेख               | 9.00 | 7.80 | 660 | 600 | 550 | 500 | 1020 | 80 | 70 | 45 | 45 |
| 40. साव्हापुर                  | 8.00 | 7.00 | 600 | 550 | 510 | 480 | 900  | 75 | 65 | 45 | 45 |
| 41. सफरपुर                     | 8.00 | 7.00 | 600 | 550 | 510 | 480 | 900  | 75 | 65 | 45 | 45 |
| 42. सोहलपुर गाढा               | 8.00 | 7.00 | 600 | 550 | 510 | 480 | 900  | 75 | 65 | 45 | 45 |
| 43. गीमीहम्मद शहीदपुर मु०      | 8.00 | 7.00 | 600 | 550 | 510 | 480 | 900  | 75 | 65 | 45 | 45 |
| 44. धर्मपुर                    | 8.00 | 7.00 | 600 | 550 | 510 | 480 | 900  | 75 | 65 | 45 | 45 |
| 45. मुरकरमपुर उर्फ<br>कालेवाला | 8.00 | 7.00 | 600 | 550 | 510 | 480 | 900  | 75 | 65 | 45 | 45 |
| 46. सिरचन्दी                   | 9.00 | 7.80 | 660 | 600 | 550 | 480 | 1020 | 80 | 70 | 45 | 45 |
| 47. बढेडी बुजुर्ग              | 8.00 | 7.00 | 600 | 550 | 480 | 420 | 900  | 75 | 65 | 45 | 45 |
| 48. मोहितपुर                   | 8.50 | 7.50 | 600 | 580 | 550 | 540 | 950  | 80 | 70 | 45 | 45 |
| 49. नजूलपुर पनियाली            | 8.20 | 7.00 | 600 | 550 | 480 | 440 | 900  | 75 | 65 | 45 | 45 |

  
 (सूर्य मोहन नीटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

| क्रम सं०             | 1    | 2    | 3   | 4   | 5   | 8   | 7    | 8  | 9  | 10 | 11 |
|----------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|----|----|----|----|
| 50. अकबरपुर फाजिलपुर | 8.00 | 7.00 | 600 | 550 | 480 | 440 | 900  | 75 | 65 | 45 | 45 |
| 51. नौबतपुर मुलेवाला | 8.00 | 7.00 | 600 | 550 | 480 | 440 | 900  | 75 | 65 | 45 | 45 |
| 52. मक्कनपुर देवपुर  | 8.00 | 7.00 | 600 | 550 | 480 | 440 | 900  | 75 | 65 | 45 | 45 |
| 53. नगला कुबड़ा      | 8.00 | 7.00 | 600 | 550 | 480 | 440 | 900  | 75 | 65 | 45 | 45 |
| 54. महमूदपुर         | 8.00 | 7.00 | 600 | 550 | 480 | 440 | 900  | 75 | 65 | 45 | 45 |
| 55. प्रेमराजपुर      | 8.00 | 7.00 | 600 | 550 | 480 | 440 | 900  | 75 | 65 | 45 | 45 |
| 56. डाडली            | 8.00 | 7.00 | 600 | 550 | 480 | 440 | 900  | 75 | 65 | 45 | 45 |
| 57. रूहालकी दयालपुर  | 9.00 | 7.80 | 650 | 550 | 550 | 480 | 1050 | 80 | 70 | 45 | 45 |
| 58. अलीपुर खतौला     | 8.00 | 8.90 | 600 | 550 | 480 | 450 | 900  | 75 | 65 | 45 | 45 |

  
 (सूर्य मोहन नौटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।


| क्रम सं०   | 1    | 2    | 3   | 4   | 5   | 6   | 7    | 8   | 9  | 10 | 11 |
|--|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|----|----|
| 59. अकबरपुर कालसी  | 7.20 | 6.60 | 660 | 600 | 550 | 480 | 960  | 75  | 70 | 45 | 45 |
| 60. अलावलपुर   | 7.50 | 6.80 | 660 | 600 | 550 | 500 | 1020 | 80  | 70 | 45 | 45 |
| 61. अहमदपुर खेडी   | 6.50 | 6.20 | 600 | 550 | 480 | 450 | 900  | 75  | 65 | 45 | 45 |
| 62. धीरमजरा मु०  | 6.50 | 6.20 | 600 | 550 | 480 | 450 | 900  | 75  | 65 | 45 | 45 |
| 63. फतेहचल्लापुर उर्फ<br>तेलपुरा   | 7.20 | 6.50 | 660 | 650 | 570 | 480 | 1020 | 80  | 70 | 45 | 45 |
| 64. हकीमपुर तुरा   | 6.50 | 6.20 | 600 | 550 | 480 | 450 | 900  | 75  | 65 | 45 | 45 |
| 65. हसनपुर मदनपुर मु०  | 6.50 | 6.20 | 600 | 550 | 480 | 450 | 900  | 75  | 65 | 45 | 45 |
| 66. जलालपुर डाडा   | 7.20 | 6.80 | 660 | 600 | 550 | 480 | 960  | 90  | 70 | 45 | 45 |
| 67. कलालहटी  | 6.50 | 6.00 | 600 | 550 | 480 | 450 | 900  | 75  | 65 | 45 | 45 |
| 68. लोदीवाला   | 7.50 | 6.80 | 760 | 600 | 580 | 510 | 1080 | 85  | 70 | 45 | 45 |
| 69. लोदीवाला<br>ख०न० :- 2, 4, 5, 8 से 17, 19 से 22, 24, 25, 29 से 30,<br>33, 38 से 43, 45, 46, 48, 49, 217, 116, 101, 103 से 106,<br>108 से 110, 268, 270 से 272, 274 से 279, 281 से 283,<br>285, 305, 306 | 9.50 | 8.50 | 850 | 780 | 720 | 600 | 1400 | 105 | 90 | 60 | 60 |

  
 (सुर्य मोहन जिंदाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।


| क्रम सं०                              | 1    | 2    | 3   | 4   | 5   | 6   | 7    | 8  | 9  | 10 | 11 |
|---------------------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|----|----|----|----|
| 70. मानकमजरा                          | 7.50 | 6.80 | 720 | 600 | 600 | 520 | 1100 | 85 | 70 | 45 | 45 |
| 71. पट्टी डाडा                        | 7.00 | 6.50 | 600 | 540 | 520 | 460 | 960  | 80 | 70 | 45 | 45 |
| 72. काजीबांस मु०                      | 7.50 | 6.80 | 720 | 600 | 580 | 500 | 1100 | 85 | 70 | 45 | 45 |
| 73. वहाबपुर उर्फ<br>छांगामजरी         | 7.50 | 6.80 | 720 | 600 | 580 | 500 | 1100 | 85 | 70 | 45 | 45 |
| 74. बहबलपुर हंसुवाला                  | 7.50 | 6.80 | 720 | 600 | 580 | 500 | 1100 | 85 | 70 | 45 | 45 |
| 75. दरियापुर दयालपुर मु०              | 7.50 | 6.80 | 720 | 600 | 580 | 500 | 1100 | 85 | 70 | 45 | 45 |
| 76. बन्जारे वाला ग्रन्ट               | 5.20 | 4.50 | 720 | 660 | 600 | 550 | 1100 | 90 | 75 | 50 | 50 |
| 77. दौलतपुर हजरतपुर<br>उर्फ बुधवा सईद | 5.20 | 4.50 | 720 | 660 | 600 | 550 | 1100 | 90 | 75 | 50 | 50 |
| 78. फिरोजपुर उर्फ<br>बुग्गावाला       | 5.20 | 4.50 | 720 | 660 | 600 | 550 | 1100 | 90 | 75 | 50 | 50 |
| 79. लालवाला मजबता                     | 5.20 | 4.50 | 720 | 660 | 600 | 550 | 1100 | 90 | 75 | 50 | 50 |
| 80. मजाहिदपुर सतीवाला<br>मजबता        | 5.20 | 4.50 | 720 | 660 | 600 | 550 | 1100 | 90 | 75 | 50 | 50 |

  
 (सूर्य मोहन शेट्टीवाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।


| क्रम सं०              | 1    | 2    | 3   | 4   | 5   | 8   | 7    | 8  | 9  | 10 | 11 |
|-----------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|----|----|----|----|
| 81. लामग्रन्ट         | 5.20 | 4.50 | 720 | 660 | 600 | 550 | 1100 | 90 | 75 | 50 | 50 |
| 82. नौकरा ग्रन्ट      | 5.20 | 4.50 | 720 | 660 | 600 | 550 | 1100 | 90 | 75 | 50 | 50 |
| 83. राहीदवाला ग्रन्ट  | 5.20 | 4.50 | 720 | 660 | 600 | 550 | 1100 | 90 | 75 | 50 | 50 |
| 84. हबीबपुर निवादा    | 5.20 | 4.50 | 720 | 660 | 600 | 550 | 1100 | 90 | 75 | 50 | 50 |
| 85. रोलाहेडी          | 5.20 | 4.50 | 720 | 660 | 600 | 550 | 1100 | 90 | 75 | 50 | 50 |
| 86. इब्राहिमपुर मसाही | 5.20 | 4.50 | 720 | 660 | 600 | 550 | 1100 | 90 | 75 | 50 | 50 |
| 87. झडियान ग्रन्ट     | 5.00 | 4.40 | 650 | 600 | 550 | 480 | 1000 | 75 | 70 | 45 | 45 |
| 88. खेडी शिकोहपुर     | 5.00 | 4.30 | 720 | 660 | 600 | 550 | 1100 | 90 | 75 | 50 | 50 |
| 89. सिकरोडा           | 5.00 | 4.30 | 720 | 660 | 600 | 550 | 1100 | 90 | 75 | 50 | 50 |
| 90. कुतुबपुर ग्रन्ट   | 4.50 | 4.00 | 600 | 550 | 480 | 440 | 900  | 75 | 65 | 45 | 45 |

  
 (सूर्य मोहं मोटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (बित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

| क्रम सं०                      | 1    | 2    | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10 | 11 |
|-------------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 91. नागल                      | 4.50 | 4.00 | 600 | 550 | 480 | 440 | 900 | 75 | 65 | 45 | 45 |
| 92. पलूनी                     | 4.80 | 4.20 | 600 | 550 | 520 | 450 | 950 | 75 | 70 | 45 | 45 |
| 93. लालवाला खालसा             | 4.80 | 4.20 | 600 | 550 | 520 | 450 | 950 | 75 | 70 | 45 | 45 |
| 94. मजाहिदपुर सतीवाला खालसा   | 4.80 | 4.20 | 600 | 550 | 520 | 450 | 950 | 75 | 70 | 45 | 45 |
| 95. करोन्दी जदीद              | 4.80 | 4.20 | 600 | 550 | 520 | 450 | 950 | 75 | 70 | 45 | 45 |
| 96. सालियर साल्हापुर जदीद मु० | 4.80 | 4.20 | 600 | 550 | 520 | 450 | 950 | 75 | 70 | 45 | 45 |
| 97. किशनपुर जमालपुर जदीद मु०  | 4.80 | 4.20 | 600 | 550 | 500 | 445 | 950 | 75 | 70 | 45 | 45 |
| 98. पुहाना जदीद मु०           | 4.80 | 4.20 | 600 | 550 | 500 | 445 | 950 | 75 | 70 | 45 | 45 |
| 99. सिसौना जदीद               | 4.80 | 4.20 | 600 | 550 | 500 | 445 | 950 | 75 | 70 | 45 | 45 |
| 100. खुबनपुर लतीफपुर जदीद मु० | 4.80 | 4.20 | 600 | 550 | 500 | 445 | 950 | 75 | 70 | 45 | 45 |

  
 (सूर्य मोहन नाटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

| क्रम सं०                               | 1    | 2    | 3   | 4   | 5   | 6   | 7    | 8  | 9  | 10 | 11 |
|--|------|------|-----|-----|-----|-----|------|----|----|----|----|
| 101. चौली शहाबुदीनपुर<br>जदीद मु०      | 4.80 | 4.20 | 600 | 550 | 500 | 450 | 960  | 75 | 70 | 45 | 45 |
| 102. लाव्वा जदीद                       | 4.80 | 4.20 | 600 | 550 | 500 | 450 | 960  | 75 | 70 | 45 | 45 |
| 103. गीमीहम्मद शहीदपुर<br>जदीद मु०     | 4.80 | 4.20 | 600 | 550 | 500 | 450 | 960  | 75 | 70 | 45 | 45 |
| 104. दरियापुर दयालपुर<br>अह०           | 4.80 | 4.20 | 600 | 550 | 500 | 450 | 960  | 75 | 70 | 45 | 45 |
| 105. धीरमजरा अह०                       | 4.80 | 4.20 | 600 | 550 | 500 | 450 | 960  | 75 | 70 | 45 | 45 |
| 106. हसनपुर मदनपुर<br>अह०              | 4.80 | 4.20 | 600 | 550 | 500 | 450 | 960  | 75 | 70 | 45 | 45 |
| 107. हसनावाला                          | 4.80 | 4.20 | 600 | 550 | 500 | 450 | 960  | 75 | 70 | 45 | 45 |
| 108. खेडली                             | 4.80 | 4.20 | 600 | 550 | 500 | 450 | 960  | 75 | 70 | 45 | 45 |
| 109. हल्लूमजरा                         | 5.20 | 4.50 | 650 | 600 | 560 | 480 | 1100 | 85 | 70 | 45 | 45 |
| 110. भगवानपुर जदीद मु०                 | 4.50 | 4.20 | 600 | 550 | 500 | 480 | 960  | 75 | 65 | 45 | 45 |
| 111. शाहपुर जदीद मु०                   | 4.50 | 4.20 | 600 | 550 | 500 | 480 | 960  | 75 | 65 | 45 | 45 |
| 112. मक्कनपुर महमूद<br>आलमपुर जदीद मु० | 4.50 | 4.20 | 600 | 550 | 500 | 480 | 960  | 75 | 65 | 45 | 45 |

  
 (सूर्य मोहन नीटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।




भवनों की श्रेणीवार दर सूची (रु० प्रति वर्ग मीटर में)

| क्रमांक | भवनों की श्रेणी                   | निर्धारित दर<br>(रु० प्रति वर्ग मीटर) |
|---------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1.      | फ्लैट्स                           | 8500/-                                |
| 2.      | श्रेणी प्रथम (आर० सी० सी०)        | 8150/-                                |
| 3.      | श्रेणी द्वितीय (आर० बी० सी०)      | 7800/-                                |
| 4.      | श्रेणी तृतीय (टीन पोश/कड़ी युक्त) | 5850/-                                |

(सूर्य मोहंटा नोटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।

## औद्योगिक दरें

| क्रम संख्या | ग्राम              | दर रुपये प्रति वर्गमीटर |
|-------------|--------------------|-------------------------|
| 1.          | रायपुर             | 2600                    |
| 2.          | लकेशरी             | 2600                    |
| 3.          | भगवानपुर           | 1800                    |
| 4.          | सिकन्दर पुर भैसवाल | 1950                    |
| 5.          | सलेमपुर राजपुतान   | 2250                    |
| 6.          | नल्हेडा अनन्तपुर   | 1800                    |
| 7.          | नल्हेडी देहविरान   | 1800                    |
| 8.          | कांजी बांस मु०     | 1900                    |
| 9.          | बंदा खेड़ी         | 1900                    |
| 10.         | अन्य ग्राम         | 1500                    |

  
 (सूर्य मोहन चौटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

गैर वाणिज्यिक भवनों का मूल्यांकन निम्न सूची के अनुसार देय होगा:-

क्षरण निम्नानुसार देय होगा, जिसका फार्मूला निम्नलिखित है:- नोट-क्षरण की निम्न सारणी भवन की अनुमानित आयु 100 वर्ष मान कर किया गया है।


निर्माण मूल्य में ह्रास लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचारित सूत्र :-  $D = P (1 - \frac{RD}{100})^N$  RD = भवन की औसत आयु  
100

D = ह्रास मूल्य (Depreciated Value) P = वर्तमान मूल्य N = कितने वर्ष पुराना (Actual Age of Building)


|        |       |    |       |    |       |     |       |
|--------|-------|----|-------|----|-------|-----|-------|
| 1 वर्ष | 0.990 | 26 | 0.770 | 51 | 0.598 | 76  | 0.465 |
| 2      | 0.980 | 27 | 0.762 | 52 | 0.592 | 77  | 0.461 |
| 3      | 0.970 | 28 | 0.754 | 53 | 0.587 | 78  | 0.456 |
| 4      | 0.960 | 29 | 0.747 | 54 | 0.581 | 79  | 0.452 |
| 5      | 0.950 | 30 | 0.739 | 55 | 0.575 | 80  | 0.447 |
| 6      | 0.941 | 31 | 0.731 | 56 | 0.569 | 81  | 0.443 |
| 7      | 0.932 | 32 | 0.724 | 57 | 0.563 | 82  | 0.438 |
| 8      | 0.927 | 33 | 0.717 | 58 | 0.558 | 83  | 0.434 |
| 9      | 0.913 | 34 | 0.710 | 59 | 0.552 | 84  | 0.429 |
| 10     | 0.904 | 35 | 0.703 | 60 | 0.547 | 85  | 0.425 |
| 11     | 0.890 | 36 | 0.696 | 61 | 0.541 | 86  | 0.421 |
| 12     | 0.880 | 37 | 0.689 | 62 | 0.536 | 87  | 0.417 |
| 13     | 0.870 | 38 | 0.682 | 63 | 0.530 | 88  | 0.412 |
| 14     | 0.868 | 39 | 0.675 | 64 | 0.525 | 89  | 0.408 |
| 15     | 0.860 | 40 | 0.668 | 65 | 0.518 | 90  | 0.404 |
| 16     | 0.851 | 41 | 0.662 | 66 | 0.515 | 91  | 0.400 |
| 17     | 0.842 | 42 | 0.655 | 67 | 0.509 | 92  | 0.396 |
| 18     | 0.834 | 43 | 0.649 | 68 | 0.504 | 93  | 0.392 |
| 19     | 0.826 | 44 | 0.642 | 69 | 0.499 | 94  | 0.388 |
| 20     | 0.817 | 45 | 0.636 | 70 | 0.494 | 95  | 0.384 |
| 21     | 0.809 | 46 | 0.629 | 71 | 0.489 | 96  | 0.381 |
| 22     | 0.801 | 47 | 0.623 | 72 | 0.484 | 97  | 0.377 |
| 23     | 0.793 | 48 | 0.617 | 73 | 0.480 | 98  | 0.373 |
| 24     | 0.785 | 49 | 0.611 | 74 | 0.475 | 99  | 0.369 |
| 25     | 0.777 | 50 | 0.605 | 75 | 0.470 | 100 | 0.366 |

(सूर्य मोहन नौटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।


| क्रमांक | टिप्पणी  |
|---------|--|
| 1-      | उ०प्र० वित्त निगम, उ०प्र० आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक प्राधिकरणों/निगमों एवं राजकीय संस्थाओं द्वारा अन्तरित परिसम्पत्तियों हेतु उक्त संस्थाओं द्वारा निष्पादित विलेखों के अन्तर्गत निहित सम्पत्ति का बाजार मूल्य संस्थाओं के द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य के बराबर होगा।   |
| 2-      | मूल्यांकन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा, जो कि विभिन्न कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा किराये पर लिये गये उन भवनों से है, जहां से उन कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा अपने व्यावसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है तथा जो भवन उत्तर प्रदेश स्टाम्प सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली 1997 में यथा परिभाषित है।  |
| 3-      | विलेख में सम्पत्ति/भूमि का नगरपालिका खाता संख्या/बंदोबस्त संख्या/खसरा संख्या/खेवट संख्या/राजस्व ग्राम तथा प्रमुख मार्ग से दूरी अंकित की जानी तथा सम्पत्ति के चिन्हीकरण हेतु वांछित तथ्य अंकित किये जाने अनिवार्य होंगे। विलेख के द्वारा अन्तरित सम्पत्ति/भूमि की चौहद्दी भी अंकित की जानी अनिवार्य होगी।   |
| 4-      | सम्पत्ति की सीमा में उल्लेखित सड़क की चौड़ाई तथा सूची में वर्णित क्षेत्र के प्रमुख मार्गों से दूरी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। सूची में वर्णित प्रमुख मार्गों इतर अन्य मुख्य सड़क का तात्पर्य लोक निर्माण विभाग/राष्ट्रीय राजमार्ग/अन्य कार्यदायी विभाग द्वारा निर्मित मुख्य मार्ग के मानक से होगा, परन्तु यह नियम पुराने मोहल्लों पर लागू नहीं होगा।   |
| 5-      | मुख्य मार्ग का तात्पर्य नौ मीटर चौड़े मार्ग से होगा।   |
| 6-      | भवनों के सम्बन्ध में भवनों के निर्माण स्तर के सम्बन्ध में विलेख में श्रेणी प्रथम-आर०सी०सी०, श्रेणी द्वितीय-आर०बी०सी०, श्रेणी तृतीय-टीनपोश का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा। निर्मित क्षेत्रफल का मूल्यांकन किये जाते समय पोर्च के क्षेत्रफल को भी निर्मित क्षेत्रफल में जोड़ा जायेगा। भवनों की आयु निर्धारण के सम्बन्ध में लिखित प्रमाणिक साक्ष्य/शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। उक्त के अभाव में कोई क्षरण देय नहीं होगा। विलेख में निर्माण का वर्ष अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। |
| 7-      | टीनपोश भवन में क्षरण अधिकतम 25 वर्षों का देय होगा।   |
| 8-      | बहुखण्डीय आवासीय भवनों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तल, तथा उससे उपरोक्त के समस्त तलों पर स्थित भवनों में भूखण्ड के मूल्यांकन पर क्रमशः 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत की छूट होगी।  |
| 9-      | बहुखण्डीय आवासीय भवनों में, जो कि उत्तर प्रदेश फ्लैट्स ओनरशिप ऑफ फ्लैट्स एक्ट 1975 के अन्तर्गत आच्छादित होते हैं, उनके अन्तर्गत सुपर एरिया पर आनुपातिक मूल्य पर भी स्टाम्प शुल्क देय होगा, फ्लैटों के विलेखों में निर्माण दर पर कोई ह्रास देय नहीं होगा।   |
| 10-     | औद्योगिक/वाणिज्यिक/अनावासीय भवनों के मूल्यांकन में कोई ह्रास मूल्य देय नहीं होगा।  |
| 11-     | बहुखण्डीय व्यापारिक प्रतिष्ठानों में सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय तल, तथा उससे उपरोक्त के समस्त तलों पर क्रमशः 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत कम दरें लागू होंगी।  |
| 12-     | बहुखण्डीय व्यापारिक प्रतिष्ठानों में सम्पूर्ण अन्तरित सम्पत्ति के आगणित मूल्यांकन पर बेसमेंट में 20 प्रतिशत कम दरें लागू होंगी तथा लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान निर्धारित दरें लागू होंगी।  |

  
 (सूर्य मोहन नौटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

|                       |   |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
|-----------------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 13-                   | व्यावसायिक/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/दुकान की प्रति वर्ग मीटर किराया निर्मित क्षेत्रफल के आधार पर किया जायेगा जिसके लिये मूल्यांकन प्रति वर्ग मीटर मासिक किराया जो कि प्रत्येक क्षेत्र के आगे अंकित है X निर्मित क्षेत्रफल X 300 + भूखण्ड का सर्किल दर से मूल्यांकित मूल्य का योग होगा।  |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 14-                   | मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख मार्गों पर पड़ने वाले समस्त नगरीय क्षेत्रों, अर्द्धनगरीय क्षेत्रों, जो कि नगर सीमा के अन्तर्गत स्थित हैं, की सम्पत्तियों के अन्तरण विलेखों द्वारा अन्तरित सम्पत्ति के प्रमुख मार्ग के 200 मीटर के अन्तर्गत होने पर प्रमुख मार्गों की निर्धारित दरें ही लागू होंगी। प्रमुख मार्ग/क्षेत्र विशेष में स्थित सम्पत्ति के मूल्यांकन किये जाने में उक्त दोनों क्षेत्रों में निर्धारित उच्चतम दरों के अनुरूप मूल्यांकन किया जायेगा।  |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 15-                   | तहसील के ग्रामीण क्षेत्र तथा अर्द्धनगरीय क्षेत्रों (जो कि नगर सीमा से बाहर स्थित हैं) में बाग विक्रय होने संबंधी प्रलेख पर सिंचित भूमि की दर की डेढ़ गुनी दर प्रभावी होगी। नगरीय क्षेत्र एवं अर्द्धनगरीय क्षेत्रों (जो कि नगर सीमा के अन्तर्गत स्थित हैं) में बाग विक्रय होने संबंधी प्रलेख पर क्षेत्र विशेष की वर्गमीटर में निर्धारित न्यूनतम दरों की डेढ़ गुनी दरें लागू होंगी। यदि जनपद में किसी भी प्रकार की सम्पत्ति/कृषि भूमि पर यदि वृक्ष स्थित हों एवं वह बाग के रूप में प्रख्यापित न हो तो उन प्रकरणों में वृक्षों का मूल्यांकन अलग से आंकलित किया जायेगा।   |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 16-                   | तहसील में स्थित किसी भी प्रकार की सम्पत्ति के अन्तरण विलेख के द्वारा अन्तरित सम्पत्ति के एक दिशा में सड़क/रास्ता होने की स्थिति में मूल्यांकन सूची में क्षेत्र विशेष हेतु प्रदत्त दर देय होंगी, दो दिशाओं में सड़क/रास्ता होने की स्थिति में मूल्यांकन सूची में क्षेत्र विशेष हेतु प्रदत्त दरों से 10 प्रतिशत दरें अधिक देय होंगी, तीन दिशाओं में सड़क/रास्ता होने की स्थिति में मूल्यांकन सूची में क्षेत्र विशेष हेतु प्रदत्त दरों से 20 प्रतिशत दरें अधिक देय होंगी एवं चार दिशाओं में सड़क/रास्ता होने की स्थिति में मूल्यांकन सूची में क्षेत्र विशेष हेतु प्रदत्त दरों से 30 प्रतिशत दरें अधिक देय होंगी। |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 17-                   | किसी भी औद्योगिक ईकाई का अन्तरण होने की दशा में उक्त में स्थापित मशीनरी का मूल्यांकन गवर्नमेन्ट एप्रूव्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट के अनुसार किया जायेगा।   |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 18-                   | बाउण्ड्री वॉल के स्थित होने पर रु 600/- प्रति वर्ग मीटर की दर से मूल्यांकन किया जायेगा।   |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 19-                   | भूमि में बोरिंग के स्थित होने पर क्षेत्रवार निम्न मूल्यांकन होगा:-<br><table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>विकास खण्ड बहादुराबाद</td> <td>विकास खण्ड रुड़की</td> <td>विकास खण्ड भगवानपुर</td> <td>विकास खण्ड नारसन</td> <td>विकास खण्ड लक्सर</td> <td>विकास खण्ड खानपुर</td> </tr> <tr> <td>रुपये 10,000/-</td> <td>रुपये 10,000/-</td> <td>रुपये 14,000/-</td> <td>रुपये 12,000/-</td> <td>रुपये 8,000/-</td> <td>रुपये 7,000/-</td> </tr> </table>  | विकास खण्ड बहादुराबाद | विकास खण्ड रुड़की | विकास खण्ड भगवानपुर | विकास खण्ड नारसन  | विकास खण्ड लक्सर | विकास खण्ड खानपुर | रुपये 10,000/- | रुपये 10,000/- | रुपये 14,000/- | रुपये 12,000/- | रुपये 8,000/- | रुपये 7,000/- |
| विकास खण्ड बहादुराबाद | विकास खण्ड रुड़की   | विकास खण्ड भगवानपुर   | विकास खण्ड नारसन  | विकास खण्ड लक्सर    | विकास खण्ड खानपुर |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| रुपये 10,000/-        | रुपये 10,000/-  | रुपये 14,000/-        | रुपये 12,000/-    | रुपये 8,000/-       | रुपये 7,000/-     |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 20-                   | मूल्यांकन सूची में वर्णित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे क्षेत्र जिनमें कतिपय ग्रामों के सड़कों पर स्थित खसरा नम्बरान की दरें अलग से प्राविधानित हैं, उन क्षेत्रों में सड़क के दोनों ओर स्थित वह खसरा नम्बर जो कि सड़क के दोनों ओर की 200 मीटर दूरी के अन्तर्गत स्थित हैं, परन्तु सूची में वर्णित नहीं है, उन खसरा नम्बर की भूमि के अन्तरण विलेख पर उक्त क्षेत्र में सड़कों पर स्थित खसरा नम्बरान हेतु निर्धारित दरें ही प्रभावी होंगी।   |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 21-                   | जनपद की समस्त तहसीलों के ग्रामीण क्षेत्र पर स्थित 1000 वर्गमीटर से कम कृषि भूमि का क्रेता यदि अन्तरित कृषि भूमि का सहखातेदार हो या अन्तरित कृषि भूमि के साथ क्रेता की कृषि भूमि का मेड़ मिलान होता हो तो ऐसे विलेख पर क्षेत्र विशेष की कृषि भूमि की उच्चतम निर्धारित दर प्रभावी होंगी। इस लाभ हेतु क्रेता द्वारा राजस्व अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की दशा में क्षेत्र विशेष की वर्गमीटर में निर्धारित दर प्रभावी होंगी।  |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 22-                   | तहसील के किसी भी क्षेत्र में विलेख के माध्यम से यदि 50 वर्गमीटर तक "सड़क मार्ग/रास्ता" पर स्थित (नगरीय/अर्द्धनगरीय क्षेत्र हेतु सड़क मार्ग/रास्ता का तात्पर्य 3 मीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु सड़क मार्ग/रास्ता का तात्पर्य मुख्य मार्ग/9 मीटर से होगा) की भूमि/सम्पत्ति का अन्तरण होता है, तो ऐसे विलेख पर प्रवृत्त क्षेत्र विशेष की व्यावसायिक दर प्रभावी होंगी तथा निर्माण का मूल्यांकन निर्मित क्षेत्रफल की प्रकृति के अनुसार किया जायेगा। यह प्राविधान प्लेटों के विलेखों में लागू नहीं होगा।  |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |


  
 (सूर्य मोहन नौटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।


|     |   |
|-----|---|
| 23- | तहसील के किसी भी क्षेत्र में विलेख के माध्यम से यदि 50 वर्गमीटर से अधिक "सड़क मार्ग/रास्ता" पर स्थित (नगरीय/अर्द्धनगरीय क्षेत्र हेतु सड़क मार्ग/रास्ता का तात्पर्य 3 मीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु सड़क मार्ग/रास्ता का तात्पर्य मुख्य मार्ग/9 मीटर से होगा) भूमि/सम्पत्ति संयुक्त क्रेतागण द्वारा क्रय की जाती है, एवं प्रत्येक क्रेता के भाग में 50 वर्गमीटर से कम भूमि आती हो तथा क्रेतागण के मध्य पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, भाई, बहन तथा नाती-पोतों के सम्बन्ध न हो, तो ऐसे विलेख पर प्रवृत्त बिन्दु संख्या 22 के अन्तर्गत क्षेत्र विशेष की व्यावसायिक दर ही प्रभावी होगी।   |
| 24- | तहसील के किसी भी क्षेत्र में विलेख के माध्यम से यदि 1000 वर्गमीटर से अधिक भूमि संयुक्त क्रेतागण द्वारा क्रय की जाती है, एवं उनके भागानुसार प्रत्येक क्रेता के भाग में 1000 वर्गमीटर से कम भूमि आती हो तथा क्रेतागण के मध्य पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, भाई, बहन तथा नाती-पोतों के सम्बन्ध न हो, तो ऐसे विलेख पर प्रवृत्त क्षेत्र विशेष हेतु निर्धारित वर्गमीटर की दर ही प्रभावी होगी।  |
| 25- | मूल्यांकन सूची में वर्णित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे क्षेत्र जिनमें कतिपय खसरा नम्बरान की दरें अलग से प्राविधानित हैं, केवल उन क्षेत्रों में 1000 वर्गमीटर से अधिक एवं 2500 वर्गमीटर तक की भूमि के अन्तरण विलेख पर उक्त क्षेत्र की सूची के (हरिद्वार एवं लक्सर की मूल्यांकन सूची के कॉलम संख्या 8 तथा रुड़की प्रथम एवं रुड़की द्वितीय की मूल्यांकन सूची के कॉलम 6) में निर्धारित दर की 90 प्रतिशत दर तथा 2500 वर्गमीटर से अधिक एवं 4040 वर्गमीटर तक की भूमि के अन्तरण विलेख पर उक्त क्षेत्र की सूची के (हरिद्वार एवं लक्सर की मूल्यांकन सूची के कॉलम संख्या 8 तथा रुड़की प्रथम एवं रुड़की द्वितीय की मूल्यांकन सूची के कॉलम 6) में निर्धारित दरों की 80 प्रतिशत दर प्रभावी होगी। यह प्राविधान फर्म, संस्था, सोसायटी, न्यास, कम्पनी के क्रेता होने की स्थिति में लागू नहीं होगा। |
| 26- | मूल्यांकन सूची में वर्णित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे क्षेत्र जिनमें कतिपय खसरा नम्बरान की दरें अलग से प्राविधानित हैं, उन क्षेत्रों में विलेख के माध्यम से यदि 1000 वर्गमीटर से अधिक अथवा 2500 वर्गमीटर से अधिक अथवा 4040 वर्गमीटर से अधिक भूमि संयुक्त क्रेतागण द्वारा क्रय की जाती है और प्रत्येक क्रेता के भाग में 1000 वर्गमीटर/2500 वर्गमीटर/4040 वर्गमीटर से कम भूमि होती है और यदि क्रेतागण के मध्य पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, भाई, बहन तथा नाती-पोतों के सम्बन्ध नहीं हैं तो ऐसे विलेख पर बिन्दु संख्या 24, 25 में वर्णित शर्तों के अन्तर्गत रहते हुये क्षेत्र विशेष हेतु प्रवृत्त दरें प्रभावी होगी।   |
| 27- | मूल्यांकन सूची में वर्णित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे क्षेत्र जिनमें कतिपय खसरा नम्बरान की दरें अलग से प्राविधानित हैं, केवल उन क्षेत्रों में क्रेता फर्म, संस्था, सोसायटी, न्यास, कम्पनी द्वारा 1000 वर्गमीटर से अधिक एवं एक हेक्टेयर से कम भूमि के क्रय विलेख पर उक्त क्षेत्र विशेष की सूची के (हरिद्वार एवं लक्सर की मूल्यांकन सूची के कॉलम संख्या 8 तथा रुड़की प्रथम एवं रुड़की द्वितीय की मूल्यांकन सूची के कॉलम 6) में निर्धारित दर की 85 प्रतिशत दर तथा एक हेक्टेयर से अधिक एवं दो हेक्टेयर तक की भूमि के क्रय विलेख पर उक्त क्षेत्र की सूची के (हरिद्वार एवं लक्सर की मूल्यांकन सूची के कॉलम संख्या 8 तथा रुड़की प्रथम एवं रुड़की द्वितीय की मूल्यांकन सूची के कॉलम 6) में निर्धारित दरों की 75 प्रतिशत दर प्रभावी होगी।   |
| 28- | जनपद में जिन मुख्य मार्गों के दोनों ओर के खसरा नम्बर सूची में वर्णित नहीं किये गये हैं, उन क्षेत्रों में सड़क मार्ग के दोनों ओर 100 मीटर की दूरी तक बिन्दु संख्या 24, 25, 26, 27 में वर्णित शर्तों के अन्तर्गत रहते हुये क्षेत्र विशेष की प्रवृत्त दरें प्रभावी होगी।   |
| 29- | एक हजार वर्गमीटर से अधिक भूमि के अन्तरण विलेखों के द्वारा यदि बंजर भूमि का अन्तरण किया जाता है तो उक्त विलेखों पर कृषि दरें प्रभावी नहीं होगी। बंजर भूमि की दशा में एक हजार वर्गमीटर से अधिक एवं एक हे० क्षेत्रफल तक की भूमि के अन्तरण विलेखों पर तालिका के कॉलम आठ में वर्गमीटर में निर्धारित दरों की 85 प्रतिशत दरें तथा एक हे० से अधिक एवं दो हे० तक की भूमि के अन्तरण विलेखों पर तालिका के कॉलम आठ में वर्गमीटर में निर्धारित दरों की 75 प्रतिशत दरें प्रभावी होगी।   |
| 30- | मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख या मुख्य मार्ग/क्षेत्र वार निर्धारित दरों में यदि किसी स्थल की दरें दो स्थान पर निर्धारित हैं तो उच्चतम निर्धारित दर प्रभावी होगी।   |
| 31- | मूल्यांकन सूची में यदि किसी क्षेत्र की दरें निर्धारित होने से छूट गयी हैं तो समीपस्थ स्थल हेतु निर्धारित उच्चतम दर से सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जायेगा।  |
| 32- | निर्गत की जा रही मूल्यांकन सूची में यदि कोई लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो उक्त त्रुटि को शुद्ध करने हेतु तत्संबंधी निर्देश अलग से निर्गत किये जायेंगे।   |

  
 (सूर्य मोहन नौटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

# तहसील रूड़की, उप निबन्धक कार्यालय (द्वितीय) जनपद हरिद्वार

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद हरिद्वार के कार्यालय उप निबन्धक (द्वितीय) तहसील रूड़की के लिए द्विवार्षिक न्यूनतम औसत बाजारी दरों का निर्धारण सलग्न विवरण पत्र के अनुसार किया जा रहा है। द्विवार्षिक मूल्यांकन सूची जो कि 01 नवम्बर 2011 से प्रभावी होनी थी, शासनादेश संख्या 682/2011/XXVII(9)/स्टाम्प-80/2009 दिनांक 01.11.2011 के क्रम में 31 मार्च 2012 तक स्थगित किये जाने के फलस्वरूप यह दरें दिनांक 01 अप्रैल 2012 से 31 अक्टूबर 2013 तक प्रभावी होंगी।


  
(सूर्य मोहन नाटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।


  
(डी० सेंथिल पांडियन)  
आई०ए०एस०  
कलेक्टर, हरिद्वार।

## कार्यालय कलेक्टर, हरिद्वार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, परिपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-प्रमुख सचिव (वित्त) उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2-महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3-अपर महानिरीक्षक निबंधन मुख्यालय महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4-जिला निबंधक, हरिद्वार।
- 5-जिला स्टाम्प अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार।
- 6-सहायक महानिरीक्षक, निबंधन, हरिद्वार।
- 7-सब रजिस्ट्रार रूड़की द्वितीय।
- 8-उप जिलाधिकारी रूड़की।
- 9-तहसीलदार रूड़की।

  
(सूर्य मोहन नाटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।


  
(डी० सेंथिल पांडियन)  
आई०ए०एस०  
कलेक्टर, हरिद्वार।

## तहसील रुड़की, उप निबन्धक कार्यालय द्वितीय

### जनपद हरिद्वार

### रुड़की के प्रमुख मार्गों की सर्किल दर


| क्र | क्षेत्र / राजस्व ग्रामों के नाम                                       | (सड़क से 50 मी० तक)<br>आवासीय दर प्रति वर्ग मीटर | (सड़क से 50 मी० आगे 200मी० तक)<br>आवासीय दर प्रति वर्ग मीटर | व्यवसायिक भूमि की दर रू० प्रति वर्ग मीटर | दुकान/ रेस्टोरेंट /कार्यालय (मासिक किराया रू० प्रति वर्ग मीटर) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें (मासिक किराया रू० प्रति वर्ग मीटर) |  |                               |
|-----|---|--|---|--|--|--|--|-------------------------------|
|     |   |  |   |  |  | गोदाम  | होटल/गेस्ट हाउस/बाराताघर/पेट्रोल पम्प/सिनेमाघर | अस्पताल/धर्मशाला/मनोरंजन स्थल |
|     | क्रम सं०  | 1  | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7                             |
| 1.  | परगनाधिकारी निवास से सोलानी पुल तक                                    | 28750  | 13150   | 28750                                    | 140  | 90   | 85   | 80                            |
| 2   | अम्बा टाकीज से नहर पुल तक सड़क के दोनों तरफ (मंगलीर)                  | 6500   | 2750  | 6500                                     | 100  | 85   | 60   | 50                            |
| 3   | बस स्टैण्ड से लण्डौरा रोड पर (नगर पालिका की सीमा के अन्दर)            | 5350   | 2100  | 5350                                     | 75   | 70   | 65   | 50                            |
| 4   | डन्देरा रेलवे फाटक से लण्डौरा रुड़की लक्सर मार्ग तक                   | 6000   | 2200  | 6000                                     | 95   | 80   | 65   | 50                            |
| 5   | सिविल लाइन्स मुख्य बाजार  | 30000  | 14400   | 30000                                    | 155  | 80   | 75   | 70                            |
| 6   | प्रेम मन्दिर रोड  | 27950  | 12250   | 27950                                    | 150  | 85   | 75   | 70                            |
| 7   | रुड़की टाकिज से वोट क्लब तक   | 26900  | 11750   | 26900                                    | 145  | 80   | 75   | 70                            |
| 8   | पौलेरिस होटल के सामने हरिद्वार रोड से नीलम टाकीज होते हुए बोट क्लब तक | 27950  | 12250   | 27950                                    | 150  | 85   | 80   | 70                            |

  
 (सूर्य मोहन नौटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।




## नगरीय क्षेत्र रूडकी की न्यूनतम दरें

| क्षेत्र / राजस्व ग्रामों के नाम   | (सड़क से 50 मी० तक)<br>आवासीय दर प्रति वर्ग मीटर | (सड़क से 50 मी० आगे 200मी० तक)<br>आवासीय दर प्रति वर्ग मीटर | व्यवसायिक भूमि की दर ₹० प्रति वर्ग मीटर | दुकान/ रेस्टोरेंट /कार्यालय (मासिक किराया ₹० प्रति वर्ग मीटर) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें (मासिक किराया ₹० प्रति वर्ग मीटर) |  |                               |
|---|--|---|---|---|---|--|-------------------------------|
|   |  |   |   |   | गोदाम   | होटल/गेस्ट हाउस/बाराताघर/पेट्रोल पम्प/सिनेमाघर | अस्पताल/घर्मशाला/मनोरंजन स्थल |
| क्रम सं०  | 1  | 2   | 3                                       | 4   | 5   | 6  | 7                             |
| 1 जादूगर रोड  | 26900  | 11750   | 26900                                   | 145   | 80  | 75   | 70                            |
| 2. रूडकी टाकिज से नीलम टाकीज होते हुए परगना अधिकारी आवास के पीछे वाली सड़क पर अन्त तक | 26900  | 11750   | 26900                                   | 145   | 80  | 75   | 70                            |
| 3. सिविल लाइन्स अन्य क्षेत्र  | 25000  | 11250   | 25000                                   | 140   | 75  | 70   | 60                            |
| 4. पठानपुरा   | 10000  | 3750  | 10000                                   | 100   | 70  | 65   | 60                            |
| 5. मलकपुर लतीफपुर –<br>1-सोलानीपुरम<br>2-शीलकुंज<br>3-आदर्श नगर                       | 10150  | 5150  | 10150                                   | 110   | 85  | 75   | 70                            |
| 4-न्यू आदर्श नगर  | 7700   | 4200  | 7700                                    | 110   | 80  | 75   | 70                            |
| 6. लालकुर्ती  | 8500   | 4500  | 8500                                    | 105   | 90  | 75   | 70                            |
| 7. लण्ढौरा से नगला इमरती तक   | 6000   | 2200  | 6000                                    | 95  | 80  | 65   | 50                            |
| 8 लण्ढौरा रेलवे स्टेशन मार्ग व लण्ढौरा रेलवे मार्ग                                    | 5850   | 2100  | 5850                                    | 90  | 80  | 65   | 50                            |

  
 (सूर्य मोहन नौटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार


## नगरीय क्षेत्र मंगलौर की न्यूनतम दरें

| क्षेत्र / राजस्व ग्रामों के नाम      | (सड़क से 100 मी० तक)<br>आवासीय दर प्रति वर्ग मीटर | (सड़क से 100 मी० आगे 200मी० तक)<br>आवासीय दर प्रति वर्ग मीटर | व्यवसायिक भूमि की दर ₹० प्रति वर्ग मीटर | दुकान/ रेस्टोरेंट / कार्यालय (मासिक किराया ₹० प्रति वर्ग मीटर) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें (मासिक किराया ₹० प्रति वर्ग मीटर) |  |                                 |
|--------------------------------------|---|--|---|--|---|--|---------------------------------|
|                                      |   |  |   |  | गोदाम   | होटल/रेस्ट हाउस/बाराताघर/पेट्रोल पम्प/सिनेमाघर | अस्पताल/ धर्मशाला/ मनोरंजन स्थल |
| क्रम सं०                             | 1   | 2  | 3                                       | 4  | 5   | 6  | 7                               |
| 1 टोली                               |   |  |   |  |   |  |                                 |
| 2 बन्दरटोल (प्रथम व द्वितीय)         |   |  |   |  |   |  |                                 |
| 3 मौ० किला                           |   |  |   |  |   |  |                                 |
| 4 संरावझान                           |   |  |   |  |   |  |                                 |
| 5 बहानान                             | 4250  | 2550   | 6400                                    | 90   | 80  | 55   | 45                              |
| 6 मानक चौक                           |   |  |   |  |   |  |                                 |
| 7 कायस्थान                           |   |  |   |  |   |  |                                 |
| 6 इसलामनगर                           |   |  |   |  |   |  |                                 |
| 9 हल्का मजबूता                       |   |  |   |  |   |  |                                 |
| 10 बाहर किला (प्रथम से षष्ठम)        |   |  |   |  |   |  |                                 |
| 11 लालबाड़ा                          |   |  |   |  |   |  |                                 |
| 12 पठानपुरा (प्रथम व द्वितीय)        |   |  |   |  |   |  |                                 |
| 13 कटहेड़ा                           | 3450  | 2450   | 5250                                    | 80   | 75  | 60   | 45                              |
| 14 मलकपुरा                           |   |  |   |  |   |  |                                 |
| 15 पीरगड़ी                           |   |  |   |  |   |  |                                 |
| 16 मलानपुरा                          |   |  |   |  |   |  |                                 |
| 17 सराव अजीज                         |   |  |   |  |   |  |                                 |
| 18 मिंघगान                           |   |  |   |  |   |  |                                 |
| 19 सैनीपुरा उर्फ मालयान              |   |  |   |  |   |  |                                 |
| 20 खालसा                             |   |  |   |  |   |  |                                 |
| 21. अन्य मौहल्ले                     |   |  |   |  |   |  |                                 |
| 22. गुरुकुल नारसन से झबरेडा मार्ग तक | 2900  | 1800   | 4450                                    | 85   | 70  | 60   | 45                              |

  
 (सूर्य मोहन नीटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार

## टाउन एरिया लण्ढौरा की दरें

| क्षेत्र / राजस्व प्रानों के नाम | (सड़क से 100 मी० तक)<br>आवासीय दर प्रति वर्ग मीटर | (सड़क से 100 मी० आगे 200मी० तक)<br>आवासीय दर प्रति वर्ग मीटर | व्यवसायिक भूमि की दर रू० प्रति वर्ग मीटर | दुकान/ रेस्टोरेंट /कार्यालय (मासिक किराया रू० प्रति वर्ग मीटर) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें (मासिक किराया रू० प्रति वर्ग मीटर) |  |                               |
|---------------------------------|---|--|--|--|--|--|-------------------------------|
|                                 |   |  |  |  | गोदाम  | होटल/गेस्ट हाउस/बाराताघर/पेट्रोल पम्प/सिनेमाघर | अस्पताल/धर्मशाला/मनोरंजन स्थल |
| क्रम सं०                        | 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7                             |
| 1. चौक बाजार दाल्मीकि बस्ती     | 3750  | 2450   | 5650                                     | 90   | 75   | 70   | 55                            |
| 2 हरिजन बस्ती                   |   |  |  |  |  |  |                               |
| 3 मातावाला (हसनबाग)             |   |  |  |  |  |  |                               |
| 4 पठानान                        |   |  |  |  |  |  |                               |
| 5 अन्सारी मार्ग                 | 3400  | 1950   | 5000                                     | 85   | 70   | 65   | 45                            |
| 6 बाहर किला                     |   |  |  |  |  |  |                               |
| 7 मी० किला                      |   |  |  |  |  |  |                               |
| 8 गुज्जरवाड़ा                   |   |  |  |  |  |  |                               |
| 9 मिरासियान                     |   |  |  |  |  |  |                               |
| 10 अम्बेडकर कालोनी              |   |  |  |  |  |  |                               |
| 11 लण्ढौरा अन्य मोहल्ले         | 1700  | 1400   | 2500                                     | 85   | 80   | 65   | 45                            |


  
 (सूर्य मोहन नौटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार

**परगना रुडकी के नगरीय/अर्द्धनगरीय क्षेत्र की न्यूनतम दरें**

| क्षेत्र / राजस्व ग्रामों के नाम  | क्षेत्रीय दर प्रति हेक्टेयर (₹ लाख में) |         | 1000 वर्ग मीटर तक की भूमि के अन्तर्गत के लिये निर्धारित दरें (₹ प्रति वर्ग मीटर) |   |   |   | व्यवसायिक भूमि की दर ₹ प्रति वर्ग मीटर | दुकान/रेस्टोरेंट/कार्यालय (मासिक किराया ₹ प्रति वर्ग मीटर) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें (मासिक किराया ₹ प्रति वर्ग मीटर) |  |                                 |
|--|---|---------|--|---|---|---|--|--|--|--|---------------------------------|
|  | सिंचित                                  | असिंचित | 500 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर                                | 500 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर |  |  | गोदाम  | होटल/ गेस्ट हाउस/ बाराताघर/ पेट्रोल पम्प/ सिनेमाघर | अस्पताल/ धर्मशाला/ मनोरंजन स्थल |
| क्रम सं०   | 1                                       | 2       | 3  | 4   | 5   | 6   | 7                                      | 8  | 9  | 10   | 11                              |
| 1 मलकपुर लतीफपुर भीतर न० पा०   | 45.50                                   | 45.50   | 3500   | 2500  | 2800  | 1800  | 4800                                   | 100  | 90   | 70   | 65                              |
| 2 मलकपुर लतीफपुर भीतर न० पा० ख० न० 21, 22, 32, 33, 34, 37, 39 से 62, 75 से 82, 127, 128, 139 से 149, 153 से 155, 157 से 159, 161, 162, 164 से 170, 174, 178 से 210, 217, 219, 318, 319, 436 से 448, 451 से 455 व इनके अलावा जो भी ख० न० रोड पर लगते हैं। | 48.75                                   | 48.75   | 3650   | 2600  | 2850  | 1950  | 5200                                   | 110  | 100  | 70   | 65                              |
| 3 मलकपुर लतीफपुर बाहर न० पा०   | 20.15                                   | 20.15   | 3400   | 2350  | 2600  | 1700  | 4950                                   | 110  | 100  | 75   | 65                              |
| 4 हरिद्वार रोड पर मलकपुर लतीफपुर ख० न० 15, 16, 18 से 31, 32 से 34, 36, 37, 58 से 58, 80 से 80, 82 से 96, 98 से 102, 118 से 125, 128, 129, 139, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 219 से 229   | 27.00                                   | 27.00   | 4450   | 3000  | 3400  | 2450  | 6500                                   | 140  | 125  | 95   | 80                              |
| 5 खंजरपुर बाहर नगर पालिका  | 20.80                                   | 20.80   | 3000   | 2350  | 2600  | 2100  | 4450                                   | 110  | 100  | 75   | 65                              |

  
 (सूर्य मोहन नौटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार


| क्षेत्र / राजस्व ग्रामों के नाम  | कृषि दर प्रति हेक्टेयर (₹0 लाख में) |         | 1000 वर्ग मी0 तक की भूमि के अन्तरण के लिये निर्धारित दरें (₹0 प्रति वर्ग मी0) |   |   |   | व्यवसायिक भूमि की दर ₹0 प्रति वर्ग मी0 | दुकान/रेस्टोरेंट/कार्यालय (मासिक किराया ₹0 प्रति वर्ग मी0) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें (मासिक किराया ₹0 प्रति वर्ग मी0) |   |                                 |
|--|-------------------------------------|---------|---|---|---|---|--|--|--|---|---------------------------------|
|  | सिंचित                              | असिंचित | 500 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर                             | 500 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर |  |  | गोदाम  | होटल/ गेस्ट हाउस/ बारताघर/ पेट्रोल पम्प/ सिनेमाघर | अस्पताल/ धर्मशाला/ मनोरंजन स्थल |
| क्रम सं0   | 1                                   | 2       | 3   | 4   | 5   | 6   | 7                                      | 8  | 9  | 10  | 11                              |
| 6 डन्डेरा -<br>1-अशोक नगर<br>2-विजय नगर<br>3-मिलाप नगर<br>4-कीर्ति नगर<br>5-आदर्श शिवाजी नगर<br>6- राज विहार<br>7-देव एन्क्लेव<br>8-डिफेन्स कालोनी   | -                                   |         | 4860  | 3510  | 3800  | 3250  | 7300                                   | 110  | 95   | 75  | 70                              |
| 7 डन्डेरा अन्य क्षेत्र   | 28.35                               | 28.35   | 3375  | 2700  | 2850  | 2150  | 4725                                   | 105  | 95   | 75  | 65                              |
| 8 लक्ष्मण रोड़ पर डन्डेरा<br>खण्ड नं0 3, 5, 146, 149, 153, 159 से 181, 197, 188, 190 से 193, 196, 197, 199, 200, 206, 210 से 228, 230, 231, 233 से 235, 278 से 283, 290 से 292, 317 से 321, 494 से 498, 498 से 502, 511, 513, 520, 521, 525 से 531 | 35.10                               | 35.10   | 4350  | 3250  | 3400  | 2700  | 6100                                   | 120  | 110  | 80  | 70                              |
| 9 नगला इमरती   | 27.00                               | 27.00   | 1850  | 1350  | 1500  | 1250  | 2700                                   | 75   | 55   | 50  | 40                              |

  
 (सूर्य मोहन नौटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (पित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार

| क्षेत्र / राजस्व ग्रामों के नाम   | कृषि दर प्रति हेक्टेयर (रु० लाख में) |         | 1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तर्गत के लिये निर्धारित दरें (रु० प्रति वर्ग मी०) |                                      |                                  |                                      | व्यवसायिक भूमि की दर रु० प्रति वर्ग मी० | दुकान/ रेस्टोरेंट / कार्यालय (मासिक किराया रु० प्रति वर्ग मी०) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें (मासिक किराया रु० प्रति वर्ग मी०) |  |                                 |
|---|--------------------------------------|---------|--|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|--|---------------------------------|
|   | सिंचित                               | असिंचित | 500 वर्ग मीटर तक   | 500 वर्ग मीटर तक                     | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक         | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक             |   |  | गोदाम   | होटल/ गेस्ट हाउस/ बाराताघर/ पेट्रोल पम्प/ सिनेमाघर | अस्पताल/ धर्मशाला/ मनोरंजन स्थल |
|   |                                      |         | सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर   | सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर | सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर | सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर |   |  |   |  |                                 |
| क्रम सं०  | 1                                    | 2       | 3  | 4                                    | 5                                | 6                                    | 7                                       | 8  | 9   | 10   | 11                              |
| 10 लक्ष्मर रोड़ पर नगला इमरली<br>ख० नं० 217 से 219, 220/1, 220/2, 221/1, 223, 230/1, 230/2, 230/3, 231/1, 232 से 236 तक, 237/1, 237/2, 238/2, 238/3, 238/4, 238/5, 239/1, 239/2, 239/3, 239/4, 239/5, 241 से 245, 246/1, 246/2, 247, 248/1, 248/2, 248/1, 249/2, 250/1, 250/2, 251/1, 251/2, 252/1, 254/1, 254/2, 255/1, 255/2, 256/1, 256/2, 256/3, 256/4, 257/1, 257/2, 258/1, 258/2, 259/1, 259/2, 259/3, 260/1, 260/2, 261/1, 261/2, 262/1, 262/2, 262/3, 263, 265/1, 265/2, 266, 267/1, 267/2, 268, 269 से 273, 276, 282 से 295, 296/1, 296/2, 297/1, 297/2, 297/3, 298/1, 298/2, 299/1, 299/2, 300 से 302, 301/1, 301/2, 303/1, 309/2, 309/3, 303/4, 302/1, 302/2, 304/1, 304/2, 305/1, 305/2, 306/1, 306/2, 307/1, 307/2, 308/1, 309/2, 309/1, 303/2, 370 से 373, 387, 404, 408, 409, 410/1, 410/2, 411/1, | 32.50                                | 32.50   | 2250   | 1700                                 | 1850                             | 1450                                 | 3400                                    | 90   | 65  | 60   | 50                              |

(सूर्य मोहं नौटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार

| क्षेत्र / राजस्व ग्रामों के नाम   | कृषि दर प्रति हेक्टेयर (₹0 लाख में) |         | 1000 वर्ग मी0 तक की भूमि के अन्तर्गत के लिये निर्धारित दरें (₹0 प्रति वर्ग मी0) |                                      |                                  |                                      | व्यवसायिक भूमि की दर ₹0 प्रति वर्ग मी0 | दुकान/ रेस्टोरेंट/ कार्यालय (मासिक किराया ₹0 प्रति वर्ग मी0) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें (मासिक किराया ₹0 प्रति वर्ग मी0) |  |                                 |
|---|-------------------------------------|---------|---|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------|
|   | सिंचित                              | असिंचित | 500 वर्ग मीटर तक  | 500 वर्ग मीटर तक                     | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक         | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक             |  |  | गोदाम  | होटल/ गेस्ट हाउस/ बाराताघर/ पेट्रोल पम्प/ सिनेमाघर | अस्पताल/ धर्मशाला/ मनोरंजन स्थल |
|   |                                     |         | सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर  | सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर | सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर | सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर |  |  |  |  |                                 |
| क्रम सं0  | 1                                   | 2       | 3   | 4                                    | 5                                | 6                                    | 7                                      | 8  | 9  | 10   | 11                              |
| 411/2, 412, 403, 405, 407/2, 407/3, 408, 414 से 418, 700, 701, 702, 720, 721, 723, 724, 725/1, 725/2, 728 से 729, 730/1, 730/2, 731/1, 731/2, 732/1, 732/2, 733/1, 733/2, 734/1, 734/2, 735/1, 735/2, 735/1, 735/2, 737, 733, 739/1, 739/2, 740/1, 740/2, 741/1, 741/2, 742/1, 742/2, 743, 744, 757, 758, 759/1, 759/2, 760, 761, 764/2, 765, 768 से 769, 770/1, 770/2, 771/1, 771/2, 772/1, 772/2, 773/1, 773/2, 774/1, 774/2, 775/1, 775/2, 776 से 784, 788 से 798, 797/1, 797/2, 798/1, 798/2, 798, 800, 801, 802/1, 802/2, 803/1, 803/2, 804/1, 804/2, 805/1, 805/2, 808 से 812, 813/1, 813/2, 814, 815/1, 815/2, 816/1, 816/2, 818/3, 816/4, 817 से 819, 805 | 32.50                               | 32.50   | 2250  | 1700                                 | 1850                             | 1450                                 | 3400                                   | 90   | 65   | 60   | 50                              |
| 411/2, 412, 403, 405, 407/2, 407/3, 408, 414 से 418, 700, 701, 702, 720, 721, 723, 724, 725/1, 725/2, 728 से 729, 730/1, 730/2, 731/1, 731/2, 732/1, 732/2, 733/1, 733/2, 734/1, 734/2, 735/1, 735/2, 735/1, 735/2, 737, 733, 739/1, 739/2, 740/1, 740/2, 741/1, 741/2, 742/1, 742/2, 743, 744, 757, 758, 759/1, 759/2, 760, 761, 764/2, 765, 768 से 769, 770/1, 770/2, 771/1, 771/2, 772/1, 772/2, 773/1, 773/2, 774/1, 774/2, 775/1, 775/2, 776 से 784, 788 से 798, 797/1, 797/2, 798/1, 798/2, 798, 800, 801, 802/1, 802/2, 803/1, 803/2, 804/1, 804/2, 805/1, 805/2, 808 से 812, 813/1, 813/2, 814, 815/1, 815/2, 816/1, 816/2, 818/3, 816/4, 817 से 819, 805 | 32.50                               | 32.50   | 2250  | 1700                                 | 1850                             | 1450                                 | 3400                                   | 90   | 65   | 60   | 50                              |
| 11 रुडकी बाहर हदूद  | 45.90                               | 45.90   | 2450  | 1750                                 | 1900                             | 1500                                 | 3550                                   | 75   | 55   | 50   | 40                              |

  
 (सूर्य मोहम्मद नौटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (पित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार

**परगना रुडकी के विशिष्ट ग्रामों की न्यूनतम दरें**

| क्षेत्र / राजस्व ग्रामों के नाम   | कृषि दर प्रति हेक्टेयर (₹ लाख में) |         | 1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तर्गत के लिये निर्धारित दरें (₹ प्रति वर्ग मी०) |  |  |  | व्यवसायिक भूमि की दर ₹ प्रति वर्ग मी० | दुकान/ रेस्टोरेंट/ कार्यालय (मासिक किराया ₹ प्रति वर्ग मी०) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें (मासिक किराया ₹ प्रति वर्ग मी०) |  |                                 |
|---|------------------------------------|---------|--|--|--|--|---------------------------------------|---|---|--|---------------------------------|
|   | सिंचित                             | असिंचित | 500 वर्ग मीटर तक<br>सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर                           | 500 वर्ग मीटर तक<br>सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक<br>सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक<br>सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर |                                       |   | गोदाम   | होटल/ गेस्ट हाउस/ बाराताघर/ पेट्रोल पम्प/ सिनेमाघर | अस्पताल/ धर्मशाला/ मनोरंजन स्थल |
| क्रम सं०  | 1                                  | 2       | 3  | 4  | 5  | 6  | 7                                     | 8   | 9   | 10   | 11                              |
| 1 शान्तरसाह   | 32.40                              | 32.40   | 1650   | 1200   | 1350   | 1000   | 2450                                  | 80  | 70  | 60   | 50                              |
| 2 हरिद्वार रोड़ पर शान्तरसाह<br>ख० नं० 57म, 61, 62, 63म, 64, 66म, 67, 68, 91म, 92, 93, 95, 96, 97म, 103, 104, 105, 107, 110म, 111म, 123म, 160म, 161, 162, 163म, 155म, 156, 165, 167म, 168, 169, 170, 231म, 243/499म, 244म, 245म, 246, 247, 248, 250म, 251म, 252म, 253म, 266, 267, 268, 269म, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278म, 279म, 280म, 312, 313, 314, 315, 316म, 317म, 319म, 320म, 323म, 421, 423, 424, 425, 426, 427म, 428म | 40.50                              | 40.50   | 2200   | 1650   | 1800   | 1500   | 3250                                  | 95  | 80  | 75   | 60                              |
| 3 बडेड़ी राजपूतान   | 32.40                              | 32.40   | 1650   | 1250   | 1350   | 1050   | 2450                                  | 80  | 70  | 60   | 50                              |

(सूर्य मोहन चौटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार




| क्षेत्र / राजस्व ग्रामों के नाम  | कृषि दर प्रति हेक्टेयर (रु० लाख में) |         | 1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तर्गत के लिये निर्धारित दरें (रु० प्रति वर्ग मी०) |                                      |                                  |                                      | व्यवसायिक भूमि की दर रु० प्रति वर्ग मी० | दुकान/ रेस्टोरेंट / कार्यालय (मासिक किराया रु० प्रति वर्ग मी०) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें (मासिक किराया रु० प्रति वर्ग मी०) |  |                                 |
|--|--------------------------------------|---------|--|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|--|---------------------------------|
|  | सिंचित                               | असिंचित | 500 वर्ग मीटर तक   | 500 वर्ग मीटर तक                     | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक         | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक             |   |  | गोदाम   | होटल/ गेस्ट हाउस/ बाराताघर/ पेट्रोल पम्प/ सिनेमाघर | अस्पताल/ धर्मशाला/ मनोरंजन स्थल |
|  |                                      |         | सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर   | सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर | सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर | सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर |   |  |   |  |                                 |
| क्रम सं०   | 1                                    | 2       | 3  | 4                                    | 5                                | 6                                    | 7                                       | 8  | 9   | 10   | 11                              |
| 4 हरिद्वार रोड़ पर बडेड़ी राजपूतान<br>ख० नं० 386/4मि०, 385/5मि०, 389मि०, 390, 391मि०, 387मि०, 384मि०, 385मि०, 382, 386, 394, 395, 398, 397, 398, 399, 409, 401, 402, 403, 404मि०, 405, 406, 409/3मि०, 409/3मि०, 410/3मि०, 412मि०, 414मि०, 415, 416, 448/2मि०, 447/2मि०, 448, 448, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460/2मि०, 463/2मि०, 464/2मि०, 466/2मि०, 501मि०, 502मि०, 503, 504, 505, 506मि०, 507/1, 507/2मि०, 507/3मि०, 508मि०, 524/1, 524/2मि०, 525मि०, 526, 527मि०, 541, 540/1मि०, 540/2मि०, 542/1, 542/2, 543, 544मि०, 565मि०, 566मि०, 567मि०, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 575मि०, 576मि०, 577मि०, 578मि०, 621/1, 621/2मि०, 621/3मि०, 621/4मि०, 622/1मि०, 622/2मि०, 623/2मि०, 624/1, 624/2, 624/3, 624/4, 626मि०, 627मि०, 628/1मि०, 828/1, 828/2, 829/1, 829/2, 829/3, 828/4, 830/1, 830/2, 830/3, 830/4, | 40.50                                | 40.50   | 2200   | 1650                                 | 1800                             | 1350                                 | 3250                                    | 95   | 80  | 75   | 65                              |

(सूर्य मोहं नोटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार

| क्षेत्र / राजस्व ग्रामों के नाम  | कृषि दर प्रति हेक्टेयर (रु० लाख में) |         | 1000 वर्ग मी० तक की जमीन के अन्तर्गत के लिये निर्धारित दरें (रु० प्रति वर्ग मी०) |   |   |   | व्यवसायिक भूमि की दर रु० प्रति वर्ग मी० | दुकान/ रेस्टोरेंट / कार्यालय (मासिक किराया रु० प्रति वर्ग मी०) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें (मासिक किराया रु० प्रति वर्ग मी०) |  |                                 |
|--|--------------------------------------|---------|--|---|---|---|---|--|---|--|---------------------------------|
|  | सिंचित                               | असिंचित | 500 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर                                | 500 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर |   |  | गोदाम   | होटल/ गेस्ट हाउस/ बाराताघर/ पेट्रोल पम्प/ सिनेमाघर | अस्पताल/ धर्मशाला/ मनोरंजन स्थल |
| क्रम सं०   | 1                                    | 2       | 3  | 4   | 5   | 6   | 7                                       | 8  | 9   | 10   | 11                              |
| 734/1, 734/2, 735/1, 735/2, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746मि०, 747, 748, 722, 723, 724, 725, 711मि०, 712मि०, 716/3मि०, 717मि०, 718, 719/1मि०, 719/2मि०, 720/1, 720/2, 720/3, 720/4, 720/5, 720/8, 720/7, 720/8, 720/9, 720/10, 720/11, 720/12, 726, 727, 720/15मि०, 720/14मि०, 720/16मि०, 720/13मि० 753/1, 753/2मि०, 753/4मि०, 786मि०, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793/1, 793/2, 793/4मि०, 793/3मि०, 794, 795मि०, 796मि०, 797मि०, 811मि०, 813मि०, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837/1, 837/2, 837/3, 837/4, 837/5, 838, 839, 840मि०, 841मि०, 856/1, 856/2, 857/1मि०, 859, 860, 861मि०, 862मि०, 863मि०, 860मि०, 862मि०, 863/1मि०, 863/2मि०, 865/1मि० | 40.50                                | 40.50   | 2200   | 1650  | 1800  | 1350  | 3250                                    | 95   | 20  | 75   | 65                              |

| क्षेत्र / राजस्व ग्रामों के नाम  | कृषि दर प्रति हेक्टेयर (रु० लाख में) |         | 1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तरण के लिये निर्धारित दरें (रु० प्रति वर्ग मी०) |   |   |   | व्यवसायिक भूमि की दर रु० प्रति वर्ग मी० | दुकान/ रेस्टोरेंट / कार्यालय (मासिक किराया रु० प्रति वर्ग मी०) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें (मासिक किराया रु० प्रति वर्ग मी०) |  |                                 |
|--|--------------------------------------|---------|--|---|---|---|---|--|---|--|---------------------------------|
|  | सिंचित                               | असिंचित | 500 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर                              | 500 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर |   |  | गोदाम   | होटल/ गेस्ट हाउस/ बाराताघर/ पेट्रोल पम्प/ सिनेमाघर | अस्पताल/ धर्मशाला/ मनोरंजन स्थल |
| क्रम सं०   | 1                                    | 2       | 3  | 4   | 5   | 6   | 7                                       | 8  | 9   | 10   | 11                              |
| 5 बावली कलजरी  |                                      |         |  |   |   |   |   |  |   |  |                                 |
| 8 पंचायनपुर  | 31.05                                | 31.05   | 1650   | 1250  | 1350  | 1050  | 2450                                    | 80   | 65  | 60   | 50                              |
| 7 बहादरपुर सीनी  |                                      |         |  |   |   |   |   |  |   |  |                                 |
| 8 मीरपुर सिकन्दरपुर  | 11.05                                | 11.05   | 750  | 600   | 650   | 550   | 1050                                    | 70   | 60  | 50   | 45                              |
| 9 नारापुर मु०  |                                      |         |  |   |   |   |   |  |   |  |                                 |
| 10 नौरी मु०  |                                      |         |  |   |   |   |   |  |   |  |                                 |
| 11 केलनपुर   | 27.30                                | 27.30   | 1150   | 900   | 1000  | 850   | 1850                                    | 80   | 65  | 60   | 50                              |
| 12 दीलतपुर   |                                      |         |  |   |   |   |   |  |   |  |                                 |
| 13 गोविन्दपुर वाजिदपुर   |                                      |         |  |   |   |   |   |  |   |  |                                 |
| 14 हल्वाहेड़ी  |                                      |         |  |   |   |   |   |  |   |  |                                 |
| 15 ब्रह्मपुर प० रुडकी  | 27.50                                | 26.40   | 1900   | 1350  | 1700  | 1100  | 2800                                    | 75   | 65  | 55   | 45                              |
| 16 हरिद्वार रोड पर ब्रह्मपुर<br>ख० नं० 221म से 230 तक, 220म, 251 से 262म तक, 350 से 358 तक, 341 से 345तक, 334म, 335म, 336म, 337, 321म, 380 से 370तक, 372म, 398म से 403 म तक, 416 म से 424तक, 428 से 431 म तक, 430म, 431म, 437म से 461तक, 778, 461/49, 462से 469म तक, 473म, 476 म, 540से 561म, 561म से 602म तक, 616 म से 620 म तक | 37.80                                | 37.80   | 2700   | 1900  | 2450  | 1650  | 4050                                    | 95   | 75  | 60   | 55                              |
| 17 कमालपुर सीनीबांस  | 11.05                                | 10.40   | 700  | 600   | 650   | 550   | 1050                                    | 70   | 60  | 50   | 45                              |
| 18 रोरपुर  | 29.70                                | 29.70   | 2050   | 1500  | 1850  | 1250  | 3050                                    | 80   | 65  | 60   | 45                              |

  
 (सूर्य मोहन चौधरी)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार

| क्षेत्र / राजस्व ग्रामों के नाम   | क्षेत्रीय दर प्रति हेक्टेयर (रु० लाख में) |         | 1000 वर्ग मी० तक की जूमि के अन्तर्गत के लिये निर्धारित दरें (रु० प्रति वर्ग मी०) |                                      |                                  |                                      | व्यवसायिक जूमि की दर रु० प्रति वर्ग मी० | दुकान/ रेस्टोरेंट / कार्यालय (मासिक किराया रु० प्रति वर्ग मी०) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें (मासिक किराया रु० प्रति वर्ग मी०) |  |                                 |
|---|---|---------|--|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|--|---------------------------------|
|   | सिंचित                                    | असिंचित | 500 वर्ग मीटर तक   | 500 वर्ग मीटर तक                     | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक         | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक             |   |  | गोदाम   | होटल/ गेस्ट हाउस/ बाराताघर/ पेट्रोल पम्प/ सिनेमाघर | अस्पताल/ धर्मशाला/ मनोरंजन स्थल |
|   |   |         | सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर   | सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर | सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर | सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर |   |  |   |  |                                 |
| क्रम सं०  | 1   | 2       | 3  | 4                                    | 5                                | 6                                    | 7                                       | 8  | 9   | 10   | 11                              |
| 19 हरिद्वार रोड़ पर शेरपुर ख० नं० 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 150, 157, 158, 159, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 161, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 199, 200, 201, 203, 205, 202, 207, 203, 232, 233, 234, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 280, 281, 283, 284 | 37.80                                     | 37.80   | 2700   | 1900                                 | 2450                             | 1650                                 | 4050                                    | 95   | 75  | 60   | 55                              |
| 20 बेलड़ा मु०   | 28.35                                     | 28.35   | 1250   | 950                                  | 1050                             | 750                                  | 1900                                    | 80   | 70  | 65   | 50                              |

(सूर्य मोहन नोटियल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार

| क्षेत्र / राजस्व ग्रामों के नाम  | कृषि दर प्रति हेक्टेयर (रु० लाख में) |         | 1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तर्ण के लिये निर्धारित दरें (रु० प्रति वर्ग मी०) |                                      |                                  |                                      | व्यवसायिक भूमि की दर रु० प्रति वर्ग मी० | दुकान/रेस्टोरेंट/कार्यालय (मासिक किराया रु० प्रति वर्ग मी०) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें (मासिक किराया रु० प्रति वर्ग मी०) |   |                               |
|--|--------------------------------------|---------|---|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|
|  | सिंचित                               | असिंचित | 500 वर्ग मीटर तक  | 500 वर्ग मीटर                        | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक         | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक             |   |   | गोदाम   | होटल/गेस्ट हाउस/बारताघर/पेट्रोल पम्प/सिनेमाघर | अस्पताल/धर्मशाला/मनोरंजन स्थल |
|  |                                      |         | सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर  | सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर | सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर | सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर |   |   |   |   |                               |
| क्रम सं०   | 1                                    | 2       | 3   | 4                                    | 5                                | 6                                    | 7                                       | 8   | 9   | 10  | 11                            |
| 21 हरिद्वार रोड़ पर<br>बेलड़ा मुस्तकहम<br>ख० नं० 589, 550म, 551म, 568, 567/4, 567/3म, 572/1, 572/2म, 571म, 116म, 117म, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 127, 124, 128म, 130/3म, 177/2म, 178म, 179म, 180, 181, 182, 193, 184, 189/1, 190म, 284/1, 284/2, 193/1, 193/3, 194/1, 194/2, 195म, 196/1, 196/2, 197, 198, 200, 292/1म, 290/1, 290/2, 291म, 306/1म, 289म, 288म, 287/1म, 287/2, 287/3, 286म, 199/3, 283/1, 284/3, 284/4, 279, 276/2, 277म, 276/1, 275म, 279/2, 470म, 479म, 473/2म, 474म, 475म, 548म, 547म, 536, 535/1, 535/2म, 534/2म, 534/3, 534/1म | 33.80                                | 33.80   | 1600  | 1000                                 | 1300                             | 800                                  | 2350                                    | 90  | 75  | 60  | 55                            |
| 22 बेलड़ी सालहापुर   | 27.30                                | 27.30   | 1200  | 950                                  | 1000                             | 850                                  | 1850                                    | 80  | 65  | 60  | 50                            |
| 23 हरिद्वार रोड़ पर<br>बेलड़ी सालहापुर<br>ख० नं० 18मि०, 18मि०, 19मि०, 20मि०, 21, 22मि०, 38मि०, 47मि०, 48मि०, 53मि०, 71मि०, 78मि०, 79मि०, 80मि०, 81, 82मि०  | 33.80                                | 33.80   | 1600  | 1200                                 | 1300                             | 1000                                 | 2350                                    | 95  | 75  | 60  | 55                            |

| क्षेत्र / राजस्व ग्रामों के नाम  | कृषि दर प्रति हेक्टेयर (रु० लाख में) |         | 1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तर्ण के लिये निर्धारित दरें (रु० प्रति वर्ग मी०) |                  |                          |                          | व्यवसायिक भूमि की दर रु० प्रति वर्ग मी० | दुकान/रेस्टोरेंट/कार्यालय (मासिक किराया रु० प्रति वर्ग मी०) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें (मासिक किराया रु० प्रति वर्ग मी०) |  |                               |
|--|--------------------------------------|---------|---|------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|---|--|-------------------------------|
|  | सिंचित                               | असिंचित | 500 वर्ग मीटर तक  | 500 वर्ग मीटर तक | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक |   |   | गोदाम   | होटल/गेस्ट हाउस/बाराताघर/पेट्रोल पम्प/सिनेमाघर | अस्पताल/धर्मशाला/मनोरंजन स्थल |
| क्रम सं०   | 1                                    | 2       | 3   | 4                | 5                        | 6                        | 7                                       | 8   | 9   | 10   | 11                            |
| 24 कान्हापुर मु०   | 27.30                                | 27.30   | 1200  | 950              | 1000                     | 850                      | 1850                                    | 80  | 75  | 65   | 50                            |
| 25 हरिद्वार रोड़ पर कान्हापुर मु०<br>ख० नं० 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 59   | 33.80                                | 33.80   | 1700  | 1050             | 1300                     | 900                      | 2500                                    | 90  | 70  | 55   | 50                            |
| 26 फिरोजपुर  | 27.30                                | 27.30   | 1200  | 950              | 1000                     | 850                      | 1850                                    | 80  | 65  | 60   | 50                            |
| 27 हरिद्वार रोड़ पर फिरोजपुर<br>ख० नं० 30/3म, 27/3, 29म, 106म, 28/2, 107/1म, 108/2; 108/3, 113/1, 113/2, 113/3म, 113/4, 113/5म, 111/2, 111/3, 111/4, 112/1म, 112/3म, 7/1, 9/1म, 10म, 30/1, 27/1म, 26म, 25/1म, 25/2, 24/1म, 24/2, 23, 17/2म, 18/1म, 18/2म, 18/3म, 109/2म, 110/1म, 110/3म, 110/5म, 110/7, 110/8, 110/9, 110/2, 110/4, 22/1, 22/3, 20, 21/1, 21/2, 21/3, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 18/4 | 33.80                                | 33.80   | 1700  | 1050             | 1250                     | 950                      | 2500                                    | 90  | 75  | 60   | 50                            |
| 28 रहमतपुर मु०   | 26.25                                | 26.25   | 1150  | 900              | 950                      | 850                      | 1750                                    | 75  | 65  | 60   | 55                            |
| 29 रहमतपुर अह०   | 6.25                                 | 6.25    | 650   | 500              | 600                      | 450                      | 950                                     | 70  | 60  | 55   | 50                            |

(सूर्य मोहन नौटियाल)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार

| क्षेत्र / राजस्व ग्रामों के नाम  | कृषि दर प्रति हेक्टेयर (₹ लाख में) |         | 1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तर्गत के लिये निर्धारित दरें (₹ प्रति वर्ग मी०) |                                      |                                  |                                      | व्यवसायिक भूमि की दर ₹ प्रति वर्ग मी० | दुकान/ रेस्टोरेंट / कार्यालय (मासिक किराया ₹ प्रति वर्ग मी०) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें (मासिक किराया ₹ प्रति वर्ग मी०) |  |                                 |
|--|------------------------------------|---------|--|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|---------------------------------|
|  | सिंचित                             | असिंचित | 500 वर्ग मीटर तक   | 500 वर्ग मीटर तक                     | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक         | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक             |                                       |  | गोदाम   | होटल/ गेस्ट हाउस/ बाराताघर/ पेट्रोल पम्प/ सिनेमाघर | अस्पताल/ धर्मशाला/ मनोरंजन स्थल |
|  |                                    |         | सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर   | सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर | सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर | सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर |                                       |  |   |  |                                 |
| क्रम सं०   | 1                                  | 2       | 3  | 4                                    | 5                                | 6                                    | 7                                     | 8  | 9   | 10   | 11                              |
| <b>30 हरिद्वार रोड़ पर रहमतपुर अहमताल</b><br>ख० नं० 209/2मि०, 213मि०, 214मि०, 215मि०, 201मि०, , 220/1, 220/3, 219, 218/2, 217/2, 133/44, 133/45, 133/47, 133/51, 133/52, 133/53मि०, 133/54, 131, 133/49, 133/50, 144मि०, 142मि०, 143मि०, 140मि०, 145मि०, 141/3मि०, 134/3मि०, 148/1, 147, 150/1, 148, 149/1, 161मि०, 180, 179, 184/1, 184/2, 184/3, 137/60मि०, 185, 178/1, 188/1, 187/1, 189, 137/61मि०, 188/1मि०, 188/2 190/3, 190/4, 190/9मि०, 190/10, 190/13मि०, 196/2, 200/1, 209/2, 206/1, 207, 208/1, 209/2, 158मि०, 157, 154/2, 150/3, 149/3, 165मि०, 170मि०, 171, 172/1, 178/3, 179/3, 187/3, 175मि०, 177मि०, 190/7मि०, 197, 196/1, 194, 209/2मि०, 196, 209/5मि०, 200/4, 200/3, 190/15, 200/14मि०, 206/2, 209/5, 200/19मि०, 204, 203मि०, 210/2, 211/2, 212/2, 208/2 | 14.30                              | 14.30   | 1600   | 1050                                 | 1200                             | 950                                  | 2100                                  | 95   | 80  | 75   | 55                              |

(सूर्य मोहन नौटियाल)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार . . .

| क्षेत्र / राजस्व ग्रामों के नाम  | क्षेत्रीय दर प्रति हेक्टेयर (₹ लाख में) |         | 1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तर्गत के लिये निर्धारित दरें (₹ प्रति वर्ग मी०) |   |   |   | व्यवसायिक भूमि की दर ₹ प्रति वर्ग मी० | दुकान/ रेस्टोरेंट/ कार्यालय (मासिक किराया ₹ प्रति वर्ग मी०) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें (मासिक किराया ₹ प्रति वर्ग मी०) |   |                                 |
|--|---|---------|--|---|---|---|---------------------------------------|---|---|---|---------------------------------|
|  | सिंचित                                  | असिंचित | 500 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर                              | 500 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर |                                       |   | गोदाम   | होटल/ गेस्ट हाउस/ बासताघर/ पेट्रोल पम्प/ सिनेमाघर | अस्पताल/ धर्मशाला/ मनोरंजन स्थल |
| क्रम सं०   | 1                                       | 2       | 3  | 4   | 5   | 6   | 7                                     | 8   | 9   | 10  | 11                              |
| 31 बेलडा अहड   | 28.35                                   | 28.35   | 1250   | 950   | 1050  | 900   | 1900                                  | 80  | 70  | 65  | 55                              |
| 32 हरिद्वार रोड़ पर बेलडा अहतमाल<br>खण्ड नं० 60, 61/1, 61/2, 62/2, 62/3, 62/4, 62/8, 62/9, 62/10, 62/11, 62/12, 63, 64, 65, 67, 66/1, 66/2, 66/3, 69, 70/1, 70/2, 70/3, 71, 72, 76, 77म, 81, 117म, 118म, 124, 125/1, 127, 148, 149, 150, 151, 154/1, 154/2, 154/4, 154/9, 155, 156, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168म, 169म, 170म, 179म | 31.20                                   | 31.20   | 1950   | 1450  | 1600  | 1350  | 2900                                  | 85  | 70  | 60  | 55                              |
| 33 बिझौली<br>34 टोडा कल्याणपुर<br>35 बघेड़ी महावतपुर<br>36 जलालपुर मु०   | 27.00                                   | 27.00   | 1700   | 1300  | 1450  | 1100  | 2450                                  | 80  | 70  | 65  | 50                              |

(सूर्य मोहन चौधरी)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार



**परगना रूडकी के ग्राम की न्यूनतम दरें**

| क्षेत्र / राजस्व ग्रामों के नाम | कृषि दर प्रति हेक्टेयर<br>(रु० लाख में) |         | 1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तर्ण के लिये निर्धारित दरें (रु० प्रति वर्ग मी०) |   |   |   | व्यवसायिक भूमि की दर रु० प्रति वर्ग मी० | दुकान/ रेस्टोरेंट / कार्यालय (मासिक किराया रु० प्रति वर्ग मी०) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें (मासिक किराया रु० प्रति वर्ग मी०) |  |                                 |
|---------------------------------|---|---------|---|---|---|---|---|--|---|--|---------------------------------|
|                                 | सिंचित                                  | असिंचित | 500 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर                               | 500 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर |   |  | गोदाम   | होटल/ गेस्ट हाउस/ बाराताघर/ पेट्रोल पम्प/ सिनेमाघर | अस्पताल/ धर्मशाला/ मनोरंजन स्थल |
| क्रम सं०                        | 1                                       | 2       | 3   | 4   | 5   | 6   | 7                                       | 8  | 9   | 10   | 11                              |
| 1 जोरासी                        |   |         |   |   |   |   |   |  |   |  |                                 |
| 2 खटका मु०                      |   |         |   |   |   |   |   |  |   |  |                                 |
| 3 डन्डेड़ी ख्वाजगीपुर           |   |         |   |   |   |   |   |  |   |  |                                 |
| 4 मरगूबपुर दीदाहेड़ी            |   |         |   |   |   |   |   |  |   |  |                                 |
| 5 रतनपुर                        |   |         |   |   |   |   |   |  |   |  |                                 |
| 6 मूलदासपुर उर्फ माजरा          | 11.05                                   | 10.40   | 750   | 600   | 650   | 550   | 1050                                    | 75   | 60  | 55   | 50                              |
| 7 कोट कलियर                     |   |         |   |   |   |   |   |  |   |  |                                 |
| 8 भैंसरहेड़ी मु०                |   |         |   |   |   |   |   |  |   |  |                                 |
| 9 जमालपुर                       |   |         |   |   |   |   |   |  |   |  |                                 |
| 10 जबरदस्त पुर                  |   |         |   |   |   |   |   |  |   |  |                                 |
| 11 मिर्जापुर मुस्ताफाबाद मु०    |   |         |   |   |   |   |   |  |   |  |                                 |
| 12 बीचपड़ी                      |   |         |   |   |   |   |   |  |   |  |                                 |

(सूर्य मोहन नौटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार

| क्षेत्र / राजस्व ग्रामों के नाम  | कृषि दर प्रति हेक्टेयर<br>(रु० लाख में) |         | 1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तर्गत के लिये निर्धारित दरें (रु० प्रति वर्ग मी०) |   |   |   | व्यवसायिक भूमि की दर रु० प्रति वर्ग मी० | दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय (मासिक किराया रु० प्रति वर्ग मी०) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें (मासिक किराया रु० प्रति वर्ग मी०) |  |                                   |
|----------------------------------|---|---------|--|---|---|---|---|---|---|--|-----------------------------------|
|                                  | सिंचित                                  | असिंचित | 500 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर                                | 500 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर |   |   | गोदाम   | होटल / गेस्ट हाउस / बाराताघर / पेट्रोल पम्प / सिनेमाघर | अस्पताल / धर्मशाला / मनोरंजन स्थल |
| क्रम सं०                         | 1                                       | 2       | 3  | 4   | 5   | 6   | 7                                       | 8   | 9   | 10   | 11                                |
| 13 बंधेड़ी महावतपुर अह०          |   |         |  |   |   |   |   |   |   |  |                                   |
| 14 भैसारेड़ी अह०                 |   |         |  |   |   |   |   |   |   |  |                                   |
| 15 जौरासी अह०                    |   |         |  |   |   |   |   |   |   |  |                                   |
| 16 खटका अह०                      |   |         |  |   |   |   |   |   |   |  |                                   |
| 17 जलालपुर अह०                   |   |         |  |   |   |   |   |   |   |  |                                   |
| 18 भारापुर जदीद मु०              |   |         |  |   |   |   |   |   |   |  |                                   |
| 19 भीरी जदीद मु०                 |   |         |  |   |   |   |   |   |   |  |                                   |
| 20 ढन्डेरी ख्वाजगीपुर जदीद मु०   | 5.63                                    | 5.00    | 650  | 500   | 600   | 450   | 950                                     | 70  | 60  | 50   | 45                                |
| 21 कान्हापुर अह०                 |   |         |  |   |   |   |   |   |   |  |                                   |
| 22 सुन्धारी                      |   |         |  |   |   |   |   |   |   |  |                                   |
| 23 उल्लेड़ी                      |   |         |  |   |   |   |   |   |   |  |                                   |
| 24 अकबरपुर मु० व जदीद मु०        |   |         |  |   |   |   |   |   |   |  |                                   |
| 25 खटकी                          |   |         |  |   |   |   |   |   |   |  |                                   |
| 26 टोडा कल्याणपुर अह०            |   |         |  |   |   |   |   |   |   |  |                                   |
| 27 मिर्जापुर मुस्तफाबाद जदीद मु० |   |         |  |   |   |   |   |   |   |  |                                   |

(सूर्य मोहम्मद नौटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार

**परगना मंगलौर नगरीय/विशिष्ट ग्राम की न्यूनतम दरें**

| क्षेत्र / राजस्व ग्रामों के नाम  | कृषि दर प्रति हेक्टेयर<br>(रु० लाख में) |         | 1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तरण के लिये निर्धारित दरें<br>(रु० प्रति वर्ग मी०) |   |   |   | व्यवसायिक<br>भूमि की<br>दर रु०<br>प्रति वर्ग<br>मीटर | दुकान/<br>रेस्टोरेंट<br>/कार्यालय<br>(मासिक<br>किराया रु०<br>प्रति वर्ग<br>मी०) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें<br>(मासिक किराया रु० प्रति वर्ग मी०) |  |  |
|--|---|---------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
|  | सिंचित                                  | असिंचित | 500 वर्ग मीटर<br>तक<br>सड़क से 100<br>मीटर तक<br>निर्धारित दर                     | 500 वर्ग मीटर<br>तक<br>सड़क से 100<br>मीटर से आगे<br>निर्धारित दर | 501 से 1000<br>वर्ग मीटर तक<br>सड़क से 100<br>मीटर तक<br>निर्धारित दर | 501 से 1000<br>वर्ग मीटर तक<br>सड़क से 100<br>मीटर से आगे<br>निर्धारित दर |  |   | गोदाम  | होटल/<br>गेस्ट हाउस/<br>बाराताघर/<br>पेट्रोल पम्प/<br>सिनेमाघर | अस्पताल/<br>घर्मशाला/<br>मनोरंजन<br>स्थल |
| क्रम सं०   | 1                                       | 2       | 3   | 4   | 5   | 6   | 7  | 8   | 9  | 10   | 11                                       |
| 1. मंगलौर नगर पालिका सीमा  | 26.40                                   | 26.40   | 2900  | 1700  | 2250  | 1450  | 4500   | 80  | 55   | 50   | 45                                       |
| 2. मंगलौर अन्दर हद्द न०पा०<br>ख० न० 431 से 439, 448 से 506, 508,<br>से 510, 521, 733 से 743, 745 से 749,<br>800 से 865, 870, 873, 874, 1069 से<br>1092, 1263 से 1261, 1370 से 1435,<br>2480 से 2479, 2484 से 2494, 2498 से<br>2503, 2510 से 2602, 2605म, 2613 से<br>2659, 2611 से 2666, 268, 269 | 28.60                                   | 28.60   | 3150  | 1850  | 2450  | 1600  | 4550   | 85  | 60   | 55   | 50                                       |
| 3. मंगलौर बाहर नगर पालिका सीमा   | 16.80                                   | 16.80   | 2650  | 1600  | 1800  | 1300  | 2850   | 80  | 55   | 50   | 40                                       |
| 4. मंगलौर बाहर नगर पालिका सीमा<br>ख० न० 511 से 513, 520, 522 से 524,<br>731, 732, 744, 750, 799, 1033 से 1042,<br>1062, 1068, 1095 से 1099, 1437, 1442<br>से 1456, 1562 से 1578, 1640 से 1654,<br>1666 से 1677, 1980 से 1983, 1993 से<br>2001, 2453 से 2456                                      | 18.20                                   | 18.20   | 2900  | 1700  | 1950  | 1400  | 4200   | 85  | 60   | 55   | 50                                       |

| क्षेत्र / राजस्व ग्रामों के नाम  | कृषि दर प्रति हेक्टेयर<br>(रु० लाख में) |         | 1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तर्ण के लिये निर्धारित दरें<br>(रु० प्रति वर्ग मी०) |   |   |   | व्यवसायिक<br>भूमि की<br>दर रु०<br>प्रति वर्ग<br>मीटर | दुकान/<br>रेस्टोरेंट<br>/कार्यालय<br>(मासिक<br>किराया रु०<br>प्रति वर्ग<br>मी०) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें<br>(मासिक किराया रु० प्रति वर्ग मी०) |  |  |
|--|---|---------|--|---|---|---|--|---|--|--|--|
|  | सिंचित                                  | असिंचित | 500 वर्ग मीटर<br>तक<br>सड़क से 100<br>मीटर तक<br>निर्धारित दर                      | 500 वर्ग मीटर<br>तक<br>सड़क से 100<br>मीटर से आगे<br>निर्धारित दर | 501 से 1000<br>वर्ग मीटर तक<br>सड़क से 100<br>मीटर तक<br>निर्धारित दर | 501 से 1000<br>वर्ग मीटर तक<br>सड़क से 100<br>मीटर से आगे<br>निर्धारित दर |  |   | गोदाम  | होटल/<br>गेस्ट हाउस/<br>बाराताघर/<br>पेट्रोल पम्प/<br>सिनेमाघर | अस्पताल/<br>धर्मशाला/<br>मनोरंजन<br>स्थल |
| क्रम सं०   | 1                                       | 2       | 3  | 4   | 5   | 6   | 7  | 8   | 9  | 10   | 11                                       |
| 5. दिल्ली रोड़ पर<br>मंगलीर ख० नं० 1991, 2462,1437 /1,<br>1437 /2, 1479, 1438, 1439, 1440, 1441,<br>1442, 1443, 1444, 1445 /1, 1445 /2,<br>1445 /3, 1448, 1447, 1448 /1,<br>1448 /2, 1456, 1449, 1450, 1451,<br>1452 /1 से 1452 /4 तक, 1453, 1565,<br>1566, 1567, 1568, 1569 /1 व 2,<br>1570 /1 व 2, 1571, 1572, 1573, 1576,<br>1577, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644,<br>1645, 1646 /1 व 2, 1647 /1 व 2, 1648,<br>1649, 1650 /1 व 2, 1651 /1 व 2,<br>1654 /1 से 1654 /3 तक, 1652, 1653,<br>1655, 1657 /1 व 2, 1656 /1 व 2,<br>1655 /1 व 2, | 21.60                                   | 21.60   | 3000   | 2200  | 2400  | 1800  | 4450   | 95  | 75   | 65   | 55                                       |

| क्षेत्र / राजस्व ग्रामों के नाम   | कृषि दर प्रति हेक्टेयर<br>(रु० लाख में) |         | 1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तर्ण के लिये निर्धारित दरें<br>(रु० प्रति वर्ग मी०) |   |   |   | व्यवसायिक<br>भूमि की<br>दर रु०<br>प्रति वर्ग<br>मीटर. | दुकान/<br>रेस्टोरेंट<br>/कार्यालय<br>(मासिक<br>किराया रु०<br>प्रति वर्ग<br>मी०) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें<br>(मासिक किराया रु० प्रति वर्ग मी०) |  |  |
|---|---|---------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|
|   | सिंचित                                  | असिंचित | 500 वर्ग मीटर<br>तक<br>सड़क से 100<br>मीटर तक<br>निर्धारित दर                      | 500 वर्ग मीटर<br>तक<br>सड़क से 100<br>मीटर से आगे<br>निर्धारित दर | 501 से 1000<br>वर्ग मीटर तक<br>सड़क से 100<br>मीटर तक<br>निर्धारित दर | 501 से 1000<br>वर्ग मीटर तक<br>सड़क से 100<br>मीटर से आगे<br>निर्धारित दर |   |   | गोदाम  | होटल/<br>गेस्ट हाउस/<br>बाराताघर/<br>पेट्रोल पम्प/<br>सिनेमाघर | अस्पताल/<br>धर्मशाला/<br>मनोरंजन<br>स्थल |
| क्रम सं०  | 1                                       | 2       | 3  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9  | 10   | 11                                       |
| 1656, 1662, 1665/1 व 2, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1968, 1968, 1969, 1990, 1987, 1986, 1985, 1983, 1984, 1982, 1979, 1980, 1981, 1978, 1977, 1992/1 व 2, 1998/1 व 2, 1994, 1995/1 से 1995/4 तक, 1999, 1998, 1997/1 व 2, 1986, 268, 287, 286, 288, 290, 403, 404, 405/1, 405/2, 406, 422, 423, 424, 425, 426, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448  | 21.60                                   | 21.60   | 3000   | 2200  | 2400  | 1800  | 4450  | 95  | 75   | 65   | 55                                       |
| 8. लण्डीरा (बाहर टाऊन एरिया)  | 16.25                                   | 16.25   | 1650   | 1250  | 1400  | 1100  | 2500  | 80  | 55   | 50   | 45                                       |
| 7. लक्कर रोड़ पर लण्डीरा<br>ख० नं० 152, 153, 154, 140, 139, 142, 143, 144, 137, 135, 132, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 124, 122, 437, 438, 436, 440, 432, 430, 516, 514, 515, 433, 548, 547, 588, 589, 590, 591, 592, 583, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 608, 604, 599, 585, 586 610, 611, 605, 608, 607, 608, 609, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, | 22.80                                   | 22.80   | 2150   | 1550  | 1700  | 1450  | 3250  | 95  | 75   | 65   | 55                                       |

| क्षेत्र / राजस्व ग्रामों के नाम   | कृषि दर प्रति हेक्टेयर<br>(रु० लाख में) |         | 1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तरण के लिये निर्धारित दरें<br>(रु० प्रति वर्ग मी०) |   |   |   | व्यवसायिक<br>भूमि की<br>दर रु०<br>प्रति वर्ग<br>मीटर | दुकान/<br>रेस्टोरेंट<br>/कार्यालय<br>(मासिक<br>किराया रु०<br>प्रति वर्ग<br>मी०) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें<br>(मासिक किराया रु० प्रति वर्ग मी०) |  |  |
|---|---|---------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
|   | सिंचित                                  | असिंचित | 500 वर्ग मीटर<br>तक<br>सड़क से 100<br>मीटर तक<br>निर्धारित दर                     | 500 वर्ग मीटर<br>तक<br>सड़क से 100<br>मीटर से आगे<br>निर्धारित दर | 501 से 1000<br>वर्ग मीटर तक<br>सड़क से 100<br>मीटर तक<br>निर्धारित दर | 501 से 1000<br>वर्ग मीटर तक<br>सड़क से 100<br>मीटर से आगे<br>निर्धारित दर |  |   | गोदाम  | होटल/<br>गेस्ट हाउस/<br>बाराताघर/<br>पेट्रोल पम्प/<br>सिनेमाघर | अस्पताल/<br>धर्मशाला/<br>मनोरंजन<br>स्थल |
| क्रम सं०  | 1                                       | 2       | 3   | 4   | 5   | 6   | 7  | 8   | 9  | 10   | 11                                       |
| 670, 365, 362, 347, 348, 349, 354, 355,<br>356, 357, 358, 360, 416, 671, 672, 673,<br>674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681,<br>682, 686, 684, 685, 686, 687, 688, 689,<br>690, 691, 692, 693, 694, 695, 426, 422,<br>423, 424, 421, 420, 419, 418, 417, 415,<br>414, 413, 412, 411, 410, 409, 408, 406,<br>405, 344, 343, 340, 341, 342, 202, 203,<br>204, 205, 200, 196, 197, 197, 196, 194,<br>183, 167, 168, 171, 172, 173, 175, 309,<br>311, 313, 314, 315, 316, 317, 321, 322,<br>323, 326, 327, 330, 331, 332, 333, 334,<br>335, 337, 280, 281, 288, 289, 404, 402,<br>398, 399, 394, 395, 369, 368, 367, 366 | 22.80                                   | 22.80   | 2150  | 1550  | 1700  | 1450  | 3250   | 95  | 75   | 65   | 55                                       |
| 8. मखियाली दुंदी  | 20.00                                   | 20.00   | 1500  | 1050  | 1350  | 900   | 2250   | 70  | 55   | 50   | 45                                       |

| क्षेत्र / राजस्व ग्रामों के नाम  | कृषि दर प्रति हेक्टेयर<br>(रु० लाख में) |         | 1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तर्ण के लिये निर्धारित दरें<br>(रु० प्रति वर्ग मी०) |   |   |   | व्यवसायिक<br>भूमि की<br>दर रु०<br>प्रति वर्ग<br>मीटर | दुकान/<br>रेस्टोरेंट<br>/कार्यालय<br>(मासिक<br>किराया रु०<br>प्रति वर्ग<br>मी०) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें<br>(मासिक किराया रु० प्रति वर्ग मी०) |   |  |
|--|---|---------|--|---|---|---|--|---|--|---|--|
|  | सिंचित                                  | असिंचित | 500 वर्ग मीटर<br>तक<br>सड़क से 100<br>मीटर तक<br>निर्धारित दर                      | 500 वर्ग मीटर<br>तक<br>सड़क से 100<br>मीटर से आगे<br>निर्धारित दर | 501 से 1000<br>वर्ग मीटर तक<br>सड़क से 100<br>मीटर तक<br>निर्धारित दर | 501 से 1000<br>वर्ग मीटर तक<br>सड़क से 100<br>मीटर से आगे<br>निर्धारित दर |  |   | गोदाम  | होटल/<br>रेस्ट हाउस/<br>बारताघर/<br>पेट्रोल पम्प/<br>सिनेमाघर | अस्पताल/<br>धर्मशाला/<br>मनोरंजन<br>स्थल |
| क्रम सं०   | 1                                       | 2       | 3  | 4   | 5   | 6   | 7  | 8   | 9  | 10  | 11                                       |
| 9. दिल्ली रोड़ पर<br>मखियाली दुंदी ख० नं० 1, 2, 3, 4, 5,<br>6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,<br>17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27,<br>28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,<br>41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,<br>51, 63, 64, 55, 56, 57, 69, 59, 60, 61,<br>62, 63, 64, 85, 86, 67, 68, 69, 70, 71,<br>75, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104,<br>105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,<br>113, 114, 115, 118, 117, 118, 119, 120,<br>121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,<br>129, 53/221 | 25.00                                   | 25.00   | 2150   | 1450  | 1700  | 1250  | 3250   | 90  | 75   | 65  | 50                                       |
| 10. लादपुर खुर्द   | 15.00                                   | 15.00   | 2650   | 1950  | 2300  | 1700  | 4200   | 85  | 65   | 55  | 50                                       |
| 11. दिल्ली रोड़ पर लादपुर खुर्द<br>ख० नं० 64म, 110 से 121 तक, 122 म,<br>137म, 138म, 139म, 140म, 141म, 142,<br>143म, 144 से 150तक, 151म, 153म,<br>154म, 155 से 159, 160म, 162म, 163,<br>164म, 165, 166म, 168म, 24, 25म, 26म,<br>27म, 29म, 39म, 42म, 74म, 75म, 76, 77म,<br>78, 79म, 81 से 83, 85, 86, 87म, 90म,<br>91म, 92, 93, 94म, 95म, 99म, 101म, 102<br>से 108 तक, 107म, 108म, 109म, 110म  | 20.00                                   | 20.00   | 3400   | 2500  | 3000  | 2000  | 5500   | 110   | 80   | 75  | 55                                       |

| क्षेत्र / राजस्व ग्रामों के नाम  | कृषि दर प्रति हेक्टेयर<br>(रु० लाख में) |         | 1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तर्गत के लिये निर्धारित दरें<br>(रु० प्रति वर्ग मी०) |   |   |   | व्यवसायिक<br>भूमि की<br>दर रु०<br>प्रति वर्ग<br>मीटर | दुकान/<br>रेस्टोरेंट<br>/कार्यालय<br>(मासिक<br>किराया रु०<br>प्रति वर्ग<br>मी०) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें<br>(मासिक किराया रु० प्रति वर्ग मी०) |  |  |
|--|---|---------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
|  | सिंचित                                  | असिंचित | 500 वर्ग मीटर<br>तक<br>सड़क से 100<br>मीटर तक<br>निर्धारित दर                       | 500 वर्ग मीटर<br>तक<br>सड़क से 100<br>मीटर से आगे<br>निर्धारित दर | 501 से 1000<br>वर्ग मीटर तक<br>सड़क से 100<br>मीटर तक<br>निर्धारित दर | 501 से 1000<br>वर्ग मीटर तक<br>सड़क से 100<br>मीटर से आगे<br>निर्धारित दर |  |   | गोदाम  | होटल/<br>गेस्ट हाउस/<br>बाराताघर/<br>पेट्रोल पम्प/<br>सिनेमाघर | अस्पताल/<br>घर्मशाला/<br>मनोरंजन<br>स्थल |
| क्रम सं०   | 1                                       | 2       | 3   | 4   | 5   | 6   | 7  | 8   | 9  | 10   | 11                                       |
| 12. खानपुर   | 15.00                                   | 15.00   | 2650  | 1950  | 2300  | 1650  | 4200   | 85  | 65   | 45   | 40                                       |
| 13. दिल्ली रोड़ पर खानपुर ख० नं० 22,<br>23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33,<br>34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45,<br>47, 48, 49, 50, 51, 125, 148   | 18.40                                   | 18.40   | 3100  | 2300  | 2800  | 1850  | 5050   | 105   | 70   | 60   | 45                                       |
| 14. जैनपुर झंझेड़ी   | 12.60                                   | 12.60   | 2750  | 1950  | 2250  | 1700  | 4200   | 85  | 65   | 50   | 45                                       |
| 15. लखनौता   | 12.00                                   | 12.00   | 1500  | 1100  | 1200  | 900   | 2300   | 65  | 55   | 50   | 45                                       |
| 16. कल्याणपुर उर्फ नारसन कलां  | 15.00                                   | 15.00   | 1500  | 1100  | 1250  | 900   | 2300   | 65  | 55   | 50   | 45                                       |
| 17. सकौती  | 15.00                                   | 15.00   | 900   | 750   | 800   | 600   | 1400   | 65  | 55   | 45   | 35                                       |
| 18. रामनगर   | 15.00                                   | 15.00   | 1450  | 950   | 1200  | 850   | 2200   | 70  | 55   | 50   | 45                                       |
| 19. कुरड़ी   | 19.20                                   | 19.20   | 1600  | 1100  | 1350  | 900   | 2550   | 85  | 55   | 50   | 45                                       |
| 20. दिल्ली रोड़ पर कुरड़ी<br>ख० नं० 83मि०, 84मि०, 85मि०, 86, 87,<br>88, 89, 90, 91, 92, 221/2मि०, 223मि०,<br>224, 225मि०, 226, 227, 228, 229, 230,<br>231, 232, 233, 234, 235, 236, 237,<br>238मि०, 241मि०, 242, 243, 244मि०,<br>245मि०, 255मि०, 256मि०, 257मि०, 258मि०,<br>259, 260मि०, 282/1मि०, 289/2मि०,<br>291, 292, 293, 295/1मि०, 295/2,<br>296/1मि०, 297, 298मि०, 299/1मि०,<br>299/2मि०, 299/3मि०, 299/4मि०,<br>300/1. | 24.00                                   | 24.00   | 1950  | 1400  | 1500  | 1200  | 3150   | 85  | 75   | 65   | 55                                       |



| क्षेत्र / राजस्व ग्रामों के नाम  | कृषि दर प्रति हेक्टेयर<br>(रु० लाख में) |         | 1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तर्गत के लिये निर्धारित दरें<br>(रु० प्रति वर्ग मी०) |   |   |   | व्यवसायिक<br>भूमि की<br>दर रु०<br>प्रति वर्ग<br>मीटर | दुकान/<br>रेस्टोरेंट<br>/ कार्यालय<br>(मासिक<br>किराया रु०<br>प्रति वर्ग<br>मी०) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें<br>(मासिक किराया रु० प्रति वर्ग मी०) |   |  |
|--|---|---------|---|---|---|---|--|--|--|---|--|
|  | सिंचित                                  | असिंचित | 500 वर्ग मीटर<br>तक<br>सड़क से 100<br>मीटर तक<br>निर्धारित दर                       | 500 वर्ग मीटर<br>तक<br>सड़क से 100<br>मीटर से आगे<br>निर्धारित दर | 501 से 1000<br>वर्ग मीटर तक<br>सड़क से 100<br>मीटर तक<br>निर्धारित दर | 501 से 1000<br>वर्ग मीटर तक<br>सड़क से 100<br>मीटर से आगे<br>निर्धारित दर |  |  | गोदाम  | होटल/<br>गेस्ट हाउस/<br>बारताघर/<br>पेट्रोल पम्प/<br>सिनेमाघर | अस्पताल/<br>धर्मशाला/<br>मनोरंजन<br>स्थल |
| क्रम सं०   | 1                                       | 2       | 3   | 4   | 5   | 6   | 7  | 8  | 9  | 10  | 11                                       |
| 300/2मि०, 301मि०, 302मि०, 303,<br>316/1मि०, 316/2मि०, 316/4मि०, 316/5,<br>316/6, 316/7, 316/8मि०, 318/1,<br>318/2मि०, 319/1, 319/2मि०, 319/3मि०<br>321/1मि०, 321/2मि०, 321/3मि०, 321/4,<br>321/5, 321/6, 322, 323, 324मि०, 325मि०,<br>326, 330/1, 330/2, 332, 333मि०, 334,<br>335, 336, 337मि०, 338मि०, 339मि०, 340मि०,<br>341मि०, 4/1, 4/2, 4/3, 5/2, 6मि०,<br>7मि०, 8/3मि०, 8/4मि०, 10, 11मि०, 40मि०,<br>42, 43, 58मि०, 59, 60, 61, 62, 64, 95, 96,<br>97, 98मि०, 99मि०, 100मि०, 101मि०, 102मि०,<br>116, 118मि०, 120, 121, 122, 123, 124मि०,<br>152मि०, 153मि०, 216, 217, 218, 220,<br>221/2मि० 257, 258, 261मि०, 266मि०,<br>268मि०, 277, 278, 279, 280, 281,<br>282/1मि०, 282/2, 282/3, 284/1,<br>284/2मि०, 286/1, 286/2मि०, 287,<br>288/1, 288/2मि०, 288/3मि०, 289/1,<br>289/2मि०, 290 | 24.00                                   | 24.00   | 1950  | 1400  | 1500  | 1200  | 3150   | 85   | 75   | 65  | 55                                       |
| 21. लिम्बरहेड़ी  | 20.00                                   | 20.00   | 1650  | 1150  | 1400  | 750   | 1900   | 70   | 60   | 50  | 45                                       |

| क्षेत्र / राजस्व ग्रामों के नाम   | कृषि दर प्रति हेक्टेयर<br>(रु० लाख में) |         | 1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तरण के लिये निर्धारित दरें<br>(रु० प्रति वर्ग मी०) |   |   |   | व्यवसायिक<br>भूमि की<br>दर रु०<br>प्रति वर्ग<br>मीटर | दुकान/<br>रेस्टोरेंट<br>/कार्यालय<br>(मासिक<br>किराया रु०<br>प्रति वर्ग<br>मी०) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें<br>(मासिक किराया रु० प्रति वर्ग मी०) |  |  |
|---|---|---------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
|   | सिंचित                                  | असिंचित | 500 वर्ग मीटर<br>तक<br>सड़क से 100<br>मीटर तक<br>निर्धारित दर                     | 500 वर्ग मीटर<br>तक<br>सड़क से 100<br>मीटर से आगे<br>निर्धारित दर | 501 से 1000<br>वर्ग मीटर तक<br>सड़क से 100<br>मीटर तक<br>निर्धारित दर | 501 से 1000<br>वर्ग मीटर तक<br>सड़क से 100<br>मीटर से आगे<br>निर्धारित दर |  |   | गोदाम  | होटल/<br>गेस्ट हाउस/<br>बाराताघर/<br>पेट्रोल पम्प/<br>सिनेमाघर | अस्पताल/<br>धर्मशाला/<br>मनोरंजन<br>स्थल |
| क्रम सं०  | 1                                       | 2       | 3   | 4   | 5   | 6   | 7  | 8   | 9  | 10   | 11                                       |
| 22. दिल्ली रोड़ पर लिम्बरहेड़ी<br>ख० नं० 1 से 7 तक, 39, 40, 45, 56, 57,<br>68 से 71 तक, 77, 78, 81, 85, 82, 83,<br>86, 88, 90, 94, 103, 105 से 107, 112 से<br>118, 118, 121, 122, 125, 126, 132 से<br>137 तक, 139, 140, 141, 142, 143, 153<br>से 155, 172 से 182 तक, 185, 186 से<br>171 तक, 184, 182, 188 से 206 तक | 24.00                                   | 24.00   | 1950  | 1450  | 1700  | 900   | 2150   | 85  | 75   | 65   | 55                                       |
| 23. खुन्डी  | 15.60                                   | 15.60   | 950   | 800   | 900   | 750   | 1350   | 70  | 55   | 50   | 45                                       |
| 24. कुआहेड़ी  | 19.20                                   | 19.20   | 1000  | 800   | 900   | 750   | 1350   | 65  | 55   | 45   | 40                                       |
| 25. दिल्ली रोड़ पर कुआहेड़ी<br>ख० नं० 207, 206, 237, 236, 231, 240,<br>242 से 248 तक, 248, 251, 252, 254,<br>258, 257/1, 257/2, 259, 281  | 24.00                                   | 24.00   | 1200  | 850   | 1000  | 800   | 1500   | 85  | 75   | 60   | 45                                       |
| 26. कुलचन्दी  | 16.80                                   | 16.80   | 1400  | 900   | 1200  | 800   | 2100   | 65  | 55   | 45   | 40                                       |
| 27. मंडावली   | 19.20                                   | 19.20   | 1450  | 1000  | 1200  | 800   | 2150   | 65  | 55   | 50   | 45                                       |
| 28. दिल्ली रोड़ पर मण्डावली<br>ख० नं० 37, 39, 40, 43, 48, 48, 56,<br>68, 89, 91, 93, 98, 99, 115, 119, 120,<br>121, 122, 124, 125, 126, 129, 130, 132,<br>133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 143  | 26.00                                   | 26.00   | 2100  | 1500  | 1850  | 1300  | 3000   | 95  | 80   | 65   | 60                                       |
| 29. दहियाकी   | 16.10                                   | 16.10   | 1150  | 900   | 950   | 700   | 1650   | 65  | 55   | 50   | 45                                       |
| 30. मुडियाकी  | 16.80                                   | 16.80   | 1200  | 900   | 1000  | 750   | 1700   | 70  | 60   | 50   | 45                                       |
| 31. नारसन खुर्द   | 21.25                                   | 21.25   | 1600  | 1000  | 1250  | 900   | 2250   | 70  | 60   | 50   | 45                                       |

| क्षेत्र / राजस्व ग्रामों के नाम   | कृषि दर प्रति हेक्टेयर<br>(रु० लाख में) |         | 1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तर्गत के लिये निर्धारित दरें<br>(रु० प्रति वर्ग मी०) |   |   |   | व्यवसायिक<br>भूमि की<br>दर रु०<br>प्रति वर्ग<br>मीटर | दुकान/<br>रेस्टोरेंट<br>/ कार्यालय<br>(मासिक<br>किराया रु०<br>प्रति वर्ग<br>मी०) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें<br>(मासिक किराया रु० प्रति वर्ग मी०) |  |  |
|---|---|---------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|   | सिंचित                                  | असिंचित | 500 वर्ग मीटर<br>तक<br>सड़क से 100<br>मीटर तक<br>निर्धारित दर                       | 500 वर्ग मीटर<br>तक<br>सड़क से 100<br>मीटर से आगे<br>निर्धारित दर | 801 से 1000<br>वर्ग मीटर तक<br>सड़क से 100<br>मीटर तक<br>निर्धारित दर | 501 से 1000<br>वर्ग मीटर तक<br>सड़क से 100<br>मीटर से आगे<br>निर्धारित दर |  |  | गोदाम  | होटल/<br>गेस्ट हाउस/<br>बाराताघर/<br>पेट्रोल पम्प/<br>सिनेमाघर | अस्पताल/<br>धर्मशाला/<br>मनोरंजन<br>स्थल |
| क्रम सं०  | 1                                       | 2       | 3   | 4   | 5   | 6   | 7  | 8  | 9  | 10   | 11                                       |
| 32. दिल्ली रोड़ पर नारसन खुर्द<br>ख० नं० 109म, 110म, 111म, 112म,<br>115म, 116, 121म, 122म, 196म, 201म,<br>202म, 204, 207, 214म, 215म, 216म,<br>221म, 223म, 225म, 121म, 122म, 123 से<br>127 तक, 129म, 191, 192, 193, 195म  | 27.30                                   | 27.30   | 2350  | 1600  | 1950  | 1300  | 3250   | 90   | 80   | 65   | 45                                       |
| 33. शिमलीनी   | 17.50                                   | 17.50   | 1250  | 1000  | 1150  | 900   | 1750   | 70   | 60   | 50   | 45                                       |
| 34. दिल्ली रोड़ पर शिमलीनी<br>ख० नं० 152, 153, 154, 155, 156, 157,<br>158, 159, 160, 161, 162, 169, 171, 170,<br>174, 175 178, 177, 178, 179, 180, 181,<br>182, 183, 184, 185, 186, 195, 196, 199,<br>200, 201, 202, 203, 204, 208, 209, 210,<br>211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219,<br>220, 221, 222, 223, 224, 225, 228, 227,<br>228, 229, 232, 233, 234, 235, 236, 237,<br>238, 239, 240, 241, 242, 243, 246, 247,<br>248, 249, 256, 257, 259, 259, 260, 261,<br>262, 263, 264, 265, 266 | 23.40                                   | 23.40   | 1700  | 1450  | 1550  | 1050  | 2600   | 90   | 80   | 75   | 50                                       |
| 35. खेड़ाजट   | 12.65                                   | 12.65   | 800   | 650   | 700   | 600   | 1100   | 65   | 55   | 45   | 40                                       |
| 36. शेरपुर खेलमऊ  | 12.65                                   | 12.65   | 850   | 700   | 750   | 650   | 1250   | 65   | 55   | 45   | 40                                       |

| क्षेत्र / राजस्व ग्रामों के नाम  | कृषि दर प्रति हेक्टेयर<br>(रु० लाख में) |         | 1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तर्गत के लिये निर्धारित दरें<br>(रु० प्रति वर्ग मी०) |   |   |   | व्यवसायिक<br>भूमि की<br>दर रु०<br>प्रति वर्ग<br>मीटर | दुकान/<br>रेस्टोरेंट<br>/ कार्यालय<br>(मासिक<br>किराया रु०<br>प्रति वर्ग<br>मी०) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें<br>(मासिक किराया रु० प्रति वर्ग मी०) |  |  |
|--|---|---------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|  | सिंचित                                  | असिंचित | 500 वर्ग मीटर<br>तक<br>सड़क से 100<br>मीटर तक<br>निर्धारित दर                       | 500 वर्ग मीटर<br>तक<br>सड़क से 100<br>मीटर से आगे<br>निर्धारित दर | 501 से 1000<br>वर्ग मीटर तक<br>सड़क से 100<br>मीटर तक<br>निर्धारित दर | 501 से 1000<br>वर्ग मीटर तक<br>सड़क से 100<br>मीटर से आगे<br>निर्धारित दर |  |  | गोदाम  | होटल/<br>गेस्ट हाउस/<br>बाराताघर/<br>पेट्रोल पम्प/<br>सिनेमाघर | अस्पताल/<br>धर्मशाला/<br>मनोरंजन<br>स्थल |
| क्रम सं०   | 1                                       | 2       | 3   | 4   | 5   | 6   | 7  | 8  | 9  | 10   | 11                                       |
| 37. शिकारपुर   | 13.75                                   | 13.75   | 950   | 750   | 850   | 700   | 1400   | 70   | 60   | 50   | 45                                       |
| 38. गदरजुडडा   |   |         |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 39. गदरजुडडा ख० नं० 135, 137, 138,<br>141 से 145, 151 से 153, 155, 158, 158,<br>159, 180, 178 से 178, 180 से 185, 209<br>से 214, 198, 218, 231 से 240, 248, 228,<br>228, 219, 220                                      | 16.80                                   | 16.80   | 1150  | 900   | 950   | 800   | 1700   | 75   | 65   | 55   | 50                                       |
| 40. लाठरदेवा हुण   | 12.65                                   | 12.65   | 900   | 700   | 750   | 650   | 1300   | 65   | 55   | 45   | 40                                       |
| 41. लाठरदेवा हुण ख० नं० 3 से 14, 17 से<br>30, 32, 34, 35, 37 से 53, 55 से 101,<br>127, 128, 130 से 133, 140 से 153, 221<br>से 226, 232, 242 से 247, 250, 597 से<br>599, 601, 602, 603, 807, 609, 610, 611,<br>613, 614 | 16.10                                   | 16.10   | 1100  | 900   | 950   | 750   | 1650   | 70   | 60   | 55   | 45                                       |
| 42. कोटवाल आलमपुर  | 13.75                                   | 13.75   | 950   | 750   | 850   | 700   | 1400   | 70   | 60   | 50   | 45                                       |
| 43. थाथोला   |   |         |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 44. भगवानपुर चन्दनपुर  | 12.50                                   | 12.50   | 900   | 700   | 750   | 650   | 1250   | 70   | 60   | 50   | 45                                       |
| 45. पीरपुरा  |   |         |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 46. धीथकी कवादपुर  |   |         |   |   |   |   |  |  |  |  |  |

**परगना मंगलौर के ग्राम की न्यूनतम दरें**

| क्षेत्र / राजस्व ग्रामों के नाम     | कृषि दर प्रति हेक्टेयर (₹ लाख में) |         | 1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तर्गत के लिये निर्धारित दरें (₹० प्रति वर्ग मी०) |                                    |                                |                                    | व्यवसायिक भूमि की दर ₹० प्रति वर्ग मीटर | दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय (मासिक किराया ₹० प्रति वर्ग मी०) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें (मासिक किराया ₹० प्रति वर्ग मी०) |  |                                   |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|--|--|--|-----------------------------------|
|                                     | सिंचित                             | असिंचित | 800 वर्ग मीटर तक  | 600 वर्ग मीटर तक                   | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक       | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक           |   |  | गोदाम  | होटल / गेस्ट हाउस / बाराताघर / पेट्रोल पम्प / सिनेमाघर | अस्पताल / धर्मशाला / मनोरंजन स्थल |
|                                     |                                    |         | ₹० से 100 मीटर तक निर्धारित दर  | ₹० से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर | ₹० से 100 मीटर तक निर्धारित दर | ₹० से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर |   |  |  |  |                                   |
| क्रम सं०                            | 1                                  | 2       | 3   | 4                                  | 5                              | 6                                  | 7                                       | 8  | 9  | 10   | 11                                |
| 1 जठेडी                             |                                    |         |   |                                    |                                |                                    |   |  |  |  |                                   |
| 2 मखदूमपुर,                         |                                    |         |   |                                    |                                |                                    |   |  |  |  |                                   |
| 3 सबौली,                            |                                    |         |   |                                    |                                |                                    |   |  |  |  |                                   |
| 4 सबौला                             |                                    |         |   |                                    |                                |                                    |   |  |  |  |                                   |
| 5 टिकोला कलां,                      |                                    |         |   |                                    |                                |                                    |   |  |  |  |                                   |
| 6 झबीरन                             |                                    |         |   |                                    |                                |                                    |   |  |  |  |                                   |
| 7 लहबोली,                           |                                    |         |   |                                    |                                |                                    |   |  |  |  |                                   |
| 8 मौ०पुर जट,                        | 11.25                              | 10.63   | 700   | 550                                | 600                            | 500                                | 1000                                    | 70   | 55   | 50   | 45                                |
| 9 नगला चिन्ना,                      |                                    |         |   |                                    |                                |                                    |   |  |  |  |                                   |
| 10 नसीरपुर अफजलपुर,                 |                                    |         |   |                                    |                                |                                    |   |  |  |  |                                   |
| 11 नाथुखेड़ी,                       |                                    |         |   |                                    |                                |                                    |   |  |  |  |                                   |
| 12 बन्हेड़ा टान्डा,                 |                                    |         |   |                                    |                                |                                    |   |  |  |  |                                   |
| 13 आमखेड़ी,                         |                                    |         |   |                                    |                                |                                    |   |  |  |  |                                   |
| 14 हरजोली जट,                       |                                    |         |   |                                    |                                |                                    |   |  |  |  |                                   |
| 15 कगवाली,                          |                                    |         |   |                                    |                                |                                    |   |  |  |  |                                   |
| 18 मुन्डलाना,                       |                                    |         |   |                                    |                                |                                    |   |  |  |  |                                   |
| 17 राजपुर मुस्तफाबाद उर्फ गाधारोना, |                                    |         |   |                                    |                                |                                    |   |  |  |  |                                   |
| 18 सिकन्दरपुर मवाल                  |                                    |         |   |                                    |                                |                                    |   |  |  |  |                                   |

| क्षेत्र / राजस्व ग्रामों के नाम | कृषि दर प्रति हेक्टेयर (₹ लाख में) |         | 1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तर्ण के लिये निर्धारित दरें (₹० प्रति वर्ग मी०) |                                      |                                  |                                      | व्यवसायिक भूमि की दर ₹० प्रति वर्ग मीटर | दुकान/रेस्टोरेंट/कार्यालय (मासिक किराया ₹० प्रति वर्ग मी०) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें (मासिक किराया ₹० प्रति वर्ग मी०) |  |                               |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|--|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|-------------------------------|
|                                 | सिंचित                             | असिंचित | 800 वर्ग मीटर तक   | 800 वर्ग मीटर                        | 801 से 1000 वर्ग मीटर तक         | 801 से 1000 वर्ग मीटर तक             |   |  | गोदाम  | होटल/गेस्ट हाउस/बाराताघर/पेट्रोल पम्प/सिनेमाघर | अस्पताल/धर्मशाला/मनोरंजन स्थल |
|                                 |                                    |         | सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर   | सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर | सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर | सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर |   |  |  |  |                               |
| क्रम सं०                        | 1                                  | 2       | 3  | 4                                    | 5                                | 6                                    | 7                                       | 8  | 9  | 10   | 11                            |
| 19 बसवा खेड़ी                   |                                    |         |  |                                      |                                  |                                      |   |  |  |  |                               |
| 20 बुडपुर चौहान                 |                                    |         |  |                                      |                                  |                                      |   |  |  |  |                               |
| 21 हशामपुर                      |                                    |         |  |                                      |                                  |                                      |   |  |  |  |                               |
| 22 खानमपुर कसौली                |                                    |         |  |                                      |                                  |                                      |   |  |  |  |                               |
| 23 नूरपुर                       |                                    |         |  |                                      |                                  |                                      |   |  |  |  |                               |
| 24 शीतलपुर                      |                                    |         |  |                                      |                                  |                                      |   |  |  |  |                               |
| 25 सुसाड़ी                      |                                    |         |  |                                      |                                  |                                      |   |  |  |  |                               |
| 26 सुसाड़ी कला                  |                                    |         |  |                                      |                                  |                                      |   |  |  |  |                               |
| 27 सुसाड़ी खुर्द                |                                    |         |  |                                      |                                  |                                      |   |  |  |  |                               |
| 28 बरमपुर                       |                                    |         |  |                                      |                                  |                                      |   |  |  |  |                               |
| 29 चक बरमपुर                    | 11.25                              | 10.63   | 700  | 550                                  | 600                              | 500                                  | 1000                                    | 70   | 55   | 50   | 45                            |
| 30 बुडपुर जट                    |                                    |         |  |                                      |                                  |                                      |   |  |  |  |                               |
| 31 गजरीला                       |                                    |         |  |                                      |                                  |                                      |   |  |  |  |                               |
| 32 हरचन्दपुर                    |                                    |         |  |                                      |                                  |                                      |   |  |  |  |                               |
| 33 जैतपुर                       |                                    |         |  |                                      |                                  |                                      |   |  |  |  |                               |
| 34 कवादपुर                      |                                    |         |  |                                      |                                  |                                      |   |  |  |  |                               |
| 35 कमीरा                        |                                    |         |  |                                      |                                  |                                      |   |  |  |  |                               |
| 36 कासमपुर खुर्द                |                                    |         |  |                                      |                                  |                                      |   |  |  |  |                               |
| 37 कुमराड़ी                     |                                    |         |  |                                      |                                  |                                      |   |  |  |  |                               |
| 38 कुमराड़ा                     |                                    |         |  |                                      |                                  |                                      |   |  |  |  |                               |
| 39 मन्नाखेड़ी                   |                                    |         |  |                                      |                                  |                                      |   |  |  |  |                               |
| 40 महापुर,                      |                                    |         |  |                                      |                                  |                                      |   |  |  |  |                               |
| 41 मुन्डे                       |                                    |         |  |                                      |                                  |                                      |   |  |  |  |                               |

| क्षेत्र / राजस्व ग्रामों के नाम | कृषि दर प्रति हेक्टेयर (₹ लाख में) |         | 1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तर्गत के लिये निर्धारित दर (₹ प्रति वर्ग मी०) |  |                                    |  | व्यवसायिक भूमि की दर ₹ प्रति वर्ग मीटर | दुकान/रेस्टोरेंट/कार्यालय (मासिक किराया ₹ प्रति वर्ग मी०) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दर (मासिक किराया ₹ प्रति वर्ग मी०) |  |                               |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|--|--|------------------------------------|--|--|---|---|--|-------------------------------|
|                                 | सिंचित                             | असिंचित | 500 वर्ग मीटर तक   | 500 वर्ग मीटर से 1000 वर्ग मीटर तक     | 1001 से 10000 वर्ग मीटर तक         | 10001 से 100000 वर्ग मीटर तक           |  |   | गोदाम   | होटल/गेस्ट हाउस/बाराताघर/पेट्रोल पम्प/सिनेमाघर | अस्पताल/धर्मशाला/मनोरंजन स्थल |
|                                 |                                    |         | ₹ सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर   | ₹ सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर | ₹ सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर | ₹ सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर |  |   |   |  |                               |
| क्रम सं०                        | 1                                  | 2       | 3  | 4                                      | 5                                  | 6                                      | 7                                      | 8   | 9   | 10   | 11                            |
| 42 नगला एमाद                    |                                    |         |  |  |                                    |  |  |   |   |  |                               |
| 43 नाहरपुर                      |                                    |         |  |  |                                    |  |  |   |   |  |                               |
| 44 नगला सिकन्दर                 |                                    |         |  |  |                                    |  |  |   |   |  |                               |
| 45 नगला कोयल                    |                                    |         |  |  |                                    |  |  |   |   |  |                               |
| 46 नगला सलारू                   |                                    |         |  |  |                                    |  |  |   |   |  |                               |
| 47 नगला सकटू                    |                                    |         |  |  |                                    |  |  |   |   |  |                               |
| 48 निजामपुर                     |                                    |         |  |  |                                    |  |  |   |   |  |                               |
| 49 रायपुर                       |                                    |         |  |  |                                    |  |  |   |   |  |                               |
| 50 रसूलपुर निठारी               |                                    |         |  |  |                                    |  |  |   |   |  |                               |
| 51 सैदपुरा                      |                                    |         |  |  |                                    |  |  |   |   |  |                               |
| 52 शेखपुर                       | 11.25                              | 10.63   | 700  | 550                                    | 600                                | 500                                    | 1000                                   | 70  | 55  | 50   | 45                            |
| 53 ठसका                         |                                    |         |  |  |                                    |  |  |   |   |  |                               |
| 54 उदलहेड़ी                     |                                    |         |  |  |                                    |  |  |   |   |  |                               |
| 55 उल्हेड़ा                     |                                    |         |  |  |                                    |  |  |   |   |  |                               |
| 56 उल्हेड़ी                     |                                    |         |  |  |                                    |  |  |   |   |  |                               |
| 57 अकबरपुर बाढेकी               |                                    |         |  |  |                                    |  |  |   |   |  |                               |
| 58 नारायणपुर                    |                                    |         |  |  |                                    |  |  |   |   |  |                               |
| 59 सलारपुर                      |                                    |         |  |  |                                    |  |  |   |   |  |                               |
| 60 टिकोला खुर्द                 |                                    |         |  |  |                                    |  |  |   |   |  |                               |
| 61 हज्जरपुर मु०                 |                                    |         |  |  |                                    |  |  |   |   |  |                               |
| 62 फतेहचल्लापुर                 |                                    |         |  |  |                                    |  |  |   |   |  |                               |
| 63 खेमपुर                       |                                    |         |  |  |                                    |  |  |   |   |  |                               |

| क्षेत्र / राजस्व ग्रामों के नाम   | कृषि दर प्रति हेक्टेयर (₹ लाख में) |         | 1000 वर्ग मी० तक की जूमि के अन्तरण के लिये निर्धारित दरें (₹० प्रति वर्ग मी०) |                                    |                                |                                    | व्यवसायिक जूमि की दर ₹० प्रति वर्ग मीटर | दुकान/ रेस्टोरेंट / कार्यालय (मासिक किराया ₹० प्रति वर्ग मी०) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दरें (मासिक किराया ₹० प्रति वर्ग मी०) |  |                                 |
|---|------------------------------------|---------|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|---------------------------------|
|   | सिंचित                             | असिंचित | 500 वर्ग मीटर तक  | 500 वर्ग मीटर तक                   | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक       | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक           |   |   | गोदाम  | होटल/ गेस्ट हाउस/ बाराताघर/ पेट्रोल पम्प/ सिनेमाघर | अस्पताल/ धर्मशाला/ मनोरंजन स्थल |
|   |                                    |         | ₹० से 100 मीटर तक निर्धारित दर  | ₹० से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर | ₹० से 100 मीटर तक निर्धारित दर | ₹० से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर |   |   |  |  |                                 |
| क्रम सं०  | 1                                  | 2       | 3   | 4                                  | 5                              | 6                                  | 7                                       | 8   | 9  | 10   | 11                              |
| 64 लक्खर रोड़ पर खेमपुर<br>खण्ड नं० 27, 28, 21, 18, 22, 23, 24, 25,<br>28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39,<br>40, 41, 42, 17, 16, 14, 57, 56, 55, 45, 44,<br>46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 95, 86,<br>100, 101, 102, 103, 104, 96, 105, 106, 107,<br>108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,<br>142, 143, 144, 145, 153, 152, 154, 155,<br>156, 157, 158, 159, 180, 161, 162, 163,<br>164, 165, 166, 187, 186, 189, 170, 171,<br>174, 175, 178, 177, 178, 179, 180, 181,<br>162, 186, 184, 185, 186, 187, 189, 180,<br>191, 192, 193, 194, 196/406, 195/407,<br>195/405, 196, 107, 268, 269, 287, 279,<br>271, 272, 273, 274, 275, 276, 251, 253,<br>252, 254, 255, 261, 264, 277, 278, 279,<br>290, 261, 282, 283, 284, 285, 286, 287,<br>288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295,<br>296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303,<br>304, 305, 308, 307, 308, 309, 310,<br>311/406, 311, 312, 313, 314, 315, 316,<br>317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324,<br>325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332,<br>334, 335, 336, 338, 339, 342, 341, 340,<br>343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, | 13.20                              | 11.40   | 850   | 600                                | 650                            | 550                                | 1200                                    | 85  | 65   | 55   | 50                              |



| क्षेत्र / राजस्व ग्रामों के नाम  | कृषि दर प्रति हेक्टेयर (₹ लाख में) |         | 1000 वर्ग मी० तक की भूमि के अन्तर्गत के लिये निर्धारित दर (₹ प्रति वर्ग मी०) |                                      |                                  |                                      | व्यवसायिक भूमि की दर ₹ प्रति वर्ग मीटर | दुकान/ रेस्टोरेंट/ कार्यालय (मासिक किराया ₹ प्रति वर्ग मी०) | अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दर (मासिक किराया ₹ प्रति वर्ग मी०) |  |                                 |
|--|------------------------------------|---------|--|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|--|---------------------------------|
|  | सिंचित                             | असिंचित | 500 वर्ग मीटर तक   | 500 वर्ग मीटर तक                     | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक         | 501 से 1000 वर्ग मीटर तक             |  |   | गोदाम   | होटल/ गेस्ट हाउस/ बाराताघर/ पेट्रोल पम्प/ सिनेमाघर | अस्पताल/ धर्मशाला/ मनोरंजन स्थल |
|  |                                    |         | सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर   | सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर | सड़क से 100 मीटर तक निर्धारित दर | सड़क से 100 मीटर से आगे निर्धारित दर |  |   |   |  |                                 |
| क्रम सं०   | 1                                  | 2       | 3  | 4                                    | 5                                | 6                                    | 7                                      | 8   | 9   | 10   | 11                              |
| 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404 | 13.20                              | 11.40   | 850  | 600                                  | 650                              | 550                                  | 1200                                   | 85  | 65  | 55   | 50                              |
| 65 अब्दुल हसनपुर उर्फ घिसरुपड़ी,<br>66 सिक्कर घोसपुर,<br>67 बुक्कनपुर,<br>68 गोपालपुर,<br>69 नकीबपुर उर्फ घोसीपुरा,<br>70 सिक्कर,<br>71 ठोई,<br>72 मुकीमपुर,<br>73 हज्जरपुर अह०,<br>74 भगतवाली,  | 6.50                               | 6.25    | 650  | 500                                  | 550                              | 450                                  | 950                                    | 70  | 55  | 50   | 45                              |

**तहसील रुडकी की औद्योगिक क्षेत्र की दरें**

| क्रमांक | क्षेत्र/ग्राम का नाम | निर्धारित दर (प्रति वर्ग मीटर) |
|---------|----------------------|--------------------------------|
| 1       | शान्तरशाह            | 2500/-                         |
| 2       | बढेडी राजपूतान       |                                |
| 3       | बहादरपुर सैनी        |                                |
| 4       | बावली कलंजरी         |                                |
| 5       | पंचायनपुर            |                                |
| 6       | दहियाकी              | 2200/-                         |
| 7       | लाठरदेवा हुण         |                                |
| 8       | गदर जुडडा            |                                |
| 9       | मुण्डियाकी           |                                |
| 10      | मण्डावली             |                                |
| 11      | कुरड़ी               |                                |
| 12      | नारसन खुर्द          |                                |
| 13      | मुकीमपुर             |                                |
| 14      | लिब्वरहड़ी           | 1800/-                         |
| 15      | थाथौला               |                                |
| 16      | खेमपुर               |                                |
| 17      | शिकारपुर             |                                |
| 18      | लण्डौरा              | 1550/-                         |
| 19      | अन्य                 |                                |

  
 (सूर्य मोहन मोटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार

**भवनों की श्रेणीवार दर सूची (रु० प्रति वर्ग मीटर में)**

| क्रमांक | भवनों की श्रेणी              | निर्धारित दर<br>(रु० प्रति वर्ग मीटर) |
|---------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1.      | फ्लैट्स                      | 8500/-                                |
| 2.      | श्रेणी – प्रथम (आर०सी०सी०)   | 8150/-                                |
| 3.      | श्रेणी – द्वितीय (आर०बी०सी०) | 7500/-                                |
| 4.      | श्रेणी – तृतीय (टीनपोश)      | 5850/-                                |

(सूर्य मोहन चौटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार

गैर वाणिज्यिक भवनों का मूल्यांकन निम्न सूची के अनुसार देय होगा:-

क्षरण निम्नानुसार देय होगा, जिसका फार्मूला निम्नलिखित है:- नोट-क्षरण की निम्न सारणी भवन की अनुमानित आयु 100 वर्ष मान कर किया गया है।


निर्माण मूल्य में ह्रास लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचारित सूत्र :-  $D = P (1 - RD/100)^N$  RD = भवन की औसत आयु  
100

D = ह्रास मूल्य (Depreciated Value)    P = वर्तमान मूल्य    N = कितने वर्ष पुराना (Actual Age of Building)


|        |       |    |       |    |       |     |       |
|--------|-------|----|-------|----|-------|-----|-------|
| 1 वर्ष | 0.990 | 26 | 0.770 | 51 | 0.598 | 76  | 0.465 |
| 2      | 0.980 | 27 | 0.762 | 52 | 0.592 | 77  | 0.461 |
| 3      | 0.970 | 28 | 0.754 | 53 | 0.587 | 78  | 0.456 |
| 4      | 0.960 | 29 | 0.747 | 54 | 0.581 | 79  | 0.452 |
| 5      | 0.950 | 30 | 0.739 | 55 | 0.575 | 80  | 0.447 |
| 6      | 0.941 | 31 | 0.731 | 56 | 0.569 | 81  | 0.443 |
| 7      | 0.932 | 32 | 0.724 | 57 | 0.563 | 82  | 0.438 |
| 8      | 0.927 | 33 | 0.717 | 58 | 0.558 | 83  | 0.434 |
| 9      | 0.913 | 34 | 0.710 | 59 | 0.552 | 84  | 0.429 |
| 10     | 0.904 | 35 | 0.703 | 60 | 0.547 | 85  | 0.425 |
| 11     | 0.890 | 36 | 0.696 | 61 | 0.541 | 86  | 0.421 |
| 12     | 0.880 | 37 | 0.689 | 62 | 0.536 | 87  | 0.417 |
| 13     | 0.870 | 38 | 0.682 | 63 | 0.530 | 88  | 0.412 |
| 14     | 0.868 | 39 | 0.675 | 64 | 0.525 | 89  | 0.408 |
| 15     | 0.860 | 40 | 0.668 | 65 | 0.518 | 90  | 0.404 |
| 16     | 0.851 | 41 | 0.662 | 66 | 0.515 | 91  | 0.400 |
| 17     | 0.842 | 42 | 0.655 | 67 | 0.509 | 92  | 0.396 |
| 18     | 0.834 | 43 | 0.649 | 68 | 0.504 | 93  | 0.392 |
| 19     | 0.826 | 44 | 0.642 | 69 | 0.499 | 94  | 0.388 |
| 20     | 0.817 | 45 | 0.636 | 70 | 0.494 | 95  | 0.384 |
| 21     | 0.809 | 46 | 0.629 | 71 | 0.489 | 96  | 0.381 |
| 22     | 0.801 | 47 | 0.623 | 72 | 0.484 | 97  | 0.377 |
| 23     | 0.793 | 48 | 0.617 | 73 | 0.480 | 98  | 0.373 |
| 24     | 0.785 | 49 | 0.611 | 74 | 0.475 | 99  | 0.369 |
| 25     | 0.777 | 50 | 0.605 | 75 | 0.470 | 100 | 0.366 |

(सूर्य मोहन नौटियाल)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार।


| क्रमांक | टिप्पणी  |
|---------|--|
| 1-      | उ०प्र० वित्त निगम, उ०प्र० आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक प्राधिकरणों/निगमों एवं राजकीय संस्थाओं द्वारा अन्तरित परिसम्पत्तियों हेतु उक्त संस्थाओं द्वारा निष्पादित विलेखों के अन्तर्गत निहित सम्पत्ति का बाजार मूल्य संस्थाओं के द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य के बराबर होगा।   |
| 2-      | मूल्यांकन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा, जो कि विभिन्न कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा किराये पर लिये गये उन भवनों से है, जहां से उन कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा अपने व्यावसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है तथा जो भवन उत्तर प्रदेश स्टाम्प सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली 1997 में यथा परिभाषित है।  |
| 3-      | विलेख में सम्पत्ति/भूमि का नगरपालिका खाता संख्या/बंदोबस्त संख्या/खसरा संख्या/खेवट संख्या/राजस्व ग्राम तथा प्रमुख मार्ग से दूरी अंकित की जानी तथा सम्पत्ति के चिन्हीकरण हेतु वांछित तथ्य अंकित किये जाने अनिवार्य होंगे। विलेख के द्वारा अन्तरित सम्पत्ति/भूमि की चौहद्दी भी अंकित की जानी अनिवार्य होगी।   |
| 4-      | सम्पत्ति की सीमा में उल्लेखित सड़क की चौड़ाई तथा सूची में वर्णित क्षेत्र के प्रमुख मार्गों से दूरी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। सूची में वर्णित प्रमुख मार्गों इतर अन्य मुख्य सड़क का तात्पर्य लोक निर्माण विभाग/राष्ट्रीय राजमार्ग/अन्य कार्यदायी विभाग द्वारा निर्मित मुख्य मार्ग के मानक से होगा, परन्तु यह नियम पुराने मोहल्लों पर लागू नहीं होगा।   |
| 5-      | मुख्य मार्ग का तात्पर्य नौ मीटर चौड़े मार्ग से होगा।   |
| 6-      | भवनों के सम्बन्ध में भवनों के निर्माण स्तर के सम्बन्ध में विलेख में श्रेणी प्रथम-आर०सी०सी०, श्रेणी द्वितीय-आर०बी०सी०, श्रेणी तृतीय-टीनपोश का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा। निर्मित क्षेत्रफल का मूल्यांकन किये जाते समय पोर्च के क्षेत्रफल को भी निर्मित क्षेत्रफल में जोड़ा जायेगा। भवनों की आयु निर्धारण के सम्बन्ध में लिखित प्रमाणिक साक्ष्य/शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। उक्त के अभाव में कोई क्षरण देय नहीं होगा। विलेख में निर्माण का वर्ष अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। |
| 7-      | टीनपोश भवन में क्षरण अधिकतम 25 वर्षों का देय होगा।   |
| 8-      | बहुखण्डीय आवासीय भवनों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तल, तथा उससे उपरोक्त के समस्त तलों पर स्थित भवनों में भूखण्ड के मूल्यांकन पर क्रमशः 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत की छूट होगी।  |
| 9-      | बहुखण्डीय आवासीय भवनों में, जो कि उत्तर प्रदेश फ्लैट्स ओनरशिप ऑफ फ्लैट्स एक्ट 1975 के अन्तर्गत आच्छादित होते हैं, उनके अन्तर्गत सुपर एरिया पर आनुपातिक मूल्य पर भी स्टाम्प शुल्क देय होगा, फ्लैटों के विलेखों में निर्माण दर पर कोई ह्रास देय नहीं होगा।   |
| 10-     | औद्योगिक/वाणिज्यिक/अनावासीय भवनों के मूल्यांकन में कोई ह्रास मूल्य देय नहीं होगा।  |
| 11-     | बहुखण्डीय व्यापारिक प्रतिष्ठानों में सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय तल, तथा उससे उपरोक्त के समस्त तलों पर क्रमशः 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत कम दरें लागू होंगी।  |
| 12-     | बहुखण्डीय व्यापारिक प्रतिष्ठानों में सम्पूर्ण अन्तरित सम्पत्ति के आगणित मूल्यांकन पर बेसमेंट में 20 प्रतिशत कम दरें लागू होंगी तथा लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान निर्धारित दरें लागू होंगी।  |

  
 (सूर्य मोहन नौटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

|                       |  |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
|-----------------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 13-                   | व्यावसायिक/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/दुकान की प्रति वर्ग मीटर किराया निर्मित क्षेत्रफल के आधार पर किया जायेगा जिसके लिये मूल्यांकन प्रति वर्ग मीटर मासिक किराया जो कि प्रत्येक क्षेत्र के आगे अंकित है X निर्मित क्षेत्रफल X 300 + भूखण्ड का सर्किल दर से मूल्यांकित मूल्य का योग होगा।   |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 14-                   | मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख मार्गों पर पड़ने वाले समस्त नगरीय क्षेत्रों, अर्द्धनगरीय क्षेत्रों, जो कि नगर सीमा के अन्तर्गत स्थित हैं, की सम्पत्तियों के अन्तरण विलेखों द्वारा अन्तरित सम्पत्ति के प्रमुख मार्ग के 200 मीटर के अन्तर्गत होने पर प्रमुख मार्गों की निर्धारित दरें ही लागू होंगी। प्रमुख मार्ग/क्षेत्र विशेष में स्थित सम्पत्ति के मूल्यांकन किये जाने में उक्त दोनों क्षेत्रों में निर्धारित उच्चतम दरों के अनुरूप मूल्यांकन किया जायेगा।   |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 15-                   | तहसील के ग्रामीण क्षेत्र तथा अर्द्धनगरीय क्षेत्रों (जो कि नगर सीमा से बाहर स्थित हैं) में बाग विक्रय होने संबंधी प्रलेख पर सिंचित भूमि की दर की डेढ़ गुनी दर प्रभावी होगी। नगरीय क्षेत्र एवं अर्द्धनगरीय क्षेत्रों (जो कि नगर सीमा के अन्तर्गत स्थित हैं) में बाग विक्रय होने संबंधी प्रलेख पर क्षेत्र विशेष की वर्गमीटर में निर्धारित न्यूनतम दरों की डेढ़ गुनी दरें लागू होंगी। यदि जनपद में किसी भी प्रकार की सम्पत्ति/कृषि भूमि पर यदि वृक्ष स्थित हों एवं वह बाग के रूप में प्रख्यापित न हो तो उन प्रकरणों में वृक्षों का मूल्यांकन अलग से आंकलित किया जायेगा।  |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 16-                   | तहसील में स्थित किसी भी प्रकार की सम्पत्ति के अन्तरण विलेख के द्वारा अन्तरित सम्पत्ति के एक दिशा में सड़क/रास्ता होने की स्थिति में मूल्यांकन सूची में क्षेत्र विशेष हेतु प्रदत्त दर देय होगी, दो दिशाओं में सड़क/रास्ता होने की स्थिति में मूल्यांकन सूची में क्षेत्र विशेष हेतु प्रदत्त दरों से 10 प्रतिशत दरें अधिक देय होंगी, तीन दिशाओं में सड़क/रास्ता होने की स्थिति में मूल्यांकन सूची में क्षेत्र विशेष हेतु प्रदत्त दरों से 20 प्रतिशत दरें अधिक देय होंगी एवं चार दिशाओं में सड़क/रास्ता होने की स्थिति में मूल्यांकन सूची में क्षेत्र विशेष हेतु प्रदत्त दरों से 30 प्रतिशत दरें अधिक देय होंगी। |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 17-                   | किसी भी औद्योगिक ईकाई का अन्तरण होने की दशा में उक्त में स्थापित मशीनरी का मूल्यांकन गवर्नमेंट एप्रूव्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट के अनुसार किया जायेगा।   |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 18-                   | बाउण्ड्री वॉल के स्थित होने पर रु० 600/- प्रति वर्ग मीटर की दर से मूल्यांकन किया जायेगा।   |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 19-                   | भूमि में बोरिंग के स्थित होने पर क्षेत्रवार निम्न मूल्यांकन होगा:-<br><table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>विकास खण्ड बहादुराबाद</td> <td>विकास खण्ड रुड़की</td> <td>विकास खण्ड भगवानपुर</td> <td>विकास खण्ड नारसन</td> <td>विकास खण्ड लक्सर</td> <td>विकास खण्ड खानपुर</td> </tr> <tr> <td>रुपये 10,000/-</td> <td>रुपये 10,000/-</td> <td>रुपये 14,000/-</td> <td>रुपये 12,000/-</td> <td>रुपये 8,000/-</td> <td>रुपये 7,000/-</td> </tr> </table>   | विकास खण्ड बहादुराबाद | विकास खण्ड रुड़की | विकास खण्ड भगवानपुर | विकास खण्ड नारसन  | विकास खण्ड लक्सर | विकास खण्ड खानपुर | रुपये 10,000/- | रुपये 10,000/- | रुपये 14,000/- | रुपये 12,000/- | रुपये 8,000/- | रुपये 7,000/- |
| विकास खण्ड बहादुराबाद | विकास खण्ड रुड़की  | विकास खण्ड भगवानपुर   | विकास खण्ड नारसन  | विकास खण्ड लक्सर    | विकास खण्ड खानपुर |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| रुपये 10,000/-        | रुपये 10,000/-   | रुपये 14,000/-        | रुपये 12,000/-    | रुपये 8,000/-       | रुपये 7,000/-     |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 20-                   | मूल्यांकन सूची में वर्णित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे क्षेत्र जिनमें कतिपय ग्रामों के सड़कों पर स्थित खसरा नम्बरान की दरें अलग से प्राविधानित हैं, उन क्षेत्रों में सड़क के दोनों ओर स्थित वह खसरा नम्बर जो कि सड़क के दोनों ओर की 200 मीटर दूरी के अन्तर्गत स्थित हैं, परन्तु सूची में वर्णित नहीं है, उन खसरा नम्बर की भूमि के अन्तरण विलेख पर उक्त क्षेत्र में सड़कों पर स्थित खसरा नम्बरान हेतु निर्धारित दरें ही प्रभावी होंगी।  |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 21-                   | जनपद की समस्त तहसीलों के ग्रामीण क्षेत्र पर स्थित 1000 वर्गमीटर से कम कृषि भूमि का क्रेता यदि अन्तरित कृषि भूमि का सहखातेदार हो या अन्तरित कृषि भूमि के साथ क्रेता की कृषि भूमि का मेड़ मिलान होता हो तो ऐसे विलेख पर क्षेत्र विशेष की कृषि भूमि की उच्चतम निर्धारित दर प्रभावी होगी। इस लाभ हेतु क्रेता द्वारा राजस्व अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की दशा में क्षेत्र विशेष की वर्गमीटर में निर्धारित दर प्रभावी होगी।   |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |
| 22-                   | तहसील के किसी भी क्षेत्र में विलेख के माध्यम से यदि 50 वर्गमीटर तक "सड़क मार्ग/रास्ता" पर स्थित (नगरीय/अर्द्धनगरीय क्षेत्र हेतु सड़क मार्ग/रास्ता का तात्पर्य 3 मीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु सड़क मार्ग/रास्ता का तात्पर्य मुख्य मार्ग/9 मीटर से होगा) की भूमि/सम्पत्ति का अन्तरण होता है, तो ऐसे विलेख पर प्रवृत्त क्षेत्र विशेष की व्यावसायिक दर प्रभावी होगी तथा निर्माण का मूल्यांकन निर्मित क्षेत्रफल की प्रकृति के अनुसार किया जायेगा। यह प्राविधान प्लेटों के विलेखों में लागू नहीं होगा।  |                       |                   |                     |                   |                  |                   |                |                |                |                |               |               |

  
 (सूर्य मोहन नौटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।

|     |   |
|-----|---|
| 23- | तहसील के किसी भी क्षेत्र में विलेख के माध्यम से यदि 50 वर्गमीटर से अधिक "सड़क मार्ग/रास्ता" पर स्थित (नगरीय/अर्द्धनगरीय क्षेत्र हेतु सड़क मार्ग/रास्ता का तात्पर्य 3 मीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु सड़क मार्ग/रास्ता का तात्पर्य मुख्य मार्ग/9 मीटर से होगा) भूमि/सम्पत्ति संयुक्त क्रेतागण द्वारा क्रय की जाती है, एवं प्रत्येक क्रेता के भाग में 50 वर्गमीटर से कम भूमि आती हो तथा क्रेतागण के मध्य पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, भाई, बहन तथा नाती-पोतों के सम्बन्ध न हो, तो ऐसे विलेख पर प्रवृत्त बिन्दु संख्या 22 के अन्तर्गत क्षेत्र विशेष की व्यावसायिक दर ही प्रभावी होगी।   |
| 24- | तहसील के किसी भी क्षेत्र में विलेख के माध्यम से यदि 1000 वर्गमीटर से अधिक भूमि संयुक्त क्रेतागण द्वारा क्रय की जाती है, एवं उनके भागानुसार प्रत्येक क्रेता के भाग में 1000 वर्गमीटर से कम भूमि आती हो तथा क्रेतागण के मध्य पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, भाई, बहन तथा नाती-पोतों के सम्बन्ध न हो, तो ऐसे विलेख पर प्रवृत्त क्षेत्र विशेष हेतु निर्धारित वर्गमीटर की दर ही प्रभावी होगी।  |
| 25- | मूल्यांकन सूची में वर्णित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे क्षेत्र जिनमें कतिपय खसरा नम्बरान की दरें अलग से प्राविधानित हैं, केवल उन क्षेत्रों में 1000 वर्गमीटर से अधिक एवं 2500 वर्गमीटर तक की भूमि के अन्तरण विलेख पर उक्त क्षेत्र की सूची के (हरिद्वार एवं लक्सर की मूल्यांकन सूची के कॉलम संख्या 8 तथा रुड़की प्रथम एवं रुड़की द्वितीय की मूल्यांकन सूची के कॉलम 6) में निर्धारित दर की 90 प्रतिशत दर तथा 2500 वर्गमीटर से अधिक एवं 4040 वर्गमीटर तक की भूमि के अन्तरण विलेख पर उक्त क्षेत्र की सूची के (हरिद्वार एवं लक्सर की मूल्यांकन सूची के कॉलम संख्या 8 तथा रुड़की प्रथम एवं रुड़की द्वितीय की मूल्यांकन सूची के कॉलम 6) में निर्धारित दरों की 80 प्रतिशत दर प्रभावी होगी। यह प्राविधान फर्म, संस्था, सोसायटी, न्यास, कम्पनी के क्रेता होने की स्थिति में लागू नहीं होगा। |
| 26- | मूल्यांकन सूची में वर्णित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे क्षेत्र जिनमें कतिपय खसरा नम्बरान की दरें अलग से प्राविधानित हैं, उन क्षेत्रों में विलेख के माध्यम से यदि 1000 वर्गमीटर से अधिक अथवा 2500 वर्गमीटर से अधिक अथवा 4040 वर्गमीटर से अधिक भूमि संयुक्त क्रेतागण द्वारा क्रय की जाती है और प्रत्येक क्रेता के भाग में 1000 वर्गमीटर/2500 वर्गमीटर/4040 वर्गमीटर से कम भूमि होती है और यदि क्रेतागण के मध्य पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, भाई, बहन तथा नाती-पोतों के सम्बन्ध नहीं हैं तो ऐसे विलेख पर बिन्दु संख्या 24, 25 में वर्णित शर्तों के अन्तर्गत रहते हुये क्षेत्र विशेष हेतु प्रवृत्त दरें प्रभावी होगी।   |
| 27- | मूल्यांकन सूची में वर्णित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे क्षेत्र जिनमें कतिपय खसरा नम्बरान की दरें अलग से प्राविधानित हैं, केवल उन क्षेत्रों में क्रेता फर्म, संस्था, सोसायटी, न्यास, कम्पनी द्वारा 1000 वर्गमीटर से अधिक एवं एक हेक्टेयर से कम भूमि के क्रय विलेख पर उक्त क्षेत्र विशेष की सूची के (हरिद्वार एवं लक्सर की मूल्यांकन सूची के कॉलम संख्या 8 तथा रुड़की प्रथम एवं रुड़की द्वितीय की मूल्यांकन सूची के कॉलम 6) में निर्धारित दर की 85 प्रतिशत दर तथा एक हेक्टेयर से अधिक एवं दो हेक्टेयर तक की भूमि के क्रय विलेख पर उक्त क्षेत्र की सूची के (हरिद्वार एवं लक्सर की मूल्यांकन सूची के कॉलम संख्या 8 तथा रुड़की प्रथम एवं रुड़की द्वितीय की मूल्यांकन सूची के कॉलम 6) में निर्धारित दरों की 75 प्रतिशत दर प्रभावी होगी।   |
| 28- | जनपद में जिन मुख्य मार्गों के दोनों ओर के खसरा नम्बर सूची में वर्णित नहीं किये गये हैं, उन क्षेत्रों में सड़क मार्ग के दोनों ओर 100 मीटर की दूरी तक बिन्दु संख्या 24, 25, 26, 27 में वर्णित शर्तों के अन्तर्गत रहते हुये क्षेत्र विशेष की प्रवृत्त दरें प्रभावी होगी।   |
| 29- | एक हजार वर्गमीटर से अधिक भूमि के अन्तरण विलेखों के द्वारा यदि बंजर भूमि का अन्तरण किया जाता है तो उक्त विलेखों पर कृषि दरें प्रभावी नहीं होगी। बंजर भूमि की दशा में एक हजार वर्गमीटर से अधिक एवं एक हे० क्षेत्रफल तक की भूमि के अन्तरण विलेखों पर तालिका के कॉलम आठ में वर्गमीटर में निर्धारित दरों की 85 प्रतिशत दरें तथा एक हे० से अधिक एवं दो हे० तक की भूमि के अन्तरण विलेखों पर तालिका के कॉलम आठ में वर्गमीटर में निर्धारित दरों की 75 प्रतिशत दरें प्रभावी होगी।   |
| 30- | मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख या मुख्य मार्ग/क्षेत्र वार निर्धारित दरों में यदि किसी स्थल की दरें दो स्थान पर निर्धारित हैं तो उच्चतम निर्धारित दर प्रभावी होगी।   |
| 31- | मूल्यांकन सूची में यदि किसी क्षेत्र की दरें निर्धारित होने से छूट गयी हैं तो समीपस्थ स्थल हेतु निर्धारित उच्चतम दर से सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जायेगा।  |
| 32- | निर्गत की जा रही मूल्यांकन सूची में यदि कोई लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो उक्त त्रुटि को शुद्ध करने हेतु तत्संबंधी निर्देश अलग से निर्गत किये जायेंगे।   |

  
 (सूर्य मोहन नौटियाल)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
 हरिद्वार।